(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] षष्टम् विधान सभा के बारहवें सत्र का नवां दिवस [संख्या 7



बुधवार,

दिनांक 14, सितम्बर 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण खनिज, वित्त, स्टेट गैराज, शिक्षा, उद्योग, पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग]

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

### ग्राम सेवा सहकारी समिति, रायला की जांच

**115. श्री उमराव सिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समिति, रायला, तहसील बनेड़ा में जो अनियमिततायें हुई हैं, उनकी कोई जांच कराई है? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

**सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन)**: जी हां। जांच से समिति के मंत्री श्री उत्सवलाल एवं श्री कन्हैयालाल, व्यवस्थापक, को दोषी पाया गया। दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत केसेज रजिस्टर्ड किये जा चुके हैं जो विचाराधीन हैं, तथा पंजीयक, सहकारी समितियां द्वारा पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : आपने फर्माया कि जांच के बाद दोषी पाये गये, तो किस तरह से दोषी पाये गये और कितने रुपयों का गबन उन्होंने किया?

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** :

(1) श्री उत्सवलाल लड्ढा, तत्कालीन मंत्री एवं श्री कन्हैयालाल, तत्कालीन व्यवस्थापक, रायला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड। रु. 16,691.00

(2) श्री उत्सवलाल लड्ढा, तत्कालीन मन्त्री, रायला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रु. 1807.00

(2)



(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

| | |
|---|---|
| (3) श्री कन्हैयालाल जीनगर, तत्कालीन व्यवस्थापक, रायला ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड | रु. 1554.75 |

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े मन्त्री महोदय ने रखे हैं वह सही नहीं हैं। मेरी जानकारी जहां तक है, अकेले उत्सवलाल ने ही कम से कम 80 हजार का घोटाला किया है। वह ऐसे किया गया है कि जिस आदमी को 1,000 रुपया दिया, उसके आगे एक जीरो और लगा कर 10,000 कर दिया और बाकी के पैसे वह खुद हजम कर गये। इसी प्रकार जिसको 200 दिये, उसके 2000 कर दिये और जिसके 250 थे उसके 2,500 कर दिये। उनको संरक्षण दिया गया है श्री रामप्रसाद लड्ढा द्वारा जो बैंक के चेयरमैन हैं और श्री उत्सवलाल के रिश्तेदार हैं। वह भी लड्ढा हैं और वह भी लड्ढा हैं। जिस आदमी ने इसकी जांच की है उसको वहां से ट्रान्सफर कर दूसरी जगह भेज दिया गया है। तो क्या मन्त्री महोदय फिर दुबारा इस सारी सहकारी समिति की जांच करवायेंगे ?

इस सहकारी समिति ने एक ट्रैक्टर और ट्राली खरीद रखी है जो किराये पर चलते हैं लेकिन उसका किराया जो भी आता है वह सारा इन लड्ढा साहब की जेब में जाता है, सहकारी समिति में नहीं आता। इस बात की भी मन्त्री महोदय जांच करवा लें।

**एक माननीय सदस्य** : रामप्रसाद लड्ढा कौनसी पार्टी से सम्बन्धित है ?

**श्री उमराव सिंह ढाबरिया** : कांग्रेस पार्टी के हैं। यह श्री उत्सवलाल लड्ढा भी कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित हैं। कोई भी आदमी ऐसा करता है, चाहे किसी भी पार्टी से सम्बन्धित हो....

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया संक्षेप में कहें।

**श्री उमराव सिंह ढाबरिया** : तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ट्रैक्टर और ट्राली जो किराये दी जाती है, उसके किराये की रकम को सहकारी समिति में जमा किया गया है या नहीं ?

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : ट्रैक्टर और ट्राली के सम्बन्ध में भी जांच की गई है। वह किराया सहकारी समिति में जमा नहीं पाया गया है। इस गबन की शिकायत मेरे पास 28-7-77 को आई। जैसी सहकारी समितियों के सम्बन्ध में प्रक्रिया है, शिकायत प्राप्त होने पर उसको डिपार्टमेंट का जो विजीलेन्स स्क्वायड बना हुआ है, उसको जांच के लिये भेजी गई और घोटाला पाने पर एक एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है। राजस्व राशि की वसूली के लिये भी कार्यवाही कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल !

## राज्य में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से टूटी सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत का कार्य

**156. श्री शंकर लाल ( जैतारण )**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) इस वर्ष राजस्थान में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण सार्वजनिक निर्माण

(श्री शंकर लाल)
विभाग से सम्बन्धित कितनी सड़कें, मकान और पुलिया कहां कहां क्षतिग्रस्त हुई और कितना नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनः निर्माण हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और राज्य सरकार इन क्षतिग्रस्त कार्यों का कब तक पुनःनिर्माण करवा सकेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार ने ऐसे निर्माण कार्यों की सूची बनवाई है जिनके अभाव में अतिवृष्टि और बाढ़ का प्रकोप अधिक नुकसान पहुंचा सका और जन जीवन को अस्त व्यस्त कर सका ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं बनवाई, तो क्या राज्य सरकार ऐसी सूची बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य सरकार द्वारा ऐसे कार्यों को प्राथमिकता किस आधार पर दी जायेगी ?

**सार्वजनिक निर्माण मन्त्री** (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) इस वर्ष राजस्थान में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण जो सड़कें एवं पुलिया विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इस सूची में क्षतिग्रस्त हुए कार्यों के पुनः निर्माण हेतु अनुमानित राशि का भी ब्यौरा दिया गया है।

(2) सूची में अंकित क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनः निर्माण हेतु धनराशि की आवश्यकता का ब्यौरा उक्त सूची में ही दर्शाया गया है। पुनः निर्माण हेतु धन राशि की मांग सहायता विभाग से की गई है एवं अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर ही कार्य करवाये जा सकेंगे।

(3) बाढ़ एवं अतिवृष्टि के प्रकोप द्वारा जन जीवन को नुकसान से बचाने हेतु बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्यों की सूची बनवाये जाने का कार्य सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) चूंकि बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है, अतः कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने का कार्य उन पर ही निर्भर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री शंकर लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो सूची दी है, उसमें यह नहीं है कि कुल कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है और कितनी धनराशि आवश्यक होगी। यह आपने अलग अलग दी है। मैं टोटल चाहता था कि सारे राजस्थान में पुलियाओं और सड़कों को कितना नुकसान हुआ है। आप यह बताने की कृपा करें।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : टोटल तो मैं भी नहीं लगा पाया हूं। लगाकर बता दूंगा।

**श्री शंकर लाल** : आपने जो प्रावधान किया है कि जितनी आवश्यकता होगी करेंगे, उसमें आपने सिंचाई विभाग की बात कही, तो सिंचाई विभाग से तो केवल

# Page No 4

(9)



(श्री शंकर लाल)

तालाबों का ही सम्बन्ध है । सड़कें और पुलियाएं तो पी. डब्ल्यू. डी. के अन्तर्गत आती हैं । तो उनके बारे में तो आपने जवाब दिया नहीं । ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय यह देखते नहीं हैं कि प्रश्न क्या है और जवाब क्या दे रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करें तो ठीक होगा ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अक्ल की कमी है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप से सीखेंगे । प्रश्न स्पष्ट है कि अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण···

श्री शंकर लाल : आप स्वयं ही कह रहे हैं कि आपके पास टोटल नहीं है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : टोटल तो लगा देंगे । आंकड़े तो दिए हुये हैं ।

श्री शंकर लाल : कितनी धनराशि आवश्यक होगी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि सहायता विभाग के पास सारी सूचियां भेज दी गई हैं, प्रावधान भेज दिया गया है । सहायता विभाग यह सारा केन्द्र सरकार को भेजता है और केन्द्र सरकार से इन्सपेक्शन करने के लिए एक टीम आती है । उसके आने के बाद ही वह जो पैसा देते हैं, उसके अनुसार उन कार्यों को हाथ में लिया जाता है ।

श्री शंकरलाल : सहायता विभाग को कोई धनराशि अलॉट की गई है ?

श्री इयोध्यतसिंह (मकासर) : उपाध्यक्ष महोदय,····

श्री शंकर लाल : इसका जवाब तो आने दें ।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद): कोटा से जयपुर और कोटा से बारां जो रोड है, जो बम्बई-दिल्ली को जोड़ती है, वह सारी की सारी क्षतिग्रस्त हुई है । चम्बल बैराज पर जो बांध बना हुआ है, उसके अन्दर भी जो छोटी पुलियाओं पर पिछले कांग्रेस शासन ने 9 लाख रुपये पुल बनाने पर खर्च किया और फिर 9 लाख रुपया खर्च किया, वह पुल भी टूट गया । तो मेरा निवेदन है कि उसको जोड़ने की कृपा करें, वरना बम्बई-दिल्ला रोड समाप्त हो जायेगी ।

(व्यवधान)

आपकी सभा खाने पीने की चीजें माना बन्द हो जायेंगा और मंहगी मिलेंगी वह रोड बन्द हो गई तो ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाली से आने वाले माननीय सदस्य····

श्री शंकर लाल : जैतारण से ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Sorry. जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भावनायें व्यक्त कीं, उनकी मैं कद्र करता हूं । टोटल 296.70 लाख का इसमें प्रावधान सारी पुलियाओं और सड़कों को ठीक करने की दृष्टि से आवश्यक है । सहायता विभाग को यह भिजवा

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
दिया गया है और वह तुरन्त केन्द्र सरकार को भेज रहे हैं । उनकी इन्स-पेक्शन टीम आयेगी । उसके बाद जो केन्द्र सरकार से राशि आयेगी उससे क्षतिग्रस्त रास्तों और पुलियाओं का निर्माण कराया जायेगा । दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, उसके लिए प्रावधान पहले से ही बजट में अलग रख दिया गया है ।

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से सबसे पहला सवाल तो यह है, कृपया मुझे यह बात बतावें कि ऐसी कौनसी रोड्स और पुलियायें हैं जिन्हें राज्य सरकार टूट जाने के कारण प्राथमिकता देगी ? आज वहां पर आवागमन के रास्ते रुक गये हैं इस कारण कई जगह जनता को जनता राज के अन्दर परेशानी हो रही है । दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक पुलिया या रोड के लिये कितनी धनराशि खर्च करने का निर्णय लिया है ? आपने जो स्टडी टीम आने की बात कही है वह स्टडी टीम कब तक आ जायेगी ?

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : आप शान्ति रखिये । मुझे एक एक का जवाब देने दीजिये । जहां तक सड़कों का सवाल है जो बड़ी सड़कें हैं, महत्वपूर्ण सड़कें हैं उनमें जो छुटपुट टूट फूट हो गयी है उस पर तो लगातार काम चल रहा है । उन्हें ठीक करवाया जा रहा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग इस ओर लगातार प्रयत्न-शील है । मैंने तो आपको अपने उत्तर के अन्दर उन सड़कों के बारे में विशेष तौर से निवेदन किया है जो कि बाढ़ के कारण या अतिवृष्टि के कारण टूट गयीं और आवागमन के साधन रुक गये । बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है उन स्थानों की सड़कों को चालू करवाने के लिये भी सार्वजनिक निर्माण विभाग तेजी से काम कर रहा है । यही सारा सवाल है ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । No supplementary on this question.

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सप्लीमेन्ट्री । only one. क्या यह सही है कि बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण जालौर जिला पिछले तीन माह से दूसरे जिलों से बिल्कुल कट गया है ?

**श्री बाउदयाल जोशी** : माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं होगा, लाल किताब में साफ लिखा हुआ है कि एक प्रश्न पर आप तीन सप्लीमेन्ट्री से ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं । यह लाल किताब रही । देखो ।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
मैंने निवेदन किया था कि जालौर जिले में सड़कें टूट गयी हैं और रास्ते रुक गये हैं। पूरा जिला पिछले तीन माह से दूसरे जिलों से अलग हो गया है। क्या इसकी ओर मन्त्री महोदय ध्यान देंगे ?

**श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि तहसील छीपा बड़ौद जिला कोटा के कई गांवों की सड़कें टूट गयी हैं और वहां पर आवागमन के रास्ते रुक गये हैं। वहां पर सड़क नाम की कोई चीज नहीं रही है। उन सड़कों का नाम भी ठीक कराने की लिस्ट में मुझे दिखाई नहीं देता है। उसके लिये मन्त्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : इसके लिये तो आप विजीलेन्ट रहें।

. . . . . . (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। अगर किसी भी प्रश्न पर आप लोग इसी तरह कई प्रश्न पूछने लग गये तो मैं समझता हूं कि एक ही प्रश्न में एक घन्टा लग जायेगा और बाकी के प्रश्न तो यों ही रह जायेंगे।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछ कर ही तो हम मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आज जालौर जिले में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण तीन महीनों से सड़कें टूटी पड़ी हैं। पूरा रास्ता कट गया है वह कब तक ठीक होगा ? जनता परेशान हो रही है आवागमन के रास्ते रुक गये है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री जी ने कुछ समय पहले यह घोषणा की थी कि स्टडी टीम केन्द्रीय सरकार से आ रही है। वह कब तक आ जायेगी ? तमाम रास्ते बरबाद हो गये हैं अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण। अभी तक तो आपकी स्टडी टीम आयी नहीं है। इसमें अब और कितनी देर है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : यह तो मुख्य मन्त्री जी आयें तब आप उनसे पूछना।

**श्री मूलचन्द डागा** : उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल के उत्तर में भी इसका हवाला दिया हुआ है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : श्रीमान् मन्त्री महोदय ने खुद ने कहा है कि स्टडी टीम आ रही है।

**श्री शंकर लाल** : आप तो हमें आगाह कर दीजिये कि आप प्राथमिकता किन किन सड़कों और पुलियाओं को दे रहे हैं ? मेरे मूल प्रश्न में जो दिया हुआ है उसका जवाब नहीं आया।

**श्री उपाध्यक्ष** : जवाब तो पूरा दे दिया है।

**श्री मूलचन्द डागा** : नहीं दिया।

**श्री माधोसिंह कछवाहा** (सरदारपुरा): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो एक ही प्रश्न पर सौ, दो सौ सप्लीमेन्ट्री कर रहे हैं जैसे कि कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में करते हैं। एक प्रश्न पर अगर 15 मिनट लग जायेंगे तो फिर आगे की कार्यवाही का क्या होगा ? हमारे प्रश्नों का क्या होगा ?

**श्री उपाध्यक्ष :** आपने जो विचार व्यक्त किया है उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** जहां तक प्राथमिकता देने का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, उन सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जो कि राजधानी से जुड़ती हैं। उसके बाद में उन सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जो सड़कें सब-डिविजनल हैडक्वार्टर से जुड़ती हैं। इसके अलावा छोटी मोटी टूट फूट जो है उनका कार्य तो सार्वजनिक निर्माण विभाग ऑलरेडी कर रहा है। वह इस बारे में प्रयत्नशील है। सड़कें और महत्वपूर्ण पुलियायें वह ठीक कर रहा है। जो भी बहुत बड़े डेमेजेज अतिवृष्टि से सड़कों के हो गये हैं उनको भी ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसकी चर्चा मैंने यहां की है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** No more supplementary. Next question.

(व्यवधान)

**श्री रतनलाल वर्मा :** उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने गांवों को शहरों से सड़कों द्वारा लिन्क करने की बात नहीं कही है सिर्फ राजधानी से जोड़ने की बात कही है।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री माधोसिंह कछवाहा :** उपाध्यक्ष महोदय, बनास नदी पर पुल है उसमें टूट फूट हो रही है।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप स्थान ग्रहण करें। आपके बोलने से कोई फायदा नहीं,

(व्यवधान)

आपको मैंने कहा न कि इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको परमिट नहीं करूंगा। आप स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरिशकुमार शर्मा!

## ए. एस. आई. कम्पनी रामगन्ज मन्डी

157. **श्री हरिशकुमार शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ए. एस. आई. कम्पनी, रामगंज मण्डी की खानों के लिये कितने क्षेत्रफल की भूमि दे रखी है ?

(2) क्या ए. एस. आई. कम्पनी ने अधिकार से ज्यादा भूमि पर भी कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर ? तथा राज्य सरकार ने इसके विरुद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(3) ए. एस. आई. कम्पनी कितना आयकर और रॉयल्टी राज्य सरकार को देती है तथा इस कम्पनी पर कितना रुपया बकाया है ? तथा बकाया रुपया क्यों नहीं वसूल किया गया ?

**राज्य मन्त्री, खनिज (श्री कैलाश मेघवाल):** (1) ए.एस.आई. कम्पनी रामगंज मण्डी को निम्न खनिजों के खनन् पट्टे

(श्री कैलाश मेघवाल)
उनके आगे अंकित क्षेत्र हेतु स्वीकृत किये गए हैं।

1. लाईम स्टोन तथा बिल्डिंग स्टोन ग्राम पावड़ा जिला कोटा तहसील रामगंज मन्डी : 4810.16 एकड़

2. बजरी मवासा नाला
135+30 मीटर

3. बजरी अमजार नाला
900+50 मीटर

(2) जी नहीं। कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(3) आयकर की रकम निश्चित नहीं होती, प्रत्येक वर्ष की आमदनी के ऊपर इसे केन्द्रीय सरकार के आयकर विभाग द्वारा लगाया जाता है। जिन क्षेत्रों का खनन् पट्टा 4 लाख रुपये वार्षिक स्थिर भाटक पर स्वीकृत है उन पर पिछले तीन वर्ष से निम्न प्रकार अधिक रॉयल्टी दी गई है।

| समय | अधिक रॉयल्टी |
|---|---|
| 1-10-73 से 30-9-74 तक | 5,04,042.02 |
| 1-10-74 से 30-9-75 तक | 3,27,796.09 |
| 1-10-75 से 30-9-75 तक | 4,73,085.70 |

कम्पनी के नाम चालू खातों में कोई रकम बकाया नहीं है। पुराने खातों में 1-10-44 से 30-10-59 तक के 11,88,070.53 रुपये अधिक रॉयल्टी बकाया है जिसके सम्बन्ध में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर रखी है।

श्री हरिशकुमार शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ए. एस. आई. कम्पनी रामगंज मण्डी ने काफी वर्ग किलोमीटर जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। न तो वह आयकर और न ही रॉयल्टी सरकार को दे रही है। पिछली सरकार से मिली हुई होने के कारण कोई कार्यवाही इसके विरुद्ध अब तक नहीं हुई है। पत्थर लेते हैं, ठेकेदारों से कान्ट्रेक्ट होता है, ए. एस. आई. कम्पनी के मालिक हजारों रुपया बेईमानी से कमाते हैं। राज्य सरकार को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ साथ यह भी निवेदन है कि मजदूरों का रुपया काटा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सप्लीमेन्ट्री करना चाहें वह करें। जानकारी आपके पास है वह मत दीजिये। आप जानकारी करिये।

श्री एच. एन. शर्मा : अधिकारी वर्ग सोये हुए हैं।

श्री हरिशकुमार शर्मा : ए. एस. आई. कम्पनी ने अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है और वह सरकारी रिकार्ड पर नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : जांच करवा लीजिये, मन्त्री महोदय।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : अधिक जमीन पर कब्जा कर रखा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह कह दिया है उन्होंने ।

**श्री कौशल किशोर जैन** : हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है । मन्त्री महोदय ने कहा कि जमीन पर कब्जा नहीं कर रखा है । हजारों एकड़ जमीन है, मन्त्री महोदय, कुछ तो बोलें ।

**श्री एच. एन. शर्मा** : कीरत भाई की पुराने अधिकारियों से सांठ गांठ रही है, इसकी पूरी तरह से जांच करवायी जाय ।

**श्री कौशल किशोर जैन** : जो ए. एस. आई. कम्पनी का जमीन का विवरण है, और उसके कब्जे में जो जमीन है उसमें क्या कोई अन्तर है ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : इसमें गलतफहमी हो रही है । पुराने जो नियम थे उसके अनुसार 30 किलोमीटर तक की जमीन दी जा सकती थी और जो नये नियम आये हैं 1977 में उनके अनुसार 15 किलोमीटर की दी जा सकती है । सरकार उनसे निवेदन कर रही है कि 15 किलोमीटर से अधिक स्थान को छोड़ दीजिये । अब मेरे पास सूचना है कि 15 किलोमीटर से अधिक में खनन् कार्य नहीं हो रहा है । दूसरे के लिये मैं जांच करवा लूंगा ।

**एक माननीय सदस्य** : अनुनय विनय कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है । क्या जनता पार्टी को चन्दा दिया है ?

**श्री एच. एन. शर्मा** : उसको शरण क्यों दी जा रही है ?

**श्री रतनलाल वर्मा** : 11 लाख की नाजायज आय है ।

(व्यवधान)

**कई माननीय सदस्य** : जांच करायी जाय ।

**श्री शंकर लाल** : क्या जनता पार्टी को चन्दा दिया है ? इसकी जांच करायी जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज ।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : कृष्णकुमार जी गोयल के खिलाफ चुनाव लड़ा है । चन्दा देने का तो सवाल ही नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : जो इस प्रकार से इन्टरवेंशन करेंगे उनको मैं सप्लीमेन्ट्री पूछने के लिये अलाॅउ नहीं करूंगा और माननीय मंत्री महोदय उनका जवाब नहीं देंगे । I shall not allow. This is within my discretion.

**श्री अयूब खां (तिजारा)** : मंत्री महोदय, ए. एस. आई. कम्पनी रामगंज मन्डी ने आयकर और राॅयल्टी को छिपाया है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : और कोई सप्लीमेन्ट्री अलाॅउ नहीं करूंगा ।

नेक्स्ट क्वेश्चन ।

## राजस्थान संस्कार निर्माण समिति को अनुदान के रूप मे दी गई राशि

**158. श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान संस्कार निर्माण समिति (सरदार शहर) को गत पांच वर्षों में कुल कितनी धन राशि का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया और यह रकम

(८)



(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)
किस कार्य के निमित्त खर्च की गयी ? वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 में खर्च की गयी राशि का सम्पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) संस्कार निर्माण समिति के विधान की प्रति तथा पदाधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

**वित्त मंत्री** (श्री आदित्येन्द्र) : (1) भारतीय संस्कार निर्माण समिति (सरदार शहर) को वर्ष 1975-76 से ही अनुदान स्वीकृत हुआ है। वर्ष 1975-76 व वर्ष 1976-77 में इस संस्था को क्रमश: 91,700 रुपये एवम 1,85,000 रुपये की अनुदान राशि स्वीकार की गई थी। इस संस्था द्वारा उक्त राशि का उपयोग मद्यनिषेध के निमित्त प्रचारात्मक साहित्य व अन्य सामग्री तैयार करके, पुनःनिर्माण एवं समाज कल्याण केन्द्रों द्वारा मद्यनिषेध के लिए जनता को शिक्षित करने, ड्रामे और चलचित्रों के माध्यम से मद्यनिषेध का प्रचार करने, मद्य निषेध के प्रचार हेतु क्षेत्रीय केम्प और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन एवं चलती फिरती प्रदर्शनियों के आयोजन के कार्यों पर खर्च की गई। पिछले दो वर्षों में संस्था द्वारा खर्च की गयी राशि के विवरण के लिये उक्त वर्षों के चार्टर्ड अकाउन्टेट द्वारा तैयार किये लेखों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) समिति के विधान की प्रति तथा पदाधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(लेखे व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री जगदीश चन्द्र शर्मा** (रतनगढ़) : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शराबबन्दी के सम्बन्ध में अब तक 1 1/4 लाख रुपया विभिन्न संस्थाओं को अनुदान के रूप में दिया गया ? जिस संस्कार निर्माण समिति का गठन किया गया उसने क्या शराबबन्दी के लिये प्रचार और प्रसार का कार्य किया ? उसके पश्चात् क्या शराब पकड़ी गयी, क्या उन मामलों में कमी हुई ?

**श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : जो प्रचारक शराबबन्दी के लिए जाते हैं वे स्वयं वहां बैठ कर खूब शराब पीते हैं, तमाशा होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं गांव के। इस प्रकार से लाखों रुपयों का दुरुपयोग होता है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : भाषण मत दीजिये।

**श्री आदित्येन्द्र** : इस प्रकार का शिकायत पिछले दो महीने में आयी है इसलिये अनुदान के लिये मना कर दिया है। इसका नाम राजस्थान संस्कार निर्माण समिति नहीं है, किन्तु भारतीय संस्कार निर्माण समिति है। उसके बाद भारतीय संस्कार निर्माण समिति के और कार्यकर्ता यहां आये और लोगों में प्रचार किया। उनको 12 तारीख को यहां बुलाया गया था। मैं यहां व्यस्त रहा इसलिये मिल नहीं सका। उनको कुछ राशि दे दी जावेगी लेकिन दूसरी संस्था, जिसके बारे में शिकायतें हैं, की जांच करने के बाद ही दी जावेगी।

**श्री जगदीशचन्द्र शर्मा** : यह जो संस्कार निर्माण समिति है इसने कांग्रेस के पक्ष में

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)
चुनावों में प्रचार किया है। जिलाधीश चूरू को लिख कर देना पड़ा कि उनकी जीप चलती है उसको रोक दिया जाय। एक निवेदन यह है कि 54 हजार से.......

श्री उपाध्यक्ष : आगे की इन्फोर्मेशन मत दीजिये।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा : इस प्रकार की गड़बड़ियां चल रहा हैं इसलिये किसी निष्पक्ष अधिकारी से सम्पूर्ण मामले की जांच करवाने के लिये तैयार हैं ?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : इस समिति को जो अनुदान दिया गया वह किस कार्य के लिए दिया गया था और क्या शर्तें थीं ? क्या उन शर्तों के अनुसार अनुदान का उपयोग हुआ ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष जी, मुझे आपकी मार्फत यह पूछना है कि एक तरफ आप संस्कार केन्द्र या आपकी दूसरी सोसाइटीज हैं उनको रुपया दें और दूसरी तरफ आप शराब से आमदनी बढ़ाते जायें और दुकानें खोलते जायें तो क्या आपके कुछ लाख दिये हुए टुकड़े कुछ करोड़ की आमदनी के खिलाफ कारगर हो सकते हैं ?

श्री आदित्येन्द्र: मैं भी माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस प्रकार से मद्यनिषेध के कार्य को सफलता नहीं मिल सकती लेकिन जहां तक भारतीय संस्कार निर्माण समिति के संबंध में जो माननीय सदस्य ने जानकारी दी है उसकी मुझे जानकारी नहीं मिली है, जानकारी मिलने के बाद यदि उनकी कोई गलती पाई गयी तो उसकी पूरी तरह से जानकारी कराई जायेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो भी शराबबन्दी के लिये संस्थायें या मिशन सरकारी सहायता से चल रहे हैं उनका नतीजा क्या निकला ? क्या उस प्रयत्न से शराबबन्दी में कोई सफलता मिली या ज्यादा पी रहे हैं लोग ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) आप जिस संस्कार समिति में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं उसके प्रयत्नों से कितनों ने शराब छोड़ी ? इसके आंकड़े बतायें तो उचित रहेगा।

श्री आदित्येन्द्र : इस संबंध में पूरी जानकारी कराई जायेगी और इसके बाद ही अनुदान की राशि दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल इस बात का नहीं है। यह सवाल बहुत इम्पोर्टेन्ट सवाल है........ ...

श्री उपाध्यक्ष : काफी प्रश्न हो चुके हैं। अब कौन सा प्रश्न बाकी रह गया है ?

एक माननीय सदस्य : जो अनुदान दिया जाता है उससे शराब पी जाती है। शराबबन्दी का कोई प्रचार नहीं किया गया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या माननीय मंत्री मेरे सवाल का जवाब देने का कष्ट करेंगे। यह सवाल मैंने इसलिए

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

पूछा था क्योंकि यह बहुत अहम सवाल है। आप राजस्थान में करोड़ों रुपया वसूल कर रहे हैं यह उससे ताल्लुक रखता है। इस लिए पहले आप अपना नतीजा देख लें कि आपकी संस्थायें और जितने मिशन हैं उन्होंने कार्य किये तो उनके नतीजे अच्छे हैं या नहीं। इससे आप हमारी रेवेन्यू छीन लेंगे। आपका क्या जायेगा? लोगों को शराब लेकर पीनी है और पीयेंगे। इसलिए इस बात पर बड़ी संजीदगी से विचार किया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष** : वह विचार कर रहे हैं इस प्रश्न पर।

नेक्स्ट। श्री खेतसिंह राठोड़।

## स्टेट मोटर गैराज में विदेशी गाड़ियां तथा उनका उपयोग

**159. श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़):** क्या स्टेट गैराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्टेट मोटर गैराज में विदेशों की बनी कितनी गाड़ियां हैं? उनका क्या उपयोग है?

(2) मुख्य मंत्री जी के दौरे के वक्त कौनसी कार ड्यूटी पर रहती है?

(3) स्टेट मोटर गैराज में कुल कितनी कारें हैं और किस किस मेक की कितनी कितनी हैं? जीपें व अन्य प्रकार के कुल कितने व्हीकल्स हैं? इन सब का क्या प्रयोग है?

(4) स्टेट मोटर गैराज व डिस्ट्रिक्ट पूल की गाड़ियां कितनी चलने पर नीलाम की जाती हैं? नीलामी करते वक्त क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

**राज्य मंत्री, स्टेट गैराज (श्री विज्ञान मोदी) :** (1) स्टेट मोटर गैराज में विदेशों की बनी कुल 11 गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां अति-विशिष्ट व्यक्तियों एवं राजकीय अतिथियों के आगमन पर उनके उपयोग हेतु लगाई जाती है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय के दौरे में एम्बेसेडर कार ड्यूटी पर रहती है।

(3) तालिका 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है। ये वाहन मंत्रीगणों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों एवं राजकीय अतिथियों तथा सरकारी अधिकारियों की सेवा में राजकीय कार्य के लिए आवश्यकतानुसार लगाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त निजी कार्यों के लिए नियमानुसार भुगतान के आधार पर अधिकारियों, कर्मचारियों आदि को भी उपलब्ध करवाये जाते हैं। क्रेन खराब व बेकार वाहनों के लाने आदि के कार्य में उपयोग में लायी जाती है।

(4) तालिका 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है। खुली बोली द्वारा गाड़ियों की नीलामी की जाती है, जो एक नीलाम समिति की देखरेख में होती है और नीलामी से पूर्व इसका पर्याप्त प्रचार किया जाता है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री मूलचन्द डागा** : कितने चलने पर नीलाम की जाती है? यह नहीं बताया।

श्री विशान मोदी : यह तालिका सदन के पटल पर रख दी गयी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तालिका सदन की मेज पर रख दी और वह सूचना माननीय सदस्यों को मिल गयी। दूसरे सदस्यों के पास सूचना नहीं है। इसलिए मैं जानकारी करना चाहता हूं कि कितने माइलेज चलने के बाद नीलाम की जाती है?

श्री विशान मोदी : माननीय सदस्य ने जो पूछा उसकी मैं जानकारी दे देता हूं। स्टेट मोटर गैराज व डिस्ट्रिक्ट पूल के नीचे अंकित वाहन उनके सामने इंगित दूरी तय करने पर नीलाम किये जाते हैं:—

(1) विलीज जीप, स्टेशन वेगन, एम्बेसेडर कार, फियेट कार व स्टेन्डर्ड कार 1,00,000 कि. मी.

(2) विदेशी गाड़ियां :—

शेवरलेट, इम्पाला, डॉज, प्लाई माउथ आदि 1,60,000 कि. मी.

(3) डीजल बसें व ट्रक्स—

(अ) मरसडीज व ली-लैण्ड मेक के 3,00,000 कि. मी.

(ब) बेडफोर्ड व फार्गो मेक के 2,20,000 कि. मी.

(4) पेट्रोल की गाड़ियां : (बसें व ट्रक्स) 1,80,000 कि. मी.

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे, जब हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री और दूसरे मन्त्रीगण अपनी देशी गाड़ियां एम्बेसेडर और दूसरा गाड़ियां काम में लेते हैं तो दूसरी जो 11 विदेशी गाड़ियां बताई हैं उनमें से एक दो गाड़ियां विशिष्ट अतिथियों के लिए रख दी जायें, बाकी को नीलाम करके सारा रुपया सरकार के खजाने में क्यों नहीं रखा जाता है? इसके बारे में क्या विचार है?

श्री दाऊदयाल जोशी : पिछले तीन सालों में कितने भूतपूर्व मन्त्रियों ने स्टेट गैराज से कौन कौन सी गाड़ियां कितने कितने में लीं? यह जानकारी दें।

श्री अयूब खां : जिन गाड़ियों की अवस्था निर्धारित किलोमीटर चलने के बाद भी अच्छी है फिर भी उनको नीलाम किया जाता है, क्या यह सही है?

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न-काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : आखिर यह किस तरह से चलेगा? ऐसी व्यवस्था है कि सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन पूछने के बाद मन्त्री महोदय जवाब दें। उसके बाद ही दूसरे सदस्य सप्लीमेन्ट्री पूछें वरना सारा का सारा क्रम बिगड़ जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : मेरे भी इस प्रश्न का जवाब दे दें। क्या यह सही है कि आजकल ज्यादातर मन्त्री महोदय फियेट और एम्बेसेडर कार का ही उपयोग जयपुर में और बाहर जाने में करते हैं?

**श्री विज्ञान मोदी** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जानकारी दूंगा कि जहां तक विदेशी गाड़ियां का सम्बन्ध है इस समय 11 गाड़ियां गैराज में उपलब्ध हैं। उनमें से चार गाड़ियां ठीक नहीं हैं। उनका डिस्पोजल करने की कार्यवाही विचाराधीन है। बाकी जो 7 विदेशी गाड़ियां हैं सरकार यदि ऐसा समझेगी कि उनका उपयोग नहीं हो पा रहा तो उनका डिस्पोजल कर दिया जायेगा।

**श्री श्योपत सिंह मकासर** : समझा क्या जायेगा? कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है उसके लिये दो-एक गाड़ियां जरूरी हैं। दो गाड़ियों को छोड़कर बाकी की गाड़ियां नीलाम कर दी जानी चाहिये।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

**श्री विज्ञान मोदी** : जहां तक माननीय सदस्या के प्रश्न का सम्बन्ध है, मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य जयपुर में और बाहर दौरे पर देशी गाड़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं।

**श्री अयूब खां** : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

**श्री खेतसिंह राठौड** : मुझे अभी मालूम हुआ है कि मुख्य मंत्री दिल्ली गये हैं। जनता पार्टी की तदर्थ समिति की घोषणा के लिये और मंत्रिमण्डल के विस्तार के लिये। वे आपको कितनी मोटरें तैयार रखने के लिये हिदायत देकर गये हैं?

**एक माननीय सदस्य** : आपके और उनके गाड़ियों के उपयोग में क्या अन्तर है?

**श्री विज्ञान मोदी** : हमारी सरकार के मन्त्रियों की गाड़ियों में आदमी ही बैठते हैं पिछली सरकार के मन्त्रियों की गाड़ियों में कुत्ते भी बैठते थे।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : इस तरह की हल्की बात करते हैं तो दूसरे भी जो नहीं कहना चाहिये वह कहेंगे। इसको एक्सपंज कराइये।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह सही है।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया विराजिये। गुप्ता जी, विराजिये।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : इसमें मेरा निवेदन है कि एक आंख वाले को काना और एक हाथ वाले को टूंटा जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं वह कतई उचित नहीं है।

**श्री विज्ञान मोदी** : यह इर्रेलेवेन्ट है।

(व्यवधान)

**श्री रामकिशनदास गुप्ता (कोलायत)**: अगर मन्त्री महोदय को जानकारी है कि गाड़ियों में कुत्तों को बैठाते थे तो मन्त्री महोदय को अधिकार है।

**श्री उपाध्यक्ष** : हमने सुन लिया है। आप विराजिये।

**श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के भूतपूर्व मन्त्री श्री माधोसिंह जी हाथ जोड़ते थे कि दौरे में मुझे विदेशी कार चाहिये। अपना गिरेबान क्यों नहीं देखते, अपना चरित्र क्यों नहीं देखते।

**एक माननीय सदस्य** : मेरा एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है। क्या विशिष्ट व्यक्ति की परिभाषा में भूतपूर्व सरकार के युवराज संजय गांधी आते हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : जो इससे रिलेटेड नहीं है वे मुद्दे न उठाये जायें।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : मेरा दूसरा प्रश्न है। संजय गांधी के दौरे पर गैराज की गाड़ियां क्यों बुलाई गई थीं।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री श्री रामप्रसाद लड्ढा एक इम्पाला गाड़ी लेकर दौरे में गए थे जो लोगों ने जला दी। उस गाड़ी की कितनी कीमत मिली है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : सप्लीमेंट्रीज पूछने में और उनके रिप्लाई देने में जो संयम बरतना चाहिए वह नहीं बरता जा रहा है—चाहे मन्त्री महोदय हों चाहे कोई भी हों। प्रश्न के उत्तर देने में शिष्टाचार बरतना चाहिये। जो ढाबरिया जी ने प्रश्न पूछा है उसकी इससे रेलेवेन्सी नहीं मानता हूं।

**श्री अयूब खां** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री गंगासहाय।

## विद्यालयों में नियुक्त अनुचरों का वेतन

**160. श्री गंगासहाय (कठूमर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विद्यालयों में बहुत से अनुचरों को केवल 75 रु. प्रति माह वेतन मिलता है जब कि अन्य स्थाई अनुचरों के समान ही वे भी 8 से 12 घन्टे तक की ड्यूटी देते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य कर्मचारियों को 3 साल के बाद स्थायी कर दिया जाता है ? यदि हां, तो विद्यालय के अस्थायी अनुचरों का न तो स्थायी किया गया है और न वेतन ही बढ़ाया गया है जो कि मिनिमम वेजेज एक्ट के भी विरुद्ध है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)** : (1) यह सही है कि 1972-73 से खुलने वाले नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 75 रु. प्रति माह की दर से अंशकालीन अनुचर नियुक्त किये हुए हैं परन्तु यह अंशकालीन कर्मचारी ही हैं।

(2) स्थाई पदों पर नियुक्त कर्मचारियों का निर्धारित परिवीक्षा-काल समाप्त होने पर स्थाई किया जाता है। किन्तु अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित एवं स्थाई पदों पर नियुक्त नहीं हैं, वे अंशकालीन हैं। अतः उन्हें स्थाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री प्रेमसिंह सिंघवी** : यह 75 रुपये माहवार....

(व्यवधान)

**श्री रतनलाल शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, अंशकालीन के नाम से यह पूरा पूरा दिन काम करते हैं। जब गवर्नमेंट की मिनिमम रेट 5.20 रु. है तो उसके हिसाब से इनको क्यों नहीं दिया जाता ? वहां के कर्मचारी इससे पूरा

# Page No 16

(16)



(श्री रतनलाल वर्मा)

दिन काम करवाते हैं । इस पर सरकार कोई विचार करे ।

**श्री मूलचंद डागा:** लेबर लॉ है जो कानून बना हुआ है मिनिमम वेजेज एक्ट में उसकी पालना लाजमी है । इसमें जो दोषी हैं उनका चालान होना चाहिये । जो आदमी आपके यहां काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत जो तनख्वाह मिलती है, वह मिलनी चाहिये ।

**श्री उपाध्यक्ष :** डागा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कर्मचारी उसमें कवर होते हैं कि नहीं ?

**श्री रघुनन्दन व्यास :** माननीय उपाध्यक्ष महादय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इन कर्मचारियों को कब तक रेगुलर किया जायेगा ?

**श्री भंवरलाल टेरन** (नसीराबाद) : एक छोटा सा सवाल है । अंशकालीन जो कर्मचारी रखे जाते हैं वे तीन साल तक लगातार उसी स्थान पर काम करते रहते हैं । वे कब तक अंशकालीन रहेंगे ।

**श्री निर्मल कुमार** (झालरापाटन) : मेरे एरिया में, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कम से कम राशि को बढ़ाने की कृपा करें ।

**श्री माणकलाल** (नैनवा) : नैनवा में तीन चपरासी ऐसे हैं जो 12 घंटे काम करते हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष :** पूरे राजस्थान में होंगे ।

**श्री रतनलाल वर्मा :** समस्या है, उपाध्यक्ष महोदय ।

**श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुन लिया है ...**

(व्यवधान)

**श्री ईश्वर चन्द्र :** उपाध्यक्ष महोदय, जवाब देने में क्या कठिनाई है ?

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मिडिल स्कूल्स हैं उनमें एक ही चपरासी है । अगर दो चपरासी हों और उनमें से एक पार्ट टाइम हो तो बात अलग है लेकिन एक चपरासी मिडिल स्कूल में होता है । एक का तो आवश्यकता है ही । उससे 8 घंटे काम लिया जाता है । तो क्यों उनको टेम्प्रेरी रूप में चलाया जा रहा है । उनको परमानेन्ट करें । इसमें क्या आब्जेक्शन है ?

**श्री ईश्वर चन्द्र :** मेरा सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जो पार्ट-टाइम कर्मचारी हैं, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें, जो स्थान रिक्त हैं उन पर इनको कब तक एडजस्ट करने का विचार रखते है ?

**श्री उपाध्यक्ष :** No more supplementary on this question.

( व्यवधान )

No more supplementary on this question. फिर किसी क्वेश्चन पर पूछ लेना । मैंने बार-बार कह दिया है इस प्रश्न पर मैं और सप्लीमेन्ट्री अलॉउ नहीं करूंगा ।

(व्यवधान)

मैंने कहा, अब आपका और प्रश्न पूछने का हक नहीं होगा ।

(व्यवधान)

कृपया विराजिये ।

**शिक्षा मंत्री** (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है, सचमुच यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है । मैं आपके माध्यम से ......

**श्री द्योपतसिंह मकासर :** हां या ना में जवाब दीजिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार आपके सामने भूमिका जरूर बताना चाहूंगा कि 1972-73 में ···· (व्यवधान) ···· मैं इसलिये बता रहा हूं कि कैसे होगा और क्या होगा···· (व्यवधान) आप बोल चुके हैं, मेरे उत्तर को सुन लीजिये। सन् 1972-73 में एक हजार प्राइमरी और एक हजार मिडिल स्कूल खोले गये उस समय विचार शायद यह था कि पानी भरने के लिये और झाड़ू लगाने के लिये, इस लिमिटेड काम को करने के लिये, उस गांव में से ही किसी व्यक्ति को लगाकर काम करा लिया जाता था और कार्य के अनुसार अंश कालीन रख लिया जाता था। ये 1972 से आज तक चलते रहे····

(व्यवधान)

आपको जितनी चिन्ता है उतनी मुझे भी चिन्ता है किन्तु ये करीब ढाई हजार लोग आज ऐसे हैं जो अंशकालीन ही चल रहे हैं। अब राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। नये क्रमोन्नत स्कूल हुए हैं उनमें 700 लोग रखे जायेंगे। अब एक प्रश्न है जो अंशकालीन लोग हैं वे और काम भी वहां करते हैं। ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं····

एक माननीय सदस्य : यह गलत बात है

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इन लोगों से और भी काम लिया जा रहा है, उनसे रात को चौकीदारी भी कराई जाती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खेती बाड़ी का धन्धा करते हैं और एक लिमिटेड समय के लिये आते हैं। इसमें दोनों सम्भावनायें लगती हैं। शायद कुछ लोग अपने गांव को छोड़ कर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन जो व्यक्ति कर्मचारी के रूप में रहना चाहेंगे उनके सम्बन्ध में विचार किया जायगा। 700 व्यक्ति जो लिये गये हैं उनकी अभी स्क्रूटिनी हो रहा है। इन सबको राहत देने का विचार किया जायगा। इसीलिये मैंने सारी भूमिका खड़ी की है और जो पुराना कचरा है, उसको हटाने में तो समय लगेगा···· (व्यवधान)····

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेंट्री ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : हां, सप्लीमेंट्री

(व्यवधान)

सवाल पूछ रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही कह दिया है इस प्रश्न पर अब और सप्लीमेंट्री अलॉउ नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

नहीं, बिल्कुल नहीं अलॉउ करूंगा, I am sorry.

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप को तकलीफ क्या हो रही है। मैं पूछ रहा हूं····

(व्यवधान)

मैं केवल यह बात पूछ रहा हूं ··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देखिये बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अहम होती हैं।

**श्री द्योपत सिंह मकासर** : अभी तक इस सवाल को पूछ लेता।

**श्री उपाध्यक्ष** : अगर यह प्रश्न इतना ही महत्वपूर्ण है तो बाद में और डिमांड के टाइम चर्चा हो सकती है।

(व्यवधान)

मैंने कह दिया है इस प्रश्न पर मैं और प्रश्न नहीं करने दूंगा।

आप विराजिये।

हर प्रश्न पर इस तरह की बातें करेंगे तो कार्य कैसे निपट पायगा। मुश्किल से पांच मिनट और बचे हैं।

नेक्स्ट। श्री उगम राज।

### ब्यावर मे ऊन प्रशिक्षण केन्द्र

**161. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्यावर मण्डी का प्रदेश में ऊन विपणन में कौनसा स्थान है ?

(2) ब्यावर में इस उद्योग में लगभग कितनी यूनिट कार्यरत हैं ? तथा कितने श्रमिकों को इससे रोजगार मिलता है ?

(3) ब्यावर में ऊन प्रशिक्षण केन्द्र गलीचा निर्माण केन्द्र आदि की स्थापना हेतु क्या उक्त स्थिति पर्याप्त नहीं ?

**उद्योग मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द जैन)** : (1) ब्यावर मण्डी का राजस्थान में ऊन विपणन में दूसरा स्थान है।

(2) पांच उद्योग की इकाइयां पंजीकृत है, जिनमें 143 व्यक्तियों का नियोजन है।

(3) जी हां। पर्याप्त है। ऐसा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री राम करण सिंह।

### तहसील कोटपूटली का रिकार्ड

**162. श्री राम करण सिंह (कोटपूतली)** : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोटपूतली की पंचायतों का रिकार्ड का चार्ज क्या सही व वैज्ञानिक तरीके से सम्बन्धित व्यक्तियों के पास है ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ सचिव और सरपंचों ने यह शिकायत की है कि हमें रिकार्ड नहीं मिल रहा है और सचिव फरार हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस बारे में विकास अधिकारी और जिला अधिकारी भी नाकामयाब हुए हैं ?

(4) इस बारे में राज्य सरकार क्या और कब तक कार्यवाही करेगी?

**राज्य मंत्री, पंचायत एवं सामुदायिक विकास (श्री कैलाश मेघवाल)** : (1) पंचायत समिति, कोटपूटली के अधीन 37 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायत बासड़ी का विलीनीकरण नगरपालिका में होने से समस्त चार्ज नगरपालिका को, जो श्री भगवाना पंच से प्राप्त हुआ था, दिया जा चुका है। वर्ष 1972-73 से अब तक का रिकार्ड नहीं दिया जा सका है क्योंकि उनका ऑडिट नहीं हुआ है। 3 ग्रुप सचिवों की कमी के कारण ग्राम पंचायतों का चार्ज

# Page No 19

(19)



(श्री कैलाश मेघवाल)
सरपंचों के पास है। शेष पंचायतों का चार्ज ग्रुप सचिवों के पास है।

(2) श्री मुंशीसिंह, ग्रुप सचिव के अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सेवायें समाप्त करने की सिफारिश की गई है। रिकार्ड का चार्ज प्राप्त करने के लिये विकास अधिकारी द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है।

(3) विकास अधिकारी द्वारा लगातार कार्यवाही जारी है।

(4) यह मामला अभी राज्य सरकार के सामने नहीं आया है और विभाग में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

---

श्री रामकरण सिंह : आपने प्रश्न के भाग (3) के जवाब में 'हां' या 'ना' नहीं कहा। जिला प्रशासन या तहसील प्रशासन या पंचायत समिति प्रशासन ने कामयाबी की है और यह लिखित में है।

श्री कैलाश मेघवाल : इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर कार्यवाही हो रही है। अभी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। केवल इतनी सूचना मिली है कि विकास अधिकारी इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन आवर करीब करीब समाप्त ही है।

(व्यवधान)

एक प्रश्न से क्या होगा, फिर सप्लीमेंट्री होंगे। दूसरे भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आज 31 प्रश्न थे जिनमें से पांच सात प्रश्नों से अधिक का उत्तर नहीं आ पाया है। कुछ सदस्य अनावश्यक रूप से प्रश्न करना शुरू कर देते हैं और मूल प्रश्न रह जाते हैं। मैने पिछली बार भी प्रश्न किया था लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। जिनके प्रश्न होते हैं वे तो पूरक प्रश्न कर ही नहीं पाते और दूसरे अनावश्यक प्रश्न करते रहते हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रश्न का उत्तर नहीं होता, भाषण होने लग जाते है। मेरे प्रश्न प्रतिदिन आते हैं लेकिन मुझे उत्तर प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी देख रहा हूं। मैं और समझने की कोशिश करूंगा कि कौन से माननीय सदस्य भाषण देते हैं और कौन से माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : ये जो प्रश्न आते हैं उनमें भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रश्न हमेशा पीछे ही क्यों रखे जाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप चैम्बर में मुझ से मिल लें। जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसको दूर करने की व्यवस्था करूंगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सिर्फ सात आठ प्रश्न होते हैं, बाकी के प्रश्न रह जाते हैं। महत्वपूर्ण बातें तो रह जाती हैं और ऐसी बातें पूछते रहते हैं जिनका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पर्सनली कान्टेक्ट करिये। मुझे आप अपना व्यू पॉइन्ट समझाइये और सदस्यों को भी समझाइये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

**श्री मूलचन्द डागा** : पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या पॉइन्ट ऑफ आर्डर है।?

**श्री मूलचन्द डागा** : श्रीमान्, मैंने कल आपकी सेवा में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और ठीक समय पर दिया था। उस स्थगन प्रस्ताव को दिए हुए मुझे दो दिन हो चुके हैं उस पर आप श्रीमान् की व्यवस्था क्या है?

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं स्थगन प्रस्तावों पर ही आ रहा हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई :—

(1) श्री मूल चन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रस्तुत मांगों को लेकर की जाने वाली कार्यवाही के विषय में।

(2) श्री मदन सिंह व श्री परसराम मोरदिया, सदस्य विधान सभा की ओर से सीकर जिले की श्रीमाधोपुर तहसील के गांव सेठी की चरागाह भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले अतिक्रमण के विषय में।

इन दोनों प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

नेक्स्ट आइटम अजेंडे का।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री एच. एन. शर्मा** : डागाजी अखबार पढ़ रहे हैं।

**श्री मूल चन्द डागा** : श्रीमान, दो मिनट इस पर मुझे बोलने का अवसर दें जिस पर जानकारी प्राप्त की जा रही है...

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

**श्री मूल चन्द डागा** : अभी तक जानकारी प्राप्त होने में क्या दिक्कत है? उनका निर्णय अखबारों में निकल चुका है। राजस्थान के ढाई लाख कर्मचारियों ने नोटिस दे दिया है सरकार को। उस पर अब क्या जानकारी प्राप्त की जा रही है....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जब जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था दे दी गई है तो उस विषय पर अब ज्यादा वाद-विवाद करने की गुंजाइश नहीं है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : दो मिनट तो कह ही सकते हैं। कल आप की जो व्यवस्था हुई थी उसके अनुसार भी दो मिनट के लिए जो भी फैक्ट्स है उनके बारे में

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
कह सकते हैं। उन फैक्ट्स पर भी जानकारी मंगा लें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कल जो व्यवस्था दी थी उसके सम्बन्ध में निवेदन कर दूं। मैंने कल व्यवस्था दी है कि जो प्रमुख नेता हैं पार्टीज के उनको बुलाकर मैं चेम्बर में बात करूंगा और कोई हल निकालने का प्रयास करूंगा। मैं इस बारे में बिल्कुल ओपन माईंड हूं और जो भी व्यवस्था हो सकती है करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह है कि जो आपके बोलने का अधिकार है उसको मैं लिमिट नहीं करना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् मैंने एक प्रिविलेज मोशन आपकी सेवा में पेश किया है। कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर भाषण दिया और यह कह दिया कि विपक्ष में बैठने वालों की नींद हराम हो गई है। यह हमारे पर रिफ्लेक्शन है और यह विशेषाधिकार हनन में आता है, हुकुम और .....

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मुझे आपका मोशन मिल गया है। मैं अभी उसको एग्जामिन करूंगा। अभी समय नहीं मिला है।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छी बात है।

## शासकीय वक्तव्य

### आयुर्वेद स्नातकों के घोषित वेतनमानों को लागू न करने के फलस्वरूप सत्याग्रह व प्रदर्शन

श्री उपाध्यक्ष : अजेंडे का दूसरा आइटम है, मंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्रीमती विद्या पाठक, आयुर्वेद राज्य मंत्री आयुर्वेद स्नातकों के घोषित वेतनमानों को न लागू करने के फलस्वरूप सत्याग्रह व प्रदर्शन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगी।

मुझे ऐसी जानकारी मिली है मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी भी की है क्योंकि खेतसिंहजी ने प्रस्ताव दिया था जिस पर जानकारी चाही थी तो मुझे पता लगा है कि मंत्री महोदया शायद तथ्य एकत्रित नहीं कर पाई हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है इसलिए आज वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य नहीं देना चाहती। वे स्वयं इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगी।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, रूल 22 बिल्कुल साफ है। आपने नोटिस निकाल दिया, मुझे इत्तिला मिल गई। इसीलिए मैं चल कर यहां पर आया कि माननीय मंत्री महोदया का वक्तव्य सुनूं, उनका भाषण सुन कर जानकारी प्राप्त करूं। इस पर आज ही वक्तव्य होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री महोदया के आप विचार सुनेंगे और कन्विन्स हो जायेंगे तो आपको बोलने का अवसर नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर कारणों से कन्विन्स हो जायं तो कल वक्तव्य दे दें। पूरी जानकारी करके वक्तव्य दे दें।

श्रीमती विद्या पाठक (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : श्रीमान अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे मैं स्वयं

(श्रीमती विद्या पाठक)
संतुष्ट नहीं हूं। इसके लिए आगे इन्क्वायरी कर रही हूं। जब तक मुझे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाय मैं अधूरी जानकारी सदन में देना उचित नहीं समझती। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगी कि इसे स्थगित कर दे।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** आप वक्तव्य तो भले ही कल दे दीजिए लेकिन उनकी भूख हड़ताल चल रही है, एक लड़के की हालत खराब है......

**श्रीमती विद्या पाठक :** उसके सम्बन्ध में मैं स्वयं भी बहुत उद्विग्न हूं। मैं खुद भी बराबर ध्यान दे रही हूं.......

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** क्या कल आप इस स्थिति में होंगी कि स्टेटमेंट दे सकें ?

**श्रीमती विद्या पाठक :** दो तीन दिन का टाइम लगेगा।

**श्री मूलचन्द डागा :** एक लड़के की हालत बहुत चिन्ताजनक है....

**श्रीमती विद्या पाठक :** आपके लिए जितना चिन्ता का विषय है मेरे लिए भी उतना ही चिंता का विषय है। मैं इस मामले में बराबर कांटेक्ट में हूं। लेकिन फिर भी निश्चित तौर से मैं चाहूंगी कि पूरी जानकारी प्राप्त होने पर ही सदन को जानकारी दी जाय।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे सदन की परम्परा यह रही है कि एक बार लिस्ट पर आइटम आ जाता है, जब मंत्री के वक्तव्य देने का आइटम लिस्ट में आ जाता है तो बाद में पोस्टपोनमेंट नहीं होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनकी हालत बहुत खराब हो रही है। तीन दिन तक असेम्बली की छुट्टी हो जायेगी और जैसा कि मंत्री महोदया ने कहा है कि अभी दो दिन तक वे वक्तव्य नहीं दे पायेंगी। तो आखिर इस मसले को इस तरह से टालने का क्या मतलब है।

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** इतना गंभीर मसला है। राज्य सरकार के पास जो भी फैक्ट्स हों उनको सदन के सम्मुख रखें।

(व्यवधान)

**श्रीमती विद्या पाठक :** उपाध्यक्ष महोदय, इसको टालने का प्रश्न नहीं है....

(व्यवधान)

**श्री रघुनाथ बिश्नोई :** जब आइटम लिस्ट पर लग गया तो वह तभी लगा होगा जब आपको पूरी सूचना प्राप्त हो गई होगी। फिर एक लड़के की हालत बहुत खराब है। वह मर गया तो सारी जवाबदारी सरकार की होगी। लिस्ट में आने के बाद सरकार को वक्तव्य देना चाहिये। यहां पर लॉ मिनिस्टर और वित्त मन्त्री जी बैठे हुये हैं वे हमको कन्विन्स करें, क्या कारण है कि जिनकी वजह से सरकार आज वक्तव्य नहीं देना चाहती है ?

**श्री सम्पतराम (विधि मन्त्री) :** माननीय उपाध्यक्षजी, वास्तव में यह सदन के हरएक माननीय सदस्य की जानकारी में है और उन्होंने कहा भी

(श्री सम्पत राम)

है कि जो कायदे कानून के मुताबिक सूचना चाही जाय सदन में, राज्य सरकार को देनी चाहिये। लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं जिनका उत्तर देने से पहले शायद निर्णय करने की जरूरत पड़ जाय। यह एक महत्व पूर्ण फाइनेंशियल आस्पेक्ट है। दूसरे राज्यों में जो वेतन शृंखलाएं हैं उनका कम्पेरेटिव स्टेटमेंट आ जाय तो निर्णय लेने में आसानी रहेगी। इसमें टालने की कोशिश नहीं है।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह आपकी अन्दरूनी व्यवस्था है। यह हमारा सिर दर्द नहीं है। जवाब आप दीजिए, यह व्यवस्था है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आप स्थिति को स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

**श्री शंकर लाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति स्पष्ट हो जाय कि आज की कार्य सूची में इसको लाने के पूर्व माननीय मन्त्री महोदया से सहमति ली गई या नहीं? उन्होंने स्वयं आज वक्तव्य देने के लिए कहा था या नहीं? या बिना उनकी सहमति के ही रख दिया गया?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : बिना सहमति के तो रख ही नहीं सकते?

**श्री शंकर लाल** : यहां पर लड़कों पर लाठी प्रहार हुआ था। यह मामला यहां पर भी उठाया गया था। मेरा ख्याल है कि उनकी सहमति से ही कार्य सूची में आया होगा। आज स्थिति नाजुक है, मामला गम्भीर हो रहा है इसलिए जो कुछ भी जवाब देना हो वह दे दें। दूसरे राज्यों से जानकारी मंगाई जा रही है वह अलग प्रश्न है। इस स्थिति के बारे में, हड़ताल के बारे में जो कुछ भी जानकारी हो वह तो दे दें।

**श्रीमती विद्या पाठक** : मैं सदन को यह अर्ज करना चाहूंगी, यह विषय कार्य-सूची में आ गया, यह कन्सर्न हमारा नहीं है...

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह सदन का विषय है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : दूसरी स्टेट्स से जानकारी प्राप्त की गई है। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसकी सूचना से मैं स्वयं ही सन्तुष्ट नहीं हूं, कन्विन्स्ड नहीं हूं। तो क्या मैं अधूरी सूचना सदन को दे दूं? यह उचित नहीं होगा।

**श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़)**: जो छात्र अस्पताल में भर्ती किया गया है, उससे क्या मन्त्री महोदया अस्पताल में जाकर मिल कर आई हैं?

**श्रीमती विद्या पाठक** : हां, मैं गई हूं। कल 11-30 बजे और 1-30 बजे मैंने स्वयं ही जाकर सम्पर्क स्थापित किया है।

**श्री मदन सिंह दांता** : यह सारा मेटर आपकी वजह से ही डिले हो रहा है?

**श्रीमती विद्या पाठक** : यह मेरी वजह से डिले हो रहा है। परन्तु मैं उन से 11-30 बजे, 1-30 बजे सम्पर्क स्थापित कर चुकी हूं। आज सवेरे से भी सम्पर्क

Page No 24

(24)



(श्रीमती विद्या पाठक)

बनाए हुए हूं। परन्तु इस विषय में मैं सदन को जानकारी तभी देना चाहूंगी जब मैं खुद उससे कन्विन्स्ड हो जाऊं कि यह जानकारी सही है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** लिस्ट में लगने के बाद सरकार इस विषय को पोस्टपोन करवा रही है। ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप बता दीजिए।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह मंत्री महोदया की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब यह कार्य सूची में आ गया है तो वह किसी भी तरह से प्रयास करके वह सूचना मंगवातीं? जहां से भी हो, वह सूचना इनको मंगवा कर सदन को देनी चाहिए।

**श्रीमती विद्या पाठक :** मैंने यह कहा है कि मैं निश्चित तौर से दूसरी स्टेट्स से सूचना मगवा रही हूं। दूसरी स्टेटस से प्राप्त सूचना का कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट बनवाने के बाद ही यह सूचना सदन को दे सकूंगी? इसमें थोड़ा टाइम लगना स्वाभाविक है।

**श्री उपाध्यक्ष :** जानकारी प्राप्त की जा रही है।

**श्री नूरा (मसूदा) :** फिर यह लिस्ट में कैसे आ गया? जानकारी आने के बाद ही यह आना चाहिए था।

**श्री रामकरणसिंह :** व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों की सूचना राज्य सरकार आपको दे चुकी है परन्तु वे लिस्ट में नहीं हैं और जिनकी सूचना नहीं है, वे लिस्ट में आ गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके सचिवालय में और राज्य सरकार में सामंजस्य नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने सचिवालय को आगाह करें कि वह राज्य सरकार से सामंजस्य बिठावे। जो सूचना आपके पास उपलब्ध है, वह तो आप कार्य सूची में रखते नहीं हैं और जिसकी सूचना उपलब्ध नहीं है, वह आप कार्य सूची में रख देते हैं और इस तरह से मन्त्री महोदय को लाचार करवाते हैं।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य आप बैठिये। आपने बहुत कह दिया है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे भी और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि समुचित जानकारी सदन को मिलनी चाहिए ताकि सभी माननीय सदस्य यह जान सकें कि सरकार की क्या मंशा है और क्या नीति है।

आज सवेरे जैसे ही मैं चेम्बर में आया था, राज्य मन्त्री महोदया आई थीं। उन्होंने कहा कि जब यह अजेन्डे में लिया जा रहा था और उस समय जो उनके पास में जानकारी थी, वह उस समय तक तो पर्याप्त थी। बाद में कुछ परिस्थितियां बदलीं और उन्हें लगा कि इस विषय में और जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि उनके पास आज के हालात की पूरी जानकारी नहीं है और वे स्वयं उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। तब इस बारे में माननीय सदस्य श्री खेतसिंह,

(श्री उपाध्यक्ष)
जिन्होंने कि यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था, को मैंने अपने चेम्बर में बुलाया। अगर वे सहमत हों तो इसको स्थगित किया जाए। तो यह सारा प्रश्न है। माननीय मन्त्री महोदया as a human being जो पहले परिस्थितियां थीं और जो आज की परिस्थिति हैं, उनकी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं। वे स्वयं भी इस बारे में चिन्तित हैं।

मेरे ख्याल में जो विषय अजेन्डे में इन्क्लूड हो जाए उसका लाइटली लेकर इग्नोर नहीं किया जाए। मैं भी इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दूंगा।

## अनुदान की मांगें

## मांग संख्या 41, उद्योग व 42, ग्राम और लघु उद्योग का प्रस्तुती

अब चौथा विषय है, अनुदानों की मांगों पर विचार। उद्योग मन्त्री मांग संख्या 41 व 42 प्रस्तुत करेंगे।

**श्री त्रिलोक चन्द जैन** (उद्योग मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 करोड़ 86 लाख 15 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42, ग्राम और लघु उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84 लाख 56 हजार रुपये की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह जो आपने दिया है, श्रीमान् वह पढ़ा ही नहीं जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : पुरानी मशीनों से टाइप किया हुआ है।

माननीय सदस्यों का मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों की सूची है, वह काफी लम्बी-चौड़ी है। इसमें 47 माननीय सदस्य हैं। समय की परिधि को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों को यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि वे कम से कम समय लें। आशा है, वे स्वयं ही समय की परिधि को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी स्वयं के प्रति महसूस करेंगे। मैं सदस्यों के नाम क्रमबद्ध घोषित करूंगा।

## मांग संख्या 41 व 42 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल):

1. मांग संख्या 41; मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के औद्योगिक विकास हेतु विभाग द्वारा औद्योगिक विकास योजनाएं नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामोद्योगों को पनपाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण):

3. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गलीचा उद्योगों में हो रहे निरन्तर ह्रास को रोकने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम उद्योगों का विभाग द्वारा उचित सर्वे कराकर उनके समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास की योजना बना कर प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

**श्री अजीतसिंह** (टोंक),
**श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा):

5. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक व दौसा क्षेत्र का औद्योगिक दृष्टि से विकास न करने पर जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक उद्योग क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

**श्री अजीतसिंह** (टोंक):

7. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम व कुटीर उद्योगों के विकास में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

**श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा):

8. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा पुराने बायलर्स को बन्द करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा कस्बे में लोहे का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर इसका औद्योगिकरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

**श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली):

11. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील में सीमेंट का कारखाना चालू न करने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में लघु उद्योग नहीं खोले जा रहे, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

13. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग द्वारा उदासीन नीति अपनाने के कारण बाड़मेर जिले के बाड़मेर नगर में खत्रियों की रंगाई-छपाई का धंधा प्राय: नष्ट हो रहा है जिसके कारण उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक ? उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में औद्योगिक सहकारी समितियों की असफलता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में जूट पट्टा उद्योग को प्रोत्साहन देने में विभाग उदासीन नीति अपना रहा है, जिस पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के ग्राम और लघु उद्योगों के विकास के बारे में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत कताई करने वालों की मजदूरी को बढ़ाने की आवश्यकता पर विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में सहकारिता के आधार पर स्थापित लघु उद्योगों की असफलता पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में गलीचा उद्योग के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (साँचोर) :

20. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (जिला जालौर में औद्योगिक प्रगति के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर के ग्रामों में लघु उद्योगों के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

22. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग बस्ती पाली में पानी की व्यवस्था एवं उसको विकास करवाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री मूलचन्द डागा)

23. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा राजस्थान में स्थापित किये गये व किये जा रहे उद्योगों में राजस्थानी नागरिकों को नौकरियों में प्राथमिकता नहीं दिलाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में लघु उद्योगों का अधिकारियों की अक्षमता, भ्रष्टाचार व दूषित नीति के कारण विकास नहीं हो सकने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में लघु उद्योग लगाने हेतु सरकारी नीति के नहीं स्पष्ट होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकर लाल (जैतारण) :

26. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली में रंगाई-छपाई की फैक्ट्रियों की व्यवस्था को सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योगों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में नये उद्योग लगाने हेतु पर्याप्त सुविधायें न होने के कारण नये उद्योग नहीं लग पाते, इस पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में लघु उद्योग व कुटीर उद्योगों को पनपाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा):

30. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूरे राज्य को केन्द्र से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित न करवा पाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लुनी):

31. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, इसके विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास हेतु चर्चा के लिये)।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

33. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (राजस्थान के औद्योगीकरण करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

# Page No 29

(29)



(श्री खेतसिंह राठौड़)

34. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश के ग्रामों के विभिन्न उद्योगों को पनपाने हेतु विभाग द्वारा कोई समयाबद्ध योजना नहीं बनाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

35. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर एवं सिरोही जिले में औद्योगिक विकास की असफलता को मिटाने हेतु चर्चा के लिये)।

36 मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर एवं सिरोही जिलों में खादी एवं ग्रामोद्योग के लिए कोई अनुदान ऋण आदि की योजना नहीं, हाथ से कपड़ा बुनने वालों को सूत तक विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना):

37. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समस्त ऋण दिये गये कारखानों के उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़):

38. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा के लिए)।

39. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी राजस्थान में ग्राम उद्योग एवं लघु उद्योगों के विकास की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना):

40. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले के औद्योगिक विकास में राज्य की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री सूर्य नारायण (नीमकाथाना):

41. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 - उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विगत 10 वर्षों में उद्योग के निमित्त प्राप्त राजकीय कोटो के घोटाले की जांच की चर्चा के लिए)।

42. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीमकाथाना मे ऊन मिल खुलवाने एवं उद्योग बस्ती कायम कराने की चर्चा के लिए)।

43. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [सलेदीपुरा (सीकर) में खाद के कारखाने की स्थापना हेतु चर्चा के लिये]।

(श्री सूर्यनारायण)

44. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 – उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीमकाथाना में बार बार राज्य सरकार द्वारा घोषणा करने के बाद भी सीमेन्ट फैक्टरी नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 – उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीमकाथाना में व्यक्ति विशेष द्वारा विभिन्न नामों से कोयला, सीमेंट, टिन, एक्सप्लोजिव्स का कोटा लेकर उसे ब्लैक में बेचे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

46. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 – उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीमकाथाना की मोदी लेवीगेटेड एवं मोदी मिनरल के द्वारा दूषण रोकने में असमर्थता एवं टी. बी. के शिकार मजदूरों को बचाने के लिए प्रयास हेतु इस उद्योग को बन्द करने हेतु चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 4', मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम व लघु उद्योगों की स्थापना के निमित्त प्रशिक्षण केन्द्र स्थान स्थान पर खोले जाने की योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (व्यापक रूप से राजस्थान में औद्योगीकरण करने के लिये लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बारे में चर्चा के लिए)।

49. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग की वर्तमान नीति की व्यवहारिता पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग किसी भी प्रकार से सहायक नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामेश्वर (चौमू) :

51. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमू विधान सभाई क्षेत्र में औद्योगिक विकास की ओर ध्यान न देने तथा इस क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग लगाने की कोई योजना न बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौमू विधान सभाई क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन न दिये जाने के विषय में चर्चा के लिये)।

श्री श्यामसिंह मकासर (हनुमानगढ़):

53. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 – उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद का कारखाना गंगानगर में लगाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

# Page No 31

(३१)



(श्री संपतसिंह)

54. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को विशेष सुविधा देकर शुरू किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग लगाने के संबंध में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़):

56. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ जिला झुन्झुनू में राजकीय ऊन मिल स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की औद्योगीकरण की नीति में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

58. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शेखावाटी क्षेत्र के कुटीर उद्योगों के व्यापक उत्थान हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

श्री नूरा (मसूदा):

59. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्द उद्योगों को दिये गये ऋण की वसूलियों पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में असन्तुलित औद्योगिक विकास पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों के लिये ऋण देने में राजनीतिक पक्षपात बरते जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़):

62. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के आधार पर उद्योग सफल नहीं होगा अतः व्यक्तिगत रूप से काम करने वालों को ही कर्ज दिये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा तत्स्थानीय निरीक्षण कर क्षेत्र का विकास करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि इससे खेती की जमीन तो नष्ट नहीं हो रही है इस पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों के नागरिकों को कुटीर उद्योग से उत्पादित वस्तुओं के संबन्ध में आत्मनिर्भर बनाने की योजना के अभाव पर चर्चा के लिये)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) :

65. मांग संख्या 4 ,मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर कांकरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के संबन्ध में चर्चा के लिये) ।

66. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले मे सर्वाधिक ऊन उत्पादन की क्षमता को देखते हुए ऊनी मिल स्थापित करने बाबत चर्चा के लिये ) ।

67. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(मांडल में गन्ने की अधिक उत्पादन क्षमता के आधार पर बड़े पैमाने भी चीनी मिल स्थापित करने के सबन्ध मे चर्चा के लिए) ।

68. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण प्रदान कराने की प्रक्रिया अधिक दोषपूर्ण है इस बाबत चर्चा के लिये) ।

69. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान खण्डसारी मिल्स मांडल का भुगतान नहीं होने के कारण जनता में व्याप्त भारी रोष पर चर्चा के लिये) ।

70. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(भीलवाड़ा में वस्त्र उत्पादन उद्योग के नाम पर ली गई जमीन का दुरुपयोग रोकने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये ) ।

71. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक अन्वेषण का केन्द्रीयकरण लघु एव कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में करने बाबत चर्चा के लिये) ।

72. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल क्षेत्र में कृषि पर आधारित कुटीर एवं ग्रामोद्योगों के विकास की व्यापक योजना तैयार कराने बाबत चर्चा के लिये) ।

73. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्राम एव लघु उद्योगों को अधिकाधिक स्वनिर्भर बनाने व जनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करने की नीति संबधी चर्चा के लिये) ।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) :

74. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 —उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(छापरताल जिला चूरू के नमक उत्पादन एरिया में प्लाटों के अलॉटमेन्ट में अनियमितताओं एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

75. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 - उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा सुजानगढ़ में बुनकर बस्ती,जिसका निर्माण उद्योग

(श्री रावतराम आर्य)
द्वारा किया गया इसमें व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)

76. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में हाथ कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर):

77. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में औद्योगिक प्रशिक्षण व गलीचा उद्योग केन्द्र की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर जिले में ग्राम व लघु उद्योगों के विकास व विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री समरथलाल (राजगढ़):

79. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मिनी प्लान्ट्स जो राजस्थान में लग रहे हैं राजगढ़ में मिनी सीमेंट कारखाना लगाया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पंचायत समिति राजगढ़ व रैणी (अलवर) को ग्रामोद्योगों के विकास हेतु सम्मिलित किया जाय इस पर चर्चा के लिये]।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़):

81. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ तहसील जिला अजमेर के हरमाड़ा, रूपनगढ़ व अराई आदि बड़े कस्बों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री करतार सिंह, (किशनगढ़),
श्री उगमराज (ब्यावर):

82. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में लघु उद्योगों को स्थापित करते समय आसानी से व तुरन्त ऋण उपलब्ध न होने के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों के समाधान हेतु चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में कृषि आधारित लघु उद्योग खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर):

85. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय जैसलमेर जिले में उद्योगों की स्थापना में विभाग द्वारा बरती जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

# Page No 34

(३५)



श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा):

86. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के बड़े शहरों, जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर व उदयपुर में स्थित बड़े उद्योगों को जो भूमि उद्योग के लिये दी गई है उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसे खेती या अन्य काम में लिए जाने पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320— उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक की औद्योगिक विकास की दृष्टि से सरकार द्वारा उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321— ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में लघु उद्योग के लिये दिए गए ऋण का उचित उपयोग नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री उमराव सिंह ढावरिया (बनेड़ा):

89. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे उद्योगों में कच्चे माल के दुरुपयोग को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे गांवों में लघु उद्योगों के लिये आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों के लिये औद्योगिक प्रतिष्ठानों की तरह भूमि एवं कच्चे माल के आवंटन हेतु चर्चा के लिये)।

श्री कल्याण सिंह (अजमेर पूर्व):

92. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर क्षेत्र के छोटे उद्योगों को लगाने के लिये उचित सुविधा देने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती श्यामा कुमारी (कपासन):

93 मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण लघु उद्योग की वर्तमान व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

94. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेडीमेड वस्त्रों के मैन्यूफैक्चरिंग पर 5 हजार रुपये की छूट दी गई है इस बाबत चर्चा के लिये)।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर):

95. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) :

96. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन के अटरू क्षेत्र की औद्योगीकरण की दृष्टि से उपेक्षा करने पर व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामों में लघु उद्योगों के विकास पर चर्चा के लिए)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

98. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (मकराना संगमरमर उद्योग के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (डीडवाना व कुचामन के लवण क्षेत्रों का औद्योगिक दृष्टि से विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाये (ग्रामों में लघु उद्योगों के विकास पर चर्चा के लिए)।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

101. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा राजस्थान में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कारखाने स्थापित नहीं कराये जा सकने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (खादी तथा ग्रामोद्योग को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

श्री रामनारायण (बिलाडा) :

103. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में नये उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

104. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम और लघु उद्योग सम्बन्धी व्यवस्था में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास हेतु चर्चा के लिए)।

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) :

106. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (सवाई

(श्री मंजूर अली)
माधोपुर जिले को औद्योगीकरण की दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने बाबत चर्चा के लिए)।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

107. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में मत्स्य उद्योग को विभाग द्वारा प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

108. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान को उद्योग की दृष्टि से केन्द्र सरकार से पिछड़ा घोषित कराने पर राज्य सरकार द्वारा असफल रहने पर चर्चा के लिए)।

109. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय स्तर पर कोटा में अफीम के मारफिया इन्जेक्शन बनाने का कारखाना खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

110. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में ऊन के गलीचे का कारखाना लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सीमेन्ट के नये कारखाने लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर स्थित ब्रह्मपुरी में जुलाहों की बस्ती में पावरलूम की फैक्ट्री लगाने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

113. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (नवीन उद्योग लगाने हेतु विभाग द्वारा कोई सर्वे नहीं किए जाने एवं कोई योजना नहीं बनाने से प्रदेश के औद्योगीकरण में हो रही देरी पर चर्चा के लिए)।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) :

114. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बड़े कारखाने लगाने हेतु बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने हेतु चर्चा के लिए)।

115. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा ग्राम वासियों को सूचना एवं सुविधा देकर ग्रामों में लघु उद्योग शुरू करवाने पर चर्चा के लिए)।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) :

116. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक-320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में उद्योग को स्थापित कराने के बारे में सरकार का ध्यान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री हरजीराम (लाडनू) :

117 मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तालछापर नमक क्षेत्र में भूखण्डों के बीच के रास्तों पर लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमण को विभाग द्वारा नहीं रोके जाने के कारण हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)

118 मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नमक व्यापार में हो रहे घाटे पर चर्चा के लिये)।

119 मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान औद्योगिक खनिज विकास निगम में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

120 मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय जिप्सम प्रोजेक्ट, नागौर के श्रमिकों को 30 पैसे प्रति टन बढ़ाई गई मजदूरी राजस्थान राज्य औद्योगिक खनिज निगम द्वारा नहीं दिये जाने से इस निगम को देय ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

121 मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर स्वर्णकार नमक उत्पादक सहकारी समिति लि., के घोटालों पर विभाग द्वारा पर्दा डालने पर चर्चा के लिये)।

122 मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक सहकारी संस्थाओं में मैनेजर के पद पर वरिष्ठ अधिकारियों को लगाने के कारण अनियमितताएं बढ़ने व सुपरवाइजरी स्टाफ की विवशता पर चर्चा के लिये।

123 मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। खनिज सम्बन्धित उद्योगों के विकास पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह (सोजत) :

124 मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों को पनपाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

125 मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में विशेषकर ऊन पर आधारित उद्योगों को विकसित न करने से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

126 मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर बालोतरा में बढ़ती हुई औद्योगिक इकाइयों के लिये औद्योगिक क्षेत्र में स्थानाभाव के कारण उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू) :

127 मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत

# Page No 38

38



(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में ऊन पर आधारित छोटे एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये)।

128 मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 41 उद्योग व 42 ग्राम और लघु उद्योग पर विचार

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

**श्री मूलचन्द डागा** : इनका नाम पहले ?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल): आप भी थोड़ा मेहनत करके आइये। यह तो मेहनत का फल है।

**श्री मूलचन्द डागा** : जयपुर के हो, उसका असर है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : आप भी जयपुर आ जाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले उद्योग विभाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। राजस्थान में इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से भली प्रकार से विनियोजन नहीं हो सका। केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में कुल विनियोजन का 2.11 प्रतिशत ही राजस्थान में खर्च किया है। यदि हम विचार करें तो आज तक के समय में भारत सरकार ने राजस्थान में कुल 160 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसी प्रकार से जो केन्द्रीय संस्थायें है, उन्होंने भी कुल विनियोजन का 2.49 प्रतिशत ही राजस्थान में खर्च किया है। राजस्थान की आबादी, देश की कुल आबादी का 4.4 प्रतिशत है परन्तु पिछले 11 वर्षों में एक भी सूती कर्घा का आंवटन यहां पर नहीं हुआ क्योंकि तत्कालीन सरकार इस सम्बन्ध में उदासीन थी और इस सम्बन्ध में तत्कालीन सरकार ने केन्द्रीय सरकार पर दबाव नहीं डाला। सबसे पहले मैं जनता पार्टी की सरकार को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारे वित्त मन्त्री ने कल ही सदन में घोषणा की है कि एक घड़ी का कारखाना और अन्य प्रकार के कार्य हमारे यहां पर लगाये जा रहे हैं। इसके लिए वास्तव में जनता पार्टी की सरकार धन्यवाद की पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में देश की ऊन का 45 प्रतिशत एकत्रित किया जाता है लेकिन यहां पर 5 प्रतिशत ऊन के लिए ही वूलन स्पीन्डल लगे हुए हैं। पिछली सरकार ने राजस्थान में ऊन उद्योग को पनपाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया। राजस्थान में एकत्रित ऊन का 30 प्रतिशत भाग यहां पर काम में नहीं लिया जाता है और इसको बाहर भेजना पड़ता है। मैं यह भ निवेदन करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय हस्त कला बोर्ड ने अपने 30 उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान में लगाने के बारे में कहा था परन्तु राजस्थान सरकार ने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यहां पर केवल दो ही ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं जब कि, उपाध्यक्ष महोदय, पड़ौस का जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उसमें 104 इस प्रकार के केन्द्र चल रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि वहां केवल 7% ही ऊन एकत्रित की जाती है। पिछली सरकार ने कहा था कि हम उद्योग-पतियों को भूमि देंगे, पानी देंगे व सभी प्रकार की सुविधाएं देंगे लेकिन वह सारी की सारी सुविधाएं घोषणा ही रह गईं। मैं उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करायें। पिछली सरकार ने जो लघु उद्योगों के नाम से चीटिंग की है, मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पर एक श्वेत-पत्र तैयार करें। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जयपुर में दो ही उद्योग प्रसिद्ध हैं। मूर्तिकारों का उद्योग पनपाने के लिए कोई स्थान की व्यवस्था नहीं है। मूर्ति कहां पर बनायें। कहां पर रखें। जयपुर के इन उद्योगों को पनपाने के लिए सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया है। जयपुर का मूर्ति उद्योग सम्पूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। पिछली सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह "वन विण्डो सिस्टम" करेगी। एक ही खिड़की पर बैठ कर सब कुछ सुविधा दे दी जाये। भूमि और पानी के बारे में विचार कर लिया जाये। लेकिन नौकरशाही के कारण लोगों को सुविधा नहीं दी गई है। केवल घोषणा की गई इसलिए आज राजस्थान के लोग बाहर उद्योग लगाते हैं। राजस्थान सरकार उद्योगों के लिये भूमि और पानी की कोई सुविधा नहीं देती है। पिछली सरकार ने राजस्थान में उद्योगों को पनपने नहीं दिया। लेकिन यह सरकार उद्योगों की स्थापना के बारे में विचार करे। यह प्रथम प्रयास है, माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रयास से और राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के प्रयास से कुछ उद्योग लगाये जा रहे हैं। आज झोटवाड़ा, विश्व-कर्मा और सुदर्शनपुरा में इण्डस्ट्री हैं, विश्व-कर्मा इण्डस्ट्रियल पूरे एशिया में सबसे बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया है। 479 इण्डस्ट्रीज को भूमि एलॉट करने का प्रावधान था। उनमें से 444 को एलॉटमेण्ट हो चुका है। उनमें से 175 उद्योग ही चालू हो सके। उनमें से आज 44 ही चालू हैं। कहां 479 और कहां 44, आज 44 यूनिट चल रही हैं। इसका नतीजा यह है कि कई उद्योगों में उद्योगपतियों का लाखों रुपया और राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपया लगा हुआ है। फिर भी सैंकड़ों इंजीनियर बेकार हैं। वहां पर जाओ तो चिमनियां और धुआं नजर आता है। मशीनों की गड़गड़ाहट है। मरघट जैसा वातावरण है। यह एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक स्थान है। इसके बारे में राज्य सरकार को सोचने की जरूरत है। मंत्री महोदय निश्चित तौर से ध्यान देने की कृपा करें।

तेल शोधक कारखाने के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, 7 करोड़ का परिशोधक कारखाना डालने वाले थे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में चला गया। वह मथुरा में चला गया। हमारे उस समय के मुख्य मन्त्री मौन रहे। उत्तर प्रदेश के लोग वहां उसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उससे जमुना का पानी खराब हो जाएगा। गन्दा हो जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश में विरोध होता है तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कि आप उस कारखाने को राजस्थान में ला सकते हैं। माननीय मन्त्री महोदय, आपको भी श्रेय मिलेगा।

इसी प्रकार से लघु उद्योग के विकास के बारे में विचार करें। किस किस प्रकार के लघु उद्योग राजस्थान में है, उनको कच्चे माल की आवश्यकता होती है तो वह कच्चा माल कहां से आता है। कौन कौन से कारखाने इस कच्चे माल का दुरुपयोग करते हैं। इसके बारे में विचार करें। तो निश्चित रूप से ठोस कार्य हो सकेगा।

इसी प्रकार से जो लघु उद्योग हैं, उनमें आये दिन हड़ताल होती हैं। कहा गया था कि राजस्थान में कहीं पर भी हड़ताल नहीं होगी। मैं इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं और माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में मालिक और मजदूरों की एक स्थायी कमेटी बन जाये ताकि जहां कहीं पर मजदूरों का झगड़ा होने वाला हो, जहां कहीं ऐसी कोई नौबत आये तो वहां पर वह कमेटी जाकर स्थिति को ठीक करा ले। इससे जो अशान्ति पैदा होती है, वह नहीं होगी। देश में खुशहाली होगी। मजदूरों में टकराहट नहीं होगी। मजदूर भी अपनी जिम्मेदारी को मानेंगे कि यह हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, भारतमाता की सेवा करने के लिए कांग्रेस ने काम नहीं किया है, भारतमाता का प्रेम जगाने का काम नहीं किया है यह उसी का परिणाम है आज वह विरोध में जाकर बैठ गये हैं। मुझे आशा है कि अब वह इस भावना से काम करेंगे कि देश हमारा है और हम अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा काम होगा।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आपका जो लघु उद्योग विभाग बना हुआ है, उसकी प्रगति भली प्रकार नहीं हो पाई है। इसका मतलब है कि जो कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, जो काम करते हैं, उनके दुःख-दर्द को हमने सुनने की कोशिश नहीं की है। उनकी जो भी दिक्कतें होती हैं वह आपने नहीं पूछी हैं। यह मेरा निवेदन है।

मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में ड्राई पोर्ट का मसला है वह कई वर्षों से रखा है। वह हल हो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जब दिल्ली जायें तो ड्राई पोर्ट के मसले को केन्द्रीय मन्त्री के सामने उठायें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी तक उद्योगों की उपेक्षा की गई है।

जयपुर एक पर्यटन केन्द्र है। जिनेवा में अभी कान्फ्रेन्स हुई थी पर्यटन पर। उसमें जयपुर को ही पर्यटन स्थल माना गया है। यद्यपि यहां पर बर्फ नहीं पड़ती है। पर्यटन से आप प्रति वर्ष 1 करोड़ 57 लाख की आय करते हैं। यहां के मूल उद्योग को पनपायेंगे तो आपके लिए आय का बड़ा साधन होगा। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामों में जो लोहार हैं, वह बेकार बैठे हैं। जो बढ़ई हैं, वह बेकार बैठे हैं। जो अन्य प्रकार के कारीगर हैं, वह भी बेकार बैठे हैं। मेहरबानी करके यह सर्वे करायें कि कौनसे गांव में, कौन-कौन से जिलों में कौन-कौन से व्यक्ति अच्छा काम करने वाले बैठे हुए हैं। उनको सामान और साधन उपलब्ध कराये जायं, उनके

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
काम के बारे में आप प्रचार और प्रसार करें तो राजस्थान की तस्वीर जो पिछले कांग्रेस के शासन के समय में धुंधली पड़ गई थी निश्चित रूप से अब जनता पार्टी की सरकार का प्रशासन आने के बाद उजली हो जायगी और उनके लिए और राज्य के लिये आय का एक बहुत बड़ा साधन उपलब्ध होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामाण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान के अन्दर औद्योगिक क्रान्ति लाने की आवश्यकता है। राजस्थान में आज तक उद्योगों के विकास के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है बल्कि हमेशा उपेक्षा ही बरती गई है। यहां तक कि यहां के जो कुछ औद्योगिक घराने थे, कुछ को छोड़कर सभी औद्योगिक घराने बाहर हैं और राजस्थान से बाहर उन्होंने अपने उद्योग लगाये हैं। उन्होंने राजस्थान से बाहर उद्योग क्यों लगाये? इसका कारण यह है कि उनको यहां पर कोई सुविधायें नहीं दी गई। दूर देश के आये हुए बिड़ला ने उदयपुर में सीमेन्ट की फैक्ट्री लगाई और हमारे यहां के जो औद्योगिक घराने हैं उनको अनुमति नहीं दी गई। मैं यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान के अन्दर स्थान स्थान पर नये उद्योग खोले जायं।

मैं जिस क्षेत्र से आती हूं वह ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं है जिससे कि गरीब लोग अपनी रोजी कमा कर अपनी आर्थिक अवस्था को सुधार सकें। इस प्रकार के उद्योगों की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। मैं यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान में जो 44 प्रतिशत ऊन पैदा होती है, उसके गलीचे तैयार कराये जाने चाहिये और इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। एक बार एक बात यह हुई कि बीकानेर महाराजा ईरान गये थे, वहां से एक गलीचा खरीद कर लाये और बीकानेर जेल के कारीगरों को दिखाया कि इस तरह का गलीचा तैयार करो। इसके लिए मैं यह बताना चाहूंगी कि उसकी कीमत यहां से 60 गुनी ज्यादा थी। उस कारीगर ने देखा तो बताया कि उसमें बीकानेर जिले की मोहर लगी हुई थी। इस तरह से लोग विदेशों में अपने ही माल से पैसा कमाते हैं और यहां उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, यह बहुत गलत बात है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि ऊन उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए।

इसी तरह से मत्स्य उद्योग के बारे में राज्य सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न ही प्रोत्साहन दिया गया है। हमारे यहां पर जमुवा-रामगढ़ मछली उत्पादन का एक बहुत बड़ा केन्द्र है। इसका पानी बाहर चला जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि मत्स्य उद्योग से काफी आमदनी होती है, इसलिए इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इसी तरह से मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे यहां सांगानेरी और जोधपुरी प्रिन्ट्स हैं, इनकी विदेशों में भी बहुत मांग रहती है, इसलिए इस उद्योग की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। छपाई का काम विदेशों में बहुत पसन्द किया गया है।

मैं कहना चाहूंगी कि पन्ना उद्योग विदेशों के अन्दर प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सका और समाप्त हो गया ! बेल्जियम का पन्ना ज्यादा प्रसिद्ध है, वह पनप गया । मैं कहना चाहूंगी कि जवाहरात का जो उद्योग है उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है । उस पर बिक्री कर वगैरह ज्यादा लगा दिया है । मैं कहना चाहूंगी कि इस उद्योग को पनपाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

इसी तरह से भूमि का नियमन, कच्चा माल और दूसरे अन्य साधन सब एक ही जगह उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और सरकार को भी आमदनी हो । इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आय का साधन बढ़ेगा ।

इसी सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे यहां नगर परिषदों के क्षेत्र में जो कूड़ा-करकट और गन्दगी फैलती रहती है उसका काम में लाने के लिए उसका उपयोग करने के लिए एक बहुत बड़ा खाद का कारखाना लगाकर खाद उद्योग को पनपाना चाहिए । इससे पैदावार बढ़ेगी ! अगर सरकार ने इस ओर प्रोत्साहन दिया तो इससे जो आय होगी वह शराब से होने वाली आय से ज्यादा होगी और सरकार शराब से होने वाली आय से विमुख हो जायेगी ।

इसके अलावा सरकार मिल्क-डेयरी का उद्योग पनपाने की ओर भी ध्यान दे, यह मैं कहना चाहूंगी । इतना ही कहते हुए और आशा करते हुए कि सरकार उद्योगों को पनपाने की ओर विशेष ध्यान देगी, जिससे यहां के उद्योग विकसित हों । मैं मेरा स्थान ग्रहण करती हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री ओंकारलाल चौहान !

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह !

**श्री अजीतसिंह** (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप से हमारे प्रान्त सामने के है । इस समस्या का समाधान करने का अवसर उद्योग मन्त्रीजी को मिला है, वे इस समस्या का समाधान किस प्रकार से निकालेंगे, उसके सम्बन्ध में जो यहां पर जानकारी दी गई है उससे तो कोई विशेष लाभ होता नजर नहीं आता है लेकिन फिर भी आपने इस समस्या को बड़े नीचे से देखा है । भविष्य में हर आदमी को काम देने की योजना आप तैयार करेंगे, उससे उद्योगों को लाभ होगा और उनको पनपाने में सहायता मिलेगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं । माननीय उपाध्यक्ष जी, जो छोटे-छोटे कारीगर हैं और जो गरीब-कमजोर तबके के लोग हैं उनको छोटे-छोटे उद्योगों में काम मिले यह दायित्व आपका है । आप बड़े उद्योग भी खोलें लेकिन इस कमजोर वर्ग की आवाज को आप न भूलें । गरीब लोग गांवों में बैठे हुए हैं, उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । जो आप बड़े-बड़े कारखाने लगायेंगे वह तो शहरों के लिए ही उपयुक्त होंगे । लेकिन गरीबों को रोजगार देने के लिए विशेष ध्यान दिया जाय । आपने ऊन उद्योग के कार्यक्रम को हाथ में लिया है । इसकी अब तक घोर उपेक्षा की गई है । इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । आपने गलीचा उद्योग को हाथ में लिया है लेकिन

(श्री अजीतसिंह)

उसकी रंगाई कच्ची होने की वजह से गलीचा बाहर से रिजेक्ट होकर आ जाता है। इसलिए उसको निश्चित रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और पक्के रंग हों इस की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। हमको इस तरह का प्रयास करना चाहिए जिससे रंगों के बारे में कोई शिकायत नहीं आवे। गलीचा निर्माण के अन्दर रंगाई और कताई ही मुख्य बातें हैं जिसकी ओर ध्यान देकर इस उद्योग को पनपाया जा सकता है और इसमें कामयाबी मिल सकती है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है ऊन उद्योग के सम्बन्ध में। मेरा निवेदन है कि सभी प्रकार की भेड़ें ऊन गलीचे के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। गलीचे की जो ऊन होती है उसमें स्प्रिंग जैसी एक खूबी होती है, वह दबने के बाद वापस ऊपर उठ जाती है। यह खूबी सभी प्रकार की ऊन में नहीं होती। इसलिए गलीचा उद्योग को पनपाने के लिए निश्चित रूप से ऊन की किस्म पर ध्यान देना होगा और ऐसी ऊन का पनपाने का प्रयास करना होगा जो कि गलीचा उद्योग के लिए उपयुक्त हो। इससे विदेशों में इस उद्योग की साख बढ़ेगी। आप जो संकर ऊन पैदा कर रहे हैं वह सफल नहीं हुई तो यह उद्योग नष्ट हो जायगा। इसलिए इस उद्योग में रंगाई छपाई और क्वालिटी तीनों चीजें आवश्यक हैं। इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तभी ठीक प्रकार से यह उद्योग पनप सकेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।

नमदा उद्योग की तरफ भी काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको इसकी जानकारी है लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि इसका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस है। टौंक के अन्दर इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। गरीब लोग वहां पर अपने साधनों से ही इसको पनपा रहे हैं। उनके माल को खरीदने आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

ऊन की खपत है तो निश्चित रूप से आपकी तरफ से ऊन के वितरण केन्द्र होने चाहिये। छांटने का काम वहां आज नहीं होता है। जब खपत है तो उसके लिए वितरण व्यवस्था और छंटाई की व्यवस्था वहां करें तब जाकर लाभ होगा और रंगाई-छपाई के तरीके में सुधार होगा।

हमारे टौंक जिले में कम्बल उद्योग का भी स्कोप है। लेकिन उसके वाणिज्य करने का उपयुक्त तरीका उपलब्ध नहीं है इसलिए कम्बल का सारा व्यापार पंजाब में होता है। आप पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में यह काम करें। लेकिन टौंक एक उपयुक्त जगह है वहां कम्बल उद्योग को पनपाया जा सकता है। वहां वितरण सैंटर्स बनाये जा सकते हैं ता वह भी आप जरूर बनायें।

कई साल पहले टौंक में इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने की योजना थी। उसके अंदर 50 एस्टेट्स बनाने थे लेकिन वह योजना उसी हालत से पड़ी हुई है। आप किसी जिले को बैकवर्ड जिला घोषित करते हैं लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो बैकवर्ड घोषित करने का लाभ क्या? जब बैकवर्ड जिला टौंक को घोषित किया है तो आप इस योजना को टेकअप करें, शैड्स बनायें, बिजली

(श्री मजीरसिंह)

की व्यवस्था करें, ताकि लोग उसमें बसकर धन्धा शुरू करें। बाकी केवल पेपर पर बैकवर्ड घोषित करने से काम नहीं चलने वाला है। छोटे छोटे उद्योग शहरों के अन्दर लगे हुये हैं, वहां पर कच्चा माल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। यदि आपको जिले का विकास करना है तो कच्चा माल सप्लाई करना पड़ेगा, टेक्नोलोजी बतानी पड़ेगी, लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा तब जाकर एक पिछड़ा हुआ जिला अच्छे जिले में परिवर्तित करना होगा वरना वह बैकवर्ड का बैकवर्ड ही रह जायगा। जो माल सप्लाई किया जाता है, वह उपयुक्त नहीं होता है, सारे का सारा पडा रहता है। आप अपने विभाग से पूछें जिसकी आवश्यकता नहीं, मांग नहीं ऐसा सामान खरीदा क्यों गया ? आप स्टडी करें जितनी मांग हो उतना माल मगायें।

हर जिले में उद्योग कमेटी बनी हुई है लेकिन उनमें विधायकों को शामिल नहीं किया है इसलिए हमारी बात उन तक पहुंच नहीं पाती। विधायक कमेटी में हो तो उसमें प्रस्ताव आए। आज कलेक्टर जिसकी सिफारिश करता है उसको लोन मिल जाता है। जिनको आवश्यकता होती है उनको नहीं मिलता है। इसलिए लोग ले देकर अपना काम बना लेते हैं। तो निश्चित रूप से कमेटी बना कर तय करें।

एक महत्वपूर्ण बात मुझे यह कहनी है कि हमारे टौंक शहर में टेनरी का सबसे बड़ा कारखाना है लेकिन उसकी हालत ऐसी खराब हो रही है कि उसमें उत्पादन नहीं हो पाता क्योंकि जितने भी बड़े अधिकारी हैं और जिनको वहां का डाइरेक्टर बना रखा है, उनको हम अपनी बात कह नहीं सकते। मजदूरों की समस्या पुट-अप नहीं होती है इसलिये सारे का सारा उद्योग यूं का यूं जाम हो रहा है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि संबंधित विधायक को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में लें तो दिक्कत नहीं होगी। वे अपनी बात को कह सकेंगे, समस्या का समाधान निकाल सकेंगे और कमियों की जानकारी करके आपको बता सकेंगे। हमने कई बार संशोधन दिए लेकिन हमारी बात ओवरलुक हो जाती है। आप सारी स्थिति की स्टडी करें, वहां हमारा प्रतिनिधि नहीं है। 11 करोड़ की टेनरा आज निकम्मी हो रही है। इसमें उत्पादन अच्छा हो तो फारेन एक्सचेंज हो सकता है। तो मेरा निवेदन है कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स का पुनर्गठन किया जाय। उस पर आप जरूर विचार करें और संशोधन करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मूलचन्द सामरिया !

**श्री मूलचंद सामरिया** (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जब कभी उद्योगों की बात हुई तो राज्य सरकार हमेशा केंद्र का मुंह ताकती रही। कभी राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं रही कि केंदीय सरकार पर दबाव डालकर यहां उद्योग-धंधे पनपाने के लिए कुछ कर सके। तेल शोधक कारखाने की हमारी मांग थी, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने बड़े जोरदार शब्दों में घोषणा भी कर दी कि इसके लिए मैं खुद लड़ूंगा। एक मत से पूरे सदन ने उन का साथ देने का वायदा किया। लेकिन जो

(श्री मूलचन्द सामरिया)

तेल शोधक कारखाना सवाई माधोपुर में लगने वाला था, वह मथुरा में लग गया। क्योंकि राजस्थान की कोई आवाज नहीं थी, कोई दबाव नहीं था परिणामस्वरूप आज आर्थिक दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा रह गया।

सारी सरकार के मस्तिष्क का ठेका इन आई. ए. एस. अधिकारियों ने ले रखा है। चाहे भेड़ पालन हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाद्यान्न हो, हर मामले में आई. ए. एस. अधिकारी ही सबसे ज्यादा समझते हैं। जो लोग टेक्निकली ज्यादा समझते हैं, ज्यादा प्रसार और प्रचार कर सकते हैं, पूंजी नियोजन के लिए लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या वे लोग इस दुनिया में नहीं हैं? इसलिए उद्योगों को लगाने के लिए जब हमारे प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में जाकर पूंजी लगाते हैं और वहां उद्योग लगाने में सफल होते हैं तो क्या कारण है राजस्थान का जो वर्ग बाहर जाकर बड़े बड़े उद्योग लगाता है, उसको राजस्थान में ही आकर्षित नहीं किया जा सकता? इसका कारण आई. ए. एस. अधिकारी और लालफीताशाही है। उद्योग लगाने के लिए प्रारम्भिक औपचारिकतायें इतनी जटिल हैं, फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, एक आफिस से दूसरे आफिस में पहुंचना इतना मुश्किल होता है कि कोई उद्योगपति राजस्थान की तरफ आकर्षित नहीं होता है। यदि राज्य में उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिये उत्साहित करना है तो 'एक विण्डो' सिस्टम होनी चाहिए। जो भी उद्यमियों की प्रारम्भिक आवश्यकताएं हैं—जमीन कहां होगी, क्या रेट होगी, किस तरह आबंटित की जाएगी, पानी कहां से दिया जाएगा, कच्चा माल का क्या होगा, यदि मशीनरी आयात करनी है तो कहां से होगी, वित्तीय सहायता किस तरह से मिलेगी—इनको एक ही जगह रखकर इसका सरलीकरण करना चाहिए तभी जाकर उद्योगपति यहां आकर्षित होंगे। इससे हमारे कच्चे माल की भी खपत होगी और इस राज्य की तरक्की होगी। आपको राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना है न कि किसी व्यक्ति विशेष को खुश करना है, आपको चौधरी चरण सिंह की ओर नहीं देखना है। जैसे पूर्व में सरकार करती थी, मन्त्रीगण और मुख्य मन्त्री दिल्ली जाते थे और मुंह लटकाये वापस आते थे। उस प्रवृत्ति से आप बचें क्योंकि आप राजस्थान के मन्त्री हैं यहां की जनता ने आपको चुना है, आपका कहीं ऊपर से अपाइन्टमेंट नहीं हुआ है। आपको प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना है और यहां की औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वन के लिए पूरी ताकत लगानी है। यदि आवश्यक हो तो इसमें अच्छे टेक्निशियन लगायें और आई. ए. एस. अधिकारियों को दूसरे विभागों में लगायें। उद्योगों में टेक्निशियन्स को ज्यादा लगाने पर ही हम तरक्की कर सकेंगे।

मान्यवर, राजस्थान में जब जनता पार्टी की सरकार आयी तब उसको एक तरफ तो कांग्रेस सरकार से विरासत में भयंकर बेरोजगारी, पोवर्टी और पिछड़ापन मिला। दूसरी ओर यहां पर बड़े बड़े उद्योग धन्धे लगाने के लिये पून्जी की कमी मिली। अब चूंकि जनता पार्टी की सरकार गांवों का विकास करना चाहती है तो मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिये कि

(श्री मूलचन्द सामरिया)
बड़े बड़े उद्योगों के चक्कर में नहीं पड़े और गांवों में छोटे छोटे उद्योगों को पनपाये। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में छोटे छोटे उद्योगों के लिये बहुत भारी स्कोप हैं।

मान्यवर, इसके लिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि ऐसे लघु उद्योगों को पनपाया जाना चाहिये जो कि खेती से सम्बन्ध रखते हों। उन्हीं को प्राथमिकता देनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे किसान हमारे प्रदेश में 12 महीने ही तो खेती नहीं करते हैं। किसान लोग खेती के अलावा काफी महीनों तक बेकार बैठे रहते हैं। अगर उनको खेती के साथ साथ लघु उद्योगों की फैसिलिटीज दी जायं तो मैं समझता हूं कि एक तरफ तो यह जो लोग बेकार बैठे रहते हैं उन्हें काम मिल जायेगा और दूसरी ओर उनकी आर्थिक हालत में भी सुधार होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि ऐसे उद्योग धन्धे हों जो कि खेती से सम्बन्ध रखते हों। इससे वह लोग सेल्फ सफिशियेन्ट होंगे और हमारे यहां प्रान्त में लघु उद्योग भी पनपेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने हैण्ड लूम का कोटा अलॉट किया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह हैण्ड लूम वैसे तो गांवों में लोगों को अलॉट किये जाने चाहिये थे लेकिन मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस सरकार ने यह हैण्ड लूम अपने चहेतों को, और पोलिटिकल नेताओं को या बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिये थे। कई जगह तो इन राजनेताओं ने अपने रिश्तेदारों और पत्नियों के नाम अलॉट करवा लिये जो कि उन लोगों ने बाद में दूसरे लोगों को बेच दिये। काफी पैसा उन लोगों ने कमाया। वह सारा का सारा पैसा उन लोगों की जेब में गया और वास्तविकता में जिन लोगों को वह देने चाहिये थे उन्हें नहीं मिले। आप चाहें तो मिसाल दे सकता हूं कि किन किन लोगों को अलॉट किये गये। इसलिये मेरा निवेदन है कि अब आप जिन लोगों को यह हैण्डलूम अलॉट करें उनसे पहले शपथ ले लें कि वह इनको बेचेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्हीं लोगों को यह अलॉट करें जो कि फिट मेन हों, जो कि गरीब और कमजोर वर्ग के हों, जो बेरोजगार हों उन्हीं को दिये जायें। आज सरकार को चाहिये कि लघु उद्योगों का विकास गांवों में सर्व प्रथम किया जाना चाहिये जिससे कि एक तरफ तो गांवों का विकास हो वहीं दूसरी तरफ वहां के लोगों में बेरोजगारी भी मिटे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कई जगह राज्य सरकार ने छोटे-छोटे उद्योगों के बायलर को यह कह कर कि आउट ऑफ डेट हैं बन्द कर देने के आदेश दे दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे कई तेल के छोटे-छोटे उद्योग बन्द हो गये हैं। इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। कई उद्योग बन्द हो जाने से प्रोडक्शन भी कम हुआ और लोगों में बेरोजगारी भी बढ़ी। आज कई तेल की मशीनों को बेकार कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे कोई चाल है। हो सकता है कि उद्योग विभाग के किसी बड़े अधिकारी की किसी फर्म से सांठ-गांठ हो गई हो जिससे उन्होंने दूसरे बायलर को एप्रूव कर दिया हो जिससे कि इन पुराने बायलरों के बेकार होने से नये बायलर खरीदने पड़ें और पुराने बायलर, जिनको आउट आफ डेट कर दिया

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है, बन्द करने पड़े। इसलिये उद्योग मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि किसी एक बायलर को टैस्ट करके सभी को भ्राउट भ्राफ डेट बायलर कह देना उचित नहीं है। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि उद्योग मन्त्री इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : आपने क्या कहा, किस चीज को आउट आफ डेट कर रहे हैं? कानसे बायलर की बात कर रहे हैं?

**श्री मूलचन्द सामरिया** : तेल मिल के छोटे-छोटे उद्योग हैं उनके बायलर के लिये निवेदन करना चाहता हूं। उन बायलरों को आउट आफ डेट कह दिया है इससे गांवों में तेल का तो उत्पादन घटेगा उसके साथ-साथ वहां पर बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इससे गांवों में हजारों की तादाद में लोग बेकार हो जायेंगे और आपके प्रोडक्शन पर बहुत भारी असर पड़ेगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भी बढ़ेगी। इसीलिये, उद्योग मन्त्रीजी, आप इस पर, जैसा कि मैंने सुझाव दिया, गम्भीरतापूर्वक विचार करने की कृपा करें।

**श्री रामकरणसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को समय पर सहकारिता समितियों द्वारा ऋण नहीं मिलने के कारण जो कठिनाइयां आज किसान महसूस कर रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : आज तो उद्योग की मांग पर बहस चल रही है।

**श्री रामकरण सिंह** : उद्योग पर! अच्छा अच्छा।

**श्री रघुनन्दन व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, बजट में सहकारिता को उद्योग के नीचे दिया है। उद्योग मन्त्री जी इसका स्पष्टीकरण दें कि बजट में मांग संख्या 41 में सहकारिता भी है।

**श्री रामकरणसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग की मांग के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज लोगों को उद्योग लगाने के लिये ऋण उपलब्ध नहीं होने के कारण कई उद्योग हमारे प्रान्त में नहीं लगाये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कोटपूतली में ऐसे कितने ही उद्योग नहीं लग सके हैं हालांकि कोटपूतली एक नेशनल हाईवे पर बहुत बडा कस्बा है। वहां होकर जयपुर से दिल्ली को सीधी सड़क जाती है। वहां पर कई प्रकार के खनिज बहुतायत में पाये जाते हैं लेकिन राज्य सरकार ने, मुझे खेद है, उनकी ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे कोटपूतली में लाइम स्टोन के भण्डार भरे पड़े हैं। इसके लिये सन् 1962 में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह जिक्र किया था कि लाईम स्टोन की बहुतायत कोटपूतली में है इसलिये जहां राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ा कारखाना सीमेन्ट का लगायेगी। वहां पर और भी बहुत से दूसरे रॉ मैटिरियल उपलब्ध हैं। लेकिन मुझे दुःख है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख तो कर दिया लेकिन वहां पर आज तक कोई सीमेण्ट का कारखाना नहीं खोला गया। आज जब राज्य सरकार यह महसूस करती है कि सीमेन्ट की स्केअरसिटी है, आज लोगों को मकान बनाने के लिये सीमेन्ट नहीं मिलती

(श्री राम करणसिंह)

है और कई कामों के लिये आज हम सीमेंट की कमी बताते हैं फिर भी आप वहां पर सीमेन्ट का कारखाना नहीं खोल रहे हैं। अगर आप वहां सीमेन्ट का कारखाना खोल दें तो इससे हमारे प्रान्त में सीमेन्ट की कमी समाप्त होगी। उसके साथ ही आप सीमेन्ट को दूसरे देशों में भी भेज कर फॉरिन एक्सचेन्ज कमा सकते हैं, आसपास के इलाकों में, आसपास के प्रान्तों में आप सीमेन्ट बेचकर फायदा उठा सकते हैं साथ ही लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि सीमेन्ट का उद्योग लगाने के लिये राज्य सरकार ने किसी उद्योगपति को लाइसेन्स भी दिया था पर बाद में पता नहीं क्यों उस लाइसेन्स को कैन्सिल कर दिया। मेरा निवेदन है कि अब जनता पार्टी की सरकार गांवों का विकास करना चाहती है, वहां उद्योग धन्धे लगाना चाहती है तो क्या कोटपूतली में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने के आदेश करेगी। वहां पर सभी प्रकार के मिनरल्स पाये जाते हैं। आप चाहें तो और कई उद्योग धन्धे वहाँ पर लगा सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप गांवों के विकास के लिये वहां सीमेन्ट उद्योग लगायें तो लोगों को रोजगार मिलेगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी उद्योग, लघु उद्योगों के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। सबसे पहले मैं सहकारिता के आधार पर लगाये गये लघु उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज अधिकांश लघु उद्योग, जो कि सहकारिता के आधार पर लगाये गये, असफल ही रहे। इसके सम्बन्ध में मैंने इस सदन में प्रश्न भी पूछा था और उसके जवाब में जो उत्तर मुझे मिला उसको देख कर मुझे बहुत दुःख हुआ। राजस्थान में सहकारिता के आधार पर लघु उद्योग कुल 1475 लगाये गये। जो चल रहे थे उनमें से 1189 लघु उद्योग तो असफल हो गये और 286 सफल हुए। इसमें कई लघु उद्योग हैं जैसे तेल की घाणी है, रंगाई छपाई, चर्म उत्पादन का उद्योग है, जूट उद्योग ऐसे और भी कई उद्योग हैं जो कि लघु उद्योग में आते हैं। सहकारिता के आधार पर ये चलाये गये थे लेकिन असफल हुए। इसके अलावा मैं तो यहां तक सूचना देना चाहूंगा कि नागौर जिले में जितने भी सहकारिता के आधार पर लघु उद्योग खोले गये वह सभी असफल हो गये। नागौर में कुल 227 लघु उद्योग थे वह सभी असफल हो गये। इसी प्रकार जालौर में 81 लघु उद्योग लगाये गये वह सभी असफल हो गये। इसी प्रकार झुन्झुनू में भी सहकारिता के आधार पर 51 लघु उद्योग लगाये वह सभी असफल हो गये। तो इस प्रकार की स्थिति आज लघु उद्योगों की है। आज जनता पार्टी की सरकार है वह चाहती है कि हम लघु उद्योगों को चलायें। इससे हम गावों का विकास करना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार भी व प्रादेशिक सरकार भी इन लघु उद्योगों को चलाना चाहती है। तो मेरा निवेदन है कि आपको इन लघु उद्योगों के मालिकों को फैसिलिटी देनी पड़ेगी। कांग्रेस सरकार ने भी कई जगह लघु उद्योग चलाये थे पर वह सफल नहीं हो सके। उसका विशेष तौर से कारण था

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

राज्य सरकार की तरफ से उन उद्योगों को चलाने के लिये पूरी तकनीकी सहायता नहीं देना, दूसरा वित्तीय सहायता का अभाव और तीसरा उन लघु उद्योगों से बने माल के लिये मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं होना और जो गृह उद्योग अधिकांश असफल हुए हैं उनकी असफलता का कारण मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं था, उसका कारण था वित्तीय सहायता का अभाव। कोई भी लघु उद्योग खोलें, उनकी वित्तीय सहायता के अभाव में यही स्थिति होने वाली है। या तो आप लघु उद्योग सहकारिता के आधार पर खोलेंगे या प्राइवेट तौर पर खोलेंगे। प्राइवेट खोलेंगे तो उनको आपको वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी। दूसरा है सहकारिता का आधार। प्रजातन्त्र में समाजवाद को आधार माना है, समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम आधार है सहकारिता का आधार। इसको सफल करना है। आप सहकारिता मंत्रीजी भी हैं। आप इसकी जानकारी करें। उद्योग विभाग और सहकारिता में आज सामन्जस्य नहीं है, एक दूसरे के काम में रोड़े अटकाते हैं। इसी कारण से यह लघु उद्योग असफल हुए। यह देखना बहुत जरूरी है कि उद्योग विभाग और सहकारिता विभाग के अन्दर सामन्जस्य हो।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, वह है, बाड़मेर जिले की रंगाई-छपाई का धन्धा नष्ट प्रायः हो रहा है। जितनी कोआपरेटिव सोसायटीज बनायीं, जितनी सहकारी सोसायटीज बनायीं, वह असफल हुई या फिर लिक्वीडेशन में गयीं। इस का कारण है, गवर्नमेंट की ओर से सहयोग नहीं मिला। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज वाले उनका माल तो खरीद लेते हैं लेकिन उनको समय पर पेमेंट नहीं होता है। 12 महीने तक उनको पैसा नहीं चुकाया। उनका तो रवैया यह रहा कि दो दो वर्ष तक लोगों को पेमेन्ट नहीं करते हैं। वे माल तो उनका खरीद लेते हैं लेकिन समय पर उनको पेमेन्ट नहीं देते हैं। सोसायटीज के सेक्रेट्री और इन्डिविजुअल ने उनके पास एप्रोच की, मैं भी एप्रोच हुआ और कहा, समय पर उनका पेमेन्ट नहीं देंगे तो कोई धन्धा चलने वाला नहीं। यह जो सांगानेरी प्रिन्ट का काम चल रहा है, यह बाड़मेर नगर के धन्धे की नकल है। हमारे यहां यह धन्धा नष्ट प्रायः हो रहा है। कोई को-ऑपरेटिव सोसायटी बनती है तो पेमेन्ट समय पर नहीं मिलता है। राज्य सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना चाहिये। जो कपड़ा चल रहा है वह पाकिस्तान में काफी यूज करते हैं, अधिकांश इसको पसंद करते हैं। बोर्डर एरिया में तो इसको यूज करते ही हैं। पाकिस्तान से हमारे अभी व्यापारिक सम्बन्ध नहीं हैं। यह भी कोशिश हो कि पाकिस्तान से व्यापारिक सम्बन्ध हों तो यह बाड़मेर का रंगाई-छपाई का कपड़ा उनके लिये उपयुक्त है, पुरुष और औरतों दोनों के लिये बहुत उपयुक्त है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बीच व्यापारिक सम्बन्ध हो इस ओर ध्यान देकर इसका उपयोग किया जाना चाहिये।

हमारे जिले में और जसौल में खास तौर से समस्या है वह जट पट्टी का काम करते हैं। जट पट्टी के उद्योग की इन्डिविजुअल भी जट पट्टी अरेबियन कन्ट्रीज में भेजी जाती है और उससे हमको फोरिन एक्सचेन्ज मिलता है। इस उद्योग

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

को भी एग्रीकल्चरल इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने अपने हाथ में लिया था। लेकिन लेने के बाद वह असफल रहा। यह क्या चीज है कि कोई कार्पोरेशन हाथ में लेता है तो वह असफल रहता है, सफल नहीं होता है? इन्डिविजुअल तो फसल होते हैं और सहकारिता वाले असफल होते हैं। रतनावाद में सहकारिता के आधार पर उद्योग चल रहा है क्या कमियां उसमें हैं, क्या शार्टकमिंग हैं, क्या बोटलनेक्स हैं उनको कन्सीडर करना पड़ेगा। वह जो जसोल में उद्योग है, वह बाड़मेर, जैसलमेर और चौहटन में पनप सकता है। बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके। उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये। उन उद्योगों से वहां रोजगार का प्रश्न अच्छी तरह से हल हो सकता है। इसके लिये आवश्यक है पूरी सुविधाएं हों, क्रेडिट टाइम पर मिले और मार्केटिंग की फैसिलिटीज हों।

ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में भी दो बातें कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में, खादी कमीशन या बोर्ड ने गृह उद्योग स्थापित किये हैं परन्तु उन उद्योगों में भी अधिक काम करने की आवश्यकता है। इस साल बाड़मेर क्षेत्र में फेमीन है। फेमीन कन्डीशन्स में अच्छा काम कर सकते हैं। ये धन्धे हैं इनके लिये कभी पचास लाख रुपया मिलता है, कभी एक करोड़ रुपया मिलता है। गवर्नमेंट अधिक प्रोविजन नहीं करती है। कमीशन से करें, बोर्ड से करें, बैंक से डील करके करें, अधिक रुपये का इन्तजाम सहकारिता क्षेत्र में जो बोर्ड चल रहे हैं, उन को करना चाहिये। कताई जो की जाती है, लगातार 8 घन्टे महनत करें तो भी 1 रु. से अधिक नहीं होती है। एक रुपया भी यदि 8 घंटे महनत करने पर भी नहीं मिलता है तो क्या फायदा? 5 रुपया मिनिमम वेजेज में निर्धारित है। ज्यादा से ज्यादा होशियार हो तब भी 1½ रुपये से अधिक की कताई नहीं कर सकता है। इसलिये कताई की मजदूरी को बढ़ाने की आवश्यकता है। पहले जो बढ़ायी है उसका खादी पर भी असर पड़ा है और खादी के भाव पहले से मंहगे हुए हैं। खादी बहुत मंहगी मिलती है। अभी तो कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टीट्यूशन में है कि खादी पहिनना आवश्यक है। जनता पार्टी के कॉन्स्टीट्यूशन में नहीं है। जो खादी प्रेमी हैं, सर्वोदयी हैं, पुरानी कांग्रेस के है वे ही खादी पहिनते हैं। मध्यम श्रेणी के सक्रिय सदस्य, किसान तो खादी खरीद ही नहीं सकते।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये उसकी कीमत घटाने का प्रयास करना चाहिये। लेकिन मजदूरों को मजदूरी कम न मिले इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई!

**श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): माननीय उपाध्यक्ष जी, उद्योग विभाग की डिस्ट्रिक्टवाइज इण्डस्ट्रियल पोटेन्शल ऑफ राजस्थान की किताब हमको दी है इसका हम पूरा अध्ययन नहीं कर पाये हैं। हमेशा यह परिपाटी रही है कि एक दिन पहले विवरण पुस्तिका दे देते हैं लेकिन हमको यह पुस्तिका आज ही मिली है। अगर रात को भी मिल जाती तो हम पढ़ लेते। आप

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
आगे के लिए तो व्यवस्था कर दें कि विवरण पुस्तिका एक दिन पहले या जिस दिन मांग रखी जाये उसके पहले रात को दे दी जाय ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें और अपने सुझाव दे सकें, यदि हम उससे महरूम हो जाते है तो हम उसको पढ़ नहीं सकते। इसलिए कम से कम आप आगे जो डिमाण्ड आ रही हैं उनसे सम्बन्धित विवरण पुस्तिका के लिए व्यवस्था कर दें कि एक दिन पहले वह वितरित कर दी जायं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए मैं राज्य प्रशासन से निवेदन करूंगा कि भविष्य में ऐसा नहीं हो।

श्री मूलचंद डागा: उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए आप उनको ताड़ना दीजिए कड़े शब्दों में यह थोड़े सुस्त हो गये हैं जनता पार्टी के राज्य में।

श्री रघुनाथ विश्नोई: इस बुकलेट से मालूम पड़ता है कि जालोर जिले का इण्डस्ट्रियल सर्वे राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन के जरिये कराया गया है। उसमें कुछ छोटे-मोटे धन्धे भी बताये गये हैं। विभिन्न जिलों में क्या क्या सम्भावनायें हैं इस बारे में भी कुछ सूची मैंने इसमें देखी है। उपाध्यक्ष जी, स्माल इण्डस्ट्रीज के डवलपमेंट के बारे में राज्य सरकार ने कुछ घोषणायें की हैं। खादी ग्रामोद्योग के जरिये और हैण्डलूम के जरिये भी हम गावों मे उद्योग धंधे खोलने की बात कर रहे है। तो जो मैंने कटमोशन्स रखे हैं उनमें मैंने जालोर जिले के औद्योगीकरण के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। मैं, उपाध्यक्ष जी, आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जालोर जिले में मिनरल पॉइन्ट ऑफ व्यू से ग्रेनाइट है और करड़ों के अन्दर बहुत ही कीमती मिनरल निकला है उसके भी डवलपमेंट के बारे में राज्य सरकार कुछ अधिक ध्यान दे। इसके अलावा वहां पर चीनी मिट्टी का पाल वगैरह में भी पाई गई है उसके डवलपमेंट की ओर भी ध्यान राज्य सरकार दे। इसके अलावा मोवरा के अन्दर बहुत ही कीमती चमकीला पत्थर निकला है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। मैं, उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये उसकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसको भी एक्सप्लाइट करने के लिए स्टेप्स लें।

इसके अलावा जो इण्डस्ट्री पूर्व में जालोर और दूसरी जगह पर लगाई थीं वह सारी खत्म हो गयी हैं। जो इण्डस्ट्रीज के डवलपमेंट के पॉइन्ट ऑफ व्यू से प्लॉट्स दिये थे इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए वहां इण्डस्ट्रीज न लगाकर लोग उन्हें दूसरे कामों में लेने लग गये हैं। आप यह जानकारी करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि जो प्लॉट्स दिये थे कन्सेशनल रेट पर उन पर उन्होंने कोई इण्डस्ट्री नहीं लगाई है और उन्होंने दूसरे काम धंधे शुरू कर दिये हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो जमीन इण्डस्ट्री लगाने के लिए ली थी उसमें इण्डस्ट्रीज को ही पनपायें ताकि उस क्षेत्र के अन्दर कुछ इण्डस्ट्रीज आगे बढ़ें। इसके बारे में राज्य सरकार शीघ्र कदम उठाये। मुझे मालूम पड़ा है कि वहां पर इण्डस्ट्रीज लगाने के लिये राज्य सरकार ने कुछ कन्सेशन नहीं दिये हैं। बिजली के मामले में या दूसरे मामलों में, कोटा के मामले में आपने

# Page No 52

(52)



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कोई व्यवस्था नहीं की और कन्सेशन नहीं दिये इसलिए छोटे-मोटे इण्डस्ट्रीज लगाने वाले हताश होकर चले गए। जालोर के कई सम्पन्न लोग बम्बई और मद्रास में काम करते हैं। वह वहां पर इण्डस्ट्रीज भी लगाना चाहते हैं लेकिन आपने उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। अगर आप प्रोत्साहन देते तो इण्डस्ट्रीज का विकास हो सकता था। वहां पर ऑइल मिल का विकास हो सकता है। हमारे यहां पर रॉमिटीरियल हैं। दालों की इण्डस्ट्री भी वहां लग सकती है। तो मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जालोर जिले में जो रॉमिटीरियल हैं, ऑइल सीड हैं, दालें है, गवार है, इसके साथ ही वहां के लोग अनएम्प्लाइड हैं, अगर यह इण्डस्ट्रीज वहां पनपती हैं तो वहां के लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा। इसलिए आप इस ओर भी ध्यान दें। इसके अलावा जो सम्भावनाएं बताई हैं भीनमाल जालोर, रानीवाड़ा और सांचोर क्षेत्र में, उनकी तरफ ध्यान दें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत छोटे-माटे उद्योगों की तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा वहां कलर्ड बेंड-शीट्स का काम काफी चल सकता है, वीविंग और ऊन पट्टी का काम वहां होता है। वहां गावों में काफी तादाद में वीवर्स रहते हैं, वे बहुत अच्छी कलर्ड बेंड-शीट्स बनाते हैं लेकिन उनको कोई प्रोत्साहन राज्य सरकार ने नहीं दिया। उनकी कोई कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाई और जो सोसाइटी दर्ज हुई थी उसको लोन नहीं मिलने से बन्द कर दी गयी। तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां जो पुश्तैनी काम धंधा करने वाले हैं जैसे कारपेन्टर्स हैं, लुहार हैं, और कुम्हार वगैरह हैं उनको आप कम से कम पांच-पांच हजार रुपया दें ताकि वह अपना काम कर सकें। इसी तरह से माची हैं। हमारे भीनमाल और सांचोर की जूतियां भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी एक्सपोर्ट होती हैं। वहां काफी चमार उपलब्ध हैं इसलिए लेदर का उद्योग, टेनरी का डवलपमेन्ट हो सकता है। इसके अलावा स्किन की रंगाई होती है। यह माल भी वहां बहुत मात्रा में मिलता है और सारे राजस्थान में सप्लाई होता है। ऐसी हालत में रॉ मेटीरियल जो उपलब्ध है उसके ऊपर बेस्ड इन्डस्ट्रीज लगायें तो वहां के लोगों को काम धंधा मिल जायेगा।

वहां पर पीलू और नीम की नीम्बोली भी बहुत मात्रा में मिलती हैं। नीम की नीम्बोली सोप बनाने के काम में आती है और जो पीलू है यह भी खार के रूप में और दूसरे कामों में आता है। इनका यदि कोई सर्वे करके छोटे-मोटे उद्योग-धन्धे लगायें तो वहां के लोकल लोगों को काफी काम मिल सकता है। जो लेबर है उनकी शहरों में आने की प्रवृत्ति है। यदि गांवों में भी उद्योग-धंधे पनपायें तो यह प्रवृत्ति भी समाप्त हो जायगी। यदि आप गांवों में ही छोटे-मोटे धंधे देंगे तो राज्य सरकार की नीति की जो घोषणा हुई है उसमें सफलता मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा सांचोर का ऊनी पट्टू पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। कशीदे वाला पट्टू महंगा जरूर है। अगर रात को एक ही पट्टू पहने या ओढ लें तो दूसरे की जरूरत नहीं होती, इतना गरम होता है। इसे विदेशी लोग बहुत पसन्द करते हैं लेकिन आज तक राज्य

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां की जो पट्टियां हैं, दरिया हैं और बेड-शीट्स बनाने का काम होता है उसको प्रोत्साहन दिया जाय। घाना वगैरह के लिए ऑइल मिल लगाने के लिए और चमड़ा रंगने के लिए इण्डस्ट्रीज लगाने का प्रयास करें तो वहां उन्नति हो सकती है। रायड़ा, सरसों, तिल सारा का सारा गुजरात को जाता है और गुजरात वाले हमको ऑइल देने में बहुत परेशानी करते हैं और ऑइल नहीं लाने देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप ऑइल मिल की व्यवस्था करें तो हमारे यहां ऑइल की समस्या का समाधान हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इन ही चीजों को लेकर मैंने मेरे कटौती प्रस्ताव रखे हैं। हमारा जो जालोर जिला है यह हाई वे पर आया हुआ है, अहमदाबाद-सांचोर-बाड़मेर और जैसलमेर रोड वहां से जाती है। यह एग्रो सर्विस सेन्टर है। एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्ट्स काश्तकारों को इम्प्रूव्ड चीजें उपलब्ध कराने के छोटे-मोटे वर्कशाप और सेन्टर्स अगर खोलें, राज्य सरकार इस तरह के छोटे-मोटे उद्योग-धंधे खोले तो वहां के मेकेनिक गुजारा कर सकते हैं और उनको बहुत एम्पलायमेन्ट मिल सकता है। उद्योग-धन्धे के जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उनके बारे में अगर राज्य सरकार कुछ कदम उठायेगी तो जालोर में कुछ धन्धे पनप सकेंगे। जालोर जिले को पिछड़ा जिला घोषित करें ताकि जो दूसरे जिलों में सब्सिडी वगैरह की सुविधा मिली है वह जालोर में मिले। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार आज इस बात की घोषणा कर दे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री डागा !

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल में बैठने वाले न जाने कितने दिन तक एक बात कहते रहेंगे कि कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया, तीस साल तक कुछ नहीं किया।

**एक माननीय सदस्य** : सही है।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह बात आपको मालूम होनी चाहिये कि भारत सरकार जनता की सरकार है। पहले पहले फर्नांडिस ने कहा था।

"There is going to be no dilution" किसकी बात को माने, उनके सिद्धांत वो के वो हैं।

1. Maximising the production of consumer goods.
2. Optimum utilisation of human and material resources.
3. Prevention of monopoly and concentration of economic power.
4. Speedy development of employment oriented industries.
5. Making industries responsive to social needs.

(श्री मूलचन्द डागा)
तिलक साहब का रोज भाषण होता है। राजस्थान पत्रिका देख लें। मैंने पढ़ा है। उसमें लिखा है केवल 'तिलक'। बड़ा अच्छा नाम है। तिलक साहब का भाषण आता है उससे मैं बड़ा प्रभावित हूं। कल मुख्य मंत्री ने बहुत अच्छा भाषण दिया, भले ही बजट पर हुई बहस का उत्तर दिया या नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, श्रीमान, आप अपने घर को ठीक कर लीजिये। यह इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट एक अलग ही है। राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन है, यह स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन बनाया गया है इनका को-आर्डीनेशन होना चाहिये। यह अलग अलग दुकानें बना कर बैठ गये।

एक माननीय सदस्य : यह आपके जमाने की लगी हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी कृपा है।

तो इनका को-आर्डीनेशन है या नहीं। श्रीमान, यह अलग अलग कैसी बात हो रही है ? क्या को-आर्डीनेशन है। एक बात आप बतला दीजिये। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गांव की ओर जायेंगे। कहां जायेंगे ? बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं। जैसे अभी अभी गिरधारीलालजी ने कहा था कि हमें यह बात स्पष्ट नहीं कि गावों में जायेंगे कहां। एक बात कहने की है आज बिजली उपलब्ध नहीं है, थर्मल स्टेशन नहीं लगा सके ···

श्री दाऊदयाल जोशी : लग रहा है कोटा में।

श्री मूलचन्द डागा : दाऊदयालजी, कोटा की बात नहीं कर रहा हूं। आप यह देखें कि बिजली क्या उपलब्ध करते हैं, आप पानी की व्यवस्था क्या करते हैं, रोड्स की क्या व्यवस्था करते हैं फिर आप कहें गांवों की ओर बढ़ेंगे। जो इण्डस्ट्रीज लग रही हैं उससे क्या लाभ है ? राजस्थान के बाहर से लोग आते हैं, इण्डस्ट्रीज लगाते हैं, झोटवाड़ा में फैक्ट्री लगाते हैं, इन्जीनियर साथ लाते हैं, अकाउन्टेन्ट, डाइरेक्टर, मैनेजर साथ लाते हैं, उनमें काम करने वाले साथ लाते हैं और मजदूर भी साथ लाते हैं। पैसा हमारा, धरती हमारी और मौज वे लूटें। राजस्थान वाले देखते रहें। आप आंकड़ों की जांच कीजिये। राजस्थान के अन्दर हमारी धरती पर लाभ उठाकर चले जावें····

श्री टीकमचन्द कांत : अब तक जबान बन्द रही।

श्री मूलचन्द डागा : टीकम, तुम्हारे लिये भी कोई कार्पोरेशन बनाना है। चेयरमेन बनाना है।

यह जरूरी बात है कि सब जगह उद्योग लगेंगे लेकिन जमीन खिसक रही है सारी और लोग पैसा खा जायेंगे। कन्सन्ट्रेशन ऑफ वैल्थ हो रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि समय बढ़ रहा है, उपाध्यक्ष महोदय की घन्टी का भी डर है, इसलिये, श्रीमान, खत्म कर रहा हूं।

तो आपने कहा, सोमेंट प्लांट का। राजस्थान में काफी कच्चा मैटारियल है लेकिन लोगों ने गलत रिपोर्ट दी। टी.एन.पं, जो भूतपूर्व मंत्री थे, से मालूम हुआ कि सोजत के अन्दर काफी रॉ मेटीरियल है। लेकिन कहा गया कि यह काम का नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)
यहां के ऑफिसर्स डिस्ऑनेस्ट हैं । मैं कहना चाहता हूं कि पाली में इण्डस्ट्रियल एस्टेट का उद्घाटन मनुभाई ने किया था । वहां सड़क नहीं, पानी के निकास की व्यवस्था नहीं....

श्री रघुनन्दन व्यास : एम. एल. ए. और एम. पी. रहे हैं डागाजी और कुछ काम किया नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : यह इण्डस्ट्रीज की हालत है । जो औद्योगिक बस्तियां हैं उन बस्तियों में हरएक को ऑक्ट्राय में एक्जेम्प्ट कर देते हैं । एक सर्टीफिकेट देते हैं । सर्टीफिकेट देने का तरीका और है । महाराजा उम्मेद मिल पाली एक करोड़ की कीमत की है लेकिन उनको एक्जेम्प्शन देते हैं । कहते हैं यह इनफेंट इण्डस्ट्री है । मैं पूछूं, इनफेंट इण्डस्ट्री किसको कहते हैं ? यह कौन सा तरीका है ?

सबसे बड़ी बात यह कही कि गांवों की ओर जाना चाहते हैं । जनता पार्टी के लोगों ने 24 मार्च के दिन बापू की समाधि पर शपथ ली और कल भी मोरारजी ने कहा कि खादी को बढ़ावा दीजिये । श्रीमान, सारे लोगों को कहिये कि खादी पहने । आपके सेक्रेट्रियट, आपके विभाग के कर्मचारी खादी पहनें । श्रीमान ..

( समय-समाप्ति-सूचक-घंटी )

श्रीमान, यह घंटी हटा दें ।

श्रीमान, एक बोर्ड और 1961 में बना है उसका राजस्थान वाटर पोलूशन बोर्ड नाम है । वह क्या काम कर रहा है ? मेरे पास लोगों की शिकायतें हैं कि पानी बेकार गया । जन स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं ।

मैं एक बात की ओर इसलिये ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि आप कहते हैं कि गांव-गांव में उद्योग लगाना चाहते हैं । श्रीमान, आपका ग्रामीण बैंक या कौनसा ऐसा बैंक है जो छोटे छोटे लोगों को सुविधापूर्वक लोन दे सकता है । ढाणियों के स्थान पर आज बड़े बड़े कारखाने लग गये हैं । आप तो काफी सर्वोदयी विचार धारा के हैं । मैं समझता हूं गांवों के अन्दर उद्योग बढ़ाने के लिये, ग्रामीण उद्योगों को चाहे वह खादी का हो, चर्खे का हो, घाणी का हो घरेलू उद्योग हो, आप बढ़ावा देंगे तो मैं आपका आभार मानूंगा ।

मैं एक बात चाहता हूं और मैंने कई बार कहा है ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो, श्रीमान, अब मैं लास्ट पॉइन्ट पर आ रहा हूं आप मेरे आदरणीय हैं, मैं आपकी बात मानूंगा ।

सोचियेगा जालोर को बेकवर्ड घोषित कर दिया, जोधपुर को बेकवर्ड घोषित कर दिया, सिरोही वालों को कर दिया, बाड़मेर वालों को कर दिया और बीच वाले को नहीं । बिल्कुल ठीक है । देखिये देखिये, श्रीमान सारे बेकवर्ड हैं और बीच वाला नहीं है । महाराजा उम्मेद मिल्स एक मिल है और सारी की सारी छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज हैं चारों ओर इर्द-गिर्द बेकवर्ड एरिया है और पाली जिला बेकवर्ड नहीं । तो, श्रीमान, उसको भी बेकवर्ड घोषित कर दें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : पाली के सेठ तो सारी दुनियां में प्रसिद्ध हैं।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, इस पर तो डिस्कशन काफी लम्बा हो सकता है। इण्डस्ट्रीज पर कभी बात आवेगी तब बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतरण): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी दो विभागों के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। इस सदन में मेरे एक प्रश्न, जिस पर बाद में आध घंटे की चर्चा भी हुई, का उत्तर देते हुए पाली के रंगाई और छपाई उद्योग के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कुछ आश्वासन दिया था। मैं सोचता था कि आश्वासन के अनुकूल पाली में कुछ तब्दीली आयेगी और सरकार कदम उठायेगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं आश्वासन के बावजूद कोई तब्दीली नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि समय कम है लेकिन संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पाली जैसे 70 हजार से ज्यादा आबादी वाले शहर को बचाना चाहते हैं, नरक कुण्ड से निकालना चाहते हैं तो वहां के नागरिकों पर थोड़ा बहुत ध्यान दें और रंगाई और छपाई की जो फैक्ट्रियां है उनको बाहर ले जायं। आपके जो आर.एम.आई.डी.सी. ने इण्डस्ट्रियल एरिया बनाया है और इण्डस्ट्रियल एरिया बनाने के बाद जो प्लाट्स दिये हैं उसकी मैंने जानकारी की है। पता नहीं माननीय मन्त्री महोदय ने कोई जानकारी की या नहीं की। जो भी प्लाट्स वहां दिये जा रहे हैं वहां पानी की उपलब्धि नहीं होने से लोग जाना नहीं चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा जिस प्रकार शहर में पानी जहां से आया है उसी प्रकार उन्हें भी पीने का पानी देना है तो केवल पाइप लाइन का खर्चा है, वहां तक पाइप लाइन बिछाकर उनको भी पानी उपलब्ध करा दीजिये। जो जगह चूज की है वहां उनको जाना पड़ेगा। आपको वे इण्डस्ट्रियलिस्ट बहकावे में डाल कर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका वहां इन्वेस्टमेंट हुआ है। वे अन्य लोगों के जीवन की परवाह नहीं करते हैं। इस लिये आप बहकावे में न आयें। शहर में जहां से पानी मिलता है वहां से पाइप लाइन द्वारा दिया जा सकता है।

दूसरी बात जल प्रदूषण की है। उसके लिये, पोल्यूशन प्लान्ट लगाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं वह प्लान्ट लगाते हैं? जब तक प्लान्ट नहीं लगाते हैं तब तक इण्डस्ट्री को लगाने से बन्द कर सकते हैं। इण्डस्ट्री पनपें लेकिन वह लोगों की छाती पर नहीं पनपें जो कृषकों का नुकसान हुआ है उनको 300 कुओं का मुआवजा दिलाया जाय। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई। मैं निवेदन करूं, पाली शहर एक इण्डस्ट्रियल क्षेत्र है। डायरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्रीज ने जो इण्डस्ट्रियल एरिया बनाया हुआ है उसको पूर्ण रूप से इण्डस्ट्रियल एरिया ही बनाया जाय। जो दूसरा कोर्पोरेशन आपने आर. एम. आइ. डी. सी. का बनाया है। मेरा निवेदन है कि दोनों काम एक को ही दे दीजिये। यह दोनों काम आर. एम. आइ. डी. सी. को ही दे दीजिये। यह काम राजस्थान में बहुत महत्व का है।

(श्री शंकर लाल)

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं आप के लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग के बारे में जैसे भारत सरकार ने नई पॉलिसी की घोषणा की है, आपने भी घोषणा की है लेकिन बजट में आपने उसके लिये क्या प्रावधान रखे ? मैं निवेदन करना चाहूंगा जो आपकी यह रिपोर्ट मिली है इसमें ग्रामीण उद्योग-धन्धों की परियोजना का जिक्र किया है। वह राजस्थान में पांच जिलों में की है। मैं समझता हूं भारत सरकार से और अधिक जिले इस योजना के अन्तर्गत चयन करने हेतु निवेदन करें। यदि आप उद्योगों को पनपाना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिये, ग्रामीण परियोजना अभी आपके पांच जिलों में है, आप भारत सरकार के सामने इस सारे राजस्थान के मामले को रखें जिससे यह योजना आपके और जिलों में भी लागू हो जिससे आपके ग्रामों में उद्योग-धन्धों की सम्भावना बढ़ सके।

दूसरा सुझाव देना चाहता हूं, जो ब्याज मुक्त ऋण की बात कही है उसमें आपने कहा है कि उद्योग-धन्धों को यह ऋण देंगे। यह सब उद्योगों को नहीं दें। आपके पास पैसा कम है इसलिये इस ऋण को ग्रामीण उद्योगों को ही दें। ब्याज-मुक्त ऋण की जो स्कीम है वह केवल ग्रामीण उद्योग-धन्धों को ही दें वरना बड़े-बड़े उद्योग इसको प्राप्त कर लेंगे और छोटे-छोटे उद्योग वाले, जिनको आप पनापाना चाहते हैं इससे वंचित रह जायेंगे। इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट का जितना ऋण आता है वह बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट कोई न कोई तरीके से ले लेते हैं चाहे वे कोआपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू लें या प्राइवेट रूप से ले लेते हैं। पीपलिया में प्राइवेट इण्डस्ट्रियल एस्टेट बनी हुई है, इसकी आप जांच करें। ऐसी कितनी ही फर्जी फर्म हिन्दुस्तान में लगाई हुई हैं। जगह-जगह एस्टेट लगाकर कितना पैसा सरकार से लेना चाहते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। बिजली के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव आया था, लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है एक ही पीपलिया वाली फैक्ट्री कितना नुकसान दे रही है, लाखों रुपया बटोर रही है उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। वह रुपया ग्रामीण उद्योगों को जाना चाहिये। मैं उद्योग मंत्री जी से कहूंगा, इसकी तत्काल जांच करवायें कि राज्य सरकार को कितना नुकसान हो रहा है...

श्री सुख लाल संणवा : झूठे गांव के उद्योग के लिये भी तो निवेदन कर दें

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : तो मैं यह निवेदन कर रहा था ये जो लघु उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं इनकी आपको अपनी डेफिनेशन भी स्पष्ट करनी पड़ेगी। हमारे पाली के अन्दर रंगाई-छपाई की बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले हैं। जब कंसेशन देने की बात आती है तो वे भी कह देते हैं कि हम भी लघु उद्योग के नीचे आते हैं। आप उद्योग विभाग से कहिए कि लघु उद्योग कौन सा है, ग्रामीण उद्योग कौन सा है, कुटीर उद्योग कौन सा है इसकी परिभाषा और इसकी सूची बिल्कुल स्पष्ट कर दें अन्यथा इसकी ओट के अन्दर बराबर फायदा उठाते रहेंगे। जब तक परिभाषा

(श्री शंकर लाल)

स्पष्ट नहीं होगी तब तक हमारी नीति ठीक होती है, सरकार की नीति ठीक होती है, योजना ठीक होती है लेकिन उसकी क्रियान्विति के अन्दर जो लोग उसका लाभ उठाना चाहते हैं वे फायदा उठा लेते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे पाली जिले को औद्योगिक पिछड़ा घोषित करने के लिए पूर्व वक्ता ने कहा है, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पाली जिले में जैतारण तहसील में जो रास गांव है, उस रास गांव के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वहां पर सीमेंट की फैक्ट्री लगाने की जो बात भारत सरकार से चल रही थी और उद्योग वाले भी तैयार थे। उसके बारे में क्या हुआ, यह बतायें। वहां सीमेंट का कारखाना लग सकता है, फैक्ट्री लग सकती है। सीमेंट भी आज का बड़ा उद्योग है। आजकल सीमेंट की बड़ी कमी है, सीमेंट उपलब्ध नहीं हो रही है, कालाबाजारी चल रही है, शिकायतें बहुत आती हैं। तो सीमेंट का उत्पादन बढ़े। इसके लिये रास के अन्दर सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के लिए आपको अगुवायी करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वहां पर यह उद्योग पनपे।

मैं अधिक नहीं कहते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामों के अन्दर अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट्स के भांभी और जटिए होते हैं। भांभियों का धन्धा हाथ करघे का होता है और जटियों का धन्धा चमड़े की रंगाई का होता है। चमड़े की रंगाई के धन्धे में आंवले की छाल से रंगाई होती है लेकिन आंवले की छाल के ठेके बड़े-बड़े ठेकेदार ले लेते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। आंवले की छाल जो चर्म में उपयोग करने वाले हैं, चमड़े की रंगाई में काम में लेने वाले हैं, जो जटिए हैं उन लोगों को ही दें वरना उनको यह आंवले की छाल इन बड़े-बड़े ठेकेदारों से बहुत अधिक कीमत पर खरीदनी पड़ती है। गांवों के अन्दर ये जो दो बड़ी बड़ी कौमें हैं—जटिए चर्म उद्योग का धन्धा करते हैं और भांभी बुनकर का काम करते हैं, उन दोनों के इन धन्धों की तरफ आप ज्यादा ध्यान दें।

चूंकि समय कम है, बार बार उपाध्यक्ष महोदय की घण्टी बज रही है, इसलिए इस समय अधिक नहीं कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप उद्योगों को पनपाना चाहते हैं, जैसा कल मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हम राजस्थान में उद्योगों को पनपाना चाहते है तो इसके लिए आवश्यक है कि यह जो बड़े बड़े हाथी हैं, उद्योगपति हैं, वह फायदा न उठा सकें और उसका फायदा सही आदमियों को मिल सके इस बात की ओर सतर्कता रखने की बहुत आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ !

(अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्न सिंह !

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उद्योग की मांग के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव पेश किया है जिसमें इस बात का सुझाव दिया है, इस बात की मांग की है कि राजस्थान को, पूरे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ही राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाना आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है कि भले ही कोटा के अन्दर कुछ उद्योग लग गए लेकिन जब तक पूरे राजस्थान में उद्योग नहीं लगेंगे तब तक राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। जो छः जिले पहले से हैं उनमें केवल उदयपुर और अलवर को छोड़ कर कहीं भी कुछ ज्यादा उद्योग लगे नहीं हैं। जिन दस जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर आपने उद्योग लगाने के लिए अनुदान देने की बात कही है, आपने पिछड़ा हुआ घोषित किया है, उन दस जिलों में पानी की बहुत कमी है, वे सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, वहां बिजली की कमी है इसलिए ज्यादा इसके अन्दर सफलता नहीं मिलेगी। राजस्थान सरकार के पास कुछ फण्ड है जिससे वहां पर तरक्की कर सकते हैं। वहां पर कोई साधन नहीं हैं इसलिए कोई इण्डस्ट्रियलिस्ट वहां पर आता नहीं है। इसलिए कोशिश इस बात की की जानी चाहिए कि पूरे ही राजस्थान को पिछड़ा हुआ घोषित किया जाय। कल मुख्य मन्त्री ने बताया कि दो पर्सेंट का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होगा। इसमें कौन सी बड़ी लम्बी-चौड़ी बात हो गई। एच. एम. टी. के 16 कारखाने लगे हुए हैं, एक फेक्ट्री यहां पर भी लग जायेगी, यह कौन सा बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इतना ही है कि कुछ पहले से ऐसे स्थान हैं, जैसे सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है जहां पर पानी है, बिजली है। वहां पर आप कर सकते हैं। 32 के. वी. की लाइन वहां पर आ रही है। एच. एम. टी. की फेक्ट्री भी लग रही है तो उसके अन्दर भी वही पहले वाली स्थिति आ रही है। पहले उदयपुर ले जाते थे और अब भीलवाड़ा में ले जायेंगे। यह बहुत बड़ी बीमारी है रीजनेलिज्म की। यह क्षेत्रीयवाद की बीमारी फैली हुई है। यह बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से समुचित रूप से फायदा नहीं पहुंच पाता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। पूना जिला के मोहन धारिया साहब जब प्लानिंग के मिनिस्टर बने तो पूना की एक सब तहसील को इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित करवा दिया। इसलिए मुख्य बात यह है कि प्लानिंग कमीशन का जो माप दण्ड है जिलों को बैकवर्ड घोषित करने का उसको आपको बदलवाना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि दो पर्सेन्ट का राजस्थान में नियोजन हो रहा है इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक पूरे राजस्थान को पिछड़ा हुआ घोषित नहीं करेंगे तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। मुझे डर है समय का, इसलिए संक्षेप में ही अपनी बात करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप यह करवा सकें, आपका इसमें सफलता मिली तो यह आपकी, जनता सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। अब आप यह कहेंगे कि पिछली सरकार ने क्या किया, आपने ऐसा किया, वैसा किया। मैं आपसे कहता हूं कि हमने तो गलती की लेकिन अब आप तो सुधारिये। आपकी यह आर. एम. आई. डी. सी. डूबने वाली है।

(व्यवधान)

आर. एम. आई डी. सी. डूबने वाली है, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अकाउण्ट्स तैयार नहीं हैं। साठ सत्तर लाख का घाटा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है । आपकी स्कूटर की फेक्ट्री बनी, स्कूटर बनने लगे और मुख्य मन्त्री जी को ले जाकर बड़े जोर शोर से उद्घाटन करवा दिया । लेकिन क्या आप बतलायेंगे कि कितने स्कूटर बिके आज तक ? कितने स्कूटर अब तक बेच सके और इसमें कितना घाटा है ? यह अगर आप बता सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी । मैं आपसे कहता हूं कि इस आर. एम. आई. डी. सी. को बचाइये । यहां पर बड़े-बड़े सफेद हाथियों को नियुक्त कर दिया । रेलवे के अन्दर एक अकाउण्ट्स के आदमी थे उनको वहां पर अकाउण्ट्स का एडवाइजर बना दिया । जो रेलवे में टिकिट का हिसाब-किताब बनाया करते थे उनको फाइनेन्शियल एडवाइजर बना दिया आर. एम. आई. डी. सी. में । मैं निवेदन करता हूं कि इस आर. एम. आई. डी. सी. को बचाइये, यह खत्म होने वाली है । जो भी कमी है तो उसका आप सुधारिये । यहां पर कांग्रेस वाले कोई बात कहते हैं तो आप कह देते हैं कि आपने ऐसा किया वैसा किया । चलो हमने तो गलती कर दी लेकिन अब आप तो उसको सुधारिये । स्टेट गवर्नमेंट आपकी है । एक साल तक और कह लीजिए कि आपने ऐसा किया लेकिन उसके बाद आपके पास क्या जवाब होगा । उस समय लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस स्थिति को सुधारिये । 'आपने ऐसा किया' कहने से काम चलने वाला नहीं है । इस आर. एम. आई. डी. सी. की तरफ खास तौर से तवज्जोह दीजिए । आपको बहुत बड़ी इस मामले में उपलब्धि होने वाली है ।

अभी कल मुख्य मन्त्री ने यहां पर कहा था कि इण्डस्ट्रियलिस्ट को एक ही जगह सब प्रकार की सुविधायें मिल जायं इसके लिए मैं एक ब्ल्यू प्रिंट सदन में पेश करूंगा । माननीय उद्योग मन्त्री जी, इसकी रूप रेखा के बारे में प्रकाश डाल सकें तो हम लोगों को लाभ होगा ।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय डागाजी ने भी जैसा कहा है कि राजस्थान में बेकारी की समस्या मुंह बाये खड़ी है ।

(1.38 म. प.)

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री, सभापति, पीठासीन)

आपने ग्रामीण रोजगार की बात कही है लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या पढ़े-लिखे बेरोजगारों की है । एक ग्रामीण बालक ने दसवीं पास कर ली, आप कितनी ही अन्त्योदय की योजना लागू कर कर दें, उससे वह न तो हिल सकता है पतलून पहन कर, न वह हल चला सकता है, न वह भैंस का दूध दुह सकता है और न सानी लगा सकता है । हमारा आउट लुक ऐसा हो गया है । इसको इस तीस साल की असफलता कहिये, एजूकेशन सिस्टम का फॉल्ट कहिये, प्लानिंग का फॉल्ट कहिये लेकिन इसको दूर करने के सम्बन्ध में विचार करने की जरूरत है । इसके साथ ही जो राजस्थान में उद्योग लगें उनमें राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये और इस दिशा में कार्यवाही करनी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चाहिये। राजस्थान सरकार इस बारे में बहुत उदार रही है। हरियाणा में तो बाहर वालों को नौकरी मिलती ही नहीं थी। राजस्थान के अन्दर सर्विसेज के अन्दर चाहे किसी विभाग को उठाकर देख लें, चाहे शिक्षा विभाग हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, को-ऑपरेटिव विभाग हो, अलवर के अन्दर, भरतपुर के अन्दर, हरियाणा और यू.पी. वाले स्थानीय नाम लिखा कर शामिल हो गए हैं। कोई मास्टर हो गए हैं कोई कुछ हो गए हैं। इसके लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। राजस्थान के लोगों को यहां पर रोजगार मिल सके, राजस्थान वालों को ही नौकरी मिल सके इसके लिए आपको कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्रीमान, एक आपसे और निवेदन करूंगा कि कोटा के अन्दर काफी इण्डस्ट्रीज हो गई हैं और अब वहां को प्रॉब्लम्स भी आती जा रही हैं आपके सामने। इसलिए आपको जो मैंने सुझाव दिया है, राजस्थान में कुछ जगहें ऐसी हैं वहां पर नेचुरल स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, वहां पर आप डवलप करने की, इण्डस्ट्री सेट अप करने की बात सोचें। आपका दिमाग इस ओर जाना चाहिये। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, बदकिस्मती इस बात की है कि क्षेत्रीयवाद आ जाता है। धौलपुर में टायर-ट्यूब की फैक्ट्री लगने वाली थी। जे. के. वाले वहां आए, बात फाइनल हो गई, जमीन देख ली सारी बात कर ली। बरकत साहब मुख्य मन्त्री थे उन्होंने कह दिया था कि कोटा में इण्डस्ट्री नहीं लगाने दूंगा, आप धौलपुर जाकर लगाइये। लेकिन बरकत साहब की मौत के बाद फिर राजनैतिक दांव पेच चले और वह फैक्ट्री उदयपुर में कांकरोली में चली गई। इसके लिए लिखवाया यह गया कि धौलपुर में गर्मी बहुत पड़ती है जिससे टायर खराब हो जाते हैं। यह लिख कर लिया है जबंदस्ती। I know it personaly. जो कुछ मैं कह रहा हूं वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब सवाल आ रहा है इण्डस्ट्रीज के अन्दर बिजली पहुंचाने का। हालांकि आप विद्युत मंत्री नहीं हैं, फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि आप उद्योग विभाग के साथ ऐसा कुछ को-ऑर्डिनेशन बिजली का बिठावें कि यह काम सरल हो जावे। वरना यह बिजली विभाग बहुत परेशान करता है। 3 के. वी. लाइन खींचने के बारे में बावजूद मुख्य मंत्री महोदय के आदेश के, बिजली विभाग ने काफी परेशान किया है कि यह परेशानी की हालत आपको भी होने वाली है। 6 करोड़ का घाटा बिजली विभाग को हो रहा है। आप लाइन खींचने के लिए कहेंगे तो वे कहेंगे लाओ पैसा। चार करोड़ रुपया दे दीजिये, लाइन खिचवा देंगे। इसलिये मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी किस्म का प्रावधान आप कीजिए ताकि यह जो बिजली की समस्या है, वह सुलझ सके। बिजली के मामले में हम सरप्लस हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको भी कट करना पड़ता है। यह नहीं है कि अन्धेरा छा जाता है। परन्तु आज भी भरतपुर जिले में पचास परसेंट तेल की मिलें बंद पड़ी हैं। वहां पर सरसों की फसल खराब हो गई। इससे हजारों आदमी बेकार हो गये हैं। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया रेपसीड का इम्पोर्ट कर रही है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आप अपने इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट और वहां के उद्योगों का तालमेल बिठावें ताकि ये मिलें भी चल सकें। आप रेपसीड इनको दें। 7.40 रुपये के हिसाब से आप यह दे रहे हैं। तेल के जो भाव हैं इससे भी सस्ता पड़ता है अगर आप यह रेपसीड इन मिलों को दिला दें। इससे वहां के लोगों को काम मिल सकता है।

मेरे दल के एक माननीय सदस्य और बोलने वाले है, इसलिये मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवचरणसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (दूदी) : सभापति महोदय, उद्योग और लघु उद्योगों के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। इनके बारे में मैं यहां पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज खेती पर निर्भर है। जिस देश की 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर हो वह देश गरीब है और गरीब ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि गांवों के अन्दर जो पुराने जमाने के लोग कुटीर उद्योगों के अन्दर लगे हुए थे, उनका जब तक पुनर्स्थापन नहीं किया जाता है तब तक अपने देश के अन्दर लोगों की आर्थिक स्थिति और हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि गांव के अन्दर खेती के काम के अलावा जो लोग छोटे उद्योग-धंधे में हैं, जैसे बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, चमार, मोची, सुनार—ये जो अलग अलग यही धंधे करते हैं, जो गांवों में पुराने जमाने में धंधा करते थे, लेकिन आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में ये बेकार हो गए थे। फिर से ये लोग इन धंधों में दक्षता हासिल नहीं कर सके। दुनियां के दूसरे मुल्क जो अच्छी-अच्छी चीजें पैदा करते थे, वे चीजें हिन्दुस्तान में आकर बिकने लगीं और इन लोगों का धंधा बन्द हो गया और सारी जनता का पूरा भार कृषि पर, खेती पर आ गया। दूसरी ओर अतिवृष्टि, अकाल के कारण देश में गरीबी और बढ़ती गई। मैं यह चाहता हूं कि खेती से हटकर जो पुराने लोग पुराने जमाने के अच्छे कारीगर हैं, जो साधनों के अभाव के कारण पिछड़ गये हैं, कुछ ज्ञान के अभाव से भी पिछड़ गये हैं उन पुराने लोगों को वापस बसाया जाए और उनको साधन देकर इन धंधों को चलाने का मौका दिया जाए।

दूसरा मेरा सुझाव है, मान्यवर, जो देश के अन्दर बड़े-बड़े उद्योग हैं, वे सब के सब पूंजीपतियों के हाथों में हैं। उन्होंने दिल्ली और जयपुर के अन्दर बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर रखी है। ये उद्योग ऐसी जगहों पर स्थापित किए गए हैं जहां पर कि उनको सब तरह की सुविधा उपलब्ध है। जो चीज जहां पर उपलब्ध है, वहां पर वे ही उद्योग लगने चाहिए। मैं आपको इस सम्बन्ध में ट्रैक्टर के कारखाने का उदाहरण दूंगा, सीमेन्ट के कारखाने का उदाहरण दूंगा। ये लोगों ने उन बड़े शहरों में लगाए है जहां पर सम्भावनाएं थीं, मार्केट उपलब्ध था। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अलग-अलग जिलों में जो बड़े शहर हैं, जहां पर कच्चा माल उपलब्ध है, उन्हीं

(श्री रामसिंह विश्नोई)

स्थानों पर ये उद्योग लगने चाहिए। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर यहां पर हिन्दुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनियां को सबसे बढ़िया अच्छी ऊन उपलब्ध है। इसी प्रकार से यहां पर हम पशुओं की काफी संख्या देखते हैं। यहां पर चमड़ा उपलब्ध है। आपको एक बात और बताऊं। आज मद्रास के अन्दर ट्रैक्टर का कारखाना लगाया गया है। हमें कोई एतराज नहीं है। मद्रास भी हमारे देश में है लेकिन वहां पर, पूरी स्टेट के अन्दर जितने ट्रैक्टर हैं किसानों के पास, मैं समझता हूं, उससे ज्यादा हमारे एक ही जिले के अन्दर, जोधपुर जिले के अन्दर है। जब एक जिले के काश्तकार इसकी उपयोगिता को समझते हैं तो यह ट्रैक्टर का कारखाना जोधपुर में लगना चाहिए था। परन्तु यह जोधपुर में नहीं लगाया गया और मद्रास में लगाया गया, जहां से ट्रैक्टर को लाने में हजारों रुपया खर्च हो जाता है। इसलिए यह आपका फर्ज है कि आप दिल्ली के बड़े अधिकारियों से व नेताओं से सम्पर्क करें और इस ट्रैक्टर के कारखाने को जोधपुर में स्थापित कराने की कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो डेयरी का प्रोग्राम चल रहा है, उसके अन्तर्गत पशु आहार का कारखाना भी जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जिले में हो। जहां पर कि लाखों की संख्या में पशु हैं वहां छोटे-छोटे पशु आहार के कारखाने लगने चाहिए।

मैं जोधपुर जिले के लिए, विशेषकर जोधपुर शहर के लिए निवेदन करना चाहूंगा। हाई कोर्ट की बैंच जयपुर आ जाने की वजह से जोधपुर शहर का महत्व कम हुआ है क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ा है। अभी अभी केन्द्रीय सरकार ने एच. एम. टी. का कारखाना राजस्थान में लगाने की घोषणा की है। मेरा सुझाव है कि यह एच. एम. टी. का कारखाना जोधपुर शहर में आप लगाना चाहें तो वह एक उपयुक्त स्थान है। वहां पर लगाने से 15 प्रतिशत सब्सीडी मिल सकती है। यह राजस्थान का बड़ा शहर है। सब तरह से यह उपयुक्त है। सभापति महोदय.......

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

राजस्थान के अन्दर, विशेषकर जोधपुर के अन्दर तिलहन बहुत ज्यादा पैदा होती है। मैं सोचता हूं कि ऐसी जगह जहां 20-25 हजार की आबादी हैं, वहां पर कोई मिल नहीं है। वहां पर मिलें ज्यादा लगानी चाहिए। चमड़े का कारखाना और इसी तरह के छोटे-छोटे उद्योग वहां लगाए जाएं जिससे कि जिलों का बलेन्स बनाया जा सके और वहां पर खेती पर कम से कम भार पड़े।

**श्री सभापति :** श्री खेतसिंह।

**श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़):** सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उनके ऊपर बोलने के पूर्व मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज इण्डस्ट्रियल पोटेन्शल ऑफ राजस्थान नामक यह जो पुस्तिका राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन की तरफ से दी गई है, उसकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान खींचना

(श्री खेतसिंह राठौड़)

चाहूंगा। आज सवेरे ही मुख्य मंत्री महोदय ने कहीं पर यह भाषण दिया है कि वे हिन्दी को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने गत दिनों हिन्दी दिवस के अवसर पर यह कहा था कि हिन्दी राष्ट्र भाषा के साथ साथ राज्य भाषा भी है और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिये। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत अचम्भा हुआ कि हमारे इण्डस्ट्रीज सेक्रेटरी ने राजस्थानी होते हुए भी न मालूम किन कारणों से यह डाइजेस्ट अंग्रेजी में छापा है। यह अगर हिन्दी में आता तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, यह उनके सोचने की बात है, लेकिन मुझे इस बात का दुःख अवश्य है। जहां तक हो सके, विधान सभा के सदस्यों को सारी सामग्री हिन्दी में मिलनी चाहियें।

अब मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता, लूनी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जोधपुर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में से एक है और सरकार ने जिस वक्त कुछ जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा माना, उस वक्त भी सरकार के ध्यान में यह बात थी कि जिस वक्त राजस्थान बना, उस वक्त जोधपुर की एक अहमियत थी, एक हैसियत थी और, सभापति महोदय, यह आपसे भी छुपा हुआ नहीं है कि जोधपुर उन दिनों राजस्थान का दूसरे नम्बर का शहर था। लेकिन धीरे-धीरे वह पिछड़ गया। पाकिस्तान बन जाने के फलस्वरूप जोधपुर किनारे पर आ गया, उस कारण जितना विकास और डवलपमेंट दूसरे शहरों का हुआ, उनके मुकाबले जोधपुर का बहुत कम हुआ, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। आप स्वयं कोटा से हैं। कोटा का कितना डवलपमेंट इन वर्षों में हुआ, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार बीकानेर एक रेगिस्तानी इलाका है, वहां भी लिफ्ट कैनाल आ जाने से वहां के लोगों का भविष्य बनना शुरू हुआ। अजमेर में एक अच्छा कारखाना लग गया, और जयपुर कैपीटल होने के कारण विकसित हो गया, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है।

जिस वक्त मर्जर हुआ, उन दिनों इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया था कि जोधपुर की अहमियत कम नहीं की जायेगी। इसलिये मैं इस मौके पर उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कल ही माननीय मुख्य मंत्री ने दो तीन घोषणाएं की हैं, आप इससे अच्छी तरह से परिचित हैं कि जब जयपुर राजधानी बनाई गई थी, उस वक्त भी यह तय किया गया था कि मुकम्मिल हाई कोर्ट जोधपुर में रखा जायेगा। लेकिन बाद में, न्याय सस्ता और सुलभ हो, और लोगों को आने जाने की दिक्कत कम महसूस हो, इन बातों को ध्यान में रखकर राजस्थान हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित की गई—उस वक्त तत्कालीन सरकार ने भी जोधपुर के निवासियों को यह आश्वासन दिया था कि जोधपुर की अहमियत को कम नहीं किया जायेगा। जोधपुर की अहमियत अब अगर किसी तरह बढ़ सकती है तो औद्योगिक दृष्टि से ही बढ़ सकती है। वहां पर कोई ऐसा उद्योग लगाया जाना चाहिये जिससे वहां के लोगों को, जो आज हजारों

(श्री खेतसिंह राठौड़)

की तादाद में बेकार बैठे हैं, रोजगार मिले और शहर की अहमियत भी बढ़े ।

जोधपुर में अब पानी की कमी भी नहीं रही । कुछ रोज पूर्व ही हमारे मुख्य मंत्री जी ने सिद्धमुख के डाइवर्शन का उद्घाटन किया । उसके बाद जवाई बांध में पानी की कमी कभी नहीं रहने वाली है । लिहाजा इण्डस्ट्रीज के लिये जो दो-तीन चीजें ज्यादा जरूरी हुआ करती हैं, उनके लिहाज से जोधपुर में कोई कमी नहीं रहने वाली है । बिजली की बहुत बड़ी लाइन जोधपुर पहुंच रही है, पानी की कमी अब नहीं रहेगी, जमीन की वहां पर कोई कमी नहीं है, रॉ-मेटीरियल भी ऊन उद्योग की दृष्टि से वहां पर बहुत उपलब्ध है । इसलिये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जोधपुर में उद्योग लगाने की बात को आप प्राथमिकता देंगे ।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एच. एम. टी. की घड़ियां बनाने के कारखाने के लिये आपको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । जोधपुर के कारीगर निश्चित रूप से अपनी एक हैसियत रखते हैं । यदि आप इस कारखाने को जोधपुर में लगायें तो ठीक होगा । आपको ऊन के लिये 7400 और स्पिंडल्स लगाने की भी परमिशन मिल चुकी है । अगर यह कारखाना आप जोधपुर में लगाते हैं, तो रॉ-मेटीरियल ऊन, जो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, का भी उपयोग हो सकेगा और आपको रॉ-मेटीरियल के लिये दूर नहीं जाना पड़ेगा । साथ ही लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा ।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा । जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बार यहां पर यह सवाल उठाया था कि वहां पर जो तेल के लिये खुदाई चल रही थी, उसको न मालूम किन कारणों से रोक दिया गया । हमने उस वक्त भी आपका ध्यान आकर्षित किया था । हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप निश्चित तौर से प्रयास करेंगे तो वहां पर गैस या तेल निकल सकता है, क्योंकि उसके बराबर के बेल्ट में पाकिस्तान में सुई गैस प्राप्त हुई है । तो हमारे यहां भी गैस या पेट्रोल निकल सकता है और उससे न केवल राजस्थान की ही, परन्तु सारे भारत की भी समृद्धि बढ़ेगी । तो इस सम्बन्ध में आप भारत सरकार, और खास तौर से, बहुगुणा साहब से बात करें क्योंकि इससे जैसलमेर ही नहीं, पूरा पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान भी लाभान्वित होगा ।

मैं इस मौके पर यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मुझे मालूम है, आपको तीन-चार सीमेंट के कारखाने खोलने की परमिशन मिल चुकी है । आबू रोड के अन्दर काफी लम्बे अर्से से सीमेंट के कारखाने की मांग है । रॉ-मेटीरियल की वहां पर बहुतायत है । यदि आबू रोड में एक सीमेंट का कारखाना खोला जाता है तो उस कस्बे की और उस जिले की काफी बड़ी समस्या हल होगी । आपका इससे औद्योगिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और आपको रॉ-मेटीरियल के लिये भी कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा । वहां पर रोजगार की समस्या भी दूर हो जायेगी ।

मुझे विश्वास है आप मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे और जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, यह जो पिछड़े इलाके हैं, इन इलाकों के लिये औद्योगिक दृष्टि से

(श्री खेतसिंह राठौड़)
निश्चित तौर से अपने जवाब में कुछ न कुछ घोषणाएं करेंगे जिससे पश्चिमी राजस्थान के लोगों का तसल्ली और सैटिस्फेक्शन हो कि उनकी ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

थोड़ा सा मैं चर्खों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इस उद्योग को आप जितना बढ़ाना चाहें उतना इस एरिया में बढ़ा सकते हैं क्योंकि जितने भी आपने आज तक चर्खे बांटे हैं खादी बोर्ड के मार्फत उनसे वहां के लोगों को काफी काम मिला है। यदि आप इस रेगिस्तानी क्षेत्र, शेरगढ़, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, शिव तहसील के अन्दर लोगों को ज्यादा से ज्यादा चर्खे बांटेंगे तो उद्योग भी बढ़ेगा, वहां पर औरतों को काम भी मिलेगा और आपके खादी उद्योग को भी लाभ प्राप्त होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनन्दन व्यास !

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): सभापतिजी, आज उद्योग की मांग पर बहस है। इसके दो मुद्दे हैं—एक उद्योग और दूसरा ग्रामीण उद्योग। दोनों ही के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

पिछले तीस वर्षों में राजस्थान में जो उद्योगों के बारे में नीति अपनाई गई है उसके परिणामस्वरूप राजस्थान उद्योगों में पिछड़ा रहा। उद्योग विभाग के अधिकारियों का रवैया एक पठान का रहा कि किस तरह उद्योग लगाने वाले को परेशान किया जाये, उसका खून पिया जाये।

सभापति जी, मैसूर से एक उद्योगपति को हमने जालौर में उद्योग लगाने के लिये बुलाया। तीन साल तक वह परेशान होता रहा पर उसको न जमीन मिली, न और कोई सुविधा मिली।

विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीज, जयपुर की जो है उसको आप देखें, वहां पर कितने उद्योग बन्द पड़े हुए हैं। उसका कारण क्या है? जो लोग उद्योग विभाग में बैठे हुए हैं वही लोग इसका कारण हैं। इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लोग उनको कई प्रकार से तंग करते हैं। उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। लेकिन इसके विपरीत आप हरियाणा में जाकर देखें, वहां पर इण्डस्ट्रीज लगायें तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा, गुजरात में इण्डस्ट्री लगायें तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। मैं जालौर और सिरोही जिले से आता हूं। मैं आपको यह कह सकता हूं कि कम से कम दो हजार लोग ऐसे हैं जिनके उद्योग बंगलोर में हैं, मद्रास में हैं और बम्बई में हैं लेकिन वे राजस्थान में उद्योग नहीं लगाते। वे यहां पर लगाने के लिये तत्पर भी हैं लेकिन उद्योग विभाग के अधिकारियों का उनको समर्थन नहीं मिलता, उनका कोई को-ऑपरेशन नहीं मिलता, इसलिए इसको आपको देखना चाहिए और कानून में कोई गलती हो तो उसको ठीक करना चाहिए। मैं आपके सामने दो उदाहरण रखना चाहता हूं। एक फैक्ट्री सिरोही में है और दूसरी पत्थर काटने की जालौर में है। लेकिन वह नहीं लग सकी क्योंकि जमीन का कन्वर्शन नहीं हुआ। आपका जो रूल है, रूल नं. 1 (ए), वह यह कहता है अधिकारी जहां पर तय करेंगे उसी जगह फैक्ट्री लगायी जाएगी। अब आप बताइये कि जहां पर पत्थर मिलता है वहां पर तो

(श्री रघुनन्दन व्यास)

फैक्ट्री नहीं लगती और फैक्ट्री लगती है 25 मील दूर। सिरोही की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। वहां के कलेक्टर ने भी कहा, इण्डस्ट्री ऑफिसर ने भी कहा, खूबचन्द ने सिरोही में फैक्ट्री बना दी, दो लाख रुपया उसका लगा दिया लेकिन जमीन का कन्वर्शन नहीं हुआ। सिरोही की एक फाइल जमीन के कन्वर्शन की काफी अर्से से पड़ी हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर राजस्थान की सरकार राजस्थान के पिछड़ेपन को मिटाना चाहती है तो इस प्रकार की जो आपकी मशीनरी है जो कि उद्योगों के विरोध में काम करती है उसको बदलना पड़ेगा, कानून में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हम उद्योगों का विकास कर सकते हैं। तीस साल तक जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को मिटा सकते हैं साथ ही हम जिसकी प्राप्ति नहीं कर सके हैं उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। पूंजी की हमारे यहां पर कमी नहीं है, उद्योग लगाने वालों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है। कमी केवल इस बात की है कि जो लोग उद्योग विभाग में बैठे हुए हैं वे लोग उद्योगों को पनपाना नहीं चाहते, उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। इसलिए पहले तो उनको ठीक करना पड़ेगा फिर आगे का काम हो सकेगा।

दूसरी बात सीमेन्ट के बारे में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही जिले में दस सीमेन्ट के उद्योग लगाये जा सकते हैं। लोगों ने लाइसेन्स भी लिये लेकिन उनके लाइसेन्स कैन्सिल हो गये। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो माल को खोद करके उसको पहुंचाने के साधन का अभाव है। सड़कों की व्यवस्था नहीं है, माल को पहुंचाने के साधन नहीं हैं, रेलें नहीं हैं। रेलवे वालों ने कोई को-ऑपरेशन नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अहमदाबाद से महसाना तक डबल लाइन है रेलवे की और आबू रोड पहुंचने के लिए केवल चालीस मील का टुकड़ा है। अगर इसको डबल लाइन से जोड़ देते हैं तो उसके माध्यम से अकेले आबू रोड में, जो कि आदिवासी इलाका है, चार या पांच सीमेन्ट फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। इसलिए इतना काम कराना पड़ेगा यानि यातायात की व्यवस्था पर हमको विचार करना पड़ेगा। जब तक आप यह नहीं करते, वहां पर बड़े उद्योग कैसे लगाये जा सकते हैं? इसलिए मैंने दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाया, एक तो अफसरशाही की तरफ और दूसरा यातायात की व्यवस्था की तरफ।

राजस्थान स्टेट मिनरल एण्ड इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन आपने बनाया। मैं समझता हूं इसके माध्यम से जालोर में ग्रेनाइट की फैक्ट्री लगाई गई, वह चलती है। लेकिन ग्रेनाइट वहां मिलता है और फैक्ट्री दूसरी जगह ले जाई जा रही है। उसका प्रोजेक्ट ऑफिसर जोधपुर में रहता है, प्रति सप्ताह वह जालोर जाता है, टी.ए., डी.ए. उठाता है, हजारों का नुकसान होता है। तो नीतिगत परिवर्तन जो होना चाहिए वह यह है कि उद्योग वहां पर लगाये जायं जहां पर भी कच्चा माल मिलता हो। जालोर में ग्रेनाइट मिलता है तो फैक्ट्री भी जालोर में ही लगनी चाहिए। पिन्डवाड़ा

(श्री रघुनन्दन व्यास)

में तांबा प्राप्त होता है, वह खेतड़ी से कई गुना अच्छा है। खेतड़ी का .03 का माल है और पिड़वाड़ा का 1.3 का। कितना अन्तर है यह आप देख सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई योजना भी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप सोचें और किसी तरह से इस समस्या का हल करें तो मैं अपने क्षेत्र के लिए तो कह सकता हूं कि दो-तीन वर्षों में जालौर और सिरोही को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बदल सकते हैं।

जालौर से सुमेरपुर का चालीस मील का टुकड़ा है वहां पर घर-घर में औरतें सूत से कपड़ा बनाती हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलता। अगर गांवों में बिजली लग सके तो घर-घर में फैक्ट्रियां लगायी जा सकती हैं। हमको साधन नहीं मिलते इसलिए उद्योगों का विकास नहीं होता। आपने कार्पोरेशन तो बना दिये, राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लेकिन उनके माध्यम से कितना विकास हुआ, कितनी योजनाएं बनीं ? किसको आपने पैसा दिया ? जिसने उसका दुरुपयोग किया और पैसों का गबन किया उसी को पैसा दिया गया। ऐसा इसलिए भी हुआ कि समय पर लोगों को पैसा नहीं दिया, ऐसे लोगों को दिया जिसके लिये कहने कोई आये, उनको दिलाने के लिये कोई आये, उनकी शक्ल देखकर निर्णय कर दिया। इस सम्बन्ध में मैं यह सोचता हूं कि अलग-अलग दुकानदारियों की जरूरत नहीं है, केवल एक ही एजेन्सी होनी चाहिए। उद्योग लगाने वालों को प्रोत्साहन दिया गया तो उसका विकास हो सकेगा।

अब मैं छोटे-छोटे उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। सुमेरपुर और शिवगंज में औरतें मैले और फटे-पुराने कपड़ों से कई चीजें तैयार करती हैं और मेलों में और आदिवासी एरिया में बेचती हैं। ऑफिसर लोगों ने ही इनको रास्ते बताये होंगे कि सेल्स टैक्स की चोरियां किस तरह से होती हैं। 15 रु. तक रेडीमेड कपड़े पर सेल्स टैक्स की छूट दी गई थी वह खत्म कर दी गई, और उसका नतीजा यह हुआ कि दो हजार लोग धन्धे से हाथ धो बैठे। पांच रुपये के लोभ के पीछे हजारों लोग बेकार हो गये। इसलिए मेरा उद्योग मन्त्री जी से निवेदन है कि वे वित्त मन्त्रीजी से बात करके जो आपने 15 रु. तक के कपड़े पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म की है उसको रिवाइज करवा सकें तो सुमेरपुर, शिवगंज जालौर और पाली में जो लोगों को और औरतों को मजदूरी मिलती थी, वह उनको मिलने लगेगी और उनको लाभ मिलेगा। यह मेरा निवेदन है।

दूसरी बात उन उद्योग के बारे में है। जहां पर यह पैदा होता है वहीं पर इसकी फैक्ट्री लगायी जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी दो-चार मिनट में समाप्त कर कर रहा हूं।

जालौर में चूना मिलता है और उससे चीनी मिट्टी के बर्तन बनाये जाते हैं, उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

भाषा का विरोध तो कर दिया, लेकिन किताबों का ग्रवेक्षण करते वक्त आपको यह ध्यान देना चाहिए कि गांवों के अन्दर भी बड़े-बड़े कुशल कारीगर बैठे हुए हैं। उनसे भी मिलना चाहिए और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए साथ ही उद्योग लगाने वालों को किस प्रकार से प्रोत्साहन मिल सकता है इस ओर ध्यान देना चाहिए।

जोधपुर को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिला। हाई कोर्ट की बैंच भी जयपुर आ गई। मुझे उससे कोई मोह नहीं लेकिन जोधपुर, जालोर सिरोही, पाली में भी उद्योग लगाये जाने चाहिए और जोधपुर के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि वहां बड़े उद्योग लगाये जायें।

सांचोर के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा। ऊनी कंबल सांचोर में बनते हैं, ऊन की जो चीजें सांचोर में बनती हैं, उनका इस पुस्तिका में नाम नहीं। वहां की जानकारी हम किस आधार पर ले रहे हैं, इस बारे में हमने नहीं सोचा। यह जो रूरल डवलपमेंट कर रहे हैं यह तभी होगा जब सुथार, कुम्हार, ढांची और लुहार का आप ध्यान रखेंगे। बाकी जिन्होंने लाइसेंस ले लिया उनके आंकड़े पेश कर दिए, इससे काम चलने वाला नहीं है

जालोर जिले में गहरा कम से कम 400 वर्गमील में पैदा होता है। सारा माल बाहर जाता है। लोग कारखाने लगाने के लिए तैयार हैं। उद्योग विभाग उनके साथ सहयोग करे ताकि उपेक्षित जिलों में उद्योग लग सकें। राजस्थान के साथ भारत सरकार द्वारा जो अन्याय हुआ है उसका मुख्य कारण हमारे अधिकारी हैं। उनको ठीक करते हुए भारत सरकार को विवश करें कि राजस्थान में कुछ सीमेंट के कारखाने दे कुछ आइरन और के कारखाने लगाये। तेल का कारखाना जो सवाई माधोपुर में लगने वाला था, वह मथुरा में चला गया। धौलपुर का कांच का कारखाना बेकार पड़ा है। सारी स्थिति का विश्लेषण करते हुए आप भारत सरकार को विवश करें कि राज्य सरकार को अधिक धन दे ताकि राजस्थान महाराष्ट्र और बंगाल की तुलना में आ सके। जितनी पूंजी वहां लगी है उतनी राजस्थान में लगनी चाहिए, इसके लिए भारत सरकार को विवश करें तभी राजस्थान के औद्योगिक पिछड़ेपन को मिटा सकेंगे।

सहकारिता के नाम पर सारे कार्यक्रम में कहीं विवरण नहीं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उसमें मूलचूल परिवर्तन करने के बाद गांवों का उद्धार हो सकता है और गांवों में बनी हुई सहकारी औद्योगिक इकाइयां सुधर सकती हैं अन्यथा करोड़ों रुपयों की बरबादी होगी और हम जिस बजट को लेकर चले हैं उससे जितना धन खर्च होगा उससे उतनी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

अंत में निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा रखी गई मांगों में इन बातों का समावेश हो जाय, उद्योग विभाग और अधिकारीगण ठीक हो जाय तो हम दो-तीन साल में राजस्थान के

# Page No 70

(७०)



(श्री रघुनन्दन व्यास) :

औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर कर सकेंगे और जो गतिरोध आया हुआ है उसको मिटा सकेंगे। इस विश्वास के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण !

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज !

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सभापतिजी, उद्योग पर चल रही चर्चा के दौरान मैं सदन के साथियों को बताना चाहता हूं कि उद्योग व खनिज दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए रॉ मैटीरियल हम जमीनों से लेते हैं इसलिए उद्योग का खनिज से सीधा सम्बन्ध है। जब हम उद्योग की समस्या पर ध्यान देते हैं तो खनिज की समस्याओं को भी सामने रखना पड़ेगा। मैं मकराना संगमरमर के उद्योग के छोटे कारखानों के लिए कहना चाहता हूं, राज्य सरकार ने करोड़ों रुपयों का लोन दिया उसके बाद वहां कारखाने लगे लेकिन उनको बिजली नहीं दी जा रही है। जब पिछली बार जोधपुर में बिजली बोर्ड की मीटिंग हुई तो उसमें यह कहा गया कि जो प्रायोरिटीज पर आयेंगे उनको देंगे। प्रायोरिटी इस प्रकार की निश्चित की जाएगी कि जो लोग ट्रांसफार्मर्स की कीमत दे सकते हैं 30, 40 या 50 हजार उनको हम प्रायोरिटी से देंगे। मैने वहां पर भी निवेदन किया और यहां पर भी करता हूं कि आर. एफ. सी. से जो मार्बल औद्योगिक इकाइयों को लोन दिया गया, उन्होंने कारखाने खड़े कर लिए। वे अब ट्रांसफार्मर्स के लिए 30-40 हजार रुपए कहां से लायें? उनको मालूम नहीं था कि हमें इस लोन के अलावा बिजली लेने के लिए कुछ और, 40-50 हजार रुपए की मांग अलग से करनी चाहिए थी। इसलिए आप बिजली बोर्ड को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के आदेश दें ताकि उन लोगों को लोन मिले नहीं तो ऐसी इकाइयों के साथ बड़ा अत्याचार होगा। वे उत्पादन शुरू नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे कारखाने, जिनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है, तब तक इन्तजार करते रहें तो यह ठीक नहीं होगा। मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में अपने विचार रखे थे कि उनको बिजली की जरूरत है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बिजली बोर्ड को कोई न कोई सुविधा देनी चाहिए वरना नतीजा यह होगा कि सरकार की दी हुई पूंजी से बने कारखाने घाटे में चले जायेंगे और लोन की वापसी नहीं होगी।

इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो संगमरमर उद्योग है उसकी बड़ी दयनीय हालत है। एक तरफ तो बिजली कारखानों को मिली या नहीं, उसके अलावा जो रॉ मैटीरियल है वह अधिक वर्षा के कारण बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वहां एक कम्पटीशन सा है कि इटली से लाई हुई दो मशीनें हैं, जिससे लोगों को ग्लैमर हो गया है कि उन्हीं फैक्ट्रीज से माल चिरायें। जब उत्पादन कम हो रहा है, खानें पानी की डूब में आ गई है, देश के सभी अखबारों ने सहानुभूति व्यक्त की है, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत व टाइम्स ऑफ इन्डिया सभी ने हाइलाइट किया है, उसके बावजूद सरकार की ओर से क्या करने जा रहे हैं, यह पता नहीं।

(श्री अब्दुल अजीज)

कम से कम 100 कारखाने, जिनको आप द्वारा लोन दिया हुआ है, चल रहे हैं। आर. एम. आई. डी. सी. ने 100 कारखानों की योजना बना रखी है और जो मौजूदा 300 कारखाने हैं सभी हमारी खानों पर आधारित हैं। अगर आप उनको चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले रॉ-मैटीरियल उपलब्ध कराना पड़ेगा। आज कारखाने बन्द होने जा रहे हैं। खानों से जो पत्थर निकलता है उसको दो मशीनों, जो विदेशों से आई हैं, से चिराना ग्राहक पसन्द करते हैं। छोटे छोटे कारखानों में आज माल उपलब्ध नहीं है। पानी वाली समस्या की ओर सरकार ने यदि ध्यान नहीं दिया तो वहां कारखाने बिल्कुल बन्द हो जायेंगे, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी और आपकी आमदनी नहीं होगी। फिर भी अभी तक सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी हालांकि कुछ ऐसे कारखाने होते हैं जिनसे सरकार को करोड़ों की आमदनी होती है।

आदमी जब भूखा होता है तो कई बातें करने पर उतारू होता है। ऐसी हालत से बचने के लिए सरकार को सोचना चाहिए ताकि कहीं खून खराबा न हो। वरना सरकार उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। मन्त्री मन्डल को इस पर विचार करना चाहिये।

जनता सरकार ने एक नया तोहफा मकराना के लोगों को दिया। 7 प्रतिशत टैक्स का 10 प्रतिशत कर दिया। फिर उस उद्योग को पनपने का मौका कैसे मिलेगा? सर्वश्री भंवरलाल व भार्गव, जो सबसे पहले बोले, ने मूर्ति कलाकारों के बारे बताया। मैं भी जानता हूं कि मूर्तिकार अपने घरों में काम करते हैं। भिण्डों के रास्ते में देखेंगे कि लोगों के काम करने का तरीका अस्तव्यस्त है। यह सही है कि मूर्तिकला का यहां पर काम होता है और करीब एक हजार लोग इससे यहां पर अपना पेट पालते हैं। यह लोग वहीं रहते हैं और वहीं पर अपनी मूर्तियां बनाते हैं। लेकिन आज जो यह एक हजार आदमी अपना पेट पाल रहे हैं अगर इनके पास मकराने का रॉ मैटीरियल नहीं आया तो यह लोग अपना पेट कैसे पालेंगे? इसकी तो आप थोड़ी फिक्र कीजिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर वास्तविक रूप से सरकार ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां पर आलरेडी उद्योग रॉमैटीरियल उपलब्ध होने की वजह से चल रहे हैं उनको पनपाना चाहती है तो उन्हें आपको फैसेलिटीज देनी पड़ेंगी। अन्यथा आज जो मकराने के बेचारे उद्योग वाले लोगों को दिक्कत हो रही है उससे मुझे डर है कि कहीं वहां पर हड़ताल वगैरह नहीं हो जाय। हो सकता है वहां पर खून खराबा की भी नौबत आ जाये। मैंने कई बार इस सदन में मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। आज भी जब उद्योग की मांग चल रही है मैं बार-बार अनुरोध करता हूं कि आपने यह जो 7 पर्सेन्ट से बढ़ाकर 10 पर्सेन्ट टैक्स किया है और उसको भी आपने अनुमानित 12 प्रतिशत तक कर दिया है, उसको आप हटाइये और वहां के लोगों को राहत दीजिये। मेरा जनता पार्टी की सरकार से बार बार यह अनुरोध है कि खुदा के वास्ते आप वहां के उद्योगों को पनपने दीजिये अन्यथा वहां पर कई उद्योग बन्द हो जायेंगे और इससे एक तरफ वहां पर लोग बेकार हो जायेंगे और दूसरी तरफ प्रोडक्शन भी बन्द हो जायेगा। तो यह जो जनता पार्टी की

(श्री अब्दुल अजीज)

सरकार अपने को कमजोर वर्ग का हामी कहती है इस ने पहले ही बजट में इस प्रकार का तोहफा बजट में टैक्स लगा कर दिया, इसलिए आप इसकी ओर ध्यान दीजिये।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां नागौर जिले में कुचामन एक बड़ा कस्बा है जहां पर कि एक लघु उद्योग बन्दूकों के ऊपर की टोपी लगती है उसको बनाने का है। उन लोगों को बन्दूकिये कहते हैं। यह टोपी बनायी जाती है वह आर्मामेंट्स में काम आती है लेकिन पता नहीं किन कारणों से यह लघु उद्योग अब बन्द हो गया है। सभापति महोदय वह बन्दूकिये एक माइनोरिटी क्लास के लोग हैं इसलिये इनकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है सभापति महोदय, यह लोग चापें भी बनाते हैं। ऐसे लोग सैकड़ों की तादाद में हैं जो चापें बनाकर अपना पेट पालते हैं। उनको भी राज्य सरकार को मदद देने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, बन्दूकिये लोगों का काम भी लघु उद्योगों में आता है। मेरी राज्य सरकार से यह गुजारिश है कि उनकी ओर भी विशेष तौर से ध्यान दिया जाय।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि राज्य सरकार हमारे यहां पर जो सीमेन्ट का कोटा निर्धारित करती है वह हमें नागौर से मिलता है। जिस प्रकार शक्कर का वितरण होता है उसी तरह सीमेन्ट का वितरण भी राज्य सरकार दुकानों से कराती है। उद्योग विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं वह इसको डील करते हैं। लेकिन शक्कर और सीमेन्ट के वितरण में बहुत फर्क है। अगर एक व्यक्ति को आप सीमेन्ट दे देते हैं तो आठ-दस बोरी से तो काम चलने वाला है नहीं क्योंकि अगर किसी उद्योग का फाउन्डेशन हमारे मकराने में लगाया जाता है तो उसमें ही सौ बोरी तक सीमेन्ट की लग जाती हैं। आठ दस बोरी से क्या फायदा होगा? उससे तो कुछ काम नहीं चलने वाला है। अगर कभी कोई खान में सीमेन्ट की जरूरत भी पड़े तो सीमेन्ट पूरी चाहिये। आपको उन्हें लम्पसम में सीमेन्ट देनी चाहिये। जब कारखाने के फाउन्डेशन में ही सौ 150 बोरी लग जाती हैं और दस बोरी देकर चुप हो जाओ तो बेकार है। उससे कारखाना नहीं बन सकता है और दी हुई सीमेन्ट की दस बोरी भी बेकार हो जाती हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि आप कलेक्टर को और प्रोजेक्ट ऑफिसर नागौर को यह आदेश देवें कि मकराना में जो उद्योग लगाये जाते हैं उन्हें पूरी सीमेन्ट दी जाय ताकि वहां कारखाने लग सकें।

सभापति महोदय एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे नागौर में कई छोटे-छोटे लोहे के लघु उद्योग हैं जिनमें लोग कैंची, चाकू, सन्डासी वगैरह बहुत सुन्दर बनाते हैं जो कि हमारे लोगों के रोजाना काम में आने वाली चीजें हैं। राज्य सरकार को चाहिये कि उनकी ओर भी ध्यान दे। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री परसराम मदेरणा।

**श्री परसराम मदेरणा** (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की

(श्री परसराम मदेरणा)
प्रसन्नता है कि आज राजस्थान का जो उद्योग विभाग है वह एक ऐसे मन्त्री के पास है जो कि सर्वोदयी विचारधारा के उपासक है, सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी के बजट भाषण के अनुसार ऐसा संकेत मिलता है कि जनता पार्टी की सरकार ग्रामीण उद्योग के विकास की ओर विशेष कदम उठाने जा रही है। जैसी कि यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में पिछली सरकार की चर्चा की, हो सकता है पहले कहीं पर कमियां रही हों लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज के मॉडर्न युग में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि हम जो काम करेंगे वह सही होगा और उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। यहां पर बार-बार यह कहने से, बार-बार यह दोहराने से कि कांग्रेस सरकार ने यह गलतियां की कोई विशेष लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस सरकार ने क्या किया उसे तो आप जाने दीजिये। आपको अब अवसर मिला है। अब आप किस प्रकार से काम करते हैं यह देखने की बात है। सिर्फ कांग्रेस की आलोचना करने से ही कोई आपका पिण्ड छुट जाय वह बात नहीं। आपका यों तो पिण्ड छूटने वाला नहीं है। हम सभी को मिलकर राजस्थान का विकास करना है। बजट भाषण में वित्त मन्त्री जी ने इस बात का उल्लेख किया है :

"अधिकाधिक जनसंख्या गरीबी के रसातल में डूब गई और सामने रह गये विदेशी छाप समाजवाद के थोथे निष्क्रिय नारे तथा पाश्चात्य पूंजीवाद की अनुकृति स्वरूप कुछ पूंजी पृथुल, श्रमिक शोषक, गरीबी के समुद्र में थिरकते हुए बड़े उद्योगों के दैत्याकार ढांचे।"

वित्त मन्त्री जी ने जो यह बात कही, मेरा ख्याल है वित्त मन्त्री जी का शायद बड़े-बड़े उद्योगों की तरफ इशारा होगा, जैसे भारी उद्योग और बिजली के उद्योग वगैरह, जो बड़े-बड़े कारखाने और उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में लगाये गये हैं। हो सकता है कि जनता पार्टी की नीति बड़े-बड़े उद्योग लगाने की नहीं हो पर यह बात स्पष्ट है कि आज हम आत्म-निर्भरता के स्तर पर आ गये हैं। अगर भारी उद्योग नहीं लगाये जाते तो हम आत्म निर्भर नहीं हो सकते थे। इसके साथ यह भी सही है कि छोटे उद्योग भी लगने चाहिये। उनके लिये भी लोहा इस्पात, रॉ-मैटीरियल मशीनरी इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उसके बिना नहीं लग सकते हैं। आप कोई भी उद्योग बिना रॉ-मैटीरियल की अवेलेबिलिटी और बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के नहीं लगा सकते। कई दूसरी ऐसी आवश्यकतायें होती हैं जिनके बिना उद्योग चाहे बड़ा हो या छोटा हो नहीं लगा सकते हैं।

सभापति महोदय, आज आर.एम.आई.डी.सी. की तरफ से हमें एक "डिस्ट्रिक्ट-वाइज इन्डस्ट्रियल पोटेंशियलिटीज ऑफ राजस्थान" पुस्तिका डिस्ट्रिब्यूट की गई है। उसके लिये मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। कहां-कहां किस-किस उद्योग की पोटेन्शियलिटीज हैं यह उसमें बताया गया है। उन्होंने इसका सर्वे करके बताया है और इसको माननीय सदस्यों को प्रस्तुत किया है। इसमें यह भी बतायें कि कहां-कहां किस-किस उद्योग के लिये रॉ-मैटीरियल

(श्री परसराम मदेरणा)
और इन्फ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, कहां पर मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री लगा सकते हैं, कहां पर एग्रो इन्डस्ट्रीज बेस्ड इन्डस्ट्रीज लगा सकते हैं। और उद्योग लगाने की सम्भावनायें हैं तो कोई उद्योग-पति या इन्टरप्रिन्योर जो उस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिये यह पुस्तिका बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।

सभापति महोदय, कहीं पर भी उद्योग लगाने के लिये पहले वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर देखे जाते हैं। उसके बाद पूंजी का विनियोजन किया जाता है। वहां पर यह भी देखा जाता है कि पानी की, बिजली की, परिवहन की कैसी फैसेलिटीज है। इसके अलावा आप अगर यह चाहें कि रातों रात कोई बड़ी इन्डस्ट्री लग जाय तो नहीं लग सकती है और न ही वहां पर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपका अप्रोच जो है वह रियलीस्टक अप्रोच होना चाहिये। अगर वह नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता हूं कि आप उद्योगों का विकास यहां पर कर सकेंगे। इसके लिए पहले आपको निश्चित सर्वे कराना पड़ेगा निश्चित सर्वेक्षण होने पर ही किसी उद्योग को लगाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये।

वन विन्डो योजना के सम्बन्ध में जो कुछ बॉटलनेक्स हैं उनका समाधान करना चाहिये। कई उद्यमी जाते हैं, लेकिन उनको शेड्स नहीं मिलते हैं। उनको शेड्स मिलने चाहिये। जितने शेड्स की जरूरत है उतने शेड्स नहीं बन पाये हैं काफी कोशिश के बाद भी। इसके अलावा पानी, भूमि, बिजली और वित्तीय सहायता उनको मिलनी चाहिये और समय पर ही उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, कृषि के बाद में सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वह है उद्योग। उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगें। लघु उद्योग अधिक से अधिक लगें तो अधिक से अधिक बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। कम से कम पूंजी से उद्योग लगा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकें तो बेरोजगारी को दूर करने के लिये यह अधिक उपयुक्त है। इसके साथ ही उन्हीं चीजों का उत्पादन होना चाहिये जिनकी कि आवश्यकता है। राजस्थान के एक भूभाग में एक चीज उपलब्ध हो सकती है, दूसरी जगह दूसरी चीज उपलब्ध हो सकती है। दूसरे भागों में उन चीजों की आवश्यकता है। कुछ चीजें विदेशों में भी भेजी जा सकती हैं। राजस्थान में हस्तकला और दस्तकारी का काम होता है, इससे विदेशी मुद्रा अर्न कर रहे हैं। वहां के मार्केटस का और भी हमें पता लगाना चाहिये। थोड़े दिनों पहले अखबारों में पढ़ा था कि अमेरिका और वेस्ट यूरापियन देशों को रेडीमेड गार्मेन्ट्स का निर्यात होता था अब उन देशों ने उसको लेना बन्द कर दिया। इससे करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की कमी हो गयी। साझा बाजार के देशों और भारत सरकार के बीच बातचीत चल रही है, उसका क्या परिणाम निकला है? राजस्थान के काफी लोगों पर, उनकी रोजी-रोटी पर इसका असर पड़ेगा और बेरोजगार हो सकते हैं। रेडीमेड गार्मेन्ट्स में जितने भी छपाई के कपड़े हैं उन छपाई के कपड़ों की ज्यादा मांग

(श्री परसराम मदेरणा)
भी विदेशों में है। यह छोटा उद्योग है लेकिन इसकी मांग विदेशों में भी है।

जहां तक वर्तमान सरकार का प्रश्न है, हमने गलतियां कीं यह हो सकता है लेकिन इण्डस्ट्रियल रिजोल्युशन गवर्नमेन्ट ग्रॉफ इण्डिया का सन् 1956 का है। भारत सरकार ने यह कहा कि रिजोल्यूशन बिलकुल फूल प्रूफ है ग्रौर इसमें किसी प्रकार के चेन्जेज की ग्रावश्यकता नहीं है। जनता सरकार की ग्राथिक नीति क्या होगी, पार्टी ने इसके लिए एक पैनल बिठाया है। वह उस पर विचार कर रहा है। विचार करने के बाद फिर देश की ग्राथिक स्थिति क्या होगी, वह इस सैशन में रखना नहीं चाहते हैं। यह जरूर कहा है कि छोटे उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए एरिया मार्क कर देंगे। इस प्रकार उनका सोचना है। नीति ग्रभी ग्रस्पष्ट है।

बेरोजगारी की समस्या है। एजूकेटेड ग्रनएम्पलॉयमेंट की समस्या है, उसके साथ साथ ग्रनएजूकेटेड ग्रनएम्पलॉयमेन्ट की भी समस्या है। एजूकेटेड एम्पलायमेन्ट के बारे में ग्रापने ग्रपने भाषण के 28 वे पैरे में उल्लेख किया है ग्रापने कहा है "राज्य सरकार ने एक विशेष योजना बनाने का कार्य हाथ में लिया है जिससे शिक्षित उद्यमियों को ग्रौद्योगिक इकाइयां स्थापित कर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा" क्या योजना है? उद्योग मन्त्री जी से यह ग्रपेक्षा करता हूं वह बतावें कि यह क्या योजना है। शिक्षित उद्यमी कौन होंगे? शिक्षित उद्यमी किनको मानेंगे? बड़े बड़े बनिये हैं? उनके लिए क्या है? या जो इन्जिनियर वगैरह हैं उनको छोटे उद्योगों में रोजगार देकर उत्पादन बढ़ाने की बात सोचते हैं?

कृषि के बाद में सबसे ज्यादा जिससे लोगों को रोजी मिल रही है, जीविकोपार्जन उनका हो रहा है वह है हाथकर्घा उद्योग। हाथ कर्घा उद्योग के सम्बन्ध में उद्योग मन्त्री जी की नीति स्पष्ट हो। मुझे ऐसा ग्राभास मिल रहा है कि जनता सरकार हाथकर्घा उद्योग के सम्बन्ध में ग्रपने रवैये में परिवर्तन ला रही है। ढीला रवैया दृष्टिगोचर हो रहा है। हाथ कर्घा उद्योग 20 सूत्री कार्यक्रम का एक मुख्य ग्रंग था, इसके लिए बोर्ड बैठाया गया था। ग्रापके जो दूसरे कलीग हैं, कृषि मन्त्री जी, वह उसके ग्रध्यक्ष थे। कॉमर्शियल बैंकों ने कर्जा दिया था। कुछ इकाइयों को स्थापित किया गया। बड़ी संख्या में, हजारों लोग इसमें लगे हुए हैं। 1 लाख से ग्रधिक लोग, जैसा सर्वे किया गया है, इसमें लगे हुए हैं। हाथकर्घा उद्योग को गति देनी है तो कॉमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंकों ने जो कर्जा देना प्रारम्भ किया था उसको चालू रखा जाय। लेकिन उनका जो कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए उसमें बहुत बड़ी कमी ग्रा गई है। उत्पादित माल है; उसकी कहां खपत होगी। यह सोचा गया था। ग्रागे भी प्रयास करने की ग्रावश्यकता है। इसमें ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है। कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, हाथ कर्घा उद्योग, चाहे चर्म के ग्राधार पर उद्योग हो, एक तो माल की खपत कहां हो सकती है, इसका ध्यान रख कर रोजमर्रा की चीजें उत्पादित करें ताकि लोगों

(श्री परसराम मदेरणा)

को मिनिमम स्टेण्डर्ड की चीजें उपलब्ध करा सकें। किसी पूंजी का विनियोजन या विनियोग हो, उसमें कम से कम पूंजी में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, प्रोडक्टिविटी बराबर बनी रहे यह तब सम्भव है जब अधिक लोग पूरा सहयोग दें। किसी भी सरकार की औद्योगिक नीति श्रम नीति से अलग नहीं हो सकती है। हम विकास की दर बढ़ाना चाहते है तो हमें उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के साथ हम श्रमिकों को तभी संतोष दे सकेंगे जब उनको ज्यादा से ज्यादा वेजेज उपलब्ध करा सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्रमिकों की भी भागीदारी की बात सोची गई थी, वह इसलिए सोची गई थी। मेरा निवेदन है कि राजस्थान और देश के अन्दर इन लोगों की नीचे से लेकर ऊपर तक भागीदारी हो। अभी आपने जो कुछ भी मेनेजमेंट और लेबर के बीच में समझौता किया है यह अच्छी बात है क्योंकि बिना औद्योगिक शांति के देश का उत्पादन और राजस्थान में उद्योगों का उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

जहां तक मेरे कट-मोशन का प्रश्न है मैंने पश्चिमी राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि पर आधारित उद्योगों की सम्भावनायें जोधपुर जिले में हैं। हमारे यहां पर प्याज बहुत अधिक मात्रा में होता है जो कि दूसरे प्रदेशों को निर्यात किया जाता है। प्याज बाहर भी निर्यात होता था जो कि बन्द कर दिया गया है। कोई उद्योग इस पर आधारित हम वहां पर लगा सकते हैं। इसी तरह से मिर्ची का उद्योग भी वहां पर लग सकता है।

दूसरा उद्योग जिसका असर रोजगार पर अधिक नहीं पड़ेगा लेकिन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा वह है गम उद्योग। ग्वार वहां अधिकाधिक पैदा होती है। इससे गम पैदा किया जाता है। मेरा गम उद्योग स्थापित करने का प्रयास रहा है 1967 से मरुस्थल के इलाके में जो सबसे गरीब आदमी है वह बाजरा, ग्वार और मोठ पैदा करता है। ग्वार डाइजेस्टेबल नहीं है और नतीजा यह होता है कि बेकार जाती है इसलिए गम फैक्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगवाने की सम्भावनाओं को एक्सप्लोर किया जाना चाहिये।

ऊन पर बेस्ड इन्डस्ट्री के ऊपर मेरे से पूर्ववक्ताओं ने काफी कह दिया है। गलीचा बनाने के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए कि आपने बहुत बड़ी बात कही और बहुत डींग हांकी थी कि राजस्थान में 45 पर्सेन्ट टोटल वूल का प्रोडक्शन होता है। हम गलीचे का उत्पादन करेंगे और ऊन के ऊपर आधारित कारखाने लगायेंगे। इस उद्योग को पनपाने से पश्चिमी राजस्थान और खास तौर से राजस्थान विकास की ओर द्रुत गति से चलेगा। मैं समझता हूं कि इसमें दस या पन्द्रह प्रशिक्षण केन्द्र खोलने से आप हाथी की चाल से चलेंगे या चींटी की चाल से चलेंगे पता नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण केन्द्र खोलें ताकि यह उद्योग ज्यादा से ज्यादा पनप सके।

कई स्थानों पर फॉरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्री लगने की भी बहुत सम्भावनायें हैं और वह लगनी चाहिये। कई राज्यों ने लगायी भी हैं। जैसे कागज की मिल है। लकड़ी के उद्योग भी लगाये जा सकते हैं। उन

(श्री परसराम मदेरणा)

इलाकों में फोरेस्ट बेस्ड कारखाने लगने से कुछ लोगों को लकड़ियां काटने का और दूसरा काम मिल सकता है। इससे लोगों को रोजगार की सम्भावनायें उपलब्ध हो सकती हैं।

इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों के विकास की जो राज्य सरकार की नीति है और जिसका उल्लेख आपने इस विज्ञप्ति में किया है हालांकि मैं इस विज्ञप्ति को ज्यादा नहीं पढ़ सका हूं, तो भी यहां पर सम्भावनायें हैं और उन सम्भावनाओं का सर्वे करके जो भी उद्योगपति आते हैं उनको जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वह कराई जानी चाहिए। पूर्व में सरकार ने किन किन लोगों को क्या क्या सहायता दी? और अगर किसी को सहायता गलत दी है तो इन्क्वायरी करके सजा दे दीजिए। उन्होंने कोई जुल्म कर दिया है, जैसा कि भारत सरकार के उद्योग मंत्री जी मानते हैं कि ऐसे लोग, जो चोर बाजारी करते हैं, हैंग कर दिये जायें। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जिस जिस ने अपराध किया है और जिस जिस ने भ्रष्टाचार किया है उसको आप कड़ी से कड़ी सजा दें। तो सारा मामला आपके हाथ में आ गया है, आप इनवेस्टीगेशन्स करा लीजिए लेकिन उसके अलावा राजस्थान में आप ऐसा वातावरण बनाइये ताकि लोग यहां पर अपनी पूंजी लगा सकें। पूंजी तो हमारे पास सीमित है चाहे बैंक के पास हो, चाहे राज्य वित्त निगम के पास हो या आर. एम. आई. डी. सी. के पास हो या कामर्शियल बैंक के पास हो। लिमिटेड पूंजी से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके इस संबंध में सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। जो हमारे सामने एन्टरप्रिन्योर्स आते हैं उनको टेक्निकल एडवाइस देने के लिए आर. एम. आई डी.सी. ने सैल खोल रखा है—इन सब का सामंजस्य करके जो भी उद्योग से संबंधित विभाग हैं उनका सामन्जस्य होना चाहिए ताकि बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके और राजस्थान को आगे बढ़ा सकें।

श्री सभापति : श्री मंजूर अली।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रणजीतसिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल।

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में झालावाड़ जिला औद्योगिक दृष्टि से सबसे उपेक्षित जिला रहा है। राजस्थान में सारे ही जिलों के अन्दर उद्योग पनपे हैं लेकिन झालावाड़ केवल इसलिए उपेक्षित जिला रहा कि झालावाड़ जिले से सदा से विपक्षी लोग चुनकर आये हैं। पिछले दिनों भारत सरकार की एक योजना आई है कि भारत सरकार राजस्थान के अन्दर एक अफीम का

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

कारखाना लगायेगी। पिछले दिनों भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने, भारत सरकार के रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने इस बात की चर्चा की थी कि वह कारखाना कोटा के अन्दर लगाया जायेगा। राजस्थान के अन्दर अफीम के पौधों के ऊपर 4 पर्सेन्ट का सेल्स टैक्स था और यही 4 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स मध्य प्रदेश के अन्दर है। अभी पिछले दिनों राजस्थान की सरकार ने अफीम के डोडों के ऊपर 4 पर्सेन्ट और 7 पर्सेन्ट सेल्स टैक्स कर दिया है। याने बजाय 4 पर्सेन्ट के वह सेल्स टैक्स 11 पर्सेन्ट कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि सारे संसार के अन्दर जो अफीम तैयार होती है उसमें सबसे ऊंची किस्म की अफीम राजस्थान में केवल झालावाड़ जिले के अन्दर पैदा की जाती है। यह अपने आपमें रिकार्ड है कि झालावाड़ जिले की अफीम सारे विश्व में ऊंची किस्म की अफीम मानी जाती है। झालावाड़ जिले में अफीम की करोड़ों रुपये की पैदावार होती है। झालावाड़ और कोटा तहसील के काश्तकारों की जीविका का खास साधन अफीम की पैदावार है। अफीम की कृषि का अब तक जो व्यापार होता था उसमें भारत सरकार अफीम कलेक्ट करती है लेकिन जो अफीम के डोडे थे वह दूसरे व्यापारी भारत सरकार की परमिट से ले लिया करते थे। भारत सरकार की इस ओर दृष्टि गयी और भारत सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि इस प्रकार का कारखाना हमको राजस्थान में डालना चाहिए। मध्यप्रदेश वाले हालांकि इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि यह कारखाना मध्यप्रदेश में लगाया जाये लेकिन राजस्थान की सरकार इस बात को चाहती थी कि यह कारखाना राजस्थान में लगे। जैसी कि रिपोर्ट है उसके आधार पर यह पता लगा है कि आज से 10 साल पहले सर्वे हुआ था उस समय इस कारखाने की स्कीम 33 करोड़ रुपये की थी। आज मंहगाई की बदली हुई परिस्थितियों में वह कारखाना 70-80 करोड़ रुपये का होगा क्योंकि राजस्थान में टैक्स बढ़ा दिया गया है और मध्यप्रदेश में वही की वही रेट सेल्स टैक्स की है। इसके बारे में मैं भारत सरकार के कमिश्नर से मिला था और उनको कहा था कि यह कारखाना कोटा में लगायें, झालावाड़ में लगायें या यह कारखाना किसी रेल्वे स्टेशन भवानी मण्डी या जहां भी सूट करता है वहां लगायें। असिस्टेंट कमिश्नर गवालियर ने मुझे बताया कि अगर हम राजस्थान के अन्दर कारखाना अफीम का लगाते हैं तो राजस्थान सरकार को बीस लाख रुपया रॉयल्टी का देना पड़ेगा। उनका डिपार्टमेंट एक कार्माशियल डिपार्टमेंट है। उस दृष्टि से नाम बढ़ाने के लिये वह कारखाना नहीं लगाते। इस कारखाने के लिये मध्यप्रदेश की सरकार ने भारत सरकार के ऊपर प्रेशर डाला कि यह कारखाना मध्यप्रदेश में नीमच और मन्दसौर में लगाये। राजस्थान सरकार का ध्यान मैं इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि कोटा, चौमहला में अगर यह कारखाना खुलता है तो वहां के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री से मिला था, हिन्दुस्तान के जो राज्य मन्त्री फाइनेन्स हैं उनसे भी मिला था। राजस्थान को महत्व मिले इस पहलू पर सोचना चाहिये और भारत सरकार से प्रेशर देकर कहें कि इस कारखाने को राजस्थान में

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

व्यवस्था करें। 20 लाख रुपये का अगर नुकसान होता है और हमारे जिले के अन्दर कारखाना बनता है तो हमारे लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि आज से 15-20 साल पहले जब कोटा में औद्योगीकरण नहीं हुआ था राजस्थान के रावतभाटा से निकलने वाली बिजली, जो राजस्थान सरकार के विद्युत मण्डल को 2½ पैसे प्रति यूनिट में पड़ती है, 15 साल के कॉन्ट्रेक्ट के ऊपर उन पूंजीपतियों को पौने दो पैसे प्रति यूनिट के हिसाब दी और इस तरह की सहूलियत दी। क्या राजस्थान सरकार भारत सरकार के उस डिपार्टमेंट को इस प्रकार की सुविधा नहीं दे सकती? इसलिये मैं फाइनेन्स मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको इस बारे में निश्चित नीति घोषित करनी चाहिये।

दूसरी स्थिति राजस्थान के अन्दर यह है। जैसा मैंने अभी अफीम के बारे में कहा, पोस्त के अन्दर से जो डोडे निकलते हैं वह राजस्थान से बाहर जाते हैं। राजस्थान सरकार पोस्त के डोडों से चार पर्सेंट एक्साइज ड्यूटी वसूल करती है उससे दो करोड़, 2½ करोड़ का लाभ होता है। अभी पिछले दिनों राजस्थान गवर्नमेंट ने उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। विचार कीजिये आप से 50 साल पहले जो रामगंजमण्डी और भवानीमण्डी उस क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई थी उनका क्या हाल होगा? उनकी दुकानें बन्द करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। इसलिये वित्त मंत्री जी अपनी नीति स्पष्ट करें।

एक बात और मैं निवेदन करूं। राजस्थान में झालावाड़ जिला पत्ता तेन्दू के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्र है। झालावाड़ और कोटा सारे हिन्दुस्तान को पत्ता तेन्दू सप्लाई करता है। टोंक के अन्दर राजस्थान के लघु उद्योग ने मयूर बीड़ी के नाम से फैक्ट्री डाली है। झालावाड़ के अन्दर सबसे अधिक तेन्दू पता पैदा हो और उस पत्ते को आप सुमेरपुर और जोधपुर ले जायें इससे अधिक अच्छा तो यह होता सरकार के लिए कि जहां कच्चा माल उपलब्ध है वहीं पर यह कारखाना खोलें। जहां कच्चे माल का उत्पादन होता है वहीं कारखाने खोलने की नीति राजस्थान सरकार घोषित करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री सूर्यनारायण चौधरी!

श्री सूर्य नारायण चौधरी (नीम का थाना): सभापति जी, मेरे इन दोनों मांगों पर जो कट मोशन्स हैं, उन सब पर एक साथ निवेदन कर देना चाहता हूं। सर्वोपरि मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक राजस्थान में औद्योगीकरण का प्रश्न है, हम लोग सभी जानते हैं कि औद्योगीकरण इस देश में बहुत कम हुआ। परिस्थितियां इस देश को अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाये जाने से पूर्व थीं, औद्योगीकरण के मामले में जनसंख्या की खपत को देखते हुए उन परिस्थितियों को लाने में भी हमें बहुत ज्यादा उद्योगशील होना पड़ेगा। अंग्रेज जब आये उस समय 44 प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित थे उस पर शेष 56 प्रतिशत लघु उद्योग पर आश्रित थे। आज यह परिस्थिति है कि कृषि के ऊपर 80 प्रतिशत आश्रित है और शेष सीधे तौर पर या इन

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

डाइरेक्टली उद्योग के ऊपर आश्रित हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा उद्योग मंत्री जी से कि बदले हुए माहौल के अन्दर इस बात की आवश्यकता है कि जो, विवाद, जो झगड़े होते हैं मजदूरों के उनकी मांगों को लेकर उनको निपटाने का एक तरीका यह जरूर है कि उनकी मांगों को मान लें। लेकिन हमें एक ऐसी नीति निर्धारित करनी पड़ेगी, ऐसी नीति आपको बनानी पड़ेगी जिसमें मजदूर अपने आपको उस कारखाने से अलग महसूस न करें। इसके लिए मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यक है कि मजदूरों को कारखाने का भागीदार बनाया जाये। काम करने के अन्दर ही नहीं बल्कि उसकी मिल्कियत में भी वह भागीदार हों। वेस्टर्न कन्ट्री में युगोस्लाविया है। उसने 25 साल पहले यह नीति लागू कर दी थी। इस सम्बन्ध में हमारे समाजवादी नेता श्री राम मनोहर लोहिया ने एक योजना रखी थी। मैं चाहूंगा कि उद्योग मन्त्री डा. लोहिया के भाषण, जो दिये गये भाषण संकलित हैं, पढ़ें। उन्होंने यह योजना रखी थी कि पांच लाख के ऊपर के जो कारखाने हैं उनका मेनेजमेंट इस प्रकार कायम कर दिया जाये कि उसमें उद्योगपति का एक रिप्रेजेन्टेटिव हो, एक रिप्रेजेन्टेटिव मजदूरों का हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हो, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का हो और एक स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेन्टेटिव हो। इस प्रकार से एक बोर्ड आॅफ डाइरेक्टर्स बने। मैं निवेदन करूं जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को अमल में लायेंगे, जैसे जैसे मजदूर को इस बात का विश्वास होगा कि हमारी भी भागेदारी इस मेनेजमेंट में है वैसे वैसे जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और जो औद्योगिक विवाद है वह समाप्त होगा। एक कदम और आगे आप जायें। मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि मैनेजमेंट के अन्दर उनकी भागीदारी होने के साथ मजदूर को पूंजी के मुनाफे और नुकसान के अन्दर भागीदार बनाया जाना चाहिये। इससे उनके अन्दर यह भावना आयेगी कि नुकसान होगा तो वेतन में से कटौती हो जायगी। इसी तरह मुनाफा होने से हमें बढ़ा हुआ श्रम मिलेगा। जैसे जैसे यह चीज आयेगी वैसे वैसे उनका लगाव कारखाने के प्रति बढ़ता जायगा। जो सरकारी उद्योग क्षेत्र हैं उनमें तो यह तुरन्त लागू किया जाना चाहिये, मैनेजमेंट में भागीदारी देने का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि वातावरण बदल सके और औद्योगिक शान्ति कायम हो सके जिससे मजदूरों को सुख-सुविधा मिल सके और जो आज शोषण की प्रक्रिया है उसको भी समूल रूप से मिटा सकें। तो निश्चित रूप से हमें यह कदम उठाना पड़ेगा - इसलिये मैं चाहूंगा उद्योग मन्त्री जी से चाहे तो कोई सेमिनार जैसी व्यवस्था करायें या और कोई व्यवस्था, जो उनके दिमाग में हो, करायें। जो सहयोग वह हमसे चाहेंगे, हम दे देंगे। मैंने एक इशारा इस तरफ किया है, जैसा आप चाहें करें।

सभापति जी, कुछ समय पूर्व इस देश में एक विचार था, उसके संदर्भ में मुझे उस जमाने की याद आती है जब पं. गोविन्दवल्लभ जी पंत थे और मैं यू. पी. में अध्ययन कर रहा था। उस समय पूंजीपतियों के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

की गई। पंत जी ने सार्वजनिक रूप से जो बात आसानी से पचाई जा सकती थी वह कह दी, अगर पूंजीपति ज्यादा पैसा लेते हैं तो आपको क्या नुकसान है। जब चाहेंगे हम उनकी जेब से निकाल लेंगे और समाज में लगा देंगे और आसानी से औद्योगीकरण हो जायेगा। मेरा निवेदन है एक प्रकार का मानस बना हुआ था। पूंजीवादी व्यवस्था में चाहे असमानता आये लेकिन उस असमानता के साथ औद्योगीकरण सम्भव है। इस प्रकार का कांग्रेस संगठन में उनका मन बना हुआ था, एक विचार बना हुआ था। इस प्रकार के विचार की पृष्ठ भूमि कांग्रेस प्रशासन में रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आज जो दुनियां का रंगमंच है और जो विभिन्न देशों का ढांचा है, उसको देख लीजिये, जहां समता है वहां समृद्धि भी है और जहां असमानता है वहां कंगाली है। इस देश में असमानता है और सर्वाधिक असमानता है इसलिये सर्वाधिक कंगाली भी है और सार्वजनिक उद्योगों की कमी है। तो मैं चाहूंगा, सरकार इस प्रकार का मानस बनाये। पूंजी का संचय पूंजीपति नहीं करेंगे, समृद्ध समाज करेगा और समृद्ध समाज तब कर सकता है जब समता हो। इसलिये, सभापतिजी, मेरा निवेदन है समता और समृद्धि दोनों को छोड़कर नहीं चलेंगे तब तक औद्योगीकरण सम्भव नहीं है। इसलिए आज विषमताओं को निपटाना आपका लक्ष्य होना चाहिये। सभापतिजी, मैं निवेदन करूं आपके सामने कि आज इस देश के अन्दर औद्योगीकरण के लिये उत्साह नहीं है, उसके कई कारण हैं-अज्ञानता, सरकारी अड़ंगेबाजी, लाल फीताशाही। सभापतिजी, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। मैं एक फर्म को दूसरी फर्म के नाम से ट्रान्सफर कराना चाहता था जिसमें मुझे दो-ढाई साल का समय लग गया। टेक्निकल ऑब्जेक्शन के अन्तर्गत फाइल इधर-उधर फिरती रही। नतीजा यह हुआ कि वह सारी स्कीम फेल हो गई। इसलिए जो सरकारी ढांचा है, वह कतई जागरुक नहीं है। जनता की इन सारी की सारी डिफीकल्टीज की तरफ ध्यान दिलाकर मैं यह चाहूंगा कि प्रशासन के अन्दर आमूल-चूल परिवर्तन के प्रश्न को लेकर यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जो टेक्निकल ऑब्जेक्शन हैं, जो रूल्स के आब्जेक्शन हैं या जिससे देरी होती है फाइलों में, औद्योगीकरण के लिए वह देरी कभी नहीं होनी चाहिये।

पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध मे प्रयास किया था। मुझे मालूम पड़ा था कि इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत। मदेरणा साहब ज्यादा जानते हैं, उस समय मैं तो जेल में था, औद्योगीकरण के समस्त मामले एक जगह इकट्ठे किए जाएं और उन सबको एक स्रोत से निपटा दिया जाए। मैं यह चाहूंगा, चाहे लोन का मामला हो, चाहे लीज से सम्बन्धित कोई मामला हो, चाहे कोई स्थान से सम्बन्धित मामला हो, चाहे बिजली, ग्रान्ट का मामला हो, बिजली कनेक्शन देने का मामला हो, चाहे रॉ-मैटीरियल का मामला हो, कोटा परमिट का मामला हो, उद्योगों को सहूलियत देने के लिए चाहे सड़क बनाने का मामला हो-सरकार

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

के द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये चाहे मुख्य मन्त्रीजी उस व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने पास रखें या किसी अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपें, औद्योगीकरण में जो प्रशासनिक ढिलाई के कारण देरी होती है उसको समाप्त किया जाय, अन्यथा औद्योगीकरण में जो रोड़े आते हैं वे आते रहेंगे।

कभी कभी पूंजीपतियों से बात होती है तो यह बात आती है कि राजस्थान के प्रशासन के अन्दर वे यह भावना महसूस नहीं करते कि हमको राजस्थान का औद्योगीकरण करवाना है। छोटे से मामले को लेकर महीनों तक चक्कर काटा करते हैं। कभी डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज के दफ्तर में तो कभी सचिवालय के अन्दर और महीनों बीत जाने पर भी रिप्लाई नहीं मिलता है। तो मेरा निवेदन है कि सारे का सारा प्रशासन का ढांचा बदल देना चाहिये ताकि कोई भी व्यक्ति छोटा-मोटा कारखाना लगाना चाहे तो उसको एक निश्चित अवधि में रिप्लाई मिल जाय। आखिर इस देश में प्रशासन के द्वारा यह ढिलाई क्यों होती है? प्रशासन को देश के प्रति और समाज के प्रति अपना एक कर्त्तव्य समझकर शीघ्र से शीघ्र कार्य करना चाहिये।

कांग्रेस कार्यकाल के दौरान लाइसेन्स देने में भी चन्दा लिया जाता था। इस देश में क्या क्या घिनौना काम हुआ है यह सब आप जानते हैं। मदेरणा साहब कहते हैं कि पिछले शासन को कोसने से काम होने वाला नहीं है लेकिन, सभापतिजी, जो घटनायें हुई हैं उनसे सबक तो लेना ही चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा, हम लोग जो जनता पार्टी की सरकार बनाये हुये हैं उनमें इस प्रकार का कोई विकार नहीं आना चाहिये। देश के विकास के मामले में, उद्योग-धन्धों के मामले में सौदेबाजी और अड़ंगेबाजी करें तो वह प्रशासन के लिये एक शर्म की बात है। उद्योगों को जितना प्रगतिशील बना सकें, बनाया जाय। प्रशासनिक मशीनरी को उसी रूप में विकसित किया जाय।

जर्मनी की एक मिसाल देता हूं। तीन देश ऐसे हैं दुनियां के अन्दर जो पिछले 25-30 वर्षों में मानवीय दृष्टिकोण से समूल नष्ट हो गये थे। पश्चिमी जर्मनी, जापान और वियतनाम। सभापतिजी, शायद आप अवगत भी होंगे, क्योंकि आप को ऐसे साहित्य से रुचि रही है, मजदूरों के लिये पश्चिमी जर्मनी में कानून बनाना पड़ा कि कोई भी मजदूर अमुक घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। यह कानून बनाना पड़ा इसलिये नहीं कि मजदूरों की मांग थी बल्कि इसलिये कि जर्मनी देश का नागरिक यह चाहता था कि जर्मनी का दूसरे विश्व-युद्ध में जो नाश हुआ है, उसका पुर्ननिर्माण करने के लिये दिन-रात एक कर दें। वास्तविकता यह है कि वहां के मिल मालिकों ने काम के घंटे कम किये, क्योंकि काम के घंटे समाप्त हो जाने के बाद मजदूर 3-4 घंटे वालन्टरी काम करते थे और उससे उनकी सेहत पर असर पड़ता था। इसीलिये वहां की सरकार को कानून बनाना पड़ा। सभापतिजी, एक लगन है वहां की सरकार में समाज को उठाने की, चाहे प्रशासन में देखें या और किसी क्षेत्र में देखें, उन सबको देश के प्रति बड़ा

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

प्रेम है, देश के प्रति बड़ा लगाव है इसलिये ऐसा कानून पश्चिमी जर्मनी में बना। जो जर्मनी विश्वयुद्ध में बिलकुल ध्वस्त हो गया था आज उसकी करेन्सी मार्क दुनियां में सबसे शक्तिशाली कहलाती है। इसी प्रकार से जापान बिलकुल ध्वस्त हो गया था लेकिन आज जापान का बहुत माल अमेरिका में जाकर बिक रहा है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का वातावरण जब तक नहीं बना पायेंगे, तब तक समता और समानता की भावना नहीं आयेगी। समाज के अन्दर सबका उत्थान हो, फायदे मुनाफ़े की भागीदार सारी की सारी जनता बने, यह आपको वातावरण बनाना पड़ेगा। आज के वातावरण में आपको तब्दीली लानी पड़ेगी।

अब मैं विशेष रूप से मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं, सभापतिजी, उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मुझे यह देख कर बड़ी हैरानी हुई कि पिछली सरकार क्या करती थी। हमारे विपक्ष के सम्माननीय नेता मदेरणा साहब इन चीजों को अधिक जानते हैं। कोयले के बारे में मेरी जानकारी में आया है और मैंने आपके विभाग से आंकड़े लिए हैं, 52 से 55 के आंकड़े मुझे मिल गए, उन्हीं के आधार पर कह रहा हूं कि क्या हुआ है। सीकर जिले के एक प्रमुख कांग्रेसी, कंगाल से करोड़पति बनने वाले श्री किशन मादी सौ वेगन कोयले के प्रति माह अपने एम. पी. कार्यकाल में सरकार से लेकर हड़प गए और ब्लेक के अन्दर ऊपर के ऊपर बेच दिये। यह विभाग आज भी सोया हुआ है। मैं पूछता हूं कि वह कहां गया सौ सौ वेगन कोयला प्रति माह का? उस समय में सौ सौ रुपये, डेढ़ डेढ़ सौ रुपये, दो सौ रुपये प्रति टन का ब्लेक था, स्टीम कोक और हार्ड कोक को ब्लेक की रेट पर बेच दिया और उसका पैसा खा गए, हजम कर गए। कल मुख्य मंत्रीजी ने जरा बहुत इरिगेशन वगैरह के मामलों का जिक्र किया लेकिन मैं आपसे कहता हूं, यह नीम का थाना का एक ब्लेक इतिहास है जिसको उठाकर देखें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सीकर जिले में नीम-का-थाना तहसील की करीब 35-40 माईनिंग लीजेज हैं, मुझे पूरी तरह से फिगर्स मालूम नहीं हैं लेकिन एक भी लीज उनके परिवार के अलावा किसी और के पास नहीं है। इस प्रकार की सारी की सारी चीजें चलती रहीं। सौ सौ वेगन कोयला ब्लेक में बिकता रहा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इंडस्ट्री मिनिस्टर हों, चाहे और कोई हों, वे सारे के सारे पास करते गए। आज उन पर फौजदारी मुकदमे बने हैं लेकिन समाज को इससे कितना नुकसान हुआ है। वास्तविक रूप से जिनको वेगन मिलने चाहिए थे, कोयला मिलना चाहिए था उनकी इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ? देश में कितना नैतिक पतन हुआ? यह सारी की सारी चीजें, मदेरणा साहब हैं, जिनसे बड़ा अफसोस होता है। कितना लो स्टेंडर्ड मोरेलिटी का पिछली सरकार द्वारा रखा गया। कितनी सड़ी गली रचना देकर आप गए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

बहुत संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं सभापतिजी। मेरे दस कट मोशन हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, इर्रेलेवेंट नहीं बोलूंगा, बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** बहुत समय ले रहे हैं।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी :** यह तो मेरी कुव्वत है।

**श्री सभापति :** केवल कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में बोलें।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी :** कटौती प्रस्ताव ही हैं हुकुम, इसके आगे कुछ नहीं बोल रहा हूं।

सभापतिजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब माननीय मदेरणा साहब इधर बिराजते थे, इस आसन से राज्यपाल महोदय ने एक बार नहीं, तीन तीन बार घोषणा की कि नीम-का-थाना के अन्दर रामपुरा में सीमेंट फैक्ट्री लगेगी। उस सीमेंट के लिए केशोराम ने बिड़ला की फर्म की तरफ से एप्लाई किया। उसके लिए सुखाड़िया साहब ने ऐसी चोंच लड़ाई कि वह यहां से भाग गए। बिना गजट नोटिफिकेशन के सारी की सारी लीज दे दी लाइम स्टोन की। आज तक यह पता नहीं है कि यह माइनर मिनरल में दी गई या मेजर मिनरल में दी गई। अभी भी वही धींगामस्ती चल रही है और पोपाबाई का राज वाली कहावत के अनुसार राज चल रहा है। सब कुछ जीम गए। नोटिफिकेशन किसी एरिया के लिए था, 'ए' के लिए एप्लाई किया और 'बी' एरिया लीज पर दे दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सीमेंट फैक्ट्री लगी नहीं। यह फैक्ट्री अब लगाई जाय। मैं निवेदन करूंगा उद्योग मंत्रीजी से कि इस प्रश्न को हमने केन्द्र के उद्योग मंत्री जार्ज फर्नाण्डिस के सामने भी रखा है। लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत, जिन्होंने ये सारी बदमाशियां की हैं और उनको कसने की जरूरत है। राजनैतिक स्तर की जिन्होंने बदमाशियां की है उनको कसा जाय और वह सीमेंट का कारखाना नीमकाथाना में एस्टेब्लिश हो। जो घोषणा इस मंच पर आकर राज्यपाल महोदय ने की है उसकी परिपालना हो, इसकी व्यवस्था उद्योग मंत्रालय राजस्थान का करे।

सलेदीपुरा में खाद का कारखाना लगाने के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि पूर्णरूप से पूरा सर्वे हो गया है। खण्डेला के पास सलेदीपुरा में खाद का कारखाना लगाने की टेक्निकल रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन क्षेत्रीय भावना से ओतप्रोत सुखाड़िया साहब उसको दूसरे क्षेत्र में ले गए। मेरे को इसमें कोई गिला नहीं है कि दूसरी जगह कारखाने लगें। एक की जगह दस कारखाने लगावें लेकिन खण्डेला के पास सलेदीपुरा में दो कारखाने लगाने की बात थी, टेक्निकल दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से जो सर्वयोग्य स्थान है, जो सबसे उपयुक्त स्थान है उसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा उद्योग मन्त्री से कि सलेदीपुरा का खाद का कारखाना लगने से आसपास के जो तीन-चार जिले

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

हैं उनकी अनएम्पलायमेंट की प्रोब्लम खत्म होगी, उन जिलों का विकास होगा, इससे एन्सिलियरी इन्डस्ट्रीज पनपेंगी। इसके साथ साथ देश में जो खाद की बहुत बड़ी आवश्यकता है, वह पूरी होगी। यह भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। मैं निवेदन करूंगा कि, राजस्थान सरकार पूरे जोर से भारत सरकार के सामने यह बात रखे कि सलेदीपुरा में खाद का कारखाना लगाना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अभी खत्म किए देता हूं थोड़े समय में। मेरे कागज खो गए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : खादी ग्रामोद्योग पर भी आपके कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हां उस पर भी है। ये जल्दी कर रहे हैं, आपकी तो बड़ी मेहरबानी हैं।

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया कि केवल कटौती प्रस्तावों पर बोलें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ये सब कटौती प्रस्ताव ही हैं। सीमेन्ट का है, सलेदीपुर का है।

श्री सभापति : इससे पहले भी इन पर बोले थे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : वह नीति सम्बन्धी बातें थीं। फिर मैं आपसे वाद विवाद कैसे कर सकता हूं, हुकुम तो आपका चलेगा।

सभापति महोदय, भरतपुर का जो इलाका है, भरतपुर जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला है। कृष भूमि है और बड़ी लाइन भी है वहां। औद्योगिक विकास की दृष्टि से बहुत उपयुक्त स्थान है। इसके इर्द गिर्द आगरा जिला, मथुरा जिला, अलवर जिला ये तीनों के तीनों औद्योगिक दृष्टि से बैकवर्ड घोषित किए जा चुके हैं। आज की स्थिति यह है कि अभी तक इसको बैकवर्ड घोषित नहीं किया गया है। बैकवर्ड घोषित करने का क्या मापदण्ड था किसी सरकार का, यह पता नहीं चलता। बहरहाल भरतपुर के अन्दर जो इन्डस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं उनमें अस्सी प्रतिशत बन्द पड़ी हुई हैं। इसके अलावा आर.एम.आई.डी.सी. क्या कहते हैं इसको राजस्थान मिनरल एण्ड इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन, इसने जो शेड बना रखे हैं उन शेडों के ऊपर इन्डस्ट्री खड़ी नहीं हो पाई क्योंकि उनको उपयुक्त सहायता, राज्य की सहायता नहीं मिल पा रही है। पानी भी उपलब्ध नहीं है। वास्तविक रूप से, नियमित रूप से बिजली भी नहीं मिल पा रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा, भरतपुर जिले के लोगों की भी आकांक्षा है और अपेक्षा ये हैं। अभी तक जिस तरह से उस जिले की उपेक्षा होती रही है यह आगे न हो और इसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट की दृष्टि से घोषित किया जाय ताकि इसके अन्दर पूरी फैसेलिटीज दी जावें।

एक यहां पर ड्राई पोर्ट बनाने की व्यवस्था पहले हो चुकी थी, बीच में छोड़ दी गई। इसको भी कायम करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अन्त में मैं निवेदन कर दूं वैसे मेरे पास बहुत नोटस हैं, लघु उद्योगों

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

के बारे में, मैं निवेदन कर दूं, मेरी यह मान्यता है और जो मदेरणा साहब ने भावना व्यक्त की है. मैं उससे सहमत हूं कि हमको ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी चाहिये जिसके पीछे गांधी विचार-धारा हो। वास्तविक रूप से गांधी दर्शन और गांधी विचार बहुत व्यवहारिक है। कम से कम पूंजी और अधिक से अधिक उपलब्धि। इस देश की एवरेज, औसत पूंजी करीब ढाई सौ, तीन सौ रुपये के बीच में पड़ती है। अमेरिका में शायद चालीस हजार है, अब शायद कुछ ज्यादा भी होगी, इंग्लैन्ड की 15 से 20 हजार के बीच में पड़ती है। हम अमेरिका और इंग्लैन्ड की नकल करने की कोशिश कर भीमकाय इन्डस्ट्री ही लगाने की बात करने लगे तो हमको सफलता नहीं मिल पायेगी। देश के अन्दर जो उपलब्धियां हों, उनका वितरण समान रूप से हो, लघु और कुटीर उद्योग ये दो ऐसे माध्यम है, जिसके द्वारा हम देश की दौलत को बढ़ा सकते हैं और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि सीकर जिले को भी औद्योगिक दृष्टि से बैकवर्ड घोषित किया जाए। इसके पूरे आंकड़े आपके पास जो पुस्तिका है, उसमें हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर।

श्री रामेश्वर (चौमू) : सभापति महोदय, उद्योग सम्बन्धी जो मांगें हैं, उसमें मेरे कटौती प्रस्ताव हैं, उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

प्रथम तो उद्योग धन्धे चलते नहीं हैं क्योंकि उद्योग विभाग की जो कार्य-प्रणाली है उसमें इतनी धांधलीबाजी है कि कोई स्कीम बनने के बाद दो-तीन साल तक फोर्स में नहीं आती है। अगर वह स्कीम फोर्स में आती है तो उद्योग विभाग से उसको स्थापित करने का आदेश दिया जाता है, परन्तु उसके साथ में राजस्थान फाइनेंशियल कार्पोरेशन और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वे कोआपरेट नहीं करते है। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान फाइनेंशियल कार्पोरेशन में दो दो साल तक लोन की फाइल उद्योग के सम्बन्ध में पड़ी रहती है। जो फाइल वाजिब समय में निकलनी चाहिए वह वाजिब समय में नहीं निकलती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है- वह भी इसमें कोआपरेट नहीं करता है। चौमू विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैं कहूंगा। वहां पर एक आइस फैक्ट्री है। उद्योग विभाग ने और राजस्थान फाइनेंशियल कार्पोरेशन ने अपनी कार्यवाही पूरी करके उसको चालू करने की इजाजत दे दी लेकिन ढाई साल तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसको कनेक्शन नहीं दिया। उद्योग विभाग और आइस फैक्ट्री के प्रोपराइटर द्वारा निवेदन करने के बावजूद ढाई साल बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कनेक्शन दिया। उसके बाद में वह आइस फैक्ट्री चालू की गई।

इसी सन्दर्भ में चौमू विधान सभा क्षेत्र में मोरीजा माइन्स

(श्री रामेश्वर)

उद्योग के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मोरीजा माइन्स जब प्रारम्भ की गई तब राज्य सरकार ने जिसको लीज दी, उस लीज होल्डर और राज्य सरकार के बीच में कुछ विवाद था। उसकी वजह से यह उद्योग बन्द पड़ा है। मोरीजा माइन्स के जो तथ्य हैं, उनको अगर माननीय उद्योग मन्त्री देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि वहां पर जा पत्थर निकलता है और उससे जो लोहा निकाला जाता है, वह राजस्थान के अन्दर सब से हाईएस्ट पर्सेंटेज का लोहा है और उसमें ताम्बे की मात्रा भी है। तीन-चार साल से मोरीजा माइन्स का काम बन्द पड़ा है। इसको सुचारु रूप से चालू करवाया जाए। जिसकी लीज है, चाहे तो उससे चालू करवाया जाए या उद्योग मन्त्री महोदय यदि ठीक समझें आर. एम. आई. डी. सी. से इस उद्योग को चालू करवायें ताकि हजारों मजदूरों को इससे रोजगार मिल सकें। मौजूदा सरकार की नीति भी इसमें मददगार हो सकती है।

दूसरा माननीय उद्योग मंत्री को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चौमू क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ट्रैक्टरों की संख्या 850 है। वहां पर मौजूदा हालत में 25/30 ट्रैक्टर के कारखाने चल रहे हैं। एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स का आविष्कार करने वाले भी चौमू के लोग हैं। जो ट्रैक्टर की कुट्टी की मशीन है, उसका आविष्कारकर्ता मेरे विधान सभा क्षेत्र का निवासी है। सब से पहले कुट्टी की मशीन चौमू निवासी ने तैयार की थी। आज भी हजारों की तादाद में जयपुर में जो कारखाने लगा रखे हैं उनमें कुट्टी की मशीन, कल्टीवेटर, ट्रालियां आदि जो एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स है, इनको तैयार किया जाता है। ये जो 20/25 कारखाने चल रहे हैं, इनको उद्योग विभाग से कोई राहत नहीं मिलती है। एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स के बारे में मेरा उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे वहां पर कोई कारखाना स्थापित करने के लिए सोचें तो वहां के हर वर्ग का इससे फायदा होगा। भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। तकनीकी दृष्टि से भी लोग भारी संख्या में वहां पर हैं। वे जयपुर के कारखानों में आकर काम करते हैं। यहां उनको उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है। इसलिए मेरी सलाह है उद्योग मंत्री को कि वे इस मामले में ध्यान दें तो एक क्षेत्र का विकास होगा।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जैतपुरा राधास्वमी बाग का उद्योग विभाग ने सर्वे करा लिया है इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने के लिये। यह रिपोर्ट सर्वे की राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है। 25 यूनिट्स का इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने की बात है। इसमें जमीन देख ली गई है और दूसरी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह स्थान उपयुक्त मान लिया गया है परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जैतपुरा राधास्वामी इन्डस्ट्रियल एरिया को शीघ्र से शीघ्र घोषित करवाने की व्यवस्था करावें।

दूसरा मेरा निवेदन सीमेन्ट आधारित उद्योगों के सम्बन्ध में है। किसानों के

(श्री रामेश्वर)
मौजूदा सूरत में काम आने वाले वाटर पाइप हैं। इनकी आवश्यकता भी रहती है। तहसील आमेर में कस्बा चौमूं ही इसके लिए उपयुक्त स्थान है जहां पर पाइप से सम्बन्धित उद्योग लगाए जा सकते हैं। इससे ग्राम किसानों को फायदा होगा और सस्ती दर पर किसानों को पाइप उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। कोई ऐसा उद्योग लगाने के बारे में नहीं सोचा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उद्योग मन्त्री सीमन्ट से सम्बन्धित जो पाइप वगैरह की फैक्ट्री हो सकती है, इसको लगाने के बारे में शीघ्र ही कार्यवाही कराने की बात सोचें ताकि लाखों की तादाद में जो किसान हैं, उनको सस्ती दर पर पाइप मिल सकें। इससे वे अपनी खेती का विकास कर सकेंगे और चौमूं क्षेत्र का ही नहीं राजस्थान का भी विकास होगा।

इन्हीं मुद्दों के ऊपर मैं उद्योग मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वे स्वयं चौमू रह चुके हैं। वे स्वयं जानते हैं कि वहां पर कितने अधिक कल-कारखाने चल रहे हैं। तेल के कारखाने भी वहां पर 22-23 चल रहे हैं। उद्योग विभाग की तरफ से जो सुविधाएं वर्तमान में दूसरे उद्योगों को मिल रही हैं, वे सुविधाएं इनको भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए परन्तु यह नहीं हो रहा है। हमारी सरकार गांवों में छोटे उद्योग लगाने की बात कहती है इसलिये मैं इस ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो बड़े बड़े उद्योग शहरों में हैं, उनको बड़ी बड़ी सुविधाएं मिल रही हैं, वे ही सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो छोटे उद्योग हैं, जैसे पाइप फैक्ट्री, तेल फैक्ट्री, उनको मिलें परन्तु ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मेरा निवेदन है कि उद्योग मंत्री इस बारे में ध्यान देकर इनको जो वाजिब सुविधायें हैं, वे दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह !

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, आज उद्योगों के बारे में चर्चा हो रही है। उद्योगों के सम्बन्ध में मैंने दो कटमोशन रखे हैं। एक में तो यह है कि गंगानगर जिला जहां पर एशिया की तीन बड़ी नहरें जिसके एरिया को सिंचित कर रही हैं उस जिले में कई रॉ-मैटीरियल पैदा होते हैं उनको किस प्रकार से यूटिलाइज करें। वहां पर काफी खाद का कन्जम्पशन है। खाद का कारखाना वहां खोलने का एक बार प्रपोजल हुआ था। किसानों से जमीन ले ली गई और किसान वहां से हटा दिये गये लेकिन अब तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। आज सारी चीजें वहां पर मुहैय्या हैं। वहां पर पानी मौजूद है, बिजली उपलब्ध है और इसके साथ-साथ रॉ-मैटीरियल भी मौजूद है। नजदीक ही भटिंडा में 100 करोड़ का खाद का कारखाना लगाया जा सकता है लेकिन गंगानगर जो सबसे ज्यादा खाद का उपयोग करता है वहां पर कारखाना नहीं हो, यह समझ में नहीं आता है। किसानों से जमीन ले ली गई, उसके बाद भी वहां पर कारखाना नहीं लगाया गया है। मैं समझता था कि जनता सरकार आने के बाद इस चीज को महसूस करेगी। पता नहीं किन राजनैतिक कारणों से यह कारखाना नहीं लगा। क्या

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

जनता सरकार गंगानगर जिले में खाद का कारखाना लगाने का विचार करेगी ?

दूसरा ग्रामीण उद्योगों के बारे में सवाल है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग क्यों लगाने की बात करते हैं ? आज बेकारी की जो भूत हमारे सिर पर सवार है यह इस प्रकार का सवाल है अगर इसके लिए ठीक से व्यवस्था नहीं की गई तो बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। आज इसी उम्मीद और इसी आशा से देश के करोड़ो लोगों ने जनता पार्टी को शासन में बिठाया है। इससे पहले की सरकार ने भी वायदे किये लेकिन उनका पूरा नहीं किया गया। नौजवानों की ऐसी टीम है, अगर आपने रोजगार नहीं दिया तो यह हमारे सबके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। जब हमारा दृष्टिकोण है कि हम ग्रामों मे उद्योग लगायें तो सबसे पहले सवाल आता है बिजली का। आपने गांव में बिजली लगाने का क्या आधार माना है ? राजस्थान के जिन गांवों में बिजली जाएगी उसका एकमात्र आधार यह है कि उस इलाके में जमीन के नीचे मीठा पानी हो। जिन क्षेत्रों में खारा पानी है, उन गांवों में बिजली नहीं जाएगी। यह नीति कांग्रेस सरकार की थी। उसके पीछे शायद यह भावना रही हो कि आप पुराने तरीके की खेतीबाड़ी की भावना को प्रोत्साहन देना चाहते हों। यह भावना रही हो। लेकिन जहां मीठा पानी उपलब्ध था वहां भी आपने बिजली नहीं दी है। हमें दोनों बातों का कोआर्डिनेशन करना होगा। ऐसे क्षेत्र जहां मीठा पानी नहीं है लेकिन छोटे उद्योग फैलाने की उम्मीद है वहां पर हमें बिजली पहुंचानी चाहिए। इसलिये ऐसे छोटे उद्योगों के लिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए बिजली सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बिजली नहीं पहुंचायेंगे तो आप किताबों में कितनी ही प्रगति कर लें लेकिन आपकी वास्तविक रूप से कामयाबी नहीं होगी। गांव में बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो उद्योग कैसे लगायेंगे ? आज दुनियां एक तरफ चांद पर जा रही है लेकिन आप पैसे की तरफ घूम रहे हैं। दुनिया में जो समाजवादी मुल्क हैं चाहे वे पूंजीवादी मुल्क हों हमको मुल्क के बारे में एलर्जी नहीं होनी चाहिए, उन देशों में बहुत बड़े बड़े उद्योग लग गये हैं। आज रूस एक समाजवादी देश के रूप में विकसित हुआ है वह आज अमेरिका से आगे बढ़ रहा है। उद्योग और साइन्स की प्रगति में सबसे आगे बढ़ रहा है। आप सबसे पहले जरूरत के कारखाने लगाइये जिससे कि देश में बाहर से चीजों का आयात करने की जरूरत नहीं रहे और बाहर से हमको वह सामान नहीं मंगाने पड़ें जो हमारे देश में पैदा नहीं होते हैं।

अब मैं छोटे उद्योगों की तरफ आता हूं। इमर्जेंसी के कारण लघु उद्योगों को बहुत सफर करना पड़ा। जब लघु उद्योग और बड़े कारखाने में कम्पीटीशन होता है तो बड़ा उद्योग छोटे उद्योग को हजम कर जाता है। हमने इमर्जेंसी के दौरान यह देखा है, इमर्जेंसी के दौरान सबसे ज्यादा छोटे उद्योग बन्द हुए हैं। इसका क्या कारण है, कम्पीटीशन है या रॉ मैटीरियल है ? ये सारी बातें देखनी चाहिए। इन सुझावों के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। बड़े उद्योगों का महत्व अपनी जगह पर है और छोटे उद्योगों का

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

महत्व अपनी जगह पर है। उद्योगों को पनपाने के लिए व्यवस्था करें, उनके लिए कर्ज की व्यवस्था करें, बिजली की व्यवस्था करें, गांवों में विद्युतीकरण करें जिससे छोटे से छोटा आदमी बिजली से काम चलाए। अगर बिजली गांव में पहुंचा देंगे तो जो आदमी इस समय बेकार बैठा है वह स्वयं ही काम तलाश कर लेगा। मैंने देखा है गंगानगर जिले के पास पंजाब है वहां से मशीनें आती हैं। बिजली से अनाज को सम्भालने की व्यवस्था बहुत आसान है। जिन गांवों में अनाज है और बिजली नहीं है, भरपूर फसल है, वह कैसे उसको संभाल सकेगा। बहुत मुश्किल है। वह कैसे जल्दी से जल्दी अनाज समेट सकेगा इसलिये आप बिजली के साथ खेती का सामंजस्य बैठायें।

मुझे उम्मीद है कि मैंने जो सुझाव रखे हैं आप उन पर विचार करेंगे और राजस्थान को प्रगति पथ पर ले जायेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय उद्योग मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि वह ऐसे क्षेत्र से आये हैं, जहां औद्योगिक संस्थाओं में काम किया गया है। मैं समझता हूं कि उनका लाभ राजस्थान के उद्योगों को मिलेगा।

झुंझुनू जिला खास तौर से एक रेगिस्तानी इलाका है, वहां भेड़ काफी मात्रा में पाली जाती हैं। ऊन का मुख्य धन्धा है। उस ऊन के विकास के लिए एक बार बहुत वर्ष पहले एक ऊन केन्द्र की स्थापना की गई थी। लेकिन पिछली सरकार के समय में वह बन्द हो गई। नवलगढ़ में एक ऊनी मिल भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा स्थापित की गई थी, कुछ समय तक वह चली। जब तक वह चली, वहां पर कम्बल बनाये जाते थे और मिलिट्री को सप्लाई होते थे। अच्छी मात्रा में वहां पर कम्बल बनाये जाते थे और वहां के लोगों के लिए आय का एक अच्छा साधन था लेकिन राज्य सरकार के संरक्षण के अभाव में या साधनों के अभाव में वह मिल ज्यादा दिनों तक नहीं चालू रह सकी और उसको बन्द कर दिया गया। उसके बाद काफी अर्से तक वहां पर कोई ऊनी मिल नहीं चली। अभी कुछ अर्से पहले वहां पर गलीचा प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया है, वह भी थोड़ी मात्रा में। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत उद्योग मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शेखावाटी के इलाके जिसमें फतहपुर, लक्ष्मनगढ़, नवलगढ़, सीकर और झुन्झनू के आस पास का इलाका है, में बहुत बड़ी मात्रा में ऊन उत्पन्न होती है। अगर मैं यह कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राजस्थान में जितनी ऊन पैदा होती है उसका एक तिहाई हिस्सा यहां पर होता है। इन्हीं दो तीन इलाकों में, जो मैंने ऊपर बताये हैं, ऊन अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है और दूसरी जगह बाहर भी भेजी जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका सही उपयोग करने के लिए और वहां के किसानों को उसका सही लाभ मिले इसके लिए जरूरी है कि नवलगढ़ में जो ऊनी मिल काम कर रही थी उसको पुनः चालू किया जाय, सरकार की ओर से

(श्री नवरंग सिंह)

उसको पूरा संरक्षण दिया जाय और उस पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाय।

इसी तरह से नवलगढ़ में एक खादी विकास मण्डल चलता है। मैं खादी विकास मण्डल का बड़ा आभारी हूं कि नवलगढ़ में उन्होंने इस प्रकार की संस्था कायम की जो आज भी मेरी समझ में राजस्थान में अपनी किस्म की पहली संस्था है। उस संस्था के अन्दर सूती और ऊनी दोनों तरह का माल तैयार होता है। चूंकि उसके आस पास ऊन पैदा होती है इसलिए ऊनी कम्बल तैयार होते हैं और मिलिट्री के कम्बल तैयार करके बाहर भेजे जाते हैं। मैंने वहां पर जानकारी की तो पता लगा कि उनको काफी अच्छा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में ऊन के कम्बल बनाकर सप्लाई किये जायं तो काफी लाभ मिल सकता है। साथ ही चूंकि यह एक ऐसा इलाका है जहां पर ज्यादातर लोग ऐसे है जो कि ऊन के धन्धे पर आधारित हैं। पुराने जमाने में औरतें हाथ से कातकर कम्बल तैयार करती थी, अच्छी किस्म के कारीगर वहां पर मौजूद थे। अब भी वे मौजूद हैं लेकिन उनको साधन की जरूरत है और सरकार के संरक्षण की जरूरत है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इन उद्योगों के साथ में और भी बहुत सी कॉटेज इण्डस्ट्रीज नवलगढ़, झुन्झनूं और आसपास के इलाके में चल सकती हैं। इनमें से एक धंधा मूंज का है। एक प्रकार की रस्सी, जिसको मूंज कहते हैं, का धंधा यहां पर काफी पनप सकता है। लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि मेरे देखते-देखते दस-बीस साल पहले जो यह धन्धा जितना अच्छा चलता था और गरीब लोग उससे अपना पेट भरते थे, अब वह धीरे-धीरे इस प्रकार से ठप्प होता जा रहा है जैसे यहां पर मूंज का कोई धंधा नहीं था। मूंज यहां पर बड़ी अच्छी मात्रा में पैदा होती है इसलिए, श्रीमान, इसको धन्धे के रूप में पनपाया गया और इसको भी दूसरी इन्डस्ट्रीज की तरह एक इण्डस्ट्री के रूप में चालू किया गया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे गरीब किसानों का हित हो सकता है और उनको इससे लाभ मिल सकता है।

इसी तरह से यहां पर डलिया बनाने में का धन्धा है जिसमें पशुओं को चारा डाला जाता है इसका यहां पर विकास किया जा सकता है। इसको भी सरकार प्रोत्साहन दे तो इससे काफी लाभ यहां के लोगों को मिल सकता है। हमारे यहां की डलिया दूर-दूर के इलाकों में यहां तक कि कलकत्ता और बम्बई में जो हमारे यहां के लोग रहते हैं, वह भी शौकिया रूप से पशुओं को चारा डालने के लिये ले जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय तो यह धन्धा काफी आगे बढ़ सकता है।

इसी तरह से रंगाई और छपाई का धन्धा है, इसके लिए साधन उपलब्ध नहीं हैं। किसी ने बैंक से कर्ज ले लिया और उसको तौर-तरीके मालूम नहीं हैं तो उसका जमीन नीलाम हो रही है। इसके अलावा जो बड़े-बड़े साहूकार लोग हैं वे यह नहीं चाहते कि इस उद्योग को पनपाया जाय। इसलिए, सभापति महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी समुचित

(श्री नवरंग सिंह)

व्यवस्था की जाय और यह पाबन्दी भी लगायी जावे कि जिस उद्देश्य के लिये कर्ज दिया जाय वह उसी कार्य में खर्च हो तभी लाभ मिल सकता है।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर खाद का कारखाना लगना चाहिए। सलेदीपुरा का खाद का कारखाना खाद के लिए ठीक है। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वहां पर कारखाना नहीं लग सका। अब मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित करके जितनी जल्दी हो सके इस इलाके में एक खाद का कारखाना लगाया जावे।

इसी तरह से खेतड़ी में एक बड़ा कारखाना है, तांबे का उद्योग। हिन्दुस्तान में माना हुआ कारखाना है। मैं उसके सम्बन्ध में उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में निवेदन करें कि खेतड़ी प्रोजेक्ट झुन्झनूं जिले के लिए राजस्थान का पचास प्रतिशत कोटा निर्धारित किया जाय। एक साधारण मजदूर कलकत्ता और बम्बई से आकर काम करेगा तो हमारे जिले में बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी ?

इसी तरह से औद्योगिक नीति के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पर सन् 1956 में भारत सरकार ने जो औद्योगिक नीति बनाई थी और जिसको एडाप्ट करके राजस्थान सरकार चल रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि यह आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। वक्त बदल गया है, परिस्थितियां बदल रही हैं इसलिये बदली हुई परिस्थितियों में उसी पुरानी नीति पर चलें यह सम्भव दिखाई नहीं देता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहां पर अस्सी प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए प्रधानता कृषि के औजारों को निर्माण करने में देनी चाहिए। अब तक जो प्रधानता दी गई है वह मिलिट्री के सामान बनाने के लिए या दूसरी इण्डस्ट्रीज बनाने के लिये दी गई है। मैं माननीय उद्योग मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में भारत सरकार से निवेदन करें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि एग्रीकल्चरल टूल्स और इम्पलीमेंट्स, जो कृषि के औजार हैं उनके निर्माण के लिए ध्यान दिया जाय। हम जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग पुराने औजारों से खेती किया करते थे। आज उनका बहुत विकास हो गया है। जापान में एक हल के द्वारा उसकी सहायता से, थोड़े परिश्रम से अधिक काम हो सकता है। उसी तरह से कटाई की दूसरा मशीनें काम में आई हैं। जितनी मात्रा में सामान आया है उतनी पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं हो सका है। मैं उद्योग मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सामान्य शिक्षा में उद्योग के प्रशिक्षण को भी जोड़ दें। यह सही है कि वह शिक्षा का क्षेत्र है लेकिन उद्योग शिक्षा से अलग नहीं है। जब तक विद्यार्थी उद्योग के बारे में आश्वस्त नहीं होगा, उसकी जानकारी नहीं करेगा तब तक उद्योग करोड़पति लोगों हाथ में रह जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि सामान्य शिक्षा में औद्योगिक प्रशिक्षण को जोड़ा जाए।

(श्री नवरंगसिंह)

इसी तरह से कृषि उद्योग के प्रशिक्षण के लिए ग्राई. टी. ग्राई. झुंझुनू, सीकर ग्रौर ग्रासपास के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा खोले जाय ताकि जिन बेकार लोगों को कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, जिनके पास धंधा नहीं है उनको 8 वीं या 10 वीं क्लास के बाद ग्रौद्योगिक शिक्षा दी जाय ग्रार वे ग्रपने उद्योग धंधे लगा सकें। नहीं तो वे नौकरी पर ही निर्भर रहेंगे। इसलिए मैं उद्योग मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह ग्रपनी ग्रौद्योगिक नीति में ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन लाने की चेष्टा करें। मैं पुन: उद्योग मंत्री को धन्यवाद देता हूं। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, उद्योग के मामले में मैंने कटौता प्रस्ताव रखे हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन है कि बड़े कारखानेदारों को गाइडेंस देकर पैसा देकर कारखाना बनाने का जो ग्रब तक का तरीका रखा है इसके कारण कई कारखाने बंद हो गए ग्रौर मजदूरों को बेकारी मिली, इसके साथ ही सरकार के दिए हुए पैसों की वसूलियां नहीं हुई। उन कारखानेदारों के महल हैं, उनके पास गाड़ियां हैं ग्रौर ग्राज सेठ बने बैठे हैं। इस तरह जनता पर लगाया हुग्रा टैक्स का पैसा गया ग्रौर मजदूरों को बेकारी मिली। इसलिए वसूली नीति में सावधानी बरती जाए ग्रौर ऐसे लोग जिनके पास साधन हैं उनसे वसूलियां करनी चाहिए। इसके ग्रलावा कारखाने लगाने में वह नीति नहीं होनी चाहिए जिसे राजनैतिक पक्षपात कहते हैं। ग्रगर पक्षपात से कारखाना खोलने में कर्जा दिया गया, तो उस पैसे का वेस्टेज होगा। पक्षपात से कारखाना लगाने वाला ग्रादमी ऐसी जगह ले जाएगा जहां उस पर राजनैतिक मेहरबानी होगी, वह ग्रपनी सहूलियत के हिसाब से लाभ उठाएगा। ग्रभी सीमेंट उद्योग के बारे में चर्चा की गई थी, उसके लिए मेरा निवेदन है कि ग्रजमेर जिले में मसूदा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से चूने के लिए भारी मात्रा में पत्थर ग्रासपास के इलाके में ट्रकों द्वारा लाया जाता है। पहले भी वहां पर साहू जैन को बड़ा सीमेंट का कारखाना लगाने के लिए लाइसेंस दिया गया था। उन्होंने सर्वे कराया, जानकारी की। यह रिपोर्ट ग्राई कि कारखाना लगाने के लिये बहुत सीमेंट मिलने वाला था लेकिन वह कारखाना लग नहीं सका। ग्राखिर वहां से हटाकर दूसरी जगह ले गए ग्रौर दूसरे शहर के लिए लाइसेंस दिया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं ग्रपनी पार्टी का एकमात्र सदस्य हूं उस हिसाब से मुझे ग्राप समय दें तो ग्रापकी कृपा होगी।

बिड़ला ने भी वहां कारखाना लगाने की बात कही, उसको लाइसेंस मिला। ग्रभी भी मसूदा बहुत बड़ा कारखाना लगाने की गिनती में ग्राता है लेकिन उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ग्रगर वह कारखाना लग जाता तो बहुत बड़ी मात्रा में राजस्थान में सीमेंट देने वाला उद्योग होता। मेरा निवेदन है कि ऐसी जगह जहां पर जरूरत हो, जहां पर ऐसा मैटीरियल मौजूद हो, उसी जगह कारखाने खोले जाने चाहिए ताकि उस इलाके में उसका लाभ मिले।

(श्री नूरा)

यहां गलीचा उद्योग की बात कही गई। जहां ज्यादा ऊन पैदा होती है ऐसे और जिले होंगे, उनमें से अजमेर भी एक जिला है। अजमेर में पहले भी ऊन के कारखाने लगाने का बात हुई थी लेकिन वह दूसरे इलाके में चला गया। अजमेर एक ऐसा इलाका है जो पहाड़ी क्षेत्र है। वहां लोगों के पास कोई धंधा नहीं। एक एक बीघा जमीन पर एक एक परिवार बसा हुआ है, वहां के लोग ज्यादातर नौकरियों की तलाश में घूमते हैं और नौकरियां नहीं मिल पाने के कारण इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं। अगर कारखाना लगता है तो बेकारी मिट जाएगी और उद्योग भी अच्छे ढंग से पनप सकता है। जो गलीचे वाली स्कीम है वह भी ऐसे इलाके में पनप सकती है। उद्योग स्थापना के मामले में अगर पक्षपात न रखा जाए और जहां जहां उपयुक्त समझा जाय वहां खोला जाए। जहां जरूरत हो, जहां बेकारी हो, इस बात को मद्दे नजर रखते हुए कारखाना स्थापित करें और छोटे उद्योग खोले जायं तो लाभ मिलेगा। मेरा निवेदन है कि बड़े कारखानेदार छोटे कारखानेदारों को, छोटे उद्योगों को नष्ट करते हैं, न कि उनको पनपने देते हैं। छोटे कारखाने लगाने के साथ-साथ उन पर उसी तरह से नजर रखनी चाहिए जैसे कमजोर आदमी को डॉक्टर बार-बार देखता है। इसी तरह से छोटे उद्योग के लिए लोन भी दे दें लेकिन बाद में पैसे की जरूरत है और वह कारखाना बंद होता जा रहा है, फिर संभाल नहीं करें तो वह डूब जाएगा। इसलिए यह नहीं कि पहले पैसा दे दिया और बाद में नहीं दें। राजनैतिक पक्षपात उसमें नहीं आये। इस हिसाब से खड़ा किया जाए कि वह जिंदा रहे तो लोगों को भी उससे लाभ मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सीमेंट उद्योग को स्थापित करने के लिए मसूदा को प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता।

**श्री मनोहरसिंह मेहता (मान्डलगढ़):** सभापति महोदय, हमारे जिन ग्रामोद्योगों को अंग्रेज भी नष्ट नहीं कर सके उन को इस कांग्रेस सरकार ने पिछले तीस वर्षों के राज्य में नष्ट कर दिया। कांग्रेस सरकार ने उनको भुला दिया। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि गान्धीजी जब इंग्लैंड राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स में गए थे, वहां पर वह कान्फेन्स रात को दो दो बजे तक चलती थी तब भी हमारे गान्धी जी उस राउन्ड टेबल कॉन्फ्रेन्स से निपटने के बाद रात को दो बजे बाद चर्खा कातते थे। सभापति महोदय, गान्धीजी वहां पर चर्खा रात को दो बजे बाद भी नहीं भूलते थे। इसका मतलब यह था, वह जानते थे कि मैं भारत का वासी हूं। हमारे देश में लोग गांवों में रहते हैं। बिना ग्रामोद्योगों के हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमारे देश का जो नेशनल झण्डा बनाया गया है उस झण्डे में चर्खे का निशान भी है।

सभापति महोदय, यह तो गान्धी जी ने कर दिया लेकिन हमारे देश के

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

जवाहरलाल जी नेहरू प्रधान मन्त्री थे यह चाहते थे कि हिन्दुस्तान इंग्लैण्ड और अमेरिका बने। वह चाहते थे कि यहां पर ऑटोमेटिक मशीनें लगें। वह यह भूल गए कि हमारे यहां पर 65 करोड़ जनता है इसलिए हमारा देश इंग्लैण्ड या, अमेरिका नहीं बन सकता। हमारा देश भारत भारत ही रहेगा। उन्होंने ऑटोमेटिक मशीनें लगाकर हिन्दुस्तान को अमेरिका और इंग्लैण्ड बनाने की कोशिश की जिससे हमारे यहां के जो ग्रामोद्योग थे वह नष्ट हो गए। यही कारण है, सभापति महादय, गान्धी जी कहा करते थे कि हमारे में और जवाहरलाल नेहरू में इतना ही फर्क है कि नेहरू चाहते हैं कि अंग्रेज तो चले जायं पर अंग्रेजियत नहीं जाए और गान्धीजी चाहते थे कि अंग्रेज चाहे नहीं जाए पर अंग्रेजियत चली जाए। यही कारण है कि उन्होंने ग्रामोद्योग का विकास करने की बात कही। मैं भी स्पष्ट रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ग्रामोद्योग को बढ़ावा दें। ऑटोमेटिक मशीनों के चक्कर में न आयें। आप हमारे ग्रामोद्योगों को बढ़ावें।

**श्री मूलचन्द डागा :** सभापति महोदय, यह क्या कह रहे हैं? इनकी सरकार की वही नीति है जो कांग्रेस की नीति थी। उसी नीति की यह जनता पार्टी की सरकार पालना कर रही है। इनकी खुद की कोई नीति नहीं है तब यह उल्टा हमारे को ही दोष क्या दे रहे हैं?

**श्री सभापति :** माननीय, सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। व्यवधान नहीं करें।

**श्री मूलचन्द डागा :** सभापति महोदय, यह कांग्रेस सरकार की नीतियों की ही तो अनुपालना कर रहे हैं और हमें गालियां दे रहे हैं।

**श्री सभापति :** आप अपने कटौती प्रस्तावों तक ही सीमित रहें।

**श्री मनोहरसिंह मेहता :** सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें आज बड़े बड़े उद्योग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ग्रामों के विकास के लिए छोटे-छोटे उद्योग लगाने की आवश्यकता है जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काम मिले और उनका विकास हो। सभापति महोदय, सांगानेर मेरा गांव है। यह सांगानेर जयपुर के पास है वह नहीं है बल्कि वह सांगानेर है जहां कि मैं पैदा हुआ हूं। वहां सौ घर छीपों के थे और सौ घर ही जुलाहों के थे जिनके ग्रामोद्योग चलते थे। उन लोगों को बैठ कर बात करने की भी फुरसत तक नहीं थी। कांग्रेस शासन आने के बाद वहां पर मशीनें लग गयीं और वह बेचारे बेरोजगार हो गये। भीलवाड़ा में कपड़ा मिल खुल गयी है, कपड़े बन रहे हैं इस कारण वह बचारे बेकार हो गये। मैं यह नहीं कहता कि आप कारखाने मत लगाओ, आप कारखाने लगाओ लेकिन मकराना में मकराना के संगमरमर के पत्थर चीरने के लिए बड़े बड़े इस्पात के कारखाने लगाओ और यह जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं इन्हे तो पनपने दो।

सभापति महोदय, एक तरफ तो आपने खादी को प्रोत्साहन देने की बात की है, आप उन्हें पनपाने को जरूरत समझते हैं दूसरी तरफ आपने बड़े बड़े कारखाने

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

कपड़ों के खोल दिये हैं। उन मशीनों के आगे बेचारे खादी उद्योग वाले कैसे पनप सकते हैं चाहे आप कितनी ही सब्सिडी दें? इसी तरह अगर आप गाय को प्रोत्साहन देते हैं तो आपको गायों से घी मिलेगा, दूध मिलेगा, छाछ मिलेगी और गोबर मिलेगा जिससे खाद भी आपको मिलेगी। अब जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि खाद के कारखाने लगायें, मैं उनसे कहता हूं कि आप गायों का पालन करें तो खाद आपको अपने आप मिल जायगी। अब तो गोबर गैस का भी उत्पादन होने लग गया है। आप उनको प्रोत्साहन दीजिये, आपको काफी लाभ मिलेगा।

इसी तरह, सभापति महोदय, हमारे वहां पर पहले छपाई के काम के उद्योग थे वह भी नष्ट हो चुके हैं। आप उन लोगों को वापस उत्साहित कीजिये। सभापति महोदय, सौ घर छीपों के, सौ घर से ऊपर जुलाहों के थे, इसी प्रकार हमारे वहां पर दीगोद में लोहे के छोटे-छोटे उद्योग थे जहां से माल कोटा तक जाता था। कई लोहे के सामान बनते थे लेकिन अब वह अच्छे-अच्छे लोहे के सामान चाकू वगैरह कहीं नजर नहीं आते। अब चूंकि जनता पार्टी का राज्य आया है और उद्योग मन्त्री गान्धीजी में विश्वास रखते हैं, उनकी नीतियों में विश्वास रखते हैं इसलिये मैं समझता हूं कि ग्रामोद्योगों को जरूर प्रोत्साहन मिलेगा। बेकार ही कांग्रेस वालों ने एक हौवा खड़ा कर दिया कि आबादी बहुत बढ़ गयी है। वह यह नहीं सोचते कि एक व्यक्ति पैदा होता है उसको एक मुंह भगवान ने दिया है तो भगवान ने उसे दो हाथ भी दिये हैं।

इक मुन्डा के साथ में, हाथ हरि दिया दोय,
काम देवण्यो होय तो भूखो रहे न कोय।

तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आबादी आबादी चिल्लाने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप कांग्रेस वाले तो सिवाय स्टेरीलाइजेशन के कुछ नहीं करोगे। जब एक आदमी बेकार होगा, उसके पास काम नहीं होगा तो वह क्या करेगा आमोद-प्रमोद के सिवाय। इससे तो बच्चे ही होंगे लेकिन एक व्यक्ति अगर दिन भर काम करेगा तो मैं समझता हूं कि वह थक जायेगा और फिर उसे आमोद-प्रमोद का कहां ध्यान रहेगा। अरे यह गान्धीजी का देश है जहां ग्रामोद्योग से ही गांवों की जनता का भला होगा।

बस धन्यवाद।

**श्री सभापति** : आपने अपने कट मोशन पर तो कुछ भी नहीं कहा है।

**श्री मनोहरसिंह मेहता** : सभापति महोदय, एक बात कहना और चाहता हूं कि आप जो भी लघु उद्योग ग्रामों में लगावें उनके लिए मेरा सुझाव यह है कि आप उन उद्योगों को सहकारी समितियों के मार्फत ऋण दिलाकर नहीं खोलें। आप तो लघु उद्योग खोलने के लिए एक एक व्यक्ति को ऋण दिलायें और उसमें यह जरूर देखें कि कहीं वह व्यक्ति शराब तो नहीं पीता है। जो शराब पीता है उसे आप ऋण मत दीजियेगा अन्यथा वह शराब पीकर उस पैसे का नाश कर देगा और साथ में अपना भी नाश कर देगा।

**श्री सभापति** : श्री रामप्रसाद लड्ढा!

**श्री रामप्रसाद लड्ढा (भीलवाड़ा)** : सभापति महोदय, आज उद्योग की मांगों पर सदन में बहस चल रही है।

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

उस पर मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। सभापति महोदय, जिस प्रकार राजस्थान प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में हमारे देश के दूसरे प्रान्तों से पिछड़ा हुआ है उसी तरह राजस्थान दूसरे प्रदेशों से औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। मैं उद्योग मन्त्री जी को विशेष तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने हमारे यहां पर उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिये अब उद्योग मन्त्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सभापति महोदय, जहां पर जनता पार्टी की सरकार ने पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए बजट में प्रावधान किया है और अन्त्योदय योजना भी शुरू की है गांवों में गरीब परिवारों का स्तर उठाने के लिये वहां पर औद्योगिक विकास के बारे में भी प्रावधान रखा है। यह एक सराहनीय बात है जिससे कि लोगों की बेरोजगारी की समस्या का हल निकलेगा। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये वित्त मन्त्रीजी ने बजट में ग्रामोद्योगों को, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजना बनायी है। इसके लिये काफी कदम उठाने की राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके मार्फत उद्योग मन्त्रीजी को कि आपको अगर ग्रामोद्योगों का विकास करना है, तो आपको उन लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग देनी होगी जिससे कि वे लोग अपना लघु उद्योग लगायें और अपने उद्योग पर स्वयं निर्भर हो सकें। सरकार को उन्हें सभी प्रकार की फैसिलिटीज देनी चाहिये और जो भी जरूरत उन लघु उद्योगों को ही चाहे रॉ-मेटीरियल की हो, चाहे स्थान की हो, चाहे किसी की हो वह देनी होगी। उसी के साथ में जो वहां पर माल बन जाये उसके लिये उन उद्योगों के मालिकों को मार्केटिंग फैसिलिटीज मिलनी चाहिये जिससे उन लोगों का माल बिक जाये। नहीं तो वह लोग पनप नहीं सकेंगे। इसके साथ ही ऐसे लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये जो कि खेती से संबंधित हो।

सभापति महोदय, आज हमारे भीलवाड़ा में कई तरह की खानें हैं। वहां पर बहुत भारी मात्रा में रॉ-मेटीरियल आपको उद्योग लगाने के लिए मिल सकता है। वहां पर माइका की खानें हैं, लोहे की खानें हैं, सोप स्टीन की खानें हैं जिनके आधार पर आप कई उद्योग लगा सकते हैं। इससे वहां पर लोगों को काम मिल सकता है तथा वहां पर विकास भी हो सकता है। आपको उन उद्योगों को पनपाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिये। भीलवाड़ा में और मेरे ही क्षेत्र के पास खानें हैं जहां पर आप माइका पीसने का उद्योग लगा सकते हैं। इसके अलावा वहां पर गन्ना भी होता है। सन् 1962 में अशोक शुगर मिल्स कोऑपरेटिव आधार पर खोलने की योजना थी। वहां पर पानी भी है, मेजा डैम बन गया है, मेजा फीडर भी तैयार हो गया है इसलिये वहां पर पानी की बहुतायत है....

श्री सभापति : यह आप लिखा हुआ भाषण बोल रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लिखा हुआ नहीं बोल रहा हूं। मैंने जो कट मोशन रखे हैं उनके बारे में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर सन् 1952 में जो अशोक शुगर कोऑपरेटिव

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मिल खुलनी थी। उसके खुलने की आशा किन्हीं कारणों से धूमिल हो गई।

मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, उद्योग मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेजा डैम बन चुका है और मेजा फीडर बनने की तैयारी है। गन्ना मांडल और आस पास के क्षेत्रों में इस मेजा फीडर के बन जाने से और ज्यादा होगा। हम तीस साल से देख रहे हैं कि भोपाल सागर शुगर मिल्स हमारे गन्ने को उठाती नहीं है पूरा। बड़ी दुर्दशा मांडल के गन्ने की हुई है। मांडल के अन्दर गन्ने की बढ़ती हुई काश्त को ध्यान में रख कर और वहां की जमीन जो अच्छे से अच्छा गन्ना पैदा करती है उसको ध्यान में रख कर मेहरबानी करके वहां पर को-ऑपरेटिव सक्टर में शुगर मिल्स लगाइये।

मांडल का क्षेत्र एक ऊन उत्पादन क्षेत्र भी है। राजाखेड़ा, करेड़ा ऊन का केन्द्र है जहां पर हजारों मन ऊन बाहर से आती है। वहां पर ऊन का उद्योग भी स्थापित किया जाय। मैं आपको डेयरी उद्योग के लिये भी निवेदन करना चाहूंगा। न केवल मांडल बल्कि भीलवाड़ा जिले में डेयरी उद्योग को पनपाया जाय क्योंकि इसकी विशेष संभावना भी है। इससे लोगों को अच्छे से अच्छा दूध उपलब्ध हो सकेगा और काश्तकारों को यदि रोजाना दूध का पैसा मिलेगा तो उनकी माली हालत सुधरेगी।

इसी प्रकार, मांडल में माइन्स हैं, सोप स्टोन की माइन्स हैं, चायना क्ले हैं, वहां पर उद्योग खोलने का मौका है। इन पर बेस्ड जो भी उद्योग खुल सकें उनकी जांच करवा कर वहां पर उद्योग खोले जायें।

महादेव कॉटन मिल्स, भीलवाड़ा ने कॉटन मिल के नाम से बहुत बड़ी जमीन ले रखी है। जहां मिल खोलने वाले थे लेकिन वहां फैक्ट्री बन कर रह गयी है। इसलिये उसके पास जो अधिक जमीन है उसको वापस लेकर वहां पर मिल लगायी जा सकती है।

इसी के साथ मांडल के अन्दर राजस्थान सहकारी मिल बनी हुई है। उसमें काश्तकारों का पेमेंट 12 महीने से बाकी है। 1 लाख का पेमेंट बाकी है। काफी निवेदन करने पर भी पेमेंट नहीं हुआ है। उद्योग मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनसे काश्तकारों को पेमेंट कराया जाय।

मांडल क्रॉकरी इन्डस्ट्री चल रही है कच्चा माल वहां ज्यादा उपलब्ध है। रॉ-मेटीरियल की व्यवस्था को देखते हुये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मांडल और उसके आस पास के क्षेत्रों में क्राकरी के उद्योग को पनपाया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जिस प्रकार से सरकार ने पानी के लिए निगम बनाकर इस समस्या का हल करने की योजना बनाई है। उसी प्रकार से जिन उद्योगों के लिए मैंने अभी निवेदन किया है भीलवाड़ा जिले में उद्योगों की स्थापना की जाए।

**श्री सभापति** : माननीय श्री रावतराम!

श्री रावतराम (सुजानगढ़) : माननीय सभापति जी, आपके द्वारा मैं मेरे कटौती प्रस्तावों के बारे में माननीय उद्योग मन्त्री जी से कहना चाहता हूं ।

सबसे पहले, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, चूरू जिले में छापर एक जगह है । छापर में सेलाइन एरिया है जहां पर नमक का उत्पादन होता है । जब सेलाइन एरिया घोषित किया था तब जो अलॉटमेन्ट हुआ था उसमें बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को 100-100 एकड़ के प्लाट दिए गए और वह भी 99 साल की लीज पर आपने दिए। उस समय रूल्स अलॉटमेन्ट के नहीं बने हुये थे । आज आप रूल्स बनाते हैं कि दस साल से अधिक की लीज नहीं दी जावेगी । लेकिन उस समय आपने 99 साल की लीज पर सैकड़ों प्लाट दे दिए । आप जानकारी करें कि क्या 99 साल तक वे लोग चलते जावेंगे जिनको सैकड़ों एकड़ के प्लॉट दिए गए ? कितनी बड़ी विडम्बना है ? जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नमक बना सकते हैं उनको प्लॉट न देकर आपने सैकड़ों प्लाट बड़े लोगों को अलॉट कर दिए । माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसके सम्बन्ध में कदम उठायें क्योंकि इसको लेकर उस इलाके के लोगों में बड़ा भारी असन्तोष है । इसलिए पुराने एग्रीमेन्ट्स को खारिज करें, जो 99 साल की लीज के जो पट्टे दिए हैं और उनका नए सिरे से अलॉटमेन्ट करें । नए अलॉटमेन्ट में सरकार की पॉलिसी हो कि गरीब लोगों को और दूसरे लोगों को प्लॉट मिलें ।

इसके अलावा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जमाने में स्टेट का टाइम था उस समय एक बहुत बड़ी लैंड जिसमें अनाज पैदा नहीं होता था, को रिजर्व कर लिया गया । वहां पर हिरन रहते हैं । काला हिरन जिसको बोलते हैं वह वहां मिलता है । स्टेट के टाइम में हिरनों को रखा था । 1 हजार हिरन वहां पर आज रहते हैं। वे आस पास की खेती को बरबाद कर देते हैं । हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी रहती है वह हिरन के विचरने में काम में आती है । मेरा निवेदन है कि हिरनों को वहां से तब्दील करवाइये । हजारों एकड़ जमीन फालतू पड़ी हुई है वहां पर छापर में नमक की बड़ी इन्डस्ट्री खड़ी हो सकती है । हजारों को रोजगार दे सकते हैं । ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिये । छापर सेलाइन एरिया है । इसको गहराई में जाकर देखना चाहिये । कुछ लोगों ने मोनोपोली बना रखी है । वे लखपति हो गए हैं । मुझे विश्वास है और मेरा कहना है कि आप इस ओर जरूर ध्यान दें ।

इसके अलावा मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । राजगढ़ में आपने उद्योग बस्तियां बनाई । 1½ लाख का अलॉटमेन्ट किया मकानों के लिए । इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है । 50 हजार रुपये भी नहीं लगे । मकानों को कुछ ऊपर लाकर छोड़ दिया है । उनमें एक आदमी भी नहीं रह

(श्री रावतराम)

सकता । उनमें लोग पाखाना जाते हैं। लाखों की प्रापर्टी है । समझ में नहीं आता कि यह डिपार्टमेन्ट की नॉलिज में क्यों नहीं है ? अधिकारियों को देखना चाहिये कि इतनी बड़ी प्रापर्टी बेकार पड़ी है। आप मकानों को पूरा करायें । फिर चाहे गरीबों को अलॉट करें या किसी को करें। प्रापर्टी का उपयोग होना चाहिये। 12-13 साल से इस ओर उद्योग विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है । मैं चाहूंगा कि आपको इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिये ।

तीसरी बात एक और कहना चाहता हूं । हाथ कर्घा उद्योग बोर्ड, राजस्थान में दो एक साल से प्रभाव में आया है । इससे बड़ी उम्मीद थी क्योंकि यह बहुत बड़ा उद्योग है । राजस्थान के ग्रामीण इलाके में हजारों की तादाद में बुनकर रहते हैं । पुराने समय से ही वह हाथ से कपड़ा बुनने का काम करते आ रहे हैं । अब वह बेरोजगार हो गए हैं । एक तरफ आप लघु उद्योग स्थापित करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हालत यह है कि गांवों में रहने वाले बुनकर, कारीगर और जो कपड़ा बनाने का काम करते हैं वह लोग बेकार होते जा रहे हैं । यह कन्ट्रोवर्शल नीति कैसे पैदा होती जा रही है ? इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिये ।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चूरू जिले में ऊन का बहुत बड़ा सेन्टर है जो कि राजस्थान में टॉप पर है । जितना ऊन का उत्पादन चूरू जिले में होता है उतना राजस्थान में कहीं नहीं होता लेकिन आज चूरू जिले में न तो ऊन की कताई की व्यवस्था है और न बुनाई की व्यवस्था है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां जो चीज ज्यादा पैदा होती है वहां उसके लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिये और उससे सम्बन्धित उद्योग लगाने चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ कर्घा उद्योग के लिए आपने तीन जिलों को लिया है । मैं कहना चाहता हूं कि उसमें चूरू जिले को शामिल करें और ऐसे जिलों को उसमें शामिल करें जहां कि हाथ से बुनने वाले लोग ज्यादा हों । यदि आप जानकारी लेंगे तो आपको मालूम होगा कि कस्बे में और देहात में कितने बुनकरों की संख्या है और वहां कितने लोग बेरोजगार हैं । लोगों के पास काश्त करने के लिए जमीन नहीं है और दूसरे उद्योग नहीं हैं इसलिए वह बेरोजगार हैं । तो चूरू जिले को हाथ कर्घा उद्योग के नीचे लेकर उसको शामिल करना चाहिये। मैंने दो तीन बातें बताई हैं। सेलाइन एरिया के लिए तुरन्त आपको कदम उठाना चाहिये । वहां पर 99 साल की जो लीज दी है उसको तुरन्त खारिज करना चाहिए । हाथ कर्घा उद्योग के बारे में मैंने बताया और सुजानगढ़ बुनकर बस्ती के बारे में बताया । मैं चाहता हूं उद्योग मंत्री बड़े भले और सज्जन आदमी हैं और अनुभवी भी हैं, आपका तो खादी संस्थाओं से बड़ा लगाव रहा है इसलिये मेरे इन दो तीन पॉइन्ट पर विचार करके तुरन्त आपको

(श्री राघवराम)
एक्शन लेना चाहिये। इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कान्त!

श्री टीकमचन्द कांत (जालौर) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय आय किन साधनों से अधिक हो उस पर यह निर्भर करता है कि कौनसा देश विकसित है, कौनसा देश अर्धविकसित है और कौनसा देश अल्प विकसित है। भारत की राष्ट्रीय आय लगभग 70 प्रतिशत कृषि से है और जो विकसित देश हैं उनकी जो राष्ट्रीय आय है वह 70 प्रतिशत के लगभग उद्योग से है। देश को विकसित करना है, देश का यदि विकास करना है, देश के अन्दर राज्य का विकास करना है, राज्य के अन्दर किसी जिले का विकास करना है तो आवश्यक है कि उद्योग पनपें और उस जिले का, राज्य का या देश का औद्योगीकरण हो। उद्योगों का विकास देश और राष्ट्र के लिए बड़े महत्व का है। श्रीमान्, ज्यों ज्यों उद्योग पनपेंगे, त्यों त्यों कृषि पर जो एक भार बना हुआ है वह कम होगा। कृषि में जो लोग काम करते हुए दिखते हैं उनमें से भी 50 प्रतिशत लोग उद्योगों में समाये जा सकते हैं। पूर्ण बेकारी और अर्धबेकारी जो आज है वह कृषि पर भार है। इसलिए हम जो सभी आंकड़े दे रहे हैं कि हमारे देश में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं वह 80 प्रतिशत से 50 प्रतिशत पर पहुंच सकते हैं। 30 पर्सेन्ट पर भी यह आंकड़ा पहुंच सकता है, यदि इस देश का औद्योगीकरण होता है, तो इस दृष्टि को सामने रखते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का पनपाना है, लगाना है क्योंकि राजस्थान तो उद्योग में सबसे पीछे रहा है देश में सबसे पिछड़ा हुआ रहा है। इसी कारण से पिछले तीस वर्षों तक हम जैसा कि कहते हैं हम पराई दृष्टि से देख गये, राजस्थान के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ। अब मेरा ख्याल है कि राजस्थान की ओर केन्द्र की दृष्टि इस प्रकार की नहीं रहेगी और इसके पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए इसे अधिक से अधिक उद्योग मिलें, केन्द्र से अधिक से अधिक पैसा राज्य को मिले तो इसका पिछड़ापन समाप्त हो सकता है।

सभापति महोदय, एक वर्ल्ड इन्डस्ट्रीज फेयर लगा था। डागा जी के सुनने लायक बात है। उसके अन्दर कहते हैं कि जोधपुर में ट्रैक्टर बन रहे हैं और उसका नमूना दिखाया गया 20 फीट × 30 फीट का। कहा गया कि ट्रैक्टर का कारखाना जोधपुर को दिया जायेगा। वहां तो यह बताया गया था कि जोधपुर के अन्दर ऐसे नमूने का ट्रैक्टर बन रहा है। न जाने अब वह कहां गया कारखाना? कहते हैं कि श्री चन्दनमल जी वैद फ्रान्स के दो-तीन चक्कर लगाकर आ गये लेकिन कारखाना गायब हो गया। कहा तो गया था कि जोधपुर में स्कूटर का भी कारखाना होगा। अभी तो राजस्थान के अन्दर भी कहते हैं कि दो कारखाने बड़े मिलने वाले हैं। परन्तु जो पिछड़े हुए जिले हैं और जिन जिलों के अन्दर उद्योग नहीं हैं वहां उद्योग देने की आवश्यकता है। जैसे जालौर हमारा पिछड़ा हुआ जिला है और कारखाने मिल रहे हैं, इसमें हंसी की बात नहीं है

(श्री टीकमचन्द कान्त)

बिल्कुल गम्भीरतापूर्वक कह रहा हूं, क्यों न एक कारखाना उस क्षेत्र को मिले, क्यों न एक कारखाना उस जिले को मिले ? सौतेले प्रान्त के अन्दर सौतेला जिला जालौर जिला है। मेरे राजकीय गुरु श्री रघुनन्दन जी व्यास सदन में जालौर के बारे में बहुत कह गए। अभी ग्रेनाइट की बात भी उनके द्वारा कही गयी लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ग्रेनाइट के उद्योग को वहां बहुत अधिक विकसाया जा सकता है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी एक जो पॉलिशिंग मशीन अन्यत्र लग रही थी, उद्योग मंत्री जी से मैं मिला था तो उन्होंने कहा था कि वह जालौर में ही लगेगी। मैं फिर कहूंगा कि कृपया वह जालौर में ही लगे। सारा ग्रेनाइट वहां उपलब्ध है।

दूसरी बात मैं ऊन के बारे में कहूंगा। जालौर के अन्दर इतनी ऊन पैदा हो सकती है कि वह एक केन्द्र का पोषण कर सकता है। इतनी ऊन जालौर जिले में हो सकती है कि एक गलीचा उद्योग केन्द्र चल सकता है। इसी कारण और इसी दृष्टि से भी उद्योग मंत्री कृपया यह ध्यान रखें कि जालौर को एक गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र जरूर दें। यदि आई. टी. आई. भी इन पिछड़े हुए जिलों में खोले जायं तो कम से कम साल में पचास, सौ कारीगर वहां से कौशल सीखकर निकल सकते हैं और वे बाहर निकलकर औद्योगीकरण में सहायता कर सकते हैं, वे औद्योगीकरण में सहायक हो सकते हैं और पिछड़ा हुआ जिला आगे आ सकता है। इसलिए मेरी मांग है कि एक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक शिक्षा देने वाला कोई शिक्षण संस्थान जालौर को दिया जाय।

मान्यवर, बड़े बड़े उद्योगों की बात इसलिये जरूरी है क्योंकि उसके साथ ही औद्योगीकरण और विकास जुड़ा हुआ है। जहां तक गांवों की बात है उसमें यह कमी है कि बहुत से लोगों के पास उनके अपने स्वयं के उद्योग धंधे तो हैं लेकिन वे उद्योग पिछड़े हुए हैं। उन उद्योगों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है जैसे कुम्हार के लिये कोई नई चीज पैदा हुई है जिसे आप नवीन कह सकते हैं तो उसे दीजिये, भले ही कर्ज पर दीजिये। वह और उसका लड़का दोनों उस काम पर लग जायेंगे तो बेकारी कम होगी। खाती को सुनार को नये औजार दीजिये और उनके धंधों का ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटा)

नवीनीकरण कीजिये। औद्योगीकरण गावों का इसी रास्ते से हो सकता है। इसी प्रकार से गांवों के अन्दर विकास कर सकते हैं। बातें तो बहुत कहनी थीं, परन्तु समय के अभाव में यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्रीसमरथ लाल !

श्री समरथ लाल (राजगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने जो डिस्ट्रिक्टवाइज डाईजेस्ट दी है उसके अन्दर अलवर जिले के अन्दर उद्योगों की काफी सम्भावना बताई गई है। आपके विभाग के जरिये बताया गया है :

"Alwar District has a well developed infrastructure to support

(श्री समरथलाल)

a fast developing industrial base. There is no shortage of water and powar in the district. There are good rail and road connections to Delhi, Jaipur and other important places."

अलवर जिले के अन्दर इस प्रकार की सम्भावना होने के बावजूद अलवर जिले के अन्दर जो इण्डस्ट्री खोलीं, जो इण्डस्ट्री का सैट-अप की उनकी संख्या आपने 774 दी है। इन 774 इण्डस्ट्रीज में से अलवर शहर के अन्दर करीब 531 इण्डस्ट्रीज हैं। शेष 243 इण्डस्ट्रीज खेड़ली, खैरथल आदि गांवों में हैं। आपने ग्रामोद्योग के बारे में भी इसके अन्दर बतलाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो इण्डस्ट्री खुला हैं राजस्थान के अन्दर, जिस प्रकार का आधार अलवर जिले के अन्दर है, जो इण्डस्ट्री खुलीं वे जिला हैडक्वार्टर पर अधिक संख्या में खुलीं। गांवों के अन्दर इण्डस्ट्री नहीं है। आपने अपने बजट भाषण में भी कहा है कि राजस्थान के अन्दर गरीबी को हम दूर करेंगे। तो, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्थान गांवों का प्रदेश है जब तक इसके गांवों के अन्दर इण्डस्ट्री नहीं खुलेगी तब तक गांवों की जनता को और गांवों के गरीब को फायदा नहीं होगा इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि शहरों के बजाय गांवों के अन्दर इण्डस्ट्री ज्यादा खोली जायें, यही आधार होना चाहिये। तभी गांवों और शहरों में जो असमानता है वह मिट सकती है।

मैं राजगढ़ के बारे में निवेदन करूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में राजगढ़ एक ऐसा कस्बा है जहां आबादी हर समय घटी है। सन् 1951 के अन्दर राजगढ़ की आबादी 22 हजार थी, सन् 1961 के अन्दर राजगढ़ की आबादी 18 हजार रह गई और सन् 1971 में राजगढ़ कस्बे की आबादी केवल 14 हजार रह गई इस प्रकार मैं समझता हूं राजगढ़ एरिया की आबादी घटी। यह जो आबादी घटी उसका मुख्य कारण यह है कि पिछली सरकार ने उस एरिया के विकास के लिये और उस एरिया के औद्योगीकरण के लिये कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। आपसे निवेदन करना चहूंगा कि राजगढ़ एरिया के अन्दर तांम्बे का प्राजेक्ट चल रहा है हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा प्राजेक्ट है वह राजगढ़ एरिया में है ... ...

## सदन की कार्यवाही

### सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति जी, आज की डिमाण्ड्स के पारित होने तक सदन की बैठक का निर्धारित समय बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि आज की डिमाण्ड्स पास होने तक सदन की बैठक का निर्धारित समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

### मांग संख्या 41, उद्योग व मांग संख्या 42, ग्राम और लघु उद्योग पर अग्रेत्तर वादविवाद

श्री समरथलाल : माननीय सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि राजगढ़

(श्री समरथ लाल)
एरिया के अन्दर जब रिसोर्सेज हैं तो किस प्रकार से आबादी घटी ? इसका दोष पिछली सरकार के ऊपर है। मैं मौजूदा सरकार के उद्योग मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से आबादी यदि फिर घटी तो इसका दोष आपके ऊपर आयेगा।

राजस्थान के अन्दर राजगढ़ में वन सम्पदा प्रचुर मात्रा में मिलती है। मेरी मान्यता है, राजगढ़ के अन्दर लाइम स्टोन सबसे अधिक निकलता है क्योंकि वहां लाइम स्टोन का बाहुल्य है। इसी प्रकार कई प्रकार के कीमती पत्थर निकलते हैं। उनका सर्वेक्षण किया जावे। उसके आधार पर आपको पता लगेगा कि राजगढ़ के अन्दर वास्तव में इस प्रकार के पत्थर हैं जिन से हम राजस्थान की इकॉनामी बढ़ा सकते हैं और राजगढ़ की और अलवर जिले की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। लाइम स्टोन के पत्थर हैं। छोटे-छोटे भट्टे हैं। इसके अलावा 7-8 साल पहले वन विभाग की तरफ से वहां सर्वेक्षण किया गया था कि वहां सीमेंट की फैक्ट्री लगाने का योजना कामयाब हो सकती है। इसलिये, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा कि सीमेंट का कारखाना राजगढ़ के अन्दर खोला जाये।

आपको मालूम ही है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजगढ़ एरिया के अन्दर करीब 25 हजार बुनकरों की जन-संख्या है। वे बुनकर अपने काम-धन्धे के अन्दर बड़े निपुण हैं लेकिन उनको धन्धा नहीं मिलने की वजह से बेरोजगार हैं।

राजगढ़ तहसील के अन्दर अधिक लोग मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। वे दिल्ली की तरफ जाते हैं या जयपुर की तरफ जाते हैं या आगरा वगैरह जाते हैं। उन्हें उनकी आजीविका के लिये कोई धन्धा नहीं मिलता। अब तक शहर के अन्दर अधिक इण्डस्ट्रीज कायम की गईं। अब जो भी उद्योग-धन्धे कायम किये जायें वे गांवों के अन्दर कायम किये जायें। यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री माधोसिंह जी।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : मुझे भी बोलना है।

श्री सभापति : पहले जो सूची में हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा। आपको बाद में।

माननीया श्रीमती मदन कौर !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री करतार सिंह !

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : आपके माध्यम से, सभापति जी, मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं। अजमेर जिले के बारे में मैं अपनी मांग रखूंगा। अजमेर जिला उद्योग की दृष्टि से बिल्कुल नकारा गया है। जो राज्य सरकार ने नीति निर्धारित की है तथा पिछड़े जिलों की जो घोषणा की है, उसमें भी अजमेर का नाम नहीं है, इससे न केवल मुझे ही दुःख हुआ है बल्कि अजमेर जिले की समस्त जनता को दुःख हुआ है।

(श्री करतारसिंह)

अजमेर जिला औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी उसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया गया। अजमेर जिले में कुल मिलाकर 8-10 बड़े बड़े कस्बे हैं जिनमें किशनगढ़, नसीराबाद, विजयनगर, ब्यावर, केकड़ी आदि मुख्य मुख्य कस्बे हैं। जो वर्तमान में वहां उद्योग-धन्धे है उनको मद्दे नजर रखते हुए और लोगों के उत्साह को देखते हुये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस जिले को भी पिछड़ा हुआ घोषित किया जाय। किशनगढ़ में 300 पावर लूम फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो अपने आप में रिकार्ड है। इसी प्रकार ब्यावर में सीमेन्ट का कार्य है और ऊन का कार्य चल रहा है राजस्थान प्रदेश में देश की 40 प्रतिशत ऊन पैदा होती है। प्रश्नोत्तर काल में माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि ऊन उद्योग में ब्यावर का दूसरा स्थान है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ब्यावर मे गलीचा उद्योग लगाया जाय। इसी प्रकार केकड़ी का जो एरिया है वहां कपास इतना होता है कि काफी उद्योग-धन्धे कपास से सम्बन्धित चल सकते हैं। इसी प्रकार नसीराबाद में बीड़ी उद्योग है जो गरीबों का धन्धा है और उनकी जीविका का साधन है। अतः मेरा निवेदन है उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अजमेर जिले को पिछड़ा घोषित किया जाय।

अजमेर जिले के लिये संक्षेप में मुख्य-मुख्य बातें ही निवेदन करूंगा। कृषि के क्षेत्र मे भी अजमेर जिले में अच्छा उत्पादन होता है। ऑइल सीड अजमेर में बहुत होती है, चिली भी होती है। खनिजों की दृष्टि से भी अजमेर का स्थान अच्छा है। फैराइट, फ्लोराइट, माइका, लाइमस्टोन, सोप स्टोन आदि कई मिनरल्स विद्यमान हैं जिनको देखते हुये अजमेर जिले में उद्योग लगाना आवश्यक है। सभापति महोदय, उद्योग तभी लगाये जा सकते हैं जब राज्य सरकार की तरफ से जो उद्योगपति हैं, उनको किसी प्रकार की रियायतें दी जाय। इसी प्रकार अजमेर जिले में और खास तौर से मेरे क्षेत्र में सुरसुरा ग्राम में चूना इतना अधिक मात्रा में होता है कि उसको जयपुर तक काम में लाया जाता है। इसी प्रकार काला पत्थर संगमरमर का भी है। यह अभी किशनगढ़ के पास निकलना शुरू हुआ है तो वहां भी स्टोन क्रशिंग की फैक्ट्री लगाई जा सकती है। आज वहां इसके कारखाने न होने से वहां के लोगों को मुनाफा न होकर दूसरे लोगों को हो रहा है। इसी प्रकार रूपनगढ़ में छपाई और रंगाई का काम बहुत अच्छा होता है। वहां अभी काम बन्द पड़ा है। भूतपूर्व किशनगढ़ राज्य के टाइम में बहुत काम होता था लेकिन आज वह बन्द है। आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं, इन छोटे छोटे कस्बों में, जो अजमेर जिले में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उद्योगों की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिये जरूर कोई कारगर कदम उठाना चाहिये। अजमेर जिले में आर. एम. आई. डी सी. की तरफ से चार क्षेत्र डवलप किये हैं दो अजमेर में एक किशनगढ में और एक ब्यावर में। ब्यावर में अलग इण्डस्ट्रियल क्षेत्र भी डवलप कर रहे हैं। अजमेर में एच. एम. टी का कारखाना है, साथ ही अजमेर जिले में 5-7 मिलें भी है, किशनगढ में आदित्य मिल, ब्यावर में एडवर्ड मिल, लक्ष्मी मिल, विजयनगर में काटन मिल, अजमेर में दो

# Page No 106

(106)



(श्री करतारसिंह)

तोशनीवाल एन्टरप्राइज भी है। इस प्रकार छोटी-मोटी लगभग 400 इण्डस्ट्रीज आज के दिन वहां मौजूद है। इन सबको मद्दे नजर रखते हुये, अजमेर नगर की बेकारी की समस्या को मिटाने के लिये और उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिये अजमेर जिले को पिछड़ा हुआ घोषित करें। जैसा आपने कहा, पिछड़े जिलों में उद्योगपतियों को 15 प्रतिशत रियायतें दी जाती हैं। वे उद्योगपतियों को दी जायें ताकि उस क्षेत्र में नवीन उद्योग लगा सकें व उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल सके।

इसके अलावा जो दूसरा कटमोशन है मेरा वह यह है कि रूपनगढ़, अराईं, हरमाड़ा कस्बों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करें। आज तक देखा गया है कि बड़े बड़े शहरों को ही पिछड़ा हुआ घोषित करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि रूपनगढ अपने आप में महत्व रखता है और अराईं में भी विद्युत व पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब कस्बों की पांच-पांच हजार की आबादी है। इन सब चीजों को देखते हुये आप अवश्य ही इन कस्बों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करें ताकि उद्योगपतियों से उद्योग लगवाने हेतु हम निवेदन कर सकें।

तीसरा कटमोशन का प्रस्ताव जो मैंने रखा है वह जो आप ऋण संस्थाओं को गरीब लोगों को बांटने के लिये देते है उससे सम्बन्धित हैं। उस ऋण के बारे में मेरा प्रेक्टिकल अनुभव है। मेरे खुद के गांव में 6-' आदमियों, तेलीनियों को हाथ कर्घे का लोन दिया है वह दूसरी संस्था समाज कार्य एवं अनुसंधान के मार्फत दिया है। वह संस्था उन गरीब आदमियों को फायदा न पहुंचाकर मध्यस्थता का काम कर रही है। तो मेरा निवेदन है जो लोन आप दें उसका जो प्रोसेस है वह आसान करें और बीच वाले लोगों को न पनपने दिया जाय। दूसरा जो लोन देने के बारे में क्राइटेरिया अपना रखा है उसके अनुसार लोन देने के लिये केवल स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर को ही अधिकृत कर रखा है यानि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ही उन लोगों को लोन देता है जो उद्योग लगाना चाहते हैं। मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह है कि अजमेर जिले में तथा हर कस्बों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखायें नहीं मिलती हैं इसलिये राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके जरिये लोन दें ताकि लोन लेने वालों को भी सुविधा हो सके और आसानी से लोन मिल सके....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनट।

(4.53 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो गारन्टी सिस्टम रखा है, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आपको भी इस बारे में अनुभव है, कौन आदमी ऐसा होगा जो उन गरीबों की गारन्टी देगा? गरीब आदमियों की गारन्टी लेने में हर आदमी को संकोच होता है और वह गारन्टी देने से हिचकिचाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार खुद गारन्टी ले और गरीबों को लोन देवे। जो हाथ कर्घे के लिए एक हजार का लोन देते हैं उसमें भी एक प्रॉब्लम है। वे अपना तैयार माल कहां ले जायंगे?

(श्री करतारसिंह)

इसलिये उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिये। उनके रॉ-मेटीरियल और रॉ-मेटीरियल से बने पक्के माल के बाजार के लिये भी आपको ध्यान रखना होगा। एक साल में यदि किसी ने ढाई हजार का कच्चा माल खरीदा है यदि उसका बना माल नहीं उठा तो उसका नुकसान होगा। अतः उस नुकसान से उसको बचाने का भी आपको ध्यान रखना होगा।

तीसरी चीज हाथ कर्घा के सम्बन्ध में और है। उसको आप एक लूम देते हैं और एक हजार का लोन देते हैं। उसमें भी वास्तविक स्थिति यह है कि कार्य प्रारम्भ करने के लिये उसमें एक ताने की जरूरत होती है और उसके लिए उसको 7-8 सौ का खर्चा करना पड़ता है। इसलिये निवेदन है जो एक लूम का लोन देते हैं तो उसको ताना बनाने के लिए भी लोन अलग से दें।

चौथा कट मोशन मेरा यह है कि कृषि आधारित स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज खोलें। इसमें मेरा निवेदन है कि एग्रीकल्चर बस्ड इन्डस्ट्रीज होनी चाहिए। चाहे खादी की खोलें मुझे एतराज नहीं परन्तु गांवों में लघु उद्योग खोलने का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर सम्बन्धी होना चाहिये। जो खेतिहर मजदूर है और जो गांवों में खेती सम्बन्धी धन्धा करना चाहते हैं उनको खेती (कृषि) पर आधारित लघु उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहन देवें ताकि कृषि मजदूरों की स्थिति सुधर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आपका दो मिनट का समय समाप्त हो चुका है।

श्री उगमराज !

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा है कि अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जावे। इस संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि गत तीस वर्षों में अजमेर जिले की घोर उपेक्षा की गई है। वहां पर कोई बड़े उद्योग या छोटे उद्योग पनपने नहीं दिए गए। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान, माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अजमेर जिले में तीन मिलें हैं जो एन. टी. सी. के अन्तर्गत चलती हैं। दो मिलें ब्यावर में है और एक विजयनगर में है जो एन.टी.सी. के अण्डर में चलती हैं। इनके बारे में भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं जो माननीय श्री मेजर साहब ने परसों कहे थे। उसमें कुछ बातें रह गईं, मैं आपका ध्यान उनकी ओर दिलाना चाहूंगा। उनमें 49 प्रतिशत शेयर राजस्थान सरकार के हैं और 51 प्रतिशत शेयर केन्द्रीय सरकार के हैं। वहां पर लाखों रुपयों का घोटाला है। वहां पर बिना टेंडर के लाखों रुपयों का सामान खरीदा गया है, लाखों रुपयों की मशीनें खरीदी गई हैं, लाखों रुपया बिना टेंडर के बिल्डिंग की रिपेयर के नाम पर खर्च किया गया है। हजारों रुपये शराब के लिए एण्टरटेनमेंट के नाम पर अकाउन्ट्स में डेबिट किए गए हैं। माननीय उद्योग मन्त्रीजी का ध्यान मैं आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा कि एडवर्ड मिल में 36 लाख का घाटा हुआ है, महालक्ष्मी

(श्री उगमराज मेहता)

मिल में 31 लाख का घाटा हुआ है और विजयनगर मिल में अलग से है। सब कुल मिलाकर करीब दो करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं माननीय उद्योग मन्त्रीजी से कहूंगा कि आप इसकी ओर अवश्य ध्यान दें और केन्द्रीय सरकार पर प्रेशर डालें कि वहां के अधिसंचालक श्री कावड़िया और वहां के जनरल मैनेजर मि. शर्मा को तत्काल निलम्बत किया जावे और उनके खिलाफ इन्क्वायरी बिठाई जावे। इसके विषय में माननीय गृह मन्त्रीजी से भी निवेदन किया था। माननीय गृह मन्त्रीजी ने यहां से सी. आई. डी. के इंस्पेक्टर मिस्टर चड्ढा को भेजा। परन्तु वहां के जनरल मैनेजर मिस्टर शर्मा हैं उन्होंने उसके आते ही डिनर दिया और उसके बाद जो जो करना था वह किया और उनको समझा लिया। रात भर में उन्होंने गड़बड़ी की, हेराफेरी की और दूसरे दिन वह जाकर इन्क्वायरी करते हैं। इसके बारे में मेरे पास तथ्य है। नवजीवन संघ ने माननीय प्रोफेसर साहब को लिखा कि चार किलो मीट और तीन बोतलें शराब की उनके डिनर के लिए मगाई गई। इसके बाद पता नहीं उस इन्क्वायरी का क्या हुआ, उसमें कुछ मिला या नहीं। इसकी फोटोस्टेट कॉपी मेरे पास है कि उन्होंने किस प्रकार का घोटाला किया। उसके बाद हेराफेरी करके उल्टे मेरे खिलाफ में और माननीय संसद सदस्य श्री करणजी शारदा के विरुद्ध मिस्टर नाहर ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में दफा 500 में एक केस दर्ज किया गया है। खैर, उसका तो मैं जवाब दूंगा लेकिन मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच अविलम्ब करायें। मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि आप केन्द्रीय मंत्रीजी को कह कर इनको फौरन यहां से हटायें। मैंने केन्द्रीय मंत्रीजी को भी तीन चार चिट्ठियां लिखी थीं और उनका जवाब भी मेरे पास आया है।

अब मैं दूसरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ब्यावर में सीमेंट प्लाण्ट के लिए रॉ-मेटीरियल बहुत है। करीब सौ साल तक दो बड़ी फैक्ट्रियां सीमेंट की चल सकती हैं इतना प्रचुर मात्रा में रॉ-मेटीरियल है। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ब्यावर में सीमेंट का मिनी प्लाण्ट लगाने की जरूर परमीशन दी जावे, लाइसेंस दिया जावे। उसमें कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं है। 90 लाख की स्कीम है वह मैंने आपको दिखाई भी है, माननीय मंत्री महोदय, वहां पर फैक्ट्री लगाने को भी तैयार हैं। इससे पूर्व ब्यावर और अजमेर जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करावें। केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल कर शीघ्रातिशीघ्र इसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जावे ताकि वहां पर इंडस्ट्रीज लगाने वालों को, नए उद्योग लगाने वालों को ज्यादा सुविधा मिले।

दूसरे मैं इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दो करोड़ का प्रोसेसिंग हाउस खोलने जा रहे हैं। आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें कि यह प्रोसेसिंग हाउस ब्यावर में ही खोला जाय।

इसके अलावा जो एस. एस. आई. की यूनिटें हैं, उनका माल तैयार होता है। राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की जो इंडस्ट्रीज हैं, आर. एस. ई. बी. है उनके द्वारा इन्हीं एस. एस. आई यूनिट्स का

(श्री उगमराज मेहता)

माल खरीदा जावे। जिस प्रकार कि 25-7-77 को यहां असेम्बली में घोषणा की थी कि एस. एस. आई. के यूनिटों का माल ही खरीदा जाएगा। परन्तु मुझे खेद है कि उसी दिन एक करोड़ रुपयों का माल खरीदा गया जो बाहर की यूनिटों से खरीदा गया और वह भी जो बंसीलालजी, भूतपूर्व रक्षा मंत्री थे उनके रिश्तेदार हैं उन्हीं का माल खरीदा गया है एक करोड़ का। यहां की यूनिटों को भी आर्डर बाद में मिला है लेकिन वह बहुत थोड़ा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस आर्डर को केंसिल करके यहां की यूनिट का माल खरीदा जाय।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो माल लिया जाता है आर. एस. ई. बी. के द्वारा एस. एस. आई., लघु उद्योगों का, उनका माल स्टॉक में पड़ा रहता है। उनको टाइम पर पर्चेजिंग आर्डर नहीं मिलता है। ईसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उनको समय पर पर्चेजिंग आर्डर मिले, उनका माल समय पर निकाल लिया जावे और उनको राहत दी जाय।

अब मैं आपको विद्युत के बारे में निवेदन करूंगा। इस समय ब्यावर में तीन-चार इंडस्ट्रीज हैं जिनकी मशीनें लग चुकी हैं लेकिन उनको विद्युत कनेक्शन नहीं मिल रहा है। श्रीमान को भी मालूम है, आप खुद भी उनका इनआगरेशन करने वाले हैं, उनको पॉवर कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं माननीय सम्पतरामजी से भी दो दफा निवेदन कर चुका हूं, जो आपके पड़ौस में ही बिराजते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उनसे कहें कि ब्यावर में यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पावर कनेक्शन की। इसका कोई न कोई हल ढूंढा जाय।

मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी को एक बात के लिए धन्यवाद जरूर दूंगा, जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद में यह घोषणा की गई थी कि ब्यावर में गलीचा उद्योग लगाया जायगा। इस सम्बन्ध में शायद आप आदेश दे चुके हैं जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के हर क्षेत्र में मुख्यत: औद्योगीकरण के क्षेत्र में पिछड़ापन है। पिछले तीस वर्षों में निकम्मी और अयोग्य सरकार ने भारत सरकार के सामने कोई भी समुचित योजना पेश करके, उसको परश्यू करके किसी भी तरह से राजस्थान के अन्दर जो खनिज का उत्पादन होता है उसके विकास के लिए उन पर आधारित उद्योग स्थापित करने में असफल रही। राजस्थान सरकार अपना पक्ष भारत सरकार के सामने नहीं रख सकी। ऊन, मिनरल इत्यादि के मामलों में बिहार के बाद राजस्थान अग्रणी है। इन चीजों के बारे में भी राजस्थान सरकार भारत सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी। इस सम्बन्ध में अपने पक्ष को प्रस्तुत नहीं कर सकी। अब नई सरकार ने जो आशायें

(श्री किशनसिंह भाटी)

बधाई है उसके लिए वह बधाई की पात्र है। लेकिन अभी भी असन्तोष बहुत है। भारत सरकार ने आज तक भी राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं किया है जब कि महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, बिहार के लिए और दूसरे प्रान्त बंगाल वगैरह के लिए भारत सरकार ने काफी किया है। जनता पार्टी की यह नीति है, केन्द्रीय सरकार की भी यह नीति है कि क्षेत्रीय असन्तुलन समाप्त होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से इस प्रदेश में जो असंतुलन है, उस असतुलन को समाप्त करने के लिए भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को पूरा हिस्सा देना चाहिये और राजस्थान सरकार को भी अथक प्रयास करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं यह भी कहूंगा कि राजस्थान सरकार को स्वयं को भी अपना दृष्टिकोण इसी प्रकार का बनाना चाहिए। भारत सरकार से ऊन इत्यादि उद्योगों के लिए पैसा लेने के लिए जिस सिद्धान्त को लेकर चलते हैं और भारत सरकार से मांग करते है उसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि ऊन के मामले में चालीस प्रतिशत पूरे राष्ट्र के उत्पादन में राजस्थान सहयोग देता है इसलिए जितना प्रतिशत ऊन का उत्पादन करता है, उतना ही हिस्सा मिलना चाहिये। मैं चाहूंगा कि जिस आधार पर राजस्थान सरकार भारत सरकार से पैसा लेती है उसी आधार पर जिलों का उत्थान करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिलों में औद्योगीकरण करने के लिए राज्य सरकार को भी नीति अपनानी चाहिए। इसी तरह से देखा जाय तो एक दफा भारत आने पर ख्रुश्चेव द्वारा कलकत्ता के बारे में कहा गया था कि एक ही जगह पर केन्द्रीयकरण हो रहा है, चाहे आबादी की बात हो, चाहे औद्योगीकरण की बात हो या और कोई स्थिति हो। इस कारण शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। इस तरफ राजस्थान के उद्योग मन्त्री महोदय को, मुख्य मन्त्री महोदय को और राजस्थान के मन्त्रि मण्डल को खास तौर से ध्यान देना होगा। यह नहीं कि पशु चिकित्सा का क्षेत्र हो तो भी जयपुर, पशुपालन का क्षेत्र हो तो भी जयपुर, उद्योग क्षेत्र हो तो भी जयपुर और यहां तक कि मुर्गी पालन का केन्द्र हो तो भी जयपुर में होगा। जयपुर में हर तरह से केन्द्रीकरण आप करना चाहते हैं। राजनैतिक शक्तियों का केन्द्रीकरण आपने किया है, उसी तरह से औद्योगीकरण की दिशा में भी, आर्थिक विकास की दिशा में भी आपका यही तरीका है। आपको केन्द्रीकरण की यह प्रवृत्ति त्यागनी होगी। मूल चिन्तन तो आप इस बात का करते हैं कि ग्रामों का विकास हो। ग्रामीणों के आप शुभचिन्तक बनते हैं। तो आप यह जो क्षेत्रीय असन्तुलन है, उसको पहले मिटावें। आप पूरे राजस्थान के विकास का दृष्टिकोण रख कर चलें चाहे वह पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर जिला हो। ये राजस्थान के पिछड़े इलाके हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन जिलों की सात पीढ़ियां भी पिछड़ी रहें तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते है कि पश्चिमी राजस्थान का विकास हो तो उसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान का भी विकास हो तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। परन्तु आज जो क्षेत्रीय डिस्पेरिटीज हैं, उनको मिटाया जावे। हमें इस तरह के विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए परन्तु साथ

(श्री किशनसिंह भाटी)

ही सही तरीके से काम होना चाहिए। जैसे अन्त्योदय की योजना ली गयी है उसी तरह से अन्त्योदय जिलों के लिए भी शुरू कीजिए। औद्योगीकरण में भी आप अन्त्योदय का सिद्धान्त लागू कीजिए इस दृष्टिकोण से कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं, चाहे वे बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले हों या जैसलमेर, बाड़मेर जिले हों, कोई भी इलाका हो, औद्योगीकरण के क्षेत्र में जो पिछड़े जिले हैं उनको प्रायोरिटीज पर लेकर उनमें अधिक उद्योग-धन्धे लगावें। इस दृष्टिकोण से आप विचार करें। इस दृष्टिकोण से आप अपने इलाके के अन्दर काम कीजिए। श्रीमान मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि जैसलमेर में इन्डस्ट्रीज को पोटेंशियलिटीज हैं। आपकी सरकार को मैं यह चेलेन्ज करता हूं कि इस पुस्तिका में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे सारे आंकड़े गलत है। किसी एक जिले के बारे में कह दिया कि यहां पर पशुधन है। किसी दूसरे जिले के बारे में कह दिया कि यहां पर लैंदर है। कहीं पर यह कह दिया कि यहां पर ज्यादा एनीमल्स हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि यह बुक्लेट जयपुर में बैठ कर निकाल दी गई है। जैसलमेर का सर्वे डाक बंगले में बैठ कर किया गया, यह आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपके इन फिगर्स को चुनौती देता हूं। जैसलमेर-बाड़मेर के इलाके में रॉक फास्फेट प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा काले डूंगर में बहुत ज्यादा कोयला है परन्तु आपके सर्वे में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है जब कि पुराना सर्वे कलकत्ता की कम्पनी ने किया था, उसमें ये सब आंकड़े हैं। उसके आधार पर इतनी इन्डस्ट्रीज में से एक इन्डस्ट्री आप जैसलमेर को दीजिए। सीमेन्ट के कारखाने की सब मांग करते हैं, मैं उस होड़ से नहीं कहता सीमेन्ट का कारखाना खोलने के लिये परन्तु मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना चाहता हूं कि जसलमेर में पीला पत्थर है, जिसे पीला संगमरमर भी कहते हैं। उसका जो बुरादा है, वह बहुत ही सॉफ्ट है। यह सीमेन्ट की बेस्ट क्वालिटी है। वहां पर ट्यूब वेल्स भी खोदे जा सकते हैं। जैसलमेर के भूगर्भ में पानी है। वहां पर पानी की भी कोई कमी नहीं है, चाहे वैसे पानी न हो परन्तु भूगर्भ में काफी पानी उपलब्ध है। सीमेन्ट का अच्छा बुरादा होने के कारण सीमेन्ट का कारखाना वहां पर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर-बीकानेर के बीच में जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चाहे आप इसका कारखाना बीकानेर में स्थापित कर दीजिए चाहे जैसलमेर में। करोड़ों टन यह जिप्सम मोहनगढ़ से जा रहा है। यहां से जिप्सम सिन्दरी को जाता है और फिर वह गंगानगर के किसानों को बेचा जाता है। इतना खर्चा भी होता है। क्या वजह है कि वहां पर इसका कारखाना न लगाया जावे? जैसलमेर-बीकानेर के किसी भी इलाके में आप यह कारखाना लगा सकते हैं। वहां पर अरबों टन जिप्सम अवेलेबल है। वहां पर जिप्सम का कारखाना लगाया जाना चाहिए। वहां पर रॉ मैटीरियल है और आने वाले 150 वर्षों तक वह खत्म नहीं होने वाला है।

पशु आधारित उद्योग भी वहां पर लगाए जा सकते हैं। ऊन का बड़े से बड़ा कारखाना आप वहां पर लगा सकते हैं।

(श्री किशनसिंह भाटी)

जैसलमेर में ढाई करोड़ रुपये की ऊन सालाना होती है। वहां पर करीब दो ढाई लाख भेड़ें हैं। उस भेड़ की ऊन की क्वालिटी भी अच्छी है। सीकर की ऊन वैसे अच्छी है परन्तु दूसरे नम्बर पर मोहनगढ़, जैसलमेर का ऊन है। वहां के भेड़ की ऊन की केपेसिटी ज्यादा है। एक भेड़ से सालाना पौने दो किलो ऊन मिल जाती है जब कि सीकर की भेड़ से 300/400 ग्राम के करीबन ऊन एक बार में उतरती है। इस दृष्टि से भी जैसलमेर आगे है। वैसे मोहनगढ़ में भी अच्छी नस्ल की भेड़ें है। हमारे वहां पर एक ऊनी खादी परिषद नाम की संस्था काम कर रही है। उसका ऊनी माल हिन्दुस्तान भर में जाता है। जैसलमेर में यह परिषद् ऊनी खादी का लगभग 8 लाख का प्रोडक्शन करती है। वह हर बार प्रदर्शनी में फर्स्ट आती है। वहां का काम इतना अच्छा है कि आज टूरिस्ट भी जैसलमेर में आ रहे है। फ्रांस में, यूरोप में यह धूम मच गयी है कि हिन्दुस्तान के किसी कोने में उतरो, चाहे बम्बई, मद्रास, दिल्ली में जाओ, परन्तु जैसलमेर जरूर जाओ। यह एक टूरिज्म का सेन्टर हो गया है। जो भी विदेशी आता है वह ऊनी खादी परिषद् से खादी के ऊनी गारमेन्टस खादी के चीजें लेकर जाता है। वहां पर ऊनी खादी की मेरिना की शालें, तिब्बती ऊन के कम्बल बनते हैं। लोकल ऊन के भी बनते है। मेरा अभिप्राय यह है कि वहां पर इण्डस्ट्रीज की पोटेन्शियलिटी है।

आज हमारे यहां पर यह होड़ लगी हुई है कि कोई भी बजट आवे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से उसको अलवर, जयपुर और दूसरे बड़े शहरों में खर्च करने के लिये सोचा जाता है। जैसलमेर में कोई कारखाने लगाने के बारे में नहीं सोचा जाता है। यह जो आपसी होड़ है, यह ठीक नहीं है। एग्रीकल्चर का कोई बजट आता है तो वह एग्रीकल्चर के इलाके में लगे, चाहे वह गंगानगर हो या कोटा हो। वह बजट एग्रीकल्चर के एरिया में ही खर्च होना चाहिए, दूसरी जगह पर नहीं। जहां पर ग्रामोद्योग लगाने की गुंजाइश है जैसे जैसलमेर, वहां तो कम से कम ये ग्रामोद्योग लगाए जाएं। इसमें भी होड़ हो रही है। कम से कम ये उद्योग तो जैसलमेर को मिलने चाहिए। मेरा अभिप्राय यह है कि जिस इलाके में जिस इण्डस्ट्रीज की सम्भावना हो, वह वहां पर लगाई जावे। वह योग्यता की कसौटी पर कस कर लगाई जानी चाहिए।

सूखी गोदी बनाने की बात यहां पर कही जा रही है। वह जैसलमेर में होनी चाहिये। एक समय था, काबुल, गांधार, चीन इन सब से व्यापार का मुख्य केन्द्र जैसलमेर था। किसी जमाने में जैसलमेर में काफी धनाढ्य व्यापारी रहते थे। प्रेमसिंह जी पटवा जैन वहीं के हैं जो आजीविका हेतु कोटा में बसे हैं। किसी जमाने में जैसलमेर अकेले शहर में 2800 जैन परिवार थे। यह पटवा हवेली स्थापत्य कला में अद्वितीय है। आज वहां पर इनके 18 घर भी नहीं हैं। और भी कितने ही व्यक्ति थे। वहां पर 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के थे। ऐसे भी कई गांव हैं जो मोहनजोदड़ों की टक्कर के हैं। जैसे कुल घर खाभा आदि के खण्डहर। आज से 500-600 वर्ष पूर्व यह शहर कितना खुशहाल था, यह आप वहां जाकर देख सकते है। यह शहर

(श्री किशनसिंह भाटी)

इतना खुशहाल था कि मेरे देखते देखते 600 ऊंट गल्ला लेकर रामगढ़ व बाय हकूमतों के रास्ते करांची की साइड से वहां पर नित्य आया करते थे। यह धंधे का अच्छा स्थान था। जैसलमेर की पटवा हवेली दर्शनीय है। आबादी के आंकड़े भी आप देखिए। जोधपुर शहर की आबादी बढ़ी है, जयपुर की आबादी बढ़ी है और दूसरे शहरों की आबादी बढ़ी है परन्तु जैसलमेर की आबादी वो की वो है जो आज से 300-400 साल पहले थी। क्या यह हमारे लिए शर्मनाक नहीं है विकास के युग में। इतने बड़े विकास के युग में शहरों का विस्तार हो रहा है परन्तु जैसलमेर वहीं का वहीं है जहां आज से 300-400 वर्ष पूर्व था। वहां आबादी आज भी करीब करीब वही है। हम यहां पर विकास की डींग हांकते हैं तो क्या कारण है इसका कि जब भी कोई बजट आता है तो हम क्षेत्रीयवाद में बह जाते हैं, इलाके के प्रेम में बह जाते हैं और हर तरह से बजट के पैसे को अपने इलाके के अन्दर खींच कर ले जाना चाहते हैं। जैसलमेर इस होड़ में नहीं पड़ना चाहता है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं, मेरा अभिप्राय यह है कि जिस चीज की जिस इलाके में पोटेन्शियलिटी हो, जिस उद्योग के विकास की, विस्तार की जहां पर गुंजाइश हो, वह उद्योग वहां पर लगा कर उस एरिया का विकास किया जाना चाहिए। सारे विकास का ठेका कोई दिल्ली, जयपुर ही नहीं ले सकते।

इसी तरह से जो पशु आधारित उद्योग हैं वे तो कम से कम जैसलमेर को दिए जाने चाहिए। आखिर यह जो 16 हजार 62 वर्ग मील का एरिया है, उसको मैं अकेला ही रिप्रेजेन्ट करता हूं। क्या आप यह चाहते है कि एक ही व्यक्ति इस एरिया को रिप्रेजेन्ट करता रहे। इसकी आबादी न बढ़े, विकास न हो,

आज परिवार नियोजन दूसरी जगह पर जरूरी है, परन्तु जैसलमेर के लिए जरूरी नहीं है। दूसरी जगह पर आबादी ज्यादा है, बेकारी है। भूतपूर्व सैनिकों को जैसलमेर में बसाया जा रहा है। भूमिहीनों को वहां पर जमीन दी जा रही है। यह इसलिए कि आप देखते है जैसलमेर में कि पोटेन्शियलिटी है। वहां पर नहर भी आने वाली है। वह आयेगी जब आयेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि जनसंख्या को, बेरोजगारों को खपाने की पोटेन्शियलिटी वहां पर है। भेड़, गाय, ऊंट का नाम लेते हैं। जैसलमेर में खपाने की पोटेन्शियलिटी है। गंगानगर जैसे चार जिलों को अकेला जैसलमेर खपा सकता है। मेरा अभिप्राय यह है कि आप इम्बेलेन्स को दूर करना चाहते हैं, राजस्थान का सम्पूर्ण विकास चाहते हैं तो जैसलमेर में ओ. एन. जी. सी. का काम चालू रखें। इसका यहां पर पहले जिक्र आया है। इस सम्बन्ध में मैं मुख्यमन्त्री जी के साथ बहुगुणाजी से मिला हूं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है परन्तु आश्वासन के बाद भी बड़े डिसपरेट हेल्ट में वापस आप कर रहे है क्योंकि जो इन्जीनियर हैं वे नैनीताल में रहना चाहते हैं वे जैसलमेर के धोरे में काम नहीं करना चाहते हैं।

मैं भारत सरकार के आंकड़ों को चैलेंज देता हूं इस असेम्बली माध्यम से। वहां पेट्रोल है और गैस है, अनाप-शनाप गैस है। लेकिन केवल रहने की असुविधा

(श्री किशनसिंह भाटी)
के कारण उसको वाइण्ड अप किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि ओ. एन. जी. सी. को जाने मत दीजिए। जयपुर और झालावाड़ भी उस गैस से फायदा उठा सकता है।

पशुपालन के लिए जैसलमेर से बढ़ कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। उस को दूसरा डेनमार्क बनाया जा सकता है। एक पशु आधारित इण्डस्ट्री हमको भी दीजिए। यह इण्डस्ट्री जिला अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत देनी चहिए। वहां पर सीमेन्ट, जिप्सम आदि की इण्डस्ट्री चल सकती है भारत सरकार की नीति के अनुसार हर जिले में इण्डस्ट्री होनी चाहिए। परन्तु मेरा जिला इण्डस्ट्री में एक अपवाद है। हमें इण्डस्ट्री के द्वारा प्रास्पेरिटी नहीं करने देते हैं। राज्य में दूसरे जिले जिस स्तर पर सभ्यता से जुड़े हुए हैं, उनके बराबर आप हमें कर दें। आप हमें उनके बराबर आने दें या नहीं लेकिन अभी आप जो चार-पांच कारखाने खोलने जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसमें जैसलमेर और बाड़मेर भी हिस्सेदार हैं। जैसलमेर का पत्थर यलो मारबल है। उसके कप और प्लेट बनते हैं। करीब 2500 छीपे व सिलावटे यहां से करांची गये हैं। वहां पर कोई रोजगार नहीं है। मैं समझता हूं कि उद्योग मन्त्री जी राजस्थान के सबसे अधिक पिछड़े हुए इलाके की ओर जरूर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह !

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उद्योग मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कोटा और दूसरे बड़े बड़े शहरों में उद्योग स्थापित कर रखे हैं, उनको जो भूमि आपने दी थी, उसका उन्होंने कोई उपयोग नहीं किया है। जब काश्तकार अपनी भूमि का उपयोग नहीं करता है आप उसको अवाप्त करने का नोटिस देते हैं। आप फैक्ट्री लगाने के लिए हजारों बीघा जमीन उनको लीज पर देते हैं। वह उनको इस शर्त पर दी जाती है कि इतनी जमीन पर उनको फैक्ट्री लगानी होगी। लेकिन वह इस उस शर्त की पूर्ति नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं उस जमीन को अवाप्त करके गरीबों को योजना के अन्तर्गत मुहैया करायें?

दूसरे जहां तक राजस्थान में उद्योग का प्रश्न है राजस्थान उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। खास तौर से मैं जिला टौंक का जिक्र करना चाहूंगा। इण्डस्ट्री के नाम पर वहां पर एक टैनरी है उसकी एलायड इण्डस्ट्री हो सकती है। दूसरी और सेग्रेट इण्डस्ट्री हो सकती है। उससे और भी लोगों को रोजगार मिल सकता है।

इसी प्रकार से लघु उद्योगों को जो ऋण दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि टौंक में जो ऋण दिया गया है, उसका सही उपयोग नहीं हुआ है। विभाग ने उस बारे में कोई जांच नहीं की है। कोई जांच नहीं की गई है कि जिस काम के लिए ऋण लिया गया है उस में उसका उपयोग किया गया है या नहीं? इसलिए मैं

(श्री दिग्विजयसिंह)

माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन मुद्दों पर जरूर ध्यान दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमराव सिंह डाबरिया !

श्री उमराव सिंह डाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वह है आपका उद्योग, सहकारिता और ग्रामीण उद्योग। मैं जनता पार्टी की नीतियों के लिए जनता पार्टी को इस बात के लिये तो धन्यवाद देता हूं कि उसने कम से कम ग्रामीण किसानों का नाम लेना अपने मैन्डेट और अपनी नीतियों में स्वीकार किया है। 30 साल तक कांग्रेस का शासन चला है। महात्मा गांधी ने जिन सिद्धांतों को देश में प्रतिपादित करने पर जोर लगाया था उनका नाम लेने वाले देश में 30 साल तक काम करते रहे हैं। उन्होंने गावों में शहरों के लोगों को नहीं बसाया है, यही कारण है कि जो आबादी बढ़ी है वह शहरों में ही बढ़ी है। गांवों की आबादी शहरों में आकर बसी है। अकेला कलकत्ता शहर सारे राजस्थान की आधी आबादी लेकर खड़ा है। बम्बई और कानपुर जैसे बड़े बड़े शहर खड़े किये जाते हैं। यह सारे देश के लिए अभिशाप बने हुए हैं। क्योंकि जो हाथ का काम करने वाले नहीं हैं हस्तकला का काम करने वाले नहीं है, एग्रीकल्चर का करने वाले नहीं हैं वे लोग वहां पर रहते हैं। उनके खाने और पीने के लिए सामग्री मुहैया की जाती है छोटे और गरीब किसानों के पास से ले जा कर। उन गरीब की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से, लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय तो है नहीं, उद्योग मन्त्री जी हैं, उनको दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अभी अभी केन्द्रीय उद्योग मन्त्री जार्ज फर्नांडीस यहां आये थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने यह कहा था कि हम जो भी लाइसेंस देंगे इण्डस्ट्री के लिए वह बड़े शहरों के लिए नहीं देंगे। ऐसे उद्योग लगाये जायेंगे, ऐसी कोशिश करूंगा कि जिससे किसान के बेटे को काम करने का मौका मिल सके। उद्योग मन्त्री जी, जो सहकारिता मन्त्री भी हैं,से मैं निवेदन करूंगा, कांग्रेसी समाजवाद का नाम बहुत बुलन्द किया करते थे। समाजवादी व्यवस्था के अनुसार काम करने की बात भी करते थे। सहकारिता भी उसका एक बहुत बड़ा अंग है। सहकारी समाज व्यवस्था देश में लाई जा सकती है पर इस संस्था को इतना बदनाम किया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सहकारिता पर बाद में मांग है।

श्री उमराव सिंह डाबरिया : इसमें सहकारिता भी है। भीलवाड़ा में रानी उद्योग सहकारी समिति है। वहां पर बुनकर सहकारी समितियां चली यह सब लिक्विडेशन में पड़ी हुई हैं और लोगों के अन्दर हजारों रुपया ज्यों का त्यों बकाया है। वह क्यों बकाया है? उसका एक खास कारण है कि कांग्रेस के लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि उद्योग की सहकारी समितियां यहां पर पनपें। मैंने 1964-65 के अन्दर एक आदमी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
का नाम लेकर इस सदन में कहा था कि उसने 1 लाख 40 हजार रुपये घाणी उद्योग के नाम से लिये। वह बनिया का बेटा था। तो इस तरह से हमारे यहां पर उद्योग के नाम से लोगों ने मखौलबाजी की। आज भी मैं यह कहना चाहता हूं कि लघु उद्योगों के लिये आपने एक सेल बना रखा था। राजस्थान के अन्दर हाथी-दांत का जो रॉ-मैटीरियल है, मैं माननीय उद्योग मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप इसकी जांच करायें। खास तौर से बालोतरा और उसके आस पास राजस्थान के कुछ हिस्सों में रॉ-मैटीरियल दिया जाता है। मैं बनेड़ा से आता हूं, उस गांव में भी रॉ-मैटीरियल एक आदमी को दिया गया। उसको अब भी मिलता है। आज करीब 12 साल हो गये उसको रॉ-मैटीरियल मिलते हुये पर वह एक पैसे की चीज भी वहां पर नहीं बनाता है। वह दिल्ली में सारा रॉ-मैटीरियल किसी को दे देता है और वही उसका पैसा देता है।

प्लास्टिक उद्योग के लिये आपने बहुत सारे लाइसेंस दे रखे हैं। उसका उपयोग मैं समझता हूं 80 पर्सेन्ट यहां पर नहीं होता। इसकी जांच करने के लिए मैंने पहले भी कहा था।

जो इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स आपने बनाये हैं, आपने भिवानी में स्टेनलेस स्टील का कारखाना बनाया। हम भीलवाड़ा में रहते हैं लेकिन कभी भी स्टील की कटोरी या कोई बर्तन भिवानी का हमने नहीं देखा। इसकी जांच कराई जानी चाहिये कि जिस सेठ को आपने यह दे रखा है क्या उसके कारखानों में इलेक्ट्रिसिटी का कन्जम्पशन होता है या नहीं होता है? कारखाना चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी का कन्जम्पशन भी होना चाहिये और उससे सरकार को आमदनी होनी चाहिये। इसके अलावा प्रोडक्शन ड्यूटी के जरिये से भी आमदनी होनी चाहिये।

कॉटन के बारे में भी यही स्थिति है। मैं समझता हूं कि छोटे उद्योग राजस्थान का जो कार्पोरेशन है वह चलाता है। पर आज रॉ-मैटीरियल बांटने का जो तरीका है उसके आधार पर जिनको यह दिया जाता है, क्या वह काम में लेते हैं या नहीं, इसकी जांच नहीं होती। इसलिये मैं माननीय उद्योग मन्त्रीजी से कहूंगा कि जो इण्डस्ट्रीज डेड पड़ी हुई हैं और घाटे में हैं, जो सोसाइटीज बन्द हो गई हैं उनको फिर से चालू किया जाना चाहिये, उनको फिर से खड़ा किया जाना चाहिये और को-ऑपरेटिव के आधार पर छोटे छोटे उद्योग चलाने के लिए राजस्थान के गांवों में सहायता दी जानी चाहिये।

आज हरिजनों का जहां पर सवाल आता है, लोग कहते हैं कि वे लोग बेकार रहते हैं और झाड़ू देने के सिवाय कोई काम नहीं करते हैं। मैं उद्योग मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आसाम में जाकर देखिये, दक्षिण में जाकर देखिये, हम लोग एस्टीमेट कमेटी के मेम्बर की हैसियत से गये थे, वहां पर बहुत सी सहकारी समितियां बांस की और दूसरी चीजों की हैं। हरिजनों की बस्तियों में कई प्रकार के उद्योग चलाये जा रहे हैं। उनके लिए

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है। रॉ-मैटीरियल दिया जाता है। उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, स्कूल भी चलते हैं और सेमीनार भी लगाये जाते हैं जिससे वह उसका लाभ उठा सकें। लेकिन हमारे राजस्थान में किसी भी गांव में हरिजनों को किसी प्रकार का उद्योग चलाने के लिए न तो प्रोत्साहन दिया गया, न प्रशिक्षण ही दिया गया और न किसी प्रकार के उद्योग चलाए गए। हमारा राजस्थान पीछे रहता है, वह क्यों पीछे रहता है? इसका भी एक कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तीस साल में राजस्थान के अन्दर जितने भी कारखाने लगे; आप गिनती करें तो कुछ ही करोड़पति या अरबपति लोग हैं जिन्होंने ये कारखाने लगाए हैं। आप इस बात को याद रखिये कि 17 साल तक श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया राज्य के मुख्य मन्त्री बने रहे, वे कोई भी ऐसा बड़ा कारखाना जो स्टेट सेक्टर के अन्दर हिन्दुस्तान में दूसरी जगह लगे हैं, राजस्थान के अन्दर नहीं ला सके। किस कारण से नहीं ला सके? मैं आपसे कहना चाहता हूं यह नहीं है कि हिन्दुस्तान की सरकार राजस्थान को कारखाना नहीं देना चाहती थी, यह बात नहीं है कि भारत सरकार राजस्थान में कारखाने नहीं लगाना चाहती थी। यह बात कई बार चली कि फर्टिलाइजर का कारखाना कहां लगाया जाय, गंगानगर में लगाया जाय या बीकानेर में लगाया जाय। परन्तु आपकी भूतपूर्व सरकार ने नहीं लगाया, इसका क्या कारण है? इसका एक खास कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वह कारखाना कोटा में लगाया गया। जो डा. सी. एम. वाले हैं वह फर्टिलाइजर और दूसरी चीजें भी बनाते हैं। उस कारखाने के उद्घाटन में मैं गया था, वहां के एम. एल. एज. को भी बुलाया गया था। उन्होंने वहां पर कहा कि Chief Minister of Rajasthan is one of my family members उसके बाद में मैं यहां पर आया और एक प्रश्न पूछा। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान उनका फेमिली मेम्बर है इसलिए उस कारखाने को तीन पैसे यूनिट की बिजली दी गई। राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक महीने के अन्दर 11 लाख का घाटा हुआ और उस घाटे को पूरा करने के लिए मैंने प्रश्न पूछा था। आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च करके डीजल का एक टरबाइन लगाया जो आज बन्द हालत में पड़ा हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया लगाने के बाद एक यूनिट भी बिजली उससे पैदा नहीं होती तो हमारे जो भूतपूर्व शासक थे उन्होंने बड़े लोगों से दोस्ती करने के लिए कुछ कारखाने हमारे यहां पर लगाने की कोशिश की और वह कारखाये लगाये गये। आप गिनती कर लीजिये कितने परिवार हैं जिन्होंने ये कारखाने लगाये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सारी दुनिया का सफर करने के बाद हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री दोनों यहां आये और भेड़ और ऊन के विकास के लिए बड़ी बड़ी बातें कहीं। जैसलमेर के इलाके में ट्यूबवैल्स लगाये।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

माननीय सभापति महादय, मैं दो मिनट और लूंगा।

यह सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन गरीब लोगों के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं करा सके। इनकी हमेशा दोस्ती बड़े-बड़े लोगों से रही। इसका एक नमूना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कमानी ब्रदर्स हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा अरबपति है। राजस्थान सरकार ने एक कारखाना, जो उदयपुर का रेल्वे स्टेशन है उसके सामने लगाने के लिए उसको जमीन खरीदने के लिए चार करोड़ रुपया उधार दिया। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपका इस मामले में स्पष्ट जवाब चाहूंगा कि चार करोड़ रुपया लेने वाले कमानी ब्रदर्स का क्या उदयपुर में कारखाना लगा? अगर नहीं लगा तो चार करोड़ की वसूली के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इसी तरह से जे. के. सिन्थेटिक्स वालों को, जिनका कारखाना कोटा में है, 70 लाख रुपया उधार दिया और इसलिए दिया कि जो कारखाना है उसको वहां पर डवलप करें। मैं पूछना चाहता हूं और मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था कि क्या उन्होंने वहां पर 6 आने का बोल्ट भी लगाया है? दूसरी जगह कारखाने जरूर लग गए पर राजस्थान के कोटा के कारखाने में हमारे पैसे से कोई विकास नहीं हुआ। राज्य सरकार ने इसी तरह से बड़े बड़े पूंजीपतियों को पनपाया।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, उदयपुर में जिंक स्मेल्टर का कारखाना लगा हुआ है। इस कारखाने के लिए मैंने सदन में आधे घन्टे की चर्चा रखी थी, उसमें कहा था कि 4½ करोड़ रुपये ही हिन्दुस्तान सरकार ने और 3½ करोड़ रुपये राज्य सरकार ने दिए हैं, यह उस पूंजीपति को इसलिए दिये कि यह कारखाना जल्दी बने परन्तु यह कारखाना नहीं बना। तब मैंने कहा कि भारत सरकार को इसे अपने हाथ में लेना चाहिए। उस समय राम प्रसाद लड्ढा मन्त्री थे, उन्होंने जवाब दिया वह बिलकुल रद्दी और गलत था। उन्होंने कहा कि वहां मशीनरी आ गई। नतीजा यह हुआ कि जो अध्यादेश फैक्ट्री लेने के लिए केन्द्रीय सरकार ने निकाला वह पंजाब हाई कोर्ट में खारिज हो गया। और दुबारा अध्यादेश लाकर उद्योग को अपने हाथ में लेना पड़ा। जब यहां की कमेटी वहां गई तब वहां पर एग्जीक्यूटिव अधिकारी से पूछा कि मशीनें क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मशीनें कहां हैं? वे तो बम्बई पोर्ट पर पर पड़ी हुई हैं जिनका डेमरेज का झगड़ा चल रहा है। सरकार अगर डेमरेज माफ कर दे तो मशीनें लेकर लगाई जायेंगी। इसलिए रेलवे और हमारे बीच लिखा-पढ़ी चल रही है।

मैं उद्योग मन्त्री से निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। इसमें 49 प्रतिशत शेयर्स राजस्थान सरकार के हैं, इतना होते हुए भी सारे उद्योग पर कब्जा साहू जैन का है। आप जानते हैं कि जब इमर्जेंसी घोषित की गई तब एलान था कि कोई उद्योगपति तालाबंदी नहीं करेगा। पर उसी इमर्जेंसी के अन्दर 8 महीने तक इस कारखाने में तालाबन्दी रही और हजारों मजदूर बेकार बैठे रहे। जिस उद्योग में

(श्री उमरावसिंह डाबरिया)

हमारी सरकार के 49 प्रतिशत शेयर्स हैं उस कारखाने को अपने कब्जे में लेना चाहिए। आज वहां की क्या हालत है? इसलिए आप छोटे गांवों में उद्योग-धन्धे लगायें। इसके साथ-साथ बड़े-बड़े लोगों को आपने लाखों करोड़ों रुपए दे रखे हैं वे लोग राजस्थान में उसका उपयोग नहीं कर पाये, उनसे एकदम वसूल करने की कार्यवाही आपको करनी चाहिये। अब आप यहां पर आए हैं, आपने जिन नीतियों और सिद्धान्तों को अपनाया है उनके लिए मैं आभारी हूं, लेकिन वे तब अच्छे लगेंगे जब इन्हें कार्य रूप में परिणित करें। खास तौर से निवेदन करूंगा कि जो उद्योग सरकार अपने हाथ में ले सकती है, जिसमें सरकार के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, उसे ले और सही मायने में चलाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणसिंह !

श्री कल्याणसिंह कालवी (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्षजी, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए एक बात की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज तक राजस्थान में जो कुछ साधन उपलब्ध थे उनसे उद्योग नहीं पनपे, इसके क्या कारण हैं? इसके प्रसार व प्रचार के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी, वे क्या उद्योग संबंधी जानकारी रखते हैं? आर. ए. एस. व आई. ए. एस. होने पर ही हर क्षेत्र की जानकारी रखना आवश्यक नहीं है। आज जितने भी प्रशासकीय सेवाओं के लोगों को इन तकनीकी धंधों की जिम्मेदारी दे रखी है उसके कारण ये उद्योग धंधे पनप नहीं पाये क्योंकि उनको तकनीकी ज्ञान नहीं है उल्टे ये रोड़े अटकाते हैं। आज जितने भी अधिकारी जिलों में हैं वे उद्योग धंधे पनपाने के बजाय परेशानियां ज्यादा पैदा करते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। जो आपके जिला उद्योग कार्यालय हैं उनमें तकनीकी लोगों को ही रखा जाए।

अजमेर राजस्थान में प्रमुख स्थान रखता है उसको औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित न करना अजमेर के लोगों के साथ अन्याय है। इसलिए कुछ कार्यवाही उद्योग मंत्री इस बारे में कर सकें और अजमेर जिले को न्याय दिला सकें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। वहां जिन उद्योगों के पनपने की संभावना है उनमें रोलिंग मिल्स भी हैं। वहां रेल्वे वर्कशाप से लाखों टन स्क्रेप निकलता है, सारा स्क्रेप पंजाब व दिल्ली जाता है उससे अनेक औद्योगिक नगर पनपते रहे हैं। अजमेर में नई रोलिंग मिल्स जो लगाना चाहते हैं उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है न बिजली की, न पानी की। लिहाजा राजस्थान में अगर उद्योगों को पनपाना है तो बिजली बोर्ड और जल विभाग का आपस में कोआर्डिनेशन इस तरह से होना चाहिए कि जनता के काम जल्दी हों। लिहाजा सब बातों का ध्यान रखते हुए इन उद्योगों को पनपाया जा सकता है।

अजमेर जिले में ऊन का उद्योग अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। ब्यावर, केकड़ी आदि क्षेत्रों में अच्छी मात्रा में ऊन निकलती है। वहां पर यदि प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायं तो बहुत अच्छे गलीचे तैयार हो सकते हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है।

(श्री कल्याणसिंह सांखला)

किशनगढ़ में पावर लूम फैक्ट्री है वहां 3500 लूम्स लगे हुए हैं। पर सरकार का सहयोग न मिलने के कारण करीब दो हजार लूम्स वहां पर बंद पड़े हैं। अगर उनको पूर्ण रूप से सहयोग मिलता रहे तो और भी बढ़ने की संभावना है। साथ ही प्रासेसिंग प्लांट लगे और किशनगढ़ में बनने वाला सारा कपड़ा पंजाब व अहमदाबाद न जाकर वहां पर प्रोसेस हो तो लोगों को काम मिले और कपड़ा भी सस्ता मिले।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ। श्रीमती श्यामा कुमारी!

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती श्यामाकुमारी।

श्रीमती श्यामाकुमारी (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पशुओं पर आधारित उद्योगों के विषय में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। उसमें से जो आपको उचित लगें उन्हें आप राजस्थान में प्रारम्भ करना और जो उचित नहीं लगें तो कोई बात नही। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारा जो राजस्थान है वह एक रेगिस्तानी प्रदेश है। रेगिस्तानी प्रदेश होने के नाते हमारे यहां पर जो रेगिस्तान का जहाज है जिसको हम ऊंट कहते हैं उसके जो बाल होते हैं और उसकी जो चमड़ी होती है उस पर आधारित हमारे यहां पर लघु उद्योग खोले जा सकते हैं। उनका विकास कैसे हो सकता है उसके बारे में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहती हूं।

श्रीमान, ऊंट के जो बाल होते हैं उसको जट कहते हैं। उसके बालों से आज भी कई गांवो में दरियां बनती हैं वह बहुत ही अच्छी बनती हैं। अगर राजस्थान सरकार इसमें कुछ टैक्निकल सुधार करके, इसको रिफाइन्ड करके इस उद्योग को पनपाये तो इसका काफी विकास हो सकता है और इस उद्योग से बनी हुई दरियां न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भेजी जा सकती हैं जिससे हमें अच्छा फॉरिन एक्सचेन्ज मिल सकता है।

इसके साथ ही हमारे यहां जो ऊंट है उनके बच्चे होते हैं उन्हें हम टोडिया कहते हैं। उनकी जो ऊन होती है, उनके जो बाल होते हैं वह नर्म होते है। उससे कोट वगैरह बनाये जायं तो काफी अच्छा उद्योग वह हो सकता है। मुझे याद है कि मेरे पिताजी एक बार बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह जी के साथ आज से करीब 45 साल पहले विलायत गये थे। वहां से एक हजार रुपये में उस समय एक गर्म ओवर कोट टोडियों की ऊन का बना हुआ लाये थे। वह बहुत गर्म था। उसको काफी काम में लिया गया और आज भी वह कोट अच्छी हालत में पड़ा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि अगर हमारे यहां पर टोडियों के बालों से गर्म वस्त्र बनाने की गावों में कॉटेज इन्डस्ट्रीज खोला जायं तो काफी लोगों का रोजगार गांवों में मिल सकता है। साथ ही हम विदेशी मुद्रा भी इससे अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही बीकानेर में जो ऊन पायी जाता है भेड़ों की, उसका भी काफी काम होता है। उसको अगर रंग करके काम में लिया जाय तो थोड़े से इम्प्रूवमेन्ट से काफी अच्छी विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है और लोगों को काम भी मिल सकता है।

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर गांवों में मोची जूतियां बनाते

(श्रीमती श्यामाकुमारी)

हैं । अगर आप थोड़ी सी उन लोगों को ट्रेनिंग देकर, थोड़ा जूतियों में सुधार करके उनकी डिजाइनों में जरा सुधार करके स्वदेशी जूतियां बनवा कर विदेशों में भेजें तो आज जो विदेशों में हमारी जूतियां पॉपूलर हैं वह काफी अच्छा मारकेट आपको दिला सकती हैं । उससे मैं समझती हूं कि आप अच्छा फोरिन एक्सचेन्ज भी प्राप्त कर सकते हैं तथा गांवों के इस ग्रामोद्योग को काफी विकसित कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही ऊन के मशीनों से मोजे भी हमारे यहां पर बनाये जाते हैं जो कि महिलायें अपने घर बैठी बना सकती हैं । इन मशीनों की कीमत ज्यादा नहीं है । पांच सौ रुपये में यह मशीन आ सकती है । इसके भी आप अगर थोड़े ट्रेनिंग सेन्टर खोल दें और थोड़े ऋण की व्यवस्था उन मशीनों के लिए कर दें तो मैं समझती हूं कि गांवों में महिलाओं को घर बैठें काफी काम मिल सकता है । थोड़ा सा आप अगर प्रोत्साहन उन लोगों को दें तो जो औरतें सब दिन भर खाली बैठी रहती हैं उन्हें भी काम मिल सकता है ।

इसी प्रकार छोटे उद्योगों में तेल निकालने की घाणियां होती हैं, इस उद्याग को बढ़ावा दें तो तेल निकालने के छोटे उद्योगों का विकास गांवों में हो सकता है ।

इसी तरह निटिंग की मशीनों से जरसी वगैरह बनाने के लिये अगर आप गांवों में औरतों को एक महीने की ट्रेनिंग देकर जरसी बुनने के लिये दे दें तो वह स्वेटर उन मशीनों से बना सकती हैं । इस लघु उद्योग का भी विकास कर सकते हैं । इससे सरकार महिलाओं को काफी काम गांवों में दिला सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र कपासन में पिछली कांग्रेस सरकार ने लघु उद्योगों के नाम पर बुनकरों का केन्द्र शुरू किया था जिसमें राज्य सरकार ने हजारों रुपयों का खर्चा किया था । यह भी बताया गया कि इसका भवन बना हुआ है और रजिस्टर भी मेनटेन मजदूरों के नाम पर किया गया । ऐसा भी बताया गया कि मजदूरों को दो रुपये महीने का रोजगार भी दिया जाता है । पर यह सभी झूठे रजिस्टर थे । वहां पर कोई भवन नहीं था । मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर राज्य सरकार कहीं पर लघु उद्योग खोलती है तो कम से कम राज्य सरकार का यह दायित्व है कि उनके लिए इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति करे ताकि वह जाकर उसका चैकिंग करे, इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी हो जिससे कि वहां पर स्थानीय एम. एल. ए. जाकर चैकिंग करे कि वहां पर कुछ काम हो रहा है या नहीं । ता इस तरह से कई छोटे-छोटे उद्योग आज राजस्थान में हैं उन्हें आप प्रोत्साहन देकर ग्रामोद्योग का विकास कर सकते हैं और गांवों का भी विकास कर सकते हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री गुलाबचन्द कटारिया!

**श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खनिज की दृष्टि से काफी समृद्ध है । यहां पर खनिज

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उद्योगों का विकास होने की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। इसके लिए राजस्थान को पहल करनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में आधा हिस्सा तो ऐसा है जिसमें कि रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और आधा हिस्सा, जिसमें आपके पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, ऐसा है जिसमें पहाड़ ही पहाड़ हैं, जिसमें पर्याप्त सिंचाई भी नहीं हो सकती है। इससे वहां पर कृषि की सम्भावनायें कम हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, प्रकृति ने हमें खनिज सम्पदा भारी मात्रा में दी है इसीलिये हम खनिज उद्योग को विकसित करने में पहल कर सकते हैं। इससे खनिज उद्योगों का तो विकास होगा ही साथ में राजस्थान के लोगों को बहुत भारी मात्रा में काम मिलेगा और इससे हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है वह काफी हद तक हल हो सकेगी। राजस्थान सरकार की जनता पार्टी ने गांवों के विकास के लिए काम करने के लिए योजनायें बनायी हैं। वह ग्रामोद्योग का विकास भी करना चाहती है। इसके लिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामोद्योग का विकास करने के लिए हमें बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे उद्योगों को प्रायोरिटी देनी चाहिये। छोटे उद्योगों को आपको सहयोग देना होगा। उन्हें सब्सिडी देनी होगी जिससे कि वह बड़े बड़े उद्योगों के सामने पनप सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने बजट में रेडीमेड कपड़ों पर 15 रुपये तक की छूट रखी थी लेकिन परिवर्तित बजट में उसके ऊपर आगे पांच प्रतिशत का टैक्स लगाकर छोटे उद्योगों के मजदूरों पर बहुत भारी वज्रपात किया है। आज गांवों में कई विधवायें हैं जो अपने परिवार को पालने के लिए कुछ कपड़े वगैरह बनाती हैं जिनको बाजार में बेचा जाता है। आपने उस पर टैक्स लगा दिया। बेचारी विधवायें और अपाहिज औरतें अपने पेट पालने के लिये रेडीमेड कपड़े बनाती हैं, आपने उस पर टैक्स लगा दिया है। वह बेचारी अनपढ़ औरतें होती हैं। आपने उनको हिसाब रखने के लिये कह दिया। वह बेचारी कहां तक हिसाब रखेंगी? इसके अलावा आपने पांच हजार रुपये का विक्रय के बाद में टैक्सेज लगाये हैं। आपको चाहिये कि जो भी लघु उद्योग चलाने हों उनके लिए आपको मार्केट फेसेलिटीज भी दें। छोटे छोटे उद्योगों के लोगों से आप हिसाब-किताब मेनटेन करने को कहते हैं। वह कैसे हिसाब-किताब मेनटेन करेंगे? वहां तो लोग पढ़े-लिखे कम हैं। फिर बाद में आपके सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर वहां पर पहुंच जायेंगे और उनको परेशान करेंगे। परिणामस्वरूप वह लोग अपनी मजदूरी छोड़ देंगे और बेचारे बेकार हो जायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप उन गरीब लोगों को, जो लघु उद्योग चलाते हैं, प्रोत्साहन दें।

इसी तरह आपने जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, कुम्हार पर जो दस हजार रुपये की ईंट बेचने के बाद सेल्स टैक्स लगाया है वह बहुत ही अनुचित लगाया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक व्यक्ति 800 रुपये की ईंटें भी एक महीने की बेचे तो वर्ष के अन्त तक 10 हजार की छूट पूरी होकर टैक्स देना होगा।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसको हिसाब रखना आवश्यक होगा। यह एक विकट समस्या है। कुम्हार बेचारा पढ़ा-लिखा होता नहीं है। आप उस बेचारे के टैक्स देने को बाध्य कर रहे हैं। यह बिलकुल ही अन्याय है। वह दस हजार रुपये की ईंटों में कोई विशेष नहीं कमाता है। आपको इस बारे में सोचना चाहिये। गांवों में लघु उद्योगों में जो लगे लोग हैं वह कमजोर वर्ग के हैं। उन्हें इससे परेशानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह आपने हलवाइयों को पचास हजार रुपये तक की सेल तक तो छूट दी है सेल्स टैक्स में, लेकिन 51 हजार रुपये की सेल होते ही आप उस हलवाई से 51 हजार रुपये पर ही टैक्स लेंगे। यह कहां का न्याय है? एक तरफ आपने भवन कर में एक लाख रुपये तक के भूमि व भवन टैक्स में छूट दी है दूसरी तरफ आप बेचारे हलवाई से 51 हजार पर ही टैक्स ले रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप लघु उद्योगों को रोजगार देना चाहते हैं तो आपको लघु उद्योगों को विकसित करना पड़ेगा। इस तरह के जो छोटे-मोटे उद्योग हैं उनको आपको विकसित करना पड़ेगा। उन्हें अगर आपको विकसित करने के लिए इन उद्योगों से प्रोटेक्शन देना हो तो वह भी देना पड़ेगा आपको। उनके हितों के लिए उन्हें सब्सिडी देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अधिक भार बर्दाश्त करना पड़ेगा जिससे कि यह छोटे छोटे उद्योग गांवों में आगे बढ़ने की कोशिश करें।

हमारे उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाने का व्यवसाय काफी प्रगति कर सका है। जो कुछ भी प्रगति हुई है वह उसमें लगे लोगों के बलबूते पर हुई है। सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है। सरकार आर्थिक सहायता देकर इसको पनपाये और लोगों को प्रोत्साहित करें। खिलौनों पर कलर करने एवं उनकी डिजाइन बनाने में बच्चे भी काम कर सकते हैं। इस उद्योग में काफी लोगों को लगाया जा सकता है। इसको और विकसित करना चाहिये और इसके विकसित हो जाने से निश्चित रूप से काफी लोगों को काम मिलेगा।

झाडोल, गोगूंदा में इंडोली का बहुत उत्पादन होता है। अकेले गोगून्दा में 2 लाख का ठेका इंडोली की खरीद का दिया गया इसका एक व्यक्ति को ठेका दिया जाता है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इसको विकसित कर सकते हैं और कई लोगों को इसके काम में लगा सकते हैं। छोटे छोटे कोल्हू लगाकर इसको विकसित करें जिससे लोगों को इंडोली का तेल निकालने का मौका मिले। निश्चित रूप से इससे लोगों को काम मिलेगा।

आदिवासी लोग हैं, उनकी आजीविका का जंगल ही आधार है। यदि जंगलों के आधार पर होने वाले व्यवसाय को विकसित किया जाय तो वे लोग सुचारु रूप से अपनी आजीविका चला सकेंगे। उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े बड़े उद्योग करोड़ों की सम्पत्ति लगाकर खोले जाते हैं जब कि इन छोटे छोटे उद्योगों में बहुत कम पूंजी लगती है और अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। आप बड़े उद्योगों को

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

छूट दे देते हैं लेकिन छोटे छोटे उद्योग हैं उनको छूट नहीं देते है । आप इनके विकास के लिये सुविधा दीजिये और इनको विकसित करिये । कुम्हार, लकड़ी के खिलौने बनाने वालों और इंडोली का तेल निकालने वालों को आप सहायता दें और इन उद्योगों को विकसित करें । यदि आप इनका विकास करेंगे तो ये सम्पूर्ण बेरोजगारी को दूर करने में बड़े सहायक सिद्ध होंगे । इनको दो, तीन, चार रुपया मजदूरी मिलती है, यदि इन उद्योगों का विकास करें तो उनको अधिक मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी । खाली समय में किसान भी काम करे तो कई उससे सम्बन्धित काम वह कर सकता है । उन लोगों को आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से प्रगति होगी । उन गरीब लोगों की आर्थिक प्रगति होगी जिनके आधार पर हम राजस्थान को दृढ़ बनाने की चेष्टा कर रहे हैं । उनको हर तरह का सहयोग दिया जाय ताकि विकास कर सके ।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के सम्बन्ध में मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी देश की आर्थिक स्थिति तब ही सुदृढ़ कही जावेगी जब उस देश में कृषि उत्पादन, अनाज का उत्पादन, पशुओं का विकास और उद्योगों की प्रगति समुचित हो । इसी पर देश की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है ।

मैं आपसे निवेदन करूं कि खेती के सिलसिले में सीलिंग का कानून आया । सीलिंग में 30 बीघा तक जमीन रखने की छूट दी । किसान का परिवार बड़ा होता है । कृषि पर आधारित रहने के कारण उसके परिवार के कई व्यक्ति बेकार हो जाते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग में सीमा जमीन की तय हो चुकी है । किसान के घर में काफी लोग होते हैं । फिर भी क्योंकि किसान के कुए पर बिजली होती है, उसके पास जमीन होती है, उसको टेक्निकल गाइडेन्स का काम रहता है । इसलिए वह कोई भी उद्योग नहीं लगा सकता ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो बेकार किसान होते हैं वे गुजरात और अन्य क्षेत्रों में कमाने के लिये चले जाते हैं । दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि राजस्थान में 16 जिले पिछड़े हुए जिले घोषित किये गये हैं । पाली जिला पिछड़ा जिला घोषित नहीं होने से वहां छोटे उद्योग पनप नहीं रहे हैं । जो फेसेलिटी मिलती हैं वह बड़े उद्योगों को, मिलों को मिल जाती है और छोटे उद्योग वंचित रह जाते हैं ।

पाली जिले के लिये निवेदन करूं कि उद्योगों के लिये जो गाइड लाइन्स आयी हैं उनके अनुसार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में लाइम स्टोन है । अटपड़ा में 50 खानें हैं । आपकी रिपोर्ट में यह नहीं है । मैं आपको बता रहा था कि पाली जिले में जो लाइम स्टोन है इसके मुकाबले का पूरे हिन्दुस्तान में नहीं है । उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से दो चार आदमियों को इजाजत मिल गयी । लाइम स्टोन पड़ा

(श्री सुखलाल)

हैं। लोग बेरोजगार हैं उनको इस खनिज के द्वारा लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइम स्टोन में ठेकेदारों को कुछ नहीं करना पड़ता है। मजदूर लाइम स्टोन तोड़ता है। कोटा और दूसरी जगह में लाइम स्टोन जाता है उसका पाउडर बनता है।

दूसरा है चूने का पत्थर। वह हिन्दुस्तान में सप्लाई किया जा सकता है। दो-तीन आदमियों की ठेकेदारी में इस उद्योग को पनपाया जा रहा है। उद्योग मंत्रीजी 50 हजार आदमी इस काम में लग सकते हैं। आप इसका राष्ट्रीयकरण करिये। हजारों की तादाद में पाली जिले में आदमी फालतू बैठे हैं। उनको सहकारिता के आधार पर इस काम को देने की व्यवस्था कीजिये। और जो ठेकेदारी प्रथा है उसको बन्द कीजिये। इसका आपको सर्वे करवाना चाहिये कि यह किस-किस काम मे आ रहा है। भट्टे के कार्य में, चूने के कार्य में, चूने का पाउडर बनाने में काम आ रहा है? किस-किस काम में लाइम स्टोन आ रहा है? किस प्रकार के इसके उद्योग लग सकते हैं?

छोटे उद्योगों के लिये बिजली की व्यवस्था भी की जाय। पाली जिले में छोटे उद्योगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। जो उच्चाधिकारी हैं पाली जिले के, और जो अधिकारी हैं, वे सब प्रभावशाली पूंजीपतियों के प्रभाव में हैं। उनके द्वारा बड़े-बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। छोटे उद्योगों को नहीं मिल रहा है। छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान देने के लिये अधिकारियों को सचेष्ट करिये।

हजारों मील में लाइम स्टोन पड़ा हुआ है। इस पर आधारित उद्योग में हजारों आदमी काम में लग सकते हैं और पाली क्षेत्र का औद्योगीकरण हो सकता है। आप जानकारी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा न जाने कितनी-कितनी चीजें देश में लाइम स्टोन से बनने वाली हैं। लाइम स्टोन यहां पर इस प्रकार का खनिज है जिसका विशेष तौर से ध्यान रख कर इस पर आधारित उद्योग को बढ़ाना चाहिये। लेकिन आज इस विभाग में भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। अधिकारी जिन ठेकेदारों से हजारों रुपया खाकर न जाने क्या से क्या बन गये हैं उन्हीं ठेकेदारों को ठेका मिलता है अन्य को नहीं। ठेकेदारों द्वारा टाइम पर मजदूरों को उनकी मजदूरी दी नहीं जाती है। मजदूर बीमार पड़ता है तो उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। रात दिन मजदूर काम करता है फिर भी ठेकेदार कहता है कि इतना पत्थर तोड़ेगा तो इतनी मजदूरी देंगे। पाली जिले का यह मेन उद्योग है इसलिये इसकी ओर ध्यान दें।

पाली जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की बात कही, आप इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। समय-समय पर अकाल पड़ते हैं पशुधन है उसका काफी नुकसान होता है। यह भी निवेदन करूं, पाली जिले में एक हड्डियों का कारखाना है लेकिन वहां चमड़े का कोई बड़ा कारखाना नहीं है। हमारे गांवों के अन्दर पिछड़ी जाति के जो लोग जूतियां बनाने का काम करते हैं उन लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति है। उनकी सहायता करने के लिए कोई बैंक की व्यवस्था नहीं है। यह जरूर है कि पहले इन्दिरा जी, जिन्हें आप बार-बार बुरा कहते हैं, के समय में

(श्री सुखलाल)

वहां बैंक खोलने की योजना थी। मैं समझता हूं कि पिछली सरकार ने यदि कोई अच्छा कदम उठाया है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। पाली जिले में बहुत हड्डियां होती हैं और वहां से हजारों मन बाहर जाती हैं। आज चमड़े के उद्योग में भी हजारों आदमी लगे हुए हैं। अगर आप सर्वे कराकर कार्यवाही करें तो यह उद्योग वहां पर पनप सकता है। आप बैंकों की मार्फत कर्ज दिलाने की व्यवस्था कीजिए और इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए जिससे उन लोगों को प्रोत्साहन मिले। पांच हजार या दस हजार कम से कम उनको लोन देने की व्यवस्था करें ताकि वह अपने कारखाने लगायें। साथ ही सरकार के जो टैक्नीकल ऑफिसर्स हैं वह उनको मार्गदर्शन दें ताकि वह अपना उद्योग पनपा सकें।

व्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ऊन उद्योग के बारे में कह रहे थे। मेरा क्षेत्र भी ब्यावर इलाके से सम्बन्ध रखता है। ब्यावर के अन्दर ऊन का उद्योग है। पाली जिले की जितनी ऊन है वह सारी की सारी ऊन ब्यावर में आकर बिकती है और ब्यावर में ऊन की बहुत बड़ी मण्डी है। वहां पर इसका जो कारखाना है वह पर्याप्त नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि आप ब्यावर के इस ऊन उद्योग पर ज्यादा तवज्जोह दें ताकि भेड़ पालकों की अच्छी व्यवस्था हो सके और उनको उचित कीमत मिल सके। इसके सम्बन्ध में एक बात और है कि जो ऊन वहां खरीदी जाती है उसका भी उचित पैसा मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अलावा हमारा जो इलाका है और मारवाड़ का इलाका है उसके अन्दर मिर्च काफी होती है। इस मिर्च को देश के कई भागों में बेचा जाता था लेकिन आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हजारों-लाखों मन मिर्च वहां होती है और वहां का व्यापारी बाहर ले जाकर बेच देता है। मैं उद्योग मंत्री जी से कहूंगा कि चाहे सहकारिता के आधार पर या किसी भी अन्य तरीके से मिर्च का प्लाण्ट लगाने की व्यवस्था करें।

एक बात और निवेदन करना चाहता था, हमारे श्री शंकरलाल जी ने भी कहा कि हमारे यहां दो बड़े उद्योग लगे हुए हैं सीमेन्ट के। ब्यावर के अन्दर और सोजत के अन्दर सीमेन्ट उद्योग का सर्वे हो चुका है। पहले यह सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने की योजना थी बिड़ला के द्वारा पर न जाने वह कहां मामला अटका हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा ब्यावर और सोजत का सर्वे हो चुका है इसलिए सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने के संबंध में भी आप ध्यान दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा !

(अनुपस्थित)

अब जिन सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये उनकी सारी सूची समाप्त हो चुका है।

**श्री रतनलाल वर्मा** (भिनाय) : मैं बोलना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका नम्बर नहीं है सूची के अन्दर।

**श्री रतनलाल वर्मा** : मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। बिल्कुल नई बात कहूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, रतनलालजी को जरूर बोलने दें। चाहे दो मिनट ही दें।

श्री उपाध्यक्ष : 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलें।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के बारे में सबने बातें कहीं लेकिन ग्रामों में भूतपूर्व शासन ने उद्योगों को पनपने नहीं दिया। मैं निवेदन करूं कि लोगों को गांवों में बसने नहीं दिया। इसका उदाहरण हमारा बांदनवाड़ा गांव है····

श्री रामरघुनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसी इण्डस्ट्री है ?

श्री रतनलाल वर्मा : आप सुन तो लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर चूने की इण्डस्ट्री है। वहां पर ईंट बहुत बनती हैं और इतनी ईंटें बनती हैं कि राजस्थान की दूसरी जगह नहीं बनती होंगी। वहां से ईंटों के रोज 20-30 ट्रक जाते हैं। वहां पर चूने के भट्टे अलग लगे हुये हैं। वहां पर कम से कम 400 मजदूरों की आजीविका ईंटों के ऊपर आधारित है। वह अपना गुजारा इसी से करते हैं। उस इंडस्ट्री का इसमें नाम तक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि बांदनवाड़ा के चौराहे पर जहां इण्डस्ट्रियल जमीन है वहां लोगों ने अपनी इण्डस्ट्रीज लगा रखी हैं लेकिन उस जमीन के लिए भूतपूर्व सरकार ने मन्जूरी नहीं दी इस कारण एक-एक इण्डस्ट्री वाले पर 18-18 और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने किये। अभी तक कई केसेज कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जिन मजदूरों ने झोंपड़ियां अपने रहने के लिए डाल रखी हैं उनके ऊपर भी 2000 और 1500 रुपये के जुर्माने किये हैं·······

श्री मूलचन्द डागा : सब विथड्रा कर लीजिए।

श्री रतनलाल वर्मा : आप मेहरबानी करके सुन लीजिए।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सरकार ने गांवों में ग्रामोद्योग को नहीं पनपने दिया। वहां की ग्राम पंचायत ने 1400 प्लॉट इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए बेचे, वह लॉटरी सिस्टम से बेचे और ईमानदारी के साथ बेचे लेकिन उस समय के जिलाधीश ने और उस समय के पंचायत मंत्री ने उन प्लॉटों के बेचान को कैंसिल कर दिया। 60 हजार रुपये उन गरीब लोगों के आज भी बैंक में जमा है। भूतपूर्व सरकार ने उनको बसने नहीं दिया। गांवों में इण्डस्ट्री लगाना तो छोड़िए किसी को मकान बनाकर नहीं बसने दिया।

इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि वहां पर इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहीं खेती के औजार बनते हैं लेकिन उन इण्डस्ट्री को बिजली नहीं देते हैं। जब कभी अचानक बिजली बन्द हो जाती है उनकी मोटरें जल जाती हैं, लेकिन उनको इतना तक नहीं बताया जाता है कि तुम्हारी बिजली इतने से इतने बजे तक बन्द रहेगी। इसके बावजूद जो मजदूर वहां काम करते हैं उनको पूरा पैसा देना पड़ता है। इसी तरह से अजमेर में लघु उद्योग मण्डल है वह परेशान है। वह इसलिए परेशान है कि बिजली की कमी की वजह से मजदूरों को

# Page No 128

(128)



(श्री रतनलाल वर्मा)
बेकार माहवारी पैसा देना पड़ता है। इधर यूनियन कहती है कि पूरा पैसा दीजिये। इस प्रकार बिजली की कमी के कारण वह धन्धा नहीं चला सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरफ उद्योग मंत्री जी ध्यान दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा।

**श्री रतनलाल वर्मा** : सिर्फ दो मिनट।

गांवों के अन्दर कौनसी इण्डस्ट्री चल सकती है छोटी छोटी, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे तेल का उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में लगायें। मंगोड़ी और पापड़ है इससे बेवा औरतों को काम मिल सकता है। ऊन और कपास का धंधा आसानी से गांव में चल सकता है। हमारे उद्योग मंत्री जी विनोबाजी के चेले हैं उनको पता है कि गांव में कौनसे उद्योग चल सकते हैं। खादी का काम गांवों में चल सकता है लेकिन मुझे बहुत दुःख हो रहा है यह कहते हुए कि आज सरकारी मशीनरी इनके ऊपर चढ़ गयी है। जो रिपोर्ट दी गई है वह इंगलिश के अन्दर हैं। जो विनोबाजी के शिष्य हैं वे हिन्दी को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो कौन देगा ?

**श्री मूलचन्द डागा** : अंग्रेजी के अन्दर जो दी है उसे आपको फाड़ना चाहिये।

**श्री रतनलाल वर्मा** : गरीब किसान से एक रुपये किलो दूध लिया जाता है और शहर में दो रुपये किलो बेचा जाता है। उस किसान को....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय वर्माजी, आप स्थान ग्रहण करें। आप पहले इस संबंध में बोल चुके हैं।

**श्री रतनलाल वर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री उपाध्यक्ष** : इस प्रकार से आप करेंगे तो आयन्दा आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा। आप बिराजिये।

**श्री बाऊदयाल जोशी** : यह अंग्रेजी में जो रिपोर्ट आई है यह गंम्भीर मामला है। आयन्दा अगर ऐसा होगा तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो अंग्रेजी के साहित्य को आग लगा कर जला दूंगा। मेरी भावना को देखते हुए यह आदेश दें कि भविष्य में हिन्दी में ही रिपोर्ट आवे।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं निवेदन कर चुका हूं, मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा।

**श्री रतनलाल वर्मा** : अध्यक्ष महोदय ने पहले कहा था कि अंग्रेजी के अन्दर किसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं आयेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह क्या तमाशा है। हम गांवों के रहने वाले आदमी हैं। यह बड़े-बड़े ऑफिसर इस तरह से खिलवाड़ करें यह हम बिलकुल बरदाश्त नहीं करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपकी भावनाओं से सहमत हूं, बड़ा प्रभावित हूं। कृपया विराजिये।

(व्यवधान)

पहले किसको बोलने का मौका दूं, यह निर्णय मुझ पर छोड़िये।

श्री विजेन्द्रपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह अपनी नेशनल पॉलिसी है·······

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : हम गांवों के रहने वाले हैं, हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : घर में निपट लो घर में फैसला कर लो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विजेन्द्रपाल जी, कृपया बिराजिये।

श्री गोपालसिंह।

श्री हरिसिंह यादव : दो मिनट का समय मैं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी आपसे सहानुभूति है। पहले गोपालसिंह जी बोल लें।

श्री गोपालसिंह (आहोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं रखा था क्योंकि मैं था नहीं। मैं आभारी हूं कि मुझे बाद में बोलने का मौका दिया जा रहा है।

मेरा निवेदन है कि खेती के साथ में उद्योग का किस तरह से समन्वय किया जा सके इस पर विचार किया जाय। साथ ही इस पर भी विचार करें कि गांव में किसान किस तरह की फसल उगायें कि जिससे उनकी आर्थिक दशा सुधरे और गांवों के जो पढ़े-लिखे जवान शहरों में आकर नौकरियों के लिए मारे-मारे फिरते हैं वे मारे-मारे न फिरें। आज प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और खेती करती है। जमीन जितनी हमारे पास है उतनी ही रहेगी, उसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन उद्योग एक के दो और दो के चार बढ़ा सकते हैं। हमारे यहां पर पपेन (engime) पर काफी पैसा खर्च करते हैं वह बाहर विदेशों से आयात होता है। यहां पर पपीते की खेती प्रचुर मात्रा में होती है और खास तौर से हमारे क्षेत्र में जिला जालोर के आहोर क्षेत्र में पपीता काफी होता है। वहां पर पपेन बनाने की फैक्ट्री लगाने का सरकार विचार करे और उसका सर्वेक्षण करे। वहां कारखाना खुलने से काश्तकारों के पढ़े-लिखे लड़कों को उसमें नौकरियां मिलेंगी या धन्धा मिल सकेगा।

इसी तरह से मेरे ही इलाके में अनार की बहुत जबरदस्त खेती होती है। अनार फल के रूप में शहरों में जाता है, इसके सिवाय इसका कोई उपयोग नहीं। मैं यह चाहूंगा कि अनार का जूस या सिरका बनाने की फैक्ट्री वहां गांव के आसपास या जहां सुविधा हो लगा दें तो वहां के लोगों को अच्छे किस्म के अनार बोने में ज्यादा सुविधा होगी।

गांव के लोग गवार पैदा करते हैं लेकिन उसकी फैक्ट्रियां शहरों में लगी हुई हैं। उसे शहर ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सर पर आता है। गवार गम की या पाउडर की छोटी फैक्ट्रियां गांवों में जहां उचित समझें लगानी चाहिए। गवार का पाउडर बनाने से जो छिलका बचता है उसे गांव के पशुओं के लिए काम में लिया जाता है जो कि गावों में वापस आता है उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी इससे कम पड़ जायेगा।

इसके साथ ही मैं यह भी राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि

(श्री गोपालसिंह)
राजस्थान के काफी उद्योगपति हैं जिन्होंने राजस्थान के बाहर दूसरे शहरों में फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। मैं चाहूंगा कि अगर कोई कलकत्ता के बजाय राजस्थान में फैक्ट्री लग सकती है तो क्यों नहीं लगाई जावे? उन लोगों को ऐसी सुविधायें दी जायें ताकि वे बाहर जाकर अपनी फैक्ट्री न लगायें। दूसरे प्रान्त के लोगों को फैक्ट्री लगा कर एम्प्लॉयमेंट दें, यह न हो कर, राजस्थान में ही फैक्ट्री खोलें ताकि यहां के जिन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, उनको काम दे सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जैसा माननीय खेतसिंह जी ने फर्माया था यहां से काफी बकरियां और भेड़ें मिडिल ईस्ट में जाती हैं। यहां से 40 और 50 रुपये की भेड़ वहां पर पहुंचते पहुंचते 500 या 400 की हो जाती है। राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि यहां पर यह जानवर ज्यादा होते हैं इसलिए गांवों में ही ऊन, चमड़े आदि की फैक्ट्रियां लगा दी जावें। इससे कम से कम खाल यहां रह जायगी और रॉ-मैटीरियल के रूप में यहां काम आ जायेगी। अभी हम बाहर भेजते हैं तो रॉ-मैटीरियल की कीमत हमको बिल्कुल नहीं मिलती है। इसी प्रकार टैनरी है, जो चमड़े का उद्योग होता है। राजस्थान में बहुत ज्यादा पशु धन है। मैं यह तो नहीं कहता कि राजस्थान में इतना पशु धन है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है लेकिन यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि यहां का कच्चा माल कानपुर जाता है तो क्यों नहीं उस कच्चे माल का यहां उपयोग किया जाता है? कोई अच्छी जगह देख कर यहीं कारखाना लगा दिया जाय।

**श्री मूलचन्द डागा :** स्लाटर हाउस खोल दो।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री बंशीलाल सारस्वत।

**श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) :** राजस्थान भारी उद्योग और लघु उद्योग दोनों ही दृष्टि से उपेक्षित रहा है। सन्तुलन के दृष्टिकोण से उद्योगों पर अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाला है। अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी अपने-अपने दृष्टिकोण रखे हैं और बताया है। किसी ने कहा यहां ऊन की अधिकता है, किसी ने कहा, चूने के पत्थर की अधिकता है और दीगर-दीगर खनिज पदार्थों के बारे में भी कहा है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा, जहां तक दक्षिण-पूर्वी राजस्थान है वहां पर जो लोह धातु हैं, उनकी बहुलता है मगर अलोह धातु की राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बहुलता है इसलिये जो उनसे सम्बन्धित उद्योग हैं उनको पश्चिमी राजस्थान में लगाया जाना चाहिये। अब राजस्थान सरकार जो भी कमेटी नियुक्त करे वह कमेटी इसके बारे में विचार करे। उस कमेटी के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और इसमें अधिक उलझने की आवश्यकता नहीं है। आर. एम. आई. डी. सी. के मिनरल एण्ड माईनिंग एडवाइजर द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें इस बात के ऊपर विचार किया गया है। सल्फरिक एसिड बनाने का प्रश्न है, एमोनियम नाइट्रेट बनाने का

(श्री बन्शीलाल सारस्वत)
सवाल है उसके लिये काफी मात्रा में रॉमटीरियल अवेलेबल है। जिप्सम काफी मात्रा में नागौर में उपलब्ध है। रिपोर्ट का उद्धरण इस तरह से है:—

"In addition gypsum would be required for production of the above ammonium nitrate and as also in the integrated plant for manufacture of cement and sulphuric acid. Now, considering the richer and larger bed near Dhakaria, it happens to be 10 M. thick under an overburden of 60 M., the quality available in this bed conforms perfectly to the Specifications of gypsum for use in fertilisers. These under ground deposits (Nagaur-Dhakaria) are very near the Railway Station."

तो जहां तक जिप्सम का प्रश्न है और जहां तक चूने के पत्थर का प्रश्न है वह नागौर जिले में बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है। आज कोटा में जो पत्थर है उसकी कोटा में इण्डस्ट्री स्थापित करने के लिए तैयारी की जा रही है। उसमें भी इस क्षेत्र से जाने का ही प्रावधान रखा गया है और यहां से जाने में एक लाख का 1250) रुपये का खर्चा होगा और जो तैयारी होगी वह केवल कोटा में होगी। मेरा निवेदन है यहां से जिप्सम सिन्दरी और दूसरे क्षेत्रों में आज तक ले जाय जा रहा है जब कि यहां समुचित मात्रा में साधन हैं। जो यहां अण्डर ग्राउन्ड वाटर मिला है, वह भी समुचित मात्रा में है। तो जहां तक सीमेन्ट प्लान्ट लगाने का और रासायनिक खाद बनाने का सवाल है वह इस क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिये। आज 35) रु. टन में जो खड्डी अवेलेबल है और राजस्थान में मिलती है वह वहां जाकर रासायनिक खाद के रूप में तैयार होने पर करीब दो हजार की राशि प्राप्त करती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से उन्नत बनाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट मैंने पहले ही दे दिए हैं।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : एक मिनट।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा राजस्थान में रासायनिक खाद का उद्योग लगाया जाय। इसके साथ ही यह निवेदन है कि जो टेक्निकल आदमी हो, उद्योग प्रशासक हो या और कोई दूसरे मजदूर हों हमारे यहां की प्रतिभाओं व मजदूरों को ही, वहां लगाया जाय दूसरे आदमियों को वहां न लाया जाय। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे यहां उद्योगों में दूसरी जगह के टेक्निकल आदमी और अधिकारी काम करते हैं। मैं संकीर्णता में विश्वास नहीं रखता मगर आज कोटा में जो कारखाना लगा हुआ है और राजस्थान में दूसरी जगह लगे हुए हैं, उनमें अधिकतर विशेषज्ञ बाहर से लाये जाते हैं और साधारण श्रेणी के कर्मचारी भी बाहर से ही लाये जाते हैं। इसलिये, मेरा निवेदन है उद्योग चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो और चाहे निजी क्षेत्र में हो, मगर

(श्री बन्शीलाल सारस्वत)
राजस्थान के ही सोर्सेज से लगें। जो मेन पावर यहां अवेलेबिल है, प्रदेश के हित की दृष्टि से उन्हीं को उनमें लगाया जाय। यहां के लोगों का ही उसमें उपयोग किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री जी जवाब दें, टाइम हो गया है।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग के ऊपर बहुत से साथियों ने अपने विचार रखे हैं। मैं केवल थोड़ी देर में यह कह देना चाहता हूं कि जो यह समीक्षा रिपोर्ट, आर. एम. आई. डी. सी. ने पेश की है इसके अनुसार अलवर जिला एक ऐसा जिला है जो केन्द्रीय सरकार से सीमाओं में मिलता है। यहां पर लेबर काफी है और आपके अन्य साधनों का भी बाहुल्य है जिनके आधार पर उद्योगों का विकास हो सकता है। आपने यह लिखा है कि अलवर के अलावा रेवाड़ी, भावड़ी, तिजारा तहसील से दारुहेड़ा पांच मील है। वहां भी औद्योगिक क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया हुआ है। मैं उद्योग मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 500 बीघा जमीन थी वह सरकार ने इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के लिए रखी। इसके साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने दारुहेड़ा में कुछ जमीन एक्वायर की है। वहां के किसानों को मुआवजा दे दिया गया और हरियाणा में डवलपमेंट हो गया लेकिन हमारे यहां अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जो किसान हैं उनको भी जमीन दी गई है लेकिन उनको अभी तक एस. डी. ओ. की मेहरबानी पर छोड़ा हुआ है। आर. एम. आई. डी. सी. और किसानों के बीच समझौता नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है इस प्रकार का विलम्ब सरकार करती रही है। उद्योग मंत्री जी भी इसको लेकर अगर बैठे रहें तो इस क्षेत्र का कोई विकास होने वाला नहीं है। जो सहूलियतें आपको राजस्थान के कुछ जिलों के लिए केन्द्रीय सरकार से मिल रही हैं और जिन साधनों की इण्डस्ट्री के लिए आवश्यकता है, आपने माना है कि वहां पर पानी है, आपने यह भी माना है कि यहां पर लेबर है, आपने यह भी माना है कि यहां पर बिजली है, टेलीफोन और सड़क के साधन हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस एरिया के विकास पर ध्यान देना होगा। साथ ही अगर आप अलवर जिले की पोपुलेशन को देखते हुए, प्रति बीघा काश्त पर जितना भार हैं उसको ध्यान में रखते हुए उद्योगों का

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

विकास करेंगे तो लोगों के रोजगार की समस्या को भी आप हल कर सकेंगे। अलवर जिले के अन्दर जो एक औद्योगिक क्षेत्र है उसका तेजी से विकास आपको करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि उद्योग मन्त्री जी इस भावडी प्रोजेक्ट का विकास करने के साथ-साथ अलवर के अन्दर जो भी औद्योगिक व्यवस्था है, उसका विकास तेज गति से करेंगे।

भडोदा नेशनल हाई वे पर है। वहां पर कई हजार बीघा की रूंध है, जो हिज-हाईनेस की जमीन खाली पड़ी हुई है, उसके लिए आपको पैसा भी विशेष रूप से खर्च नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मौके की जगह पर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। दिल्ली से भी यह पचास कोस की दूरी पर ही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री हरीसिंह)
वहां पर जो भी उद्योगपति दिल्ली के इर्द-गिर्द अपने उद्योग लगाना चाहते हैं उनको भी आप इस ओर आकर्षित कर सकेंगे और अलवर जिले के अन्दर ला सकेंगे।

इसके साथ ही मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री रामकृष्ण दास : उपाध्यक्ष महोदय दो मिनट के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्णदास।

श्री रामकृष्णदास (कोलायत) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय उद्योग मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उद्योगों के मामले में राजस्थान राज्य की भारी उपेक्षा की गई है और आज भी कर रहे हैं। विशेष रूप से बीकानेर जिले की उपेक्षा की गई है। बीकानेर जिले में 22 पर्सेन्ट ऊन की पैदावार होती है और एक पर्सेन्ट स्पिन्डल है। इससे चार सौ करोड़ मीटर धागा तैयार हो सकता है बीकानेर क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए गलीचा उद्योग का, ऊन उद्योग का विशेष विकास किया जा सकता है। खादी कमीशन एवं खादी बोर्ड द्वारा केवल एक करोड़ रुपये की ही धनराशि वहां पर लगी हुई है। इस एक करोड़ रुपये की धनराशि से 25 हजार लोगों को वहां पर कार्य मिला हुआ है लेकिन बुनकरों की, कताई करने वालों की दैनिक आमदनी इतनी कम है कि उनका जीवन चलाना मुश्किल है। यह धन्धा तभी लाभप्रद हो सकता है जब हमारा खादी कमीशन, राजस्थान का खादी बोर्ड और इस प्रकार की संस्थायें इस प्रकार की योजना बनायें कि पश्चिमी भाग में हर घर के अन्दर यह लघु उद्योग खोल कर बुनकरों को, कताई करने वालों को काम दिया जा सके और उनका विकास किया जा सके।

दूसरे बीकानेर जिले में काफी माइन्स हैं। बीकानेर शहर से तीस मील दूर कोलायत तहसील में माइन्स का भण्डार है। कई प्रकार की माइन्स हैं, जिनसे माइन्स बेस्ड इण्डस्ट्रीज, इनसूलेटर इण्डस्ट्रीज पोटरीज, क्राकरी की इण्डस्ट्री बन सकती है। इसके साथ-साथ हमारे श्रीगंगानगर इलाके में राजस्थान का पचास प्रतिशत खाद का उपयोग होता है। वहां पर चूना है, बिजली है, पानी है। इसलिये खाद का कारखाना बीकानेर जिले में लगाया जा सकता है, जिसकी आज तक उपेक्षा की गई है। पहले बीकानेर जिले में खाद का कारखाना लगाने की योजना थी। न मालूम किस पॉलिटिकल प्रेशर के कारण वह कारखाना नहीं लग पाया।

तीसरा उस इलाके की प्रगति में सीमेंट उद्योग भी बहुत सहायक हो सकता है। सीमेंट उद्योग के लिए जो रॉ-मैटीरियल चाहिए वह बीकानेर के पास के क्षेत्र में काफी मौजूदा है। इस प्रकार, श्रीमान्, खाद का कारखाना लगाकर, ऊन उद्योग का विकास कर और बीकानेर जिले के अन्दर माइन्स बेस्ड इण्डस्ट्रीज लगा कर इस पश्चिमी राजस्थान का काफी विकास किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : विजयेन्द्रपालसिंह!

श्री विजयेन्द्रपालसिंह (ग्रासींद) : एक दो शब्द अंग्रेजी का इस्तेमाल करूं तो माफी चाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष : भूमिका की जरूरत नहीं है, जल्दी बोलिए आप ।

श्री विजयेन्द्रपालसिंह : मूं सबसे पहला आ बात कहणो चाहूं कि या जाच कराई जावे कि अतरा जो इण्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वांको अतरो नाम है, अतरी वांकी आज इण्डस्ट्रीज है हिन्दुस्तान में, वें राजस्थान में इण्डस्ट्री क्यूं कोनी लगावे ? ई के बारे में या तो सरकार ने जो बड़ा बड़ा राजस्थान का उद्योगपति हैं, जे. के. है, बिडला है, जे. के. नहीं तो दूसरा बड़ा बड़ा इण्डस्ट्रियलिस्ट्स है, वाने सबने बुला कर पूछ्यो जावे कि अठे वें क्यूं नहीं आणा चावे ? ई को कारण कांई है ? या तो इन्फ्रा स्ट्रक्चर की कमी है या दूसरी बातां की कमी है या फिर और साधन कोनी, इण बातां की जरूर जांच करनी चाहीजे ।

दूसरी बात या भी अर्ज करणी चाहूं कि आपणे अठे जो बोर्ड है इण्डस्ट्रीज को वी के अन्दर भी बड़ा बड़ा हिन्दुस्तान का उद्योगपतियां ने राख्यो जावे ।

मैं एक बात या भी अर्ज करणो चाहूं कि आपणे अठे जो लैंड एण्ड बिल्डिंग टैक्स लगा राख्यो है वी के मायने एग्जम्पशन इण्डस्ट्रियल बिल्डिंग्स को कोनी दियो जाय रीयो है । एक तरफ तो आपां केवां कि म्हां राजस्थान में इण्डस्ट्रियलिस्ट ने सुविधा देवां, अठे सब्सिडी देवां और दूसरी बातां की सुविधा देवां पण अगर इण तरह सूं ही वां के साथ ज्यादती हुई तो वे जितरा भी अठे है वे भी भागबा की कोशिश करेगा, आपका प्रान्त ने छोडर ।

मैं एक और बात अर्ज करणो चाहूं कि आपां रा मुख्य मन्त्री घोषणा कर दी है कि साम्भर साल्ट, जो आज सेंटर को सब्जेक्ट है, ने राजस्थान ले ले । आज तक उण पर कांई कार्यवाही हुई, क्यों देरी होय री है, यो मूं जाणणो चाहूं । साल्ट पर बेस्ड जो इण्डस्ट्रीज है, कास्टिक सोडा है, सोडा ऐश है, सोप है, बहुत सारी इसी चीजां है जां की इण्डस्ट्री अठे लाग सगे है । जोइन्ट सेक्टर के अन्दर आप जो बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं वां ने इन्वाइट कर अठे चालू कर सको हो । ईके बारे में कुछ विचार करणो चाहीजे । मूं ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए अर्ज करना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक शब्द भी नहीं बोला हूं साहब । एक मिनट में ही अर्ज कर देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो स्टेट मिनरल एण्ड इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कोर्पोरेशन बना हुआ है, उसने आयुर्वेद के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है कि राजस्थान में आयुर्वेद को उद्योग मान कर इसके आधार पर इण्डस्ट्रीज कायम करने की बात की जा रही है । मेरा अर्ज करना यह है, उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद अपने आप में विज्ञान है । राजस्थान स्टेट मिनरल एण्ड इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कार्पोरेशन को अगर आयुर्वेद की चिकित्सा में काम आने वाली औषधियों को बनाने का, इसे डवलप करने का अधिकार दे दिया गया तो अनुचित होगा। इसके लिए हमारे आयुर्वेद विभाग में सारी व्यवस्था मौजूद है। उसे आयुर्वेद विभाग के माध्यम से इसको डवलप करने का काम राजस्थान में करें। जो आयुर्वेद औषधालयों के लिए आवश्यक औषधियां हैं वे आज भी मिल रही हैं। आगे भी आयुर्वेद विभाग के लेवल पर ही इनको बनाने की व्यवस्था की जाय और इसी की स्वीकृति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस इलाके से मैं जीत कर आता हूं वह राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका है, वहां पर काफी तादाद में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। मेरे इलाके में चमार जाति के लोगों का धन्धा जूती बनाने का था। इस समय भी उनका धन्धा जूती बनाने का ही है। लेकिन अब कइयों ने बड़े बड़े कारखाने लगाने शुरू कर दिए हैं। उनके कम्पीटिशन में वे लोग कम कीमत में जूती नहीं बना सकते इसलिए उनके धन्धे को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह चर्मार जाति का जो काम है, जो इनका खानदानी धन्धा है उसके लिये वे चाहते हैं कि ये अपने इस धन्धे को करते रहें इसलिये उनको इस तरह की सहूलियत दी जायं, रकम से, पैसे से कि वे अच्छी तरह से अपना धन्धा कर सकें।

दूसरे मेरे इलाके के अन्दर तेन्दू पत्ते की बहुतायत है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तेन्दू पत्ता मेरे इलाके में पैदा होता है। वहां पर मजदूरों की भी कतई कमी नहीं है। इसलिये तेन्दू पत्ते बेस्ड इण्डस्ट्री वहां पर लग सकती हैं। अगर सरकार चाहे तो पत्ता तेन्दू में कन्सेशन दिया जावे। जिनको पत्ते दिये जाय उनको पत्तों के साथ साथ पैसा भी दिया जावे जिससे इसकी इन्डस्ट्री डवलप हो सके।

श्रीमान, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे इलाके में सड़कों की कतई व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से जो इण्डस्ट्रियल एरिया का विकास हो सकता है वह भी नहीं हो रहा है। इस इलाके में अफीम के डोडे छिलके वगैरह पर बेस्ड इण्डस्ट्री का विकास कर सकते हैं।

इसके अलावा वहां पर काफी बड़ी तादाद में धनिया, रेपसीड का इलाका है। धनिया के लिए लोगों को इस बात का सुझाव दें कि उस इलाके में सबसे अधिक धनिया पैदा होता है। बारां की मण्डी मशहूर है। इस धनिया का उपयोग किया जा सकता है।

बस मैं इतने ही सुझाव दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, इसकी तो कोई सीमा नहीं होगी। हरएक दूसरी बार बोलना चाहेगा। यह ठीक नहीं होगा।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : मैं तो बहुत देर से इन्तजार कर रहा हूं।

श्री रामरघुनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा ही चलता है तो फिर कट मोशन देने की क्या जरूरत है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोलने दीजिये।

**श्री चिरजीलाल गर्ग** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान अजमेर जिले की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह जिला उद्योगों की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। इसकी ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। जिस तरह की इण्डस्ट्रीज यहां पर डवलप होनी चाहिए वह नहीं हुई हैं। औद्योगीकरण की दृष्टि से अजमेर के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार उचित नहीं है। इसका हमारे उद्योग मंत्री जी जवाब दें। अजमेर में पहले से ही एक एच. एम. टी. का कारखाना है। इसलिए एच. एम. टी. के घड़ी के कारखाने को लगाने के लिए अजमेर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ-साथ एच.एम.टी. उद्योग एनसिलियरी इण्डस्ट्री को प्रोत्साहन दे सकता है। पिछले सात वर्षों में केवल दो एनसिलियरा यूनिट ही स्थापित हुये हैं और एच. एम. टी. उनके भी कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहा है। वर्तमान में कम से कम 10 यूनिट्स की और स्थापना की जा सकती है।

पुष्कर क्षेत्र के अन्दर भी किसी प्रकार का औद्योगीकरण नहीं हुआ है। आपने यह घोषणा की है कि 5 प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जाएंगे। पुष्कर हिन्दुस्तान का तीर्थ स्थल है। मेरा नम्र निवेदन है कि वहां पर ऐसा एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाए। गुलाब व शहतूत का भी वहां उत्पादन बहुतायत में होता है। उन पर आधारित उद्योगों का निर्माण वहां पर किया जाय।

अधिक समय न लेते हुए मैं उद्योग मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। इसके विकास की आवश्यकता को देखते हुए उद्योग वहां पर लगाये जाएं। यह मेरा निवेदन है।

**श्री लालशंकर (सागवाड़ा)**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के करीब 40-50 हजार व्यक्ति उद्योगों में काम करते हैं और गुजरात व मध्य प्रदेश में कार्य करने जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि डूंगरपुर सीमलवाड़ा, सागवाड़ा में काटन मिल खोली जावे ताकि गरीब आदिवासियों को रोजगार मिल सके। इसी तरह से वहां मारनाव खानों पर पत्थर मिलता है। इसका भी विकास कर उद्योग लगाए जाएं। इससे गरीब ग्राम जनता व हरिजन और आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। मेरा सरकार से और खास तोर से उद्योग मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस पिछड़े हुए इलाके की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि सरकार अवश्य कॉटन मिल्स खोलने की बात को स्वीकार करेगी और इस पर गौर करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आसन ग्रहण करता हूं। सधन्यवाद।

**श्री त्रिलोकचन्द जैन (उद्योग मन्त्री)**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत उन माननीय सदस्यों को अपना धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज की डिमांड पर राजस्थान के औद्योगीकरण के लिए बहुत ही रचनात्मक और उपयोगी सुझाव दिए। ऐसा लगता है कि राजस्थान के औद्योगीकरण में माननीय सदस्यों की रुचि है, और इनका उत्साह है। सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर जो आपके विचार हैं, उनसे लगता है कि आपने जिस भावना से विचार प्रकट किए हैं, उससे राज्य का औद्योगीकरण हो सकेगा।

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

छोटे उद्योगों के द्वारा, लघु उद्योगों के द्वारा, कुटीर उद्योगों के द्वारा राजस्थान के औद्योगीकरण की बात जब हम करते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगीकरण अपने आप में किसी विचार का एक भाग है, एक आर्थिक रचना का कार्यक्रम है कि हम किस प्रकार की संरचना चाहते हैं। इसका निर्देशन इससे निकलता है कि किस प्रकार के उद्योग होते हैं। जिस तरह के उद्योगों का निर्माण होगा और जिन औजारों से, जिन इम्प्लीमेन्ट से लोग काम करेंगे, उसी प्रकार की सभ्यता का निर्माण होगा, समाज की रचना का काम होगा।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो मेन्डेट दिया है जनता पार्टी को जनता ने और जनता पार्टी ने जो नीति की घोषणा की है कि हम गांधी जी के विचारों के अनुकूल एक समाज की रचना करना चाहते हैं उस समाज की रचना के अन्दर एक विकेन्द्रित अर्थ रचना होगी। विकेन्द्रित उद्योग उसके आधार पर होंगे। छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के द्वारा हम एक नई अर्थ नीति, एक नयी आर्थिक संरचना करना चाहते हैं। उस मेन्डेट के आधार पर, जो आदेश जनता ने दिया है उसके आधार पर हम काम करेंगे। उसके आधार पर हम लोगों ने एक कल्पना की है कि आगे जो औद्योगीकरण की नीति हो, जो जनता ने मेन्डेट दिया है, जो नीति जनता पार्टी ने रखी है उसके आधार पर हमारे राज्य का औद्योगीकरण हो, राजस्थान का औद्योगीकरण हो। इसलिए हम सब लोगों को इस सारी दृष्टि से सोचना होगा। यह जो आपके सामने डिमाण्ड रखी गई है, उससे भी आभास होगा कि सारा का सारा इम्फेसिस, सारा का सारा जोर इस बात पर लगाया है जो भी औद्योगीकरण हो राजस्थान में वह सारा ग्रामोद्योगों के द्वारा, लघु उद्योगों के द्वारा, कृषि आधारित उद्योगों के द्वारा हो और गांवों की तरफ हमारी दिशा हो। ग्रामीण औद्योगीकरण के द्वारा ही हर क्षेत्र का विकास करना होगा। कतिपय उद्योगों में ज्यादा पूंजी लग जाए और वह उद्योग 33 हजार गांवों की झोपड़ियों में नहीं पहुंचें तो इस प्रदेश का, इस राज्य का औद्योगीकरण हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो हालात हैं, उससे भी आप देखेंगे कि हम औद्योगीकरण की दिशा में किस प्रकार से सोचना चाहते हैं। हमारा यह प्रदेश और देश कृषि प्रधान देश है और यहां की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर करती है। खेती ही ऐसी है जिसमें कि लोगों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध नहीं है। इस तरह की राजस्थान की परिस्थिति है। राजस्थान की जो परिस्थिति हमारे सामने आई है वह इस प्रकार की स्थिति सामने आई है, कि जिसमें हमें विकास करना है। इस सारी परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में आगे की उद्योग नीति के बारे में सोचना है और आगे के कार्यक्रम के बारे में सोचना है। जो परिस्थिति है, वह यह है कि 56 प्रतिशत हमारे यहां के लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं। यहां पर जो उद्योग धंधे में इन्वेस्टमेंट हुआ है, वह कम है। 2.16 प्रतिशत हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ। भारत सरकार ने सारे देश में 7 हजार 923 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से राजस्थान में 160.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसी तरह से इण्डस्ट्रियल बैंक्स ने भी इस प्रदेश की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। यहां पर भी कंजूसी

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

बरती गयी। भारत सरकार ने एक तरह से हमारे प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया। राजस्थान में इण्डस्ट्रियल बैंक के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वह केवल 2.49 प्रतिशत है। जब कि माहराष्ट्र में यह 22 प्रतिशत है, गुजरात में 11.48 प्रतिशत है, तामिलनाडु में यह 11.70 प्रतिशत है। तो यह परिस्थिति है और इस प्रकार 1 पर्सेन्ट इनवेस्टमेंट का इसमें जिक्र है। यह सारे राजस्थान की परिस्थिति है। इस तरह से राजस्थान उद्योग की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। उद्योगों के विकास की दृष्टि से चाहे छोटे उद्योग हों, चाहे बड़े उद्योग हों, राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है। इसके ये कारण हैं। यहां पर कोई लाइन भी नहीं है। इन सारे हालात में हमको सोचना होगा कि हमारा आगे का कार्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। यह जिक्र मैंने इसलिए किया है कि हर जिला, हर प्रदेश और हर क्षेत्र से विधायक आये हैं। नयी नयी सरकार बनी है। माननीय सदस्यों में भी एक उत्साह पैदा हुआ है। सभी की यह आकांक्षा है कि राज्य का विकास होना चाहिए। एक मौका आया है, जब कि हम एक ठहरे हुए पन से बाहर आये हैं। एक ठहराव से हमको मुक्ति मिली है। अब नये निर्माण की करवट लेनी चाहिए। लेकिन जिस परिस्थिति में हम हैं, उसको हमें जानना चाहिए। सरकार को बने हुए अभी ढाई महीना हुआ है। मैं कुछ क्षेत्रों में गया हूं। वहां के उद्योगों को और लघु उद्योगों को देखा है। उनकी परिस्थितियों को समझा है। अभी ढाई महीने ही गुजरे हैं। यहां के उद्योगों की समस्या क्या है, जो उद्योगों में लगे हुये हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, यह समझना है। मैं दिल्ली गया सरकारी काम से तो एक उद्योगपति मुझको मिले। मैंने उनसे निवेदन किया कि अब राजस्थान में सरकार बदली है। राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आप क्यों उत्साह नहीं रखते हैं? आप दूसरे क्षेत्रों में क्यों उद्योग लगाते हैं? उन्होंने पहली बार तो यह कह दिया कि हम वहां आकर क्या करेंगे। हम पहले भी मन्त्रियों से मिलते रहे हैं। उन पर पूरा विश्वास करते रहे हैं। राजस्थान गये हैं लेकिन राजस्थान जाने पर यह महसूस हुआ कि न तो मन्त्री पूछते हैं और न कोई और पूछता है। जिस दफ्तर में जाते हैं, इण्डस्ट्री विभाग में जाते हैं तो कोई ठीक बात नहीं करता है। वहां इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। इस प्रकार का ढंग नहीं है कि जिससे हम राजस्थान में किसी उद्योग को लगाने का अपना निर्णय लें। इसलिए अपने आप को टटोलिए फिर इरादा बताइये। उन्होंने यह बात कुछ सोचने के आधार पर कही। मैंने सारी परिस्थिति देखी है। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एस्टेट है। वह बड़ा प्रभावशाली माना जाता है। बाइस गोदाम देखने के लिए गया। बीकानेर गया। उदयपुर और भीलवाड़ा भी गया। वहां के लोगों से भी मिला। सभी लोगों ने यह कहा कि हमारे यहां खास तौर से लघु उद्योग बीमार पड़े हैं, बन्द पड़े हैं। किसी न किसी बीमारी या कठिनाई से ग्रस्त हैं। लोगों में कोई प्रेरणा नहीं है। इस प्रकार का कुछ वातावरण मैंने देखा है। यह सब देखकर

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

कुछ धक्का सा लगा। इसी तरह से सारे उद्योग उनके उसी प्रकार चलते हैं जिस प्रकार से यहां के दफ्तर चलते हैं। किस प्रकार की कठिनाई आती है, यह सारा बताया। तब ऐसा लगा कि जितनी सुविधाएं चाहिए, उद्योगों के विकास के लिए जमीन की सुविधा हो, उनको यहां पर फाइनेन्स मिले, जो लोग यहां पर उद्योग लगाना चाहते हैं उन लोगों को किस प्रकार की यातायात की सुविधा मिले जिससे कि कच्चा माल आने में सुविधा मिले, फाइनेन्स की सुविधा मिले, टैक्स की नीति ठीक हो, इन्सपेक्टर विजिट करें, प्रशासन का व्यवहार ठीक हो और एक प्रकार से यहां की जो आन्तरिक व्यवस्था कही जाये, वह ठीक हो तो कोई निमन्त्रित करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। जमीन के मामले में देखा गया तो पता चला कि बहुत सी कठिनाइयां हैं। जमीन किसी को अलॉट कर दी गई, दे दी गई लेकिन रेवेन्यू विभाग में और उद्योग विभाग में सामंजस्य नहीं था। मशीनें आ गईं लेकिन इण्डस्ट्री के नाम से, इण्डस्ट्री के पर्पज के लिए जमीन का नामान्तरण नहीं हुआ। आज भी ऐसी जमीन पर मशीनें लगी हुई हैं जिस जमीन का नामान्तरण नहीं हुआ है। इसी तरह से इण्डस्ट्रियल एस्टेट खड़ी हुई हैं वह विकसित नहीं हो रही हैं यातायात के साधन नहीं हैं। यहां का बाईस गोदाम भी विकसित नहीं है। वहां पर एक ट्रक भी नहीं जा सकता है। वहां औद्योगिक इकाई लगी हुई है लेकिन वहां सड़क नहीं है। है भी तो टूटी हुई हैं। यातायात के साधन नहीं मिल पाये हैं। वहां पर यह सुविधा नहीं है कि उद्योग का विकास करने के लिए कच्चा माल लाया जा सके और पक्का माल ले जा सकें। इसी प्रकार की कई समस्याएं हैं। इसी प्रकार से बिजली की समस्या है। यहां के चार्जेज ज्यादा हैं और बिजली पर लोड बढ़ जाता है। एक सज्जन हैं जिनका नाम नहीं लूंगा। उनका अच्छा उद्योग है। उन्होंने कहा कि हम अपना उद्योग यहां से ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि अच्छा उद्योग है, आप क्यों ले जाना चाहते हैं ? उन्होंने कहा कि हमारी मशीनें हैं लेकिन बिजली की व्यवस्था इतनी डेलीकेट है कि बार बार बन्द हो जाती है। ठीक समय पर नहीं मिलने के कारण बहुत बड़ा अवरोध रहता है। इसी तरह से कच्चे माल के बारे में रहता है। लोहा और कोयला उनको समय पर नहीं मिलता है। समय पर नहीं मिलने के कारण कई इण्डस्ट्री बन्द हो गई हैं। ऐसे कई बड़े बड़े उद्योग हैं जिनको कच्चा माल मिलना चाहिए, उनको देना चाहिए जिससे कि इण्डस्ट्री डवलप हो लेकिन वह नहीं दे पाते हैं। उसके कारण उनकी इण्डस्ट्री बन्द हो जाती है। सही रेट पर नहीं मिलने के कारण या समय पर नहीं मिलने के कारण उद्योग बन्द हुए हैं। कभी फाइनेंस की कठिनाई है, कभी ऋण देने वालों की स्थिति अनुकूल नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उद्योगों को ऋण भी सही समय पर दिया जाए जब कि अभी तक तीन-तीन, चार चार साल तक उनका फैसला नहीं हुआ है। इस प्रकार की कठिनाई में यहां का उद्योग रुका रहा है। जो इकाइयां लगी हुई हैं, उन्हें बन्द करके बैठे हैं। जो नुकसान में चले गये वे यहां से छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गये। कुछ हमारी

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

टैक्स की नीतियां भी ऐसी हैं कि जिनके कारण भी उद्योग नहीं पनप पाते हैं और खास कर छोटे उद्योग नहीं पनप पाते हैं। बड़े उद्योगों को निश्चित रूप से चुंगी की सुविधा मिलती रहती है लेकिन इनकी वजह से लघु उद्योग नहीं पन पाते हैं। आज भी उनके सामने यह कठिनाई है। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां भी हैं, जिनके कारण यह उद्योग नहीं पनप पाते हैं। जब कोई उद्यमी उद्योग विभाग में कोई उद्योग प्रारम्भ करने के विचार से जाता है तो वे लोग यह समझते हैं जैसे कोई मछली जाल में फंस गई हो।

**श्री मूलचन्द डागा** : Fine ! Fine !

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : इसको एक्स्प्लाइट किया जा सकता है, उद्योग लगाने से पहले ही। उसकी स्थिति इस प्रकार की होती है जैसे पण्डों ने पकड़ लिया हो। उसी तरह से उसको फंसाते हैं। हमेशा से उद्यमी लोगों को निराशा मिलती रही है इसलिये उद्यमी लोग, जो कलकत्ता और बम्बई से आये थे, अपना उद्योग छोड़कर नुकसान उठाकर यहां से चले गये।

**श्री मूलचन्द डागा** : आप उस जाल को कैंची से काट दें।

**एक माननीय सदस्य** : तुम्हारे कर्मों को बता रहे हैं।

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : दो-ढाई महीने में हमने अध्ययन किया है उससे हम आगे के लिये सोचते हैं कि जब तक इन सारी कठिनाइयों को दूर नहीं किया जायेगा तब तक छोटे उद्योग स्थापित नहीं हो सकते हैं। बड़े उद्योग तो इन तकलीफों को उठा सकते हैं लेकिन छोटे उद्योग इनको नहीं उठा सकते हैं। छोटे उद्योगों का विकास करने की इस सरकार की नीति है इसलिए हमको नये दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले उद्योग मन्त्रियों के सम्मेलन में मैंने केन्द्रीय उद्योग मन्त्री जी से निवेदन किया था कि हम लोगों को यह निश्चित करना पड़ेगा कि हमारी नई औद्योगिक नीति किस प्रकार की हो। हमको इस बारे में नये सिरे से विचार करना पड़ेगा। राज्य सरकार यह मानती है कि औद्योगिक नीति अनएम्प्लायमेन्ट को दूर करने की दृष्टि से निर्धारित नहीं हो सकती, हमारा प्रयत्न यह है कि जो प्रशासन है उसे गांव के लोगों तक ले जा सकते हैं; जो हमारी फइनेन्शियल एजेन्सीज हैं उनके सहयोग से हम छोटे उद्योगों को गांवों में चलाने की बात करते हैं तो यह स्पष्ट है कि जब तक बैंक और फाइनेंसिंग एजेंन्सीज अपने सारे दृष्टिकोण को और एटीट्यूड को नहीं बदलेंगी, दूर तक गांवों तक जाने के लिए तैयार नहीं होंगी और छोटे-छोटे जो कारीगर हैं उनको सहयोग करने के लिये तैयार नहीं होंगी तब तक हमारी नीति शायद ही लागू हो सके। इसलिए हमको नये दृष्टिकोण से सोचते हुए सारे मानस को बदलना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा है कि जो भी कठिनाइयां हैं जो भी इसमें अवरोध हैं जमीन के मामले हैं, यातायात की समस्या है, विद्युत् का सवाल है, कच्चे माल की उपलब्धि है उद्योग विभाग का पुनर्गठन है, इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए दूसरे विभागों से समन्वय बिठाकर राजस्थान के औद्योगीकरण को एक नया आधार देना है। एक नई नीति इस आधार पर ले जाने की बात सोचते हैं।

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

इसी आधार पर विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है। यह सूचना भेजी है और मैं जहां भी जाता हूं तो यही निवेदन करता हूं कि कोई भी उद्यमी आता है या कोई भी नौजवान पढ़ा-लिखा और साहसी एन्टरप्रिन्योर तैयार होता है तो मैं उनको दावत देता हूं और आमन्त्रित करता हूं। जब से जनता सरकार आई है, हमारी छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाने की नीति रही है। जो भी कच्चा माल उपलब्ध है मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अब हम एक ऐसी नीति का अनुसरण करने जा रहे हैं जिसमें राज्य सरकार से मांगने की आवश्यकता नहीं है। यह भी बात नहीं है कि अमुक उद्योग हमारे यहां आना चाहिए। क्षत्रीय असन्तुलन की बात भी अब नहीं है। अब तो हमारे यहां जो भी कच्चा माल मिले, जो भी साधन उपलब्ध हों, उसके आधार पर हर क्षेत्र की एक योजना तैयार होनी चाहिए और योजना की क्रियान्विति का उत्साह होना चाहिए। जो भी योजना होगी उसके लिये प्रायोरिटी तय करेंगे, उसी के आधार पर सरकार सहयोग करेगी। इसलिये मैं सब लोगों को आमन्त्रित करता हूं। जो भी उद्यमी मिलते हैं उनको मैं कहता हूं, आप उद्योग विभाग में आइये और देखिये कि आप क्या उद्योग चला सकते हैं और सरकार आपको क्या सहयोग दे सकती है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पहले हम हमारे घर को ठीक कर लें, इस दृष्टि से उद्योग विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है। पुनर्गठन किया भी गया है। इसके लिए एक अलग सेल बनाया गया है, जहां पर कोई जाय तो उसको यह जानकारी मिल सकती है कि राजस्थान में किस प्रकार के उद्योग आरम्भ किए जा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो किताब दी गई, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, वह अंग्रेजी में है, इसके लिए क्षमा चाह लेता हूं। वह पहले तैयार की जा चुकी थी। उसका समय पर हिन्दीकरण नहीं हो सका। यह एक दुविधा थी हमारे सामने। कल यह सोच रहे थे कि यह किताब दी जाय या नहीं दी जाय क्योंकि यह अंग्रेजी में है। फिर भी यह एक आधार लगा, इसमें हर जिले का नक्शा तैयार कर दिया गया है कि क्या क्या वहां की पोटेन्शियलिटीज हैं, क्या कच्चा माल मिल सकता है और क्या क्या उद्योग खड़े हो सकते हैं, क्या क्या उद्योग पहले से चल रहे हैं। जो नक्शा दिया गया है उसके आधार पर, उपाध्यक्ष महोदय, अब हर क्षेत्र का नक्शा तैयार हो सकता है कि उस जिले में किस प्रकार का औद्योगीकरण हो सकता है और उस प्लान के आधार पर उद्योग विभाग किस प्रकार से और क्या सहायता कर सकता है जिससे कि उसमें सहायता मिल सके।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं डिस्टर्ब करने के लिए मन्त्री महोदय से क्षमा चाहता हूं। कोटा जिला राजस्थान का ऐसा जिला है जहां पर काफी अफीम पैदा होती है। इसके लिए भारत सरकार से निवेदन करें कि जो कारखाना मध्यप्रदेश में लगाया जा रहा है वह कोटा में लगाया जाय। वहां पर इसके लिए साधन उपलब्ध है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं तो आपकी सूचना

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

के लिए यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की तैयारी उद्योग विभाग कर रहा है कि जितनी भी जानकारी हो सकती है जिले की वहां पर जो कच्चा माल मिल सकता है, जो रिसोर्सेज हैं वहां पर उसकी जानकारी रहे। कहां तक वित्तीय सहायता मिल सकती है इसकी भी जानकारी रहे। क्या इसमें बिजली विभाग मदद कर सकता है इण्डस्ट्रियल एस्टेट को क्या शर्तें हैं, कौनसा विभाग कितनी सहायता कर सकता है, उस दृष्टि से सारी जानकारी मिल जाय, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है।

एक बात यह भी है कि जब हम लघु उद्योग की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी कठिनाई यहां के उद्योगों को सहनी पड़ती हैं और वह आगे भी आती रहेगी। जो छोटे उद्योग हैं जो चल रहे हैं उनके सामने आर्थिक सहायता की बहुत बड़ी प्रॉबलम है। मुझे अध्ययन करने से ऐसा लगा कि बहुत सारी इकाइयां तो ऐसी हैं जो बिना आर्थिक सहायता के भी खड़ी हो सकती हैं और ठीक हो सकती हैं, 25-30 प्रतिशत इकाइयां ऐसी हैं जो स्वतः खड़ी हो सकती हैं। इसके लिए भी तैयारी की जा रही है, भारत सरकार और हमारे विभागों के बीच में सामंजस्य बिठाया जाय ताकि जो उनके द्वारा खरीद होती है, वह पहले राजस्थान के उद्योगों से खरीदें। जो भारत सरकार की एजेंसी है डी.जी. एस. डी. उससे भी निवेदन किया जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहां कान्फ्रेंस चल रही है इस बात को। आपको जानकर दुःख होगा कि अब तक हमारे यहां के लघु उद्योगों से केवल एक प्रतिशत माल भारत सरकार खरीदती है। जब हाल ही में दिल्ली में उद्योग मंत्रियों की कान्फ्रेंस हुई तब मैंने आग्रह किया और निवेदन किया कि यह राजस्थान के साथ ऐसा व्यवहार क्यों है जब कि आप दूसरे राज्यों से इतना माल खरीदते हैं? आप नीति का निर्माण करें, आपके विभाग करोड़ों रुपए की खरीद करते हैं, वे राजस्थान की छोटी इकाइयों से भी माल खरीदें ताकि यहां की इकाइयों को एक आश्वस्त बाजार मिले। इस बात पर विचार करने के लिए वे लोग यहां पर आए हुए हैं और कान्फ्रेंस चल रही है। हम कोशिश कर रहे है कि किस तरह से लघु उद्योग निगम द्वारा उनके मार्केट और वितरण की व्यवस्था बिठाई जा सके और मार्केटिंग एन्श्योर किया जा सके छोटी इकाइयों के लिए ताकि उनके विकास में किसी प्रकार अवरोध न आए।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बालोतरा की छपाई का जो उन्होंने जिक्र किया उनकी समस्या का निराकरण कर दिया गया है। वहां छपाई का जो माल तैयार होता है लघु उद्योग निगम उसको लेता रहेगा और कोई कठिनाई नहीं आयेगी। इस तरह से जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें जो हैंडीक्रेफ्ट्स कि जो माल का उत्पादन होता है उसकी बिक्री की व्यवस्था नहीं है उसकी बिक्री की व्यवस्था की जा रही है एम्पोरिया द्वारा दूसरे जो बाजार हैं उनसे विभाग द्वारा सम्पर्क बिठाया जा रहा है। इस विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है। श्री गिरधारीलाल भार्गव ने शंका प्रकट की थी केवल हम एजेन्टों द्वारा खरीदते हैं।

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

मैंने इसको देखा और निर्देश दिया। इस प्रकार की नीति का निर्माण किया गया है कि कारीगरों के साथ सीधा संपर्क करें और एजेन्टों के मार्फत माल नहीं खरीदें। इस तरह माल खरीदने की सारी व्यवस्था को बदल दिया गया है।

इसी प्रकार कच्चे माल की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि जो इकाइयां बीमार हो गई हैं उनको कच्चा माल सही तरीके से मिल सके। जो वितरण में अव्यवस्था थी उसको दूर किया जा रहा है जैसे लोहा है, कोयला है वह उनको दिया जाएगा। जिनकी कैपेसिटी असेस है अगर उनकी कैपेसिटी कम आंकी गई है तो मैंने विभाग को यह भी कहा है कि वापस कैपेसिटी री-असेस की जाय और सम्बंधित लोगों को बुलाकर माल सही तरीके से वितरित किया जाय।

इस तरह मार्केटिंग की व्यवस्था भी ठीक की जा रही है। राजस्थान वित्त निगम से भी निवेदन किया गया है कि वह अपनी नीति बदले, एटीट्यूड बदले। उसने सारे कार्यक्रम को बदला है क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। उसको भी औद्योगिक विकास करना है लघु उद्योगों व ग्रामीण उद्योगों के मार्फत तो उनको देरी से निर्णय नहीं लेने होंगे। वे जल्दी जल्दी निर्णय लेकर जो प्रार्थना-पत्र हैं उनकी जांच करके, व्यवस्थित करके डिस्पोज ऑफ करें। उसमें और भी सुधार होने की गुंजाइश है, वह धीरे धीरे किया जा रहा है। इस व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण के लिए सोचा जा रहा है कि जिलों में भी अधिकार दिये जायं ताकि छोटे उद्योगपतियों को जयपुर न आना पड़े। वहां पर ही प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय लेने की व्यवस्था की जाय और वहीं ऋण मिल जाय।

चुंगी के बारे में चर्चा चल रही है। अभी कुछ भी निश्चित नहीं कह सकता लेकिन यह आवश्यक है कि एक नीति हो, कर समान हो। कर इस प्रकार के हों कि लघु उद्योगों के विकास में दूसरे राज्यों के मुकाबले में हमारे माल के आवागमन में दुविधा न हो। ऐसी नीति का निर्माण हो रहा है। यह विचार भी चल रहा है कि कई निरीक्षक छोटे उद्योगों के पास न जायं। केवल दो-तीन निरीक्षक ही जायं एक टेक्निशियन हो, एक एक्साइज वाला हो और एक वेलफेयर वाला हो। आज निरीक्षक उनके पास जाते हैं जिससे एक आदमी तो केवल निरीक्षकों का ही सामना करता पड़ता है। उनको अनेक प्रकार के रजिस्टर्स रखने पड़ते हैं। तो सरलीकरण की नीति अपनाई जा रही है ताकि उन पर भार कम हो जाय।

इसी तरह से सारे उद्योग के विकास की दृष्टि से विभाग को पुनर्गठित करने की बात की जा रही है। यह निश्चित है कि यहां पर मिट्टी है, ऊन का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है, खनिज सम्पदा है, वन सम्पदा है, पशुपालन का धंधा भी व्यापक है। मिट्टी भी ऐसी है कि कई प्रकार के उद्योग विकसित हो सकते हैं। कच्चे माल की सम्पदा है इसके आधार पर आगे का औद्योगीकरण का कार्य होगा।

ऊन, हम मानते हैं कि राष्ट्र की उपज का 44 प्रतिशत हमारे प्रदेश में पैदा

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

होती है और उसका पूरे तरीके से यहां पर उपयोग नहीं हो रहा है। अभी जो कार्य-क्रम बनाया जा रहा है वह दो तीन तरीकों से बनाया गया है। जब मैं दिल्ली में था तो यहां से योजना भेजी गई थी, खादी ग्रामोद्योग कमीशन से बात हुई थी। अब तक 5 करोड़ रुपये की ऊन का उपयोग करते रहे हैं। उन्होंने 10 करोड़ रुपये के उत्पादन की योजना स्वीकार की है और 10 करोड़ रुपये के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता देना उन्होंने स्वीकार किया है। इसके आधार पर यहां पर सूती और ऊनी खादी में आगामी वर्ष 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। एक लाख को अभी मिलता है आंशिक और पूर्ण, नई योजना में 25 हजार अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

मैंने ग्रामोद्योगों के विकास के लिए खादी कमीशन से बात की है। उन्होंने कहा है जितना भी राजस्थान में ग्रामोद्योगों का विकास हो सकता है उसके लिए पूंजी की कमी नहीं होगी। उन्होंने 9 करोड़ की योजना स्वीकार की है। उसमें 2 हजार ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस समय 30 हजार को मिलता है, अब 32 हजार को मिल सकेगा। इसके अलावा हाथकर्घा की योजना स्वीकार हुई है। 8 विशेष प्रोजेक्ट्स चलते हैं। सघन योजना भारत सरकार की है। इस साल हम लोग 7 हजार नए करघे लगायेंगे। हमें भारत सरकार से सात हजार करघे लगाने के लिये लूम लगाने की सैंक्शन हुई है। इसमें से हमने चार हजार तो लगा दिये हैं और बाकी लूम भी मैं समझता हूं कि तीन चार महीनों में लग जायेंगे। इसके अलावा 15 हजार पावर लूम लगाने की बातचीत भी केन्द्रीय सरकार के उद्योग मन्त्री जी से चल रही है। अभी जब हम दिल्ली गये थे कांफ्रेंस में तब मुख्य मन्त्रीजी ने उद्योग मन्त्री श्री धारिया जी से इस सम्बन्ध में बातचीत की। उन्होंने बहुत भारी उत्साह इन पावर लूम्स के देने के लिये दिखलाया। उन्होंने काफी रुचि राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिये दिखाई। यह भी स्वीकार किया कि हम आपके यहां 15 हजार पावर लूम लगाने की व्यवस्था कर देंगे। इससे हमारे यहां पर जो ऊन उद्योग है उसका बहुत ही व्यापक तरीके से विकास हो सकेगा। यह पावर लूम वहां लगाये जायेंगे जहां पर कि उनके लिये कच्चा माल मिल सके जिससे कि यह उद्योग अच्छी तरह से पनप सके।

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, गलीचा उद्योग जो कि ऊन से सम्बन्धित उद्योग है, का भी विकास करने की कार्यवाही राज्य सरकार कर रही है। आज अभी राजस्थान में 10 गलीचे बनाने के केन्द्र चल रहे हैं। अब राज्य सरकार 15 गलीचे बनाने के केन्द्र और खोलेगी जो कि फुलफ्लेज्ड चलेंगे। इसमें दस केन्द्र ऐसे हैं जो कि फुल-फ्लेज्ड हैं और पांच ऐसे होंगे जो कि इन्हीं उद्योगों से एसोशियेटेड खुलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, दस केन्द्र और चल रहे हैं और पांच गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की तरफ से और खुलेंगे। इस तरह से कुल 40 केन्द्र गलीचे बनाने के लिये खुल जायेंगे। मैं समझता हूं कि पांच हजार व्यक्तियों को इसमें रोजगार मिल सकेगा। इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही हमारे यहां पर कच्चे माल का उपयोग भी हो सकेगा।

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर औद्योगिक दृष्टि से कुछ एरिया बैकवर्ड घोषित किया हुआ है। यहां पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिलों को बैकवर्ड औद्योगिक दृष्टि से घोषित करने की मांग की है। हमने भारत सरकार से यह कहा है कि राजस्थान एक तरह से पूरी तरह बैकवर्ड एरिया ही मान लिया जाय तो राजस्थान के साथ न्याय होगा क्योंकि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पूरा बैकवर्ड है। हमने कान्फ्रेन्स में कहा कि आप सारे राजस्थान को ही औद्योगिक दृष्टि से बैकवर्ड घोषित करें। इसके लिये वह कहां तक राजी होते हैं यह अभी नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि वह सभी राजस्थान को पिछड़ा हुआ मान ले एक्सेप्ट डागाजी के पाली जिले का जो कि औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित है। वहां पर काफी विकास हो गया है।

**श्री मूलचन्द डागा** : यह तो अन्याय होगा, साहब।

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान के अन्दर 16 जिले ऐसे हैं जो कि औद्योगिक दृष्टि से बैकवर्ड इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा घोषित किये हुए हैं। इन 16 में से पांच डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा घोषित किये हुए हैं और बाकी राजस्थान सरकार द्वारा बैकवर्ड घोषित किये हुए हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि भारत सरकार सभी जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने की हमारी पूरी मांग मान ले पर कुछ जिलों को शायद सरकार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा मान ले। मैंने उद्योग मन्त्री जी को कहा कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करने के लिये भारत सरकार ने जो सिस्टम कर रखा है वह डिफेक्टिव सिस्टम है। उन्होंने जो वर्गीकरण किया है वह सही नहीं है इसलिये आप इस पर पुनः विचार करें। आप इसको चेन्ज करें ताकि दूसरे प्रदेशों के साथ न्याय हो सके। वैसे तो राजस्थान महाराष्ट्र के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ है लेकिन वहां ज्यादा क्षेत्र बैकवर्ड एरिया औद्योगिक दृष्टि से घोषित किया हुआ है जब कि वह हमारे राजस्थान से औद्योगिक दृष्टि से काफी बढ़ा चढ़ा है। इसलिये मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप इस पुराने सिस्टम को चेन्ज करके इसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिये इस वर्गीकरण की नीति पर पुनर्विचार करें। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस का थोड़ा ध्यान रखेगी। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर 16 जिलों को बैकवर्ड घोषित किया गया है। जो भारत सरकार के द्वारा बैकवर्ड एरिया घोषित किये गये हैं उनमें जो भारत सरकार द्वारा बैकवर्ड एरिया को सुविधायें दी जाती हैं उनके अलावा जो बाकी दस जिले बचते हैं। उन्हें हम वही सुविधायें देते हैं जो कि भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक बैकवर्ड जिलों जो भारत सरकार सुविधायें देती है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह रूरल क्षेत्र इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिये भी निवेदन किया गया है कि हमारे यहां पर भारत सरकार द्वारा पांच रूरल इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स खोले जायं। केन्द्रीय उद्योग मंत्री जी ने काफी

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

उत्साह दिखाया है। चूंकि यहां पर कच्चा माल बहुतायत में पाया जाता है इसलिये यहां पर अगर रूरल इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स खोले जायें तो काफी विकास उस कच्चे माल के आधार पर ग्रामोद्योगों का हो सकता है। इसी तरह कई बातें हो सकती हैं। अभी यहां पर पांच योजनायें चल रही हैं। तीन की मांग हमने और की है। हमारे यहां पर लघु उद्योग चर्म उद्योग और कुटीर उद्योगों का काफी विकास हो सकता है। यह जो उद्योग खोले जायेंगे वह स्थानीय कच्चे माल को ध्यान में रखते हुए खोले जायेंगे। इसमें खास तौर से ऐसी योजना भी हाथ में ली जायेगी जिसमें पशु-पालन, वन और दूसरे विभागों में एक सामूहिक दृष्टि से सन्तुलन बन जाये। गांव को एक इकाई के रूप में मानकर योजनायें चालू की जायेंगी। इसमें एक क्षेत्र का इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट किये जाने की योजना है ताकि उस पर्टीक्यूलर क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास हो सके।

यहां पर जैसा कि माननीय डागाजी ने अपने भाषण में कहा था कि यह लघु उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग क्या है और दूसरे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इनका आप विकास कैसे करेंगे? इसके लिये हमारी योजना यह रहेगी कि गांवों में इन उद्योगों का विकास हो वह पूरी तरह हो और इनमें समन्वय आपस में हो। एक क्षेत्र में जो कच्चा माल है वहां पर औद्योगिक दृष्टि से उस कच्चे माल पर आधारित उद्योग खोले जावें। इस प्रकार पूरे प्रदेश का समान रूप से विकास करने की योजना है। हमें पूरे राजस्थान जो कि बैकवर्ड है, का विकास करना है।

यहां पर जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर औद्योगिक विकास नहीं हुआ, पूरा पिछड़ा हुआ है। इसी तरह जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अब उन्हें कोई भय नहीं होना चाहिये, कोई डर की बात नहीं है। अब यह नहीं होगा कि किसी मन्त्री का क्षेत्र है या राजनेता का क्षेत्र है वहीं पर विकास के कार्यक्रम खोले जायेंगे। यह बात नहीं है। जहां भी जिस उद्योग के लिये कच्चा माल मिल सकेगा, जहां पर टेक्निकल फैसेलिटी उपलब्ध हैं, या जहां पर कच्चे माल के साथ श्रमिक उपलब्ध हैं इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को चुना जायेगा। इसमें किसी भी तरह की भेदभावपूर्ण नीति राज्य सरकार की नहीं रहेगी। जो जिले पहले से ही पिछड़े हुए हैं, किन्हीं भी कारणों से वह पिछड़े रहे हों अब उन्हें भी प्राथमिकता देने का ध्यान रखा जायेगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियल एस्टेट के बारे में मेरा निवेदन है कि राजस्थान में कुल 57 इन्डस्ट्रियल एस्टेट हैं जो कि अलग अलग जिलों में हैं। इनमें 38 तो वैल डवलप्ड हैं जो कि आर. एम. आई. डी. सी के पास हैं और 15 उद्योग विभाग के पास हैं। इसके अलावा जो बचे हैं उसका कारण यह है कि वहां पर उद्यमी आये नहीं हैं या उसमें कोई कठिनाई आ गयी है। इसी प्रकार राज्य सरकार और भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिये ऐसी जमीन लेने की कार्यवाही कर रही है जहां कि उद्योग लगाये जा सकते हैं और उनको डवलप किया जा सकता है। जैसा कि मैंने निवेदन किया

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

है कि 38 तो ऐसे हैं जो आर. एम. आई. डी. सी. के पास हैं और विकसित हैं और 15 उद्योग विभाग के पास है। अब चूंकि जनता पार्टी की सरकार है और हमारी नीति है कि ग्रामोद्योगों का विकास किया जाय और लघु उद्योगों का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में विकास किया जाय जिससे कि गांव कस्बे बदलें और औद्योगिक क्षेत्र बनें। अब पुनः ध्यान से इस पर विचार किया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र बनाये जायं और छोटे छोटे उद्योग स्थापित किये जाय। एक नयी कल्पना तैयार की जा रही है कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिये ऐसे क्षेत्रों को विकसित किया जाय जो कि गावों में हों इस दृष्टि से सेवा का काम भी कर सकेंगे, सहायता का काम कर सकेंगे और सुधार का काम भी कर सकेंगे। इस दृष्टि से सोचा जा रहा है कि जो औद्योगिक क्षेत्र गांवों में है, जो औद्योगिक नीति है लघु उद्योगों को बढ़ाने की, ग्रामोद्योगों को बढ़ाने की उस दृष्टि से उन औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जावेगा।

शिक्षित युवकों को रोजगार देने की बजट में चर्चा है। यह इस दृष्टि से है कि वे इन धन्धों में सेटअप हो सकेंगे। यह भी कहा गया कि कैसे उद्योग लगें ताकि पूंजी का नियोजन हो सके। मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि इस वक्त राजस्थान में जो उद्योग लगाने की सुविधा है उनकी बजट में घोषणा की गयी है। उनसे उद्योग लगाने की अधिक सुविधा हो गयी है। राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए 30 लाख का लोन राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन और 20 लाख आर. एम. आई. डी. सी. और 30 लाख का लोन बैंक देते हैं। जो पैसा देते हैं वह इस प्रकार है। एक लाख में छोटे उद्योग शुरू हो सकते हैं और 50-60 लाख की योजना रखी गयी है। उनके द्वारा टेक्निशियन्स, जो आ रहे हैं, को रोजगार देने का काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि खादी ग्रामोद्योग के द्वारा, हाथ करघों के द्वारा, आर. एम. आई. डी. सी की योजना है उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नये औद्योगीकरण का का काम कर सकते हैं।

बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में निवेदन किया। भारत सरकार द्वारा यह घोषणा हुई है और उद्योग मन्त्री जी ने भी कहा है कि एच. एम. टी. का कारखाना राजस्थान में खोलने वाले हैं। मेरे खयाल से 1967 के बाद में पहला ही बड़ा कारखाना राजस्थान में आया है।

**श्री मूलचन्द डागा** : कोटा में तो नहीं खोलेंगे, साहब ?

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : इसी तरह से एक्सप्लोजिव का कारखाना है। उद्योग मन्त्री जी यहां पर आये थे तो निवेदन किया था। उन्होंने यह घोषणा की थी कि यह कारखाना भी राजस्थान में खुल सकेगा।

इसके अलावा लैटर आफ इन्टेन्ट भारत सरकार के विचाराधीन पड़े हुये हैं। 85 वूलन स्पिन्डल के मामले भी टैक्सटाइल कमिश्नर के पास पड़े हुए हैं और सरकार से बातचीत चल रही है। उद्योग मन्त्री जी से बात चल रही है। वे जल्दी ही फाइनल करेंगे। एक बड़ा काम यह भी हो सकेगा। इसकी मुझे संभावना है।

**श्री प्रेमचन्द सिंघवी** : मैंने निवेदन किया था ...

( व्यवधान )

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : भारत सरकार से चर्चा की है और जरूर लगायी जा रही है।

सीमेंट उद्योग के लिये यहां पर काफी चर्चा हुई। सीमेन्ट का कारखाना खोलने में बड़ी कठिनाई आती है। भारत सरकार से स्वीकृति मिलने में कठिनाई आती है।

ब्रॉड गेज नहीं है, यह कहा जाता है। अभी भी मैंने भारत सरकार के रेल्वे मंत्री जी से निवेदन किया था, इसके बिना राजस्थान का विकास रुका हुआ है। बड़ी लाइन नहीं है तो राजस्थान का विकास चाहते हैं वह कैसे होगा। उन्होंने आश्वाशन दिया। चर्चा चल रही है एम. पीज. ने भी प्रश्न उठाया था। चर्चा चल रही है। ऐसा लगता है कि शायद यह योजना स्वीकृत हो जावेगी।

**श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी** : नाथद्वारा से फालना तक की कोई योजना बनी है ?

**श्री मूलचन्द डागा** : मंदिर की पूजा करो।

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : मिनी सीमेन्ट प्लान्ट हम यहां लगा सकते हैं। यदि यह लग जाय तो कई लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने में कठिनाइयां हैं। इस समय दो स्थानों पर मिनी सीमेन्ट प्लान्ट चल रहे हैं। उनमें से एक तामिलनाडू में हैं। उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच करवा रहे हैं और रिपोर्ट आने पर बतायेंगे। दो महीने तक इसका इन्तजार कीजिये। हमने उनको निवेदन किया कि जर्मनी में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट बहुत विकसित हुए हैं और कई डवलप किये जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है। रिपोर्ट ठीक आ गई तो दो महीने के बाद कह देंगे। जरूरी टेक्नोलोजी इंम्पोर्ट करनी पड़ी तो वह कर लेंगे। हमने उनको हमारी कठिनाइयां बतायी हैं। हमारे यहां मिनी सीमेन्ट प्लान्ट नहीं है। कच्चा माल हमारे यहां है, सम्पदा है इस कारण मिनी सीमेन्ट प्लान्ट हम यहां पर डवलप कर सकते हैं। दो महीने तक इन्तजार करने के लिये उन्होंने कहा है। मेरा खयाल है कि यह मिनी सीमेन्ट प्लान्ट की योजना भी आगे चल सकेगी। राजस्थान में यातायात के साधनों में सुधार नहीं होता है तब तक यही स्थिति रहेगी।

माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के प्रश्न उठाये। समय हो रहा है और लोगों का तकाजा आ रहा है। इस लिये संक्षेप में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई प्रकार की योजना माननीय सदस्यों ने यहां सदन में रखी है। जो मिनरल हैं, खनिज पदार्थ हैं उसके आधार पर कई प्रकार के उद्योग विकसित हो सकते हैं। इस प्रकार की सूचना है और जानकारी भी है। औद्योगिक विकास की सारी संभावनाओं पर विचार करके यह देखेंगे कि किस क्षेत्र में क्या विकास किया जा सकता है। खनिज का मामला भारत सरकार के पास है, इसलिये क्या चीज किस क्षेत्र में डवलप की जा सकती है और किस क्षेत्र का विकास उस आधार पर किया जा सकता है। भारत सरकार से सम्पर्क करके, बातचीत

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

करके प्रोजेक्ट तैयार करके उसको हाथ में लेंगे। राजस्थान सरकार का काम है तो उसके द्वारा उस क्षेत्र में विकास करेंगे। भारत सरकार के क्षेत्र का काम है तो उनसे बात करके प्रोजेक्ट को हाथ में लेंगे। खनिज के आधार पर बहुत सारे उद्योगों को विकसित किया जा सकता है। मिनरल हर क्षेत्र में है, इसलिए मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्री डवलप हो सकती हैं। राजस्थान सरकार इस बारे में बहुत पर्टीक्यूलर है और रुचि रखती है। धीरे धीरे राजस्थान विकास की ओर बढ़े उसके लिये योजना तैयार करके आगे बढ़ना चाहते हैं।

गैस और पेट्रोल के बारे में कहा कि जैसलमेर में इसकी क्या संभावना है। कोई रिपोर्ट बनी हुई होगी, कोई प्रोजेक्ट बना हुआ होगा तो देखा जायगा और क्या विकास हो सकता है उस पर पूरा ध्यान दिया जावेगा। जैसलमेर का भी उससे विकास हो सकता है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जैसलमेर से काफी प्रेरणा है आपको। भीलवाड़ा के लिये कुछ नहीं कहा।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : Pardon.

इस तरह से इस प्रकार की कठिनाइयां और दिक्कतें पेश की हैं, खास करके हमारे प्रद्युम्नसिंह जी ने अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान दिलाया था कि उनके क्षेत्र का विकास होना चाहिए तो उनके क्षेत्र के विकास का भी ध्यान रखा जायेगा। ऐसे क्षेत्र हैं, जिले हैं जिनके बारे में यहां कहा है उनके सम्बन्ध में मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जिलों की योजनायें तैयार हो जायें, जब पंचायत समितियों के चुनाव हो जायें, जिला परिषदों के चुनाव हो जायें तब इस प्रकार से सारे जिलों की स्कीम तैयार करें और जब कभी भी राज्य सरकार के सामने योजनायें आयेंगी उनको नीति के आधार पर लघु उद्योगों के विकास के लिए, कुटीर उद्योगों के विकास के लिए लागू किया जायगा और उस आधार पर हर क्षेत्र का विकास होगा।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो चीजें छोटे उद्योगों में होंगी, कुटीर उद्योगों में होंगी और जो विकसित हो सकती हैं वह लघु उद्योगों में नहीं जायेंगी। जिनका उत्पादन लघु उद्योगों के द्वारा हो सकता है वह बड़े उद्योगों को नहीं दी जायेगी। इसके बारे में भारत सरकार से मिलकर नीति का निर्धारण किया जा रहा है। अन्य प्रदेशों से भी भारत सरकार चर्चा कर रही है। वहां भी राज्य सरकारों से बात करके नीति की घोषणा करेंगी ताकि कुटीर उद्योगों की उन्नति हो सके और बड़े उद्योगों के क्षेत्र में वही चीजें जायें जिनका कि आवश्यक तौर पर बड़े उद्योगों के द्वारा उत्पादन होना चाहिए। इस प्रकार से हम सब मिलकर नयी नीति का निर्धारण करेंगे।........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री को ले लें। उसके लिए तो कुछ कह दें।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री का मामला भारत सरकार के

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

विचाराधीन है। जो कानून बने हुए हैं उनकी जांच करवा रहे हैं। उन्होंने कमेटी बैठा रखी है। उद्योग मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया है कि कोई कानून में परिवर्तन भी करना पड़ा तो करेंगे और जो आवश्यक उद्योग हैं जिनको सरकार हाथ में लेना चाहे वह अवश्य लिये जायेंगे। तो इसके लिए विचार चल रहा है।

**श्री रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, जो करोड़ों रुपये का कर्ज दिया गया है उसकी वसूली का क्या होगा ?

**श्री मूलचन्द डागा** : कर्जा दिन में वसूल किया जाता है, रात में नहीं।

**श्री त्रिलोकचन्द जैन** : मैं आपकी बात का जरूर ध्यान रखूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नयी नीति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगीकरण करना चाहते हैं, नई नीति के आधार पर नई अर्थव्यवस्था, नये समाज और नई क्रांति की ओर हमने कदम उठाया है। मैं चाहूंगा कि आप डिमाण्ड को पारित करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,86,15,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 ग्राम और लघु उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 84,56,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.55 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 15 सितम्बर, 1977 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

## परिशिष्ट 1

### प्रश्न संख्या 159 की सूची

### स्टेट मोटर गैराज में उपलब्ध वाहनों की सूची

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | एम्बेसेडर | 66 | |
| 2. | फियेट | 10 | |
| 3. | स्टेशन वैगन | 1 | |
| 4. | शेवर लेट | 4 | विदेशी |
| 5. | फोर्ड | 4 | विदेशी |
| 6. | केडलक | 1 | विदेशी |
| 7. | मरसडीज | 1 | विदेशी |
| 8. | गोल्डन प्रीमीयर | 1 | विदेशी |
| | कुल | 88 | |
| | जीपें | शून्य | |
| | अन्य प्रकार के वाहन (क्रेन) | 1 | |
| | कुल वाहन | 89 | |

### तालिका 'ब'

स्टेट मोटर गैराज व स्टेट पूल के नीचे अंकित वाहन उनके सामने इंगित दूरी तय करने पर नीलाम किये जाते हैं:—

(1) विलीज जीप, स्टेशन वैगन, एम्बेसेडर कार, फियेट कार व स्टेण्डर्ड कार — 1,60,000 कि. मी.

(2) विदेशी गाड़ियां:—
शेवरलेट, एम्पाला, डोर्ज प्लाई माउथ आदि — 1,00,000 कि. मी.

(3) डीजल बसें व ट्रक:—
(अ) मरसडीज व ली लैण्ड मेक के — 3,00,000 कि. मी.
(ब) बेड फोर्ड व फार्गो मेक के — 2,20,000 कि. मी.

(4) पैट्रोल की गाड़ियां:—
(बसें व ट्रक्स) — 1,80,000 कि. मी.

# Page No 152

(152)



## परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

### अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानान्तरण संबंधी नीति

**163. श्री समरथलाल (राजगढ़):** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की है ?

(2) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जो स्थानान्तरण हो रहे हैं वे क्या नई नीति के अनुसार ही हो रहे है ?

उत्तर

(1) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकतानुसार एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए किये जाते हैं।

(2) नई नीति का प्रश्न नहीं है। सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण पूर्व की नीति अनुसार ही किये जा रहे है।

### राज्य में सेवा सहकारी समितियों का विलय

**164. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में विभिन्न कार्यरत सेवा सहकारी समितियों में से कई समितियों का एक दूसरे के साथ विलय किया गया है ? यदि हां, तो किन किन समितियों का कब कब और किन आधारों पर विलीनीकरण किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि कई डिफाल्टर सेवा सहकारी समितियों का अन्य अच्छे ढंग से कार्यरत सहकारी समितियों के साथ विलय करने के कारण उक्त समितियों को ऋण व अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त सेवा सहकारी समितियों को ऋण सुविधायें उपलब्ध करावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार डिफाल्टर सेवा सहकारी समिति को अन्य सेवा सहकारी समिति से अलग करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सेवा सहकारी समिति, बासना व भानपुर कलां के विलिनीकरण किये जाने के कारण सरकार द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार सेवा सहकारी समिति बासना व भानपुर कलां दोनों को अलग करने का विचार रखती है ? यदि नही, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

# Page No 153

153



उत्तर

(1) जी हां। रिजर्व बैंक द्वारा गठित अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों को सक्षम इकाई बनाने की दृष्टि से राज्य में विभिन्न कमजोर कार्यरत सेवा सहकारी समितियों का एक दूसरे के साथ पुनर्गठन किया गया है। इस नीति के अनुसार साधारण क्षेत्र में प्रत्येक समिति के कार्यक्षेत्र में 2,000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना एवं अर्द्ध रेगिस्तानी व रेगिस्तानी क्षेत्रों की समितियों में प्रत्येक समिति के कार्यक्षेत्र में 5,000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना जरूरी समझा गया ताकि प्रत्येक समिति निकट भविष्य में 2.00 लाख का ऋण प्रत्येक वर्ष में वितरित कर सके। इसी आधार पर समितियों का विलय किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कुछ समितियों में से 40 प्रतिशत से अधिक अवधिपार ऋण होने के कारण ऋण न मिलने की सूचना प्राप्त हुई है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। समितियों का पुनर्गठन भूमि के आधार पर होने के कारण समितियों के विलिनीकरण के आदेश जारी किये जा चुके हैं। और समितियों के रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुके हैं। अतः समितियों को अलग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) भानपुर समिति को जिसमें बासना समिति का विलिनीकरण हुआ है कुछ वर्षों से रिकार्ड के अभाव में ऑडिट न होने के कारण ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है।

(6) जी नहीं क्योंकि दोनों समितियों के कार्य क्षेत्र में विलिनीकरण से पूर्व 2,000 हैक्टेयर से कम भूमि कृषि योग्य भूमि थी जब कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक समिति के कार्य क्षेत्र में 2.000 हैक्टेयर भूमि होना जरूरी है। विलीनीकरण से पूर्व बासना ग्राम सेवा सहकारी समिति में 1,388 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और भानपुर कला में 1,007 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इस प्रकार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दोनों समितियों का विलय करना आवश्यक था जो हो चुका है। ताकि दोनों समितियां मिल कर एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य कर सकें।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

## जयपुर की पेयजल समस्या का स्थाई हल

165. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के मुख्य मंत्री ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि राज्य में पेयजल की समस्या को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर की पेयजल समस्या को स्थाई तौर पर हल करने के लिए बनास योजना बनाई गई थी ? यदि हां; तो बनास योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी और जयपुर की जनता को कब तक इस योजना से लाभ मिल सकेगा ?

(154)



उत्तर

(1) जी हां।

(2) बनास योजना दो भागों में बांट दी गई थी। एक भाग में बीसलपुर में बांध बनाने व जयपुर तक पाइप लगाने की योजना थी जिसका कार्य अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है एवं दूसरे भाग में जयपुर की जल योजना को सुदृढ़ बनाने का था जिसके दो उपभाग पूरे हो चुके हैं एवं तीसरे उपभाग पर कार्य निर्माणाधीन है।

राजस्थान हाउस, देहली में विधान सभा सदस्यों को ठहरने की सुविधा

167. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हाउस, देहली में राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को ठहरने की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां सरकारी अधिकारी रियायती दर पर ठहर सकते हैं जब कि विधान सभा के सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि, हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान हाउस, दिल्ली में राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को राजकीय कार्य से जाने पर रियायती दर पर ठहरने की सुविधा है।

(2) सरकारी अधिकारी तथा राजस्थान विधान सभा के सदस्य दोनों ही राजकीय कार्य से राजस्थान हाउस, दिल्ली में रियायती दर से ठहर सकते हैं।

नगरपालिका लाडनूं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

168. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाडनूं के आपातकाल के समय में किये गये कार्यों की कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कब कब क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर किस किस अधिकारी द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त पालिका की इस अवधि की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट एतराज हैं ? यदि हां, तो क्या क्या और उन पर क्या क्या कार्यवाही हुई ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अन्य निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर क्या क्या कार्यवाही विचाराधीन है ?

(4) उक्त कार्यवाहियों के अनुसार कौन कौन व्यक्ति दोषी हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) इस सम्बन्ध में अन्तिम कार्यवाही कब तक होगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। इन पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(3) जिलाधीश ने दिनांक 13-3-76 व 30-12-76 को तथा एस. ग्रो. ने दिनांक 28-1-77 को निरीक्षण किया। इन पर कार्यवाही की जा रही है।

(4) चूंकि समस्त मामलों पर कार्यवाही की जा रही है। ग्रतः प्रगति होने पर उत्तरदायित्व निश्चित होगा।

(5) इस बारे में जांच हेतु सहायक निदेशक को मौके पर जाने के ग्रादेश दे दिये गये हैं।

नगरपालिका लाडनूं के प्रशासक के बारे में व ग्रन्य ग्रापातकालीन समय में शिकायतों की सूची एवं उन शिकायतों पर की गई कार्यवाहियों का विवरण निम्नानुसार है:—

| दिनांक | संक्षिप्त विवरण | की गई कार्यवाही का विवरण |
|---|---|---|
| 18-8-75 | ग्रधिशासी ग्रधिकारी, प्रशासक व बेगाराम ग्रार. ग्राई. के विरुद्ध शिकायत | जिलाधीश नागौर को दिनांक 17-9-75 को वास्ते टिप्पणी भिजवाने लिखा गया। |
| 4-9-75 | प्रशासक के विरुद्ध शिकायत लक्ष्मीनारायण द्वारा (प्रशासक श्री श्रीमन्तकुमार व्यास) | |
| 4-9-75 | ग्रात्माराम द्वारा प्रशासक के विरुद्ध शिकायत | |
| 25-8-75 | प्रशासक के विरुद्ध भूतपूर्व सदस्य द्वारा शिकायत | जिलाधीश, नागौर को प्राप्त शिकायतों पर जांच कर रिपार्ट भिजवाने हेतु दिनांक 15-12-75 को लिखा गया। |
| 15-8-75 | प्रशासक के विरुद्ध हनुमान द्वारा | |
| 6-9-75 | प्रशासक के विरुद्ध झूमरमल द्वारा | |
| 16-8-75 | प्रशासक के विरुद्ध प्रभाव ग्रभियोग के मार्फत | |
| 29-9-75 | तार जेठमल द्वारा | |
| 25-9-75 | प्रशासक, बेगाराम, नाथूसिंह के विरुद्ध शिकायत | |
| 18-10-75 | लक्ष्मीनारायण द्वारा शिकायत | |
| 21-10-75 | सफाई कर्मचारियों द्वारा शिकायत | |
| 22-9-75 | नगर के प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत | |
| 1-11-75 | नाथूराम मिर्धा द्वारा शिकायत भिजवाई गई | |
| 10-10-75 | शिकायत, रामनिवास मिर्धा के मार्फत प्राप्त हुई | |
| 23-10-75 | शिकायत प्रशासक, व्हील बेराज बाबत | एस. डी. ग्रो. के पास दिनांक 2-2-76 को वास्ते जांच हेतु भेजी गई। |
| 5-1-75 | शिकायत साकरमल | |
| 21-1-76 | प्रशासक के विरुद्ध शिकायत | |

जिलाधीश ने एस. डी. ग्रो. से जांच कराकर उनकी रिपोर्ट दिनांक 7-6-76 को भिजवाई, इस पर शिकायतों की जांच के लिये इस विभाग द्वारा दिनांक 23-6-76 को श्री टोडरमल जैन, सहायक निदेशक को जांच ग्रधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री टाडरमल जैन का स्थानान्तरण होने पर दिनांक 6-9-76 को श्री ओंकारलाल शर्मा, सहायक निदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

दिनांक 9-3-77 को श्री ओंकारलाल शर्मा के स्थानान्तरण होने पर श्री रमेश चन्द गुप्ता, सहायक निदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, एवं उन्हें आदेश दिया गया है कि वे मौके पर जाकर जांच करें। (दिनांक 19-9-77 को श्री रमेशचंद गुप्त स्वयं मौके पर जा रहे हैं)।

## पिछड़ी जाति एवं गरीब किसानों को भूमि का आवंटन

**169. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):** एवं श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पिछली राज्य सरकार ने एक अभियान के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों के लोगों तथा गरीब किसानों को गोचर भूमि, मरघट, पोखर तथा निचले खड्डों की भूमि आवंटित कर दी थी जो खेती योग्य नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार को ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि जो गोचर भूमि पिछड़े लोगों के नाम आवंटित हुई थी उस आवंटित भूमि में से चन्द पिछड़े लोगों को ही जमीन मिल पाई है बाकी दूसरे लोगों ने हड़प ली ?

(3) क्या राज्य सरकार का इरादा उक्त सब आवंटन को रद्द कर नये सिरे से भूमि देने का है ? यदी हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-1-75 से एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत राजस्व संबंधी अन्य कार्यों के साथ साथ भूमि आवंटन का कार्यक्रम भी बनाया गया था। इस अभियान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटन में प्राथमिकता दी गई। जहां तक आवंटित की गई भूमि का संबंध है ऐसी भूमि जहां आवंटित की गई है वह राजस्व रिकार्ड में काबिल काश्त दर्ज है परन्तु मौके पर उनमें से कुछ भूमियां काबिल काश्त न हो, यह सम्भव है।

(2) आवंटन के बाबत समय समय पर शिकायतें आती रही हैं, जिनके बाबत जाँच की कार्यवाही भी की गई है। आवंटन के विरुद्ध नियमों में अपील का भी प्रावधान है तथा आवंटन के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में भी अपीलें हुई हैं। परन्तु यह कहना सही नहीं है कि आवंटित भूमि में से कुछ एक ही पिछड़े लोगों को जमीन मिल पाई है बाकी और लोगों ने हड़प ली।

(3) जिन आवंटनों के बाबत अपीलें हुई हैं उनमें सक्षम न्यायालयों द्वारा समुचित आदेश दे दिये गये हैं या दे दिये जावेंगे। कुछ एक मामलों में राज्य सरकार ने जांच कराकर समुचित आदेश दिए हैं। जहां तक इस अभियान की अवधि में हुए समस्त आवंटनों का सम्बन्ध है उन्हें रद्द कर देना व्यवहारिक नहीं है और यह कमजोर वर्ग के हित में भी नहीं है।

झालावाड़ जिले में पेयजल की सुविधा

170. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में पेयजल की सुविधा हेतु नलकूप खोदने की मशीन गत वर्ष या इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा भेजी गई थी ?

(2) उक्त मशीनों से कुल कितने कूपों की खुदाई की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि लोकसभा के चुनाव के बाद उक्त मशीनों को तत्काल हटा लिया गया ?

(4) उक्त मशीनों ने राज्य के अन्य किस भाग में कितने दिन कार्य किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। पेयजल की सुविधा हेतु झालावाड़ जिले में हैन्ड पम्प नलकूप खोदने के लिए एक मशीन (संख्या ए. टी. 3) माह मार्च, 1977 में तथा दूसरी मशीन (ए. टी. 6) माह मई, 1977 में राजस्थान भू-जल विभाग द्वारा भेजी गई।

(2) माह मार्च में भेजी गई मशीन (ए. टी. 3) द्वारा 8 हैन्ड पम्प नलकूपों तथा माह मई, 1977 में भेजी गई दूसरी मशीन (ए. टी. 6) द्वारा 12 हैन्ड पम्प नलकूपों की खुदाई की गई। इन हैन्ड पम्प नलकूपों की सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(3) माह मार्च में भेजी गई (ए. टी. 3) मशीन के द्वारा 8 हैन्ड पम्प नलकूप बनाये जाने के बाद आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु इस मशीन को मार्च के अंतिम सप्ताह में मुख्यालय में वापस बुला लिया गया।

(4) ए. टी. 3 मशीन माह मार्च 1977 के बाद से लगातार मरम्मत कार्य में व्यस्त है अत: इस मशीन से कोई अन्य कार्य नहीं किया गया। दूसरी मशीन ए. टी. 6 ने माह मार्च से जुलाई, 77 तक डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़ एवं कोटा जिलों में कार्य किया। इसके द्वारा बनाये गये हैंडपम्प नलकूपों की सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

झालावाड़ जिले में तथा अन्य जिलों में एटी-3 तथा एटी-6 मशीनों द्वारा निर्मित हैन्ड पम्प नलकूपों की सूची

| माह/वर्ष | मशीन का नाम | स्थान का नाम जहां नलकूप बनाया गया | जिला |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| मार्च 1977 | एटलस कोपको संख्या 3 एटी-3 | 1. मेहू खेड़ी | झालावाड़ |
| | | 2. ,, | ,, |
| | | 3. ,, | ,, |

# Page No 158

(158)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 4. मेहू खेड़ी | झालावाड़ |
| | | 5. ,, | ,, |
| | | 7. लासोड़िया | ,, |
| | | 7. ,, | ,, |
| | | 8. ,, | ,, |
| | एटलस कोपको संख्या 6 एटी-6 | 1. ग्रासपुर | डूंगरपुर |
| | | 2. मान्डवी (धरियावाद) | उदयपुर |
| | | 3. ,, | ,, |
| | | 4. ,, | ,, |
| | | 5. ,, | ,, |
| | | 6. ,, | ,, |
| | | 7. ,, | ,, |
| | | 8. ,, | ,, |
| | | 9. ,, | ,, |
| | | 10. केशरियावास | ,, |
| | | 11. ,, | ,, |
| | | 12. ,, | ,, |
| | | 13. ,, | ,, |
| | | 14. ,, | ,, |
| | | 15. ,, | ,, |
| अप्रेल 1977 | एटलस कापको संख्या 3 (एटी-3) | -- मशीन मरम्मत में रही -- | |
| अप्रेल 1977 | एटलस कोपको संख्या 6 (एटी-6) | 1. केशरियावास | उदयपुर |
| | | 2. ,, | ,, |
| | | 3. ,, | ,, |
| | | 4. ,, | ,, |
| | | 5. ,, | ,, |
| | | 6. ,, | ,, |
| | | 7. ,, | ,, |
| | | 8. ,, | ,, |
| | | 9. ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 10. केसरियावास | उदयपुर |
| | | 11. ,, | ,, |
| | | 12. लसाड़िया | ,, |
| | | 13. ,, | ,, |
| | | 14. ,, | ,, |
| | | 15. ,, | ,, |
| | | 16. ,, | ,, |
| | | 17. ,, | ,, |
| | | 18. ,, | ,, |
| | | 19. ,, | ,, |
| | | 20. ,, | ,, |
| | | 21. ,, | ,, |
| | | 22. ,, | ,, |
| मई 1977 | एटलस कोपका संख्या 3 (एटी-3) | मशीन मरम्मत में रही (एटी-3) | — |
| | एटलस कोपको संख्या 6 (एटी-6) | 1. लसाड़िया | उदयपुर |
| | | 2. ,, | ,, |
| | | 3. ,, | ,, |
| | | 4. ,, | ,, |
| | | 5. ,, | ,, |
| | | 6. लसाड़िया माहू | झालावाड़ मार्च माहू में निर्मित नलकूप का रिपेअरिंग कार्य |
| | | 7. रानीपुरा | |
| जून 1977 | एटलस कोपको संख्या 3 (एटी-3) | मशीन मरम्मत में रही | — |
| | एटलस कोपको संख्या 6 (एटी-6) | 1. समराई | झालावाड़ |
| | | 2. | |
| | | 3. कचमेड़ीकला | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 6. कलमेड़ीकला | झालावाड़ |
| | | 7. ,, | ,, |
| | | 8. कलमेड़ी खुर्द | ,, |
| | | 9. ,, | ,, |
| | | 10. दावेरा | कोटा |
| जुलाई 1977 | एटलस कापको संख्या 3 (एटी-3) | — मशीन मरम्मत में रही | |
| | एटलस कोपको संख्या 6 (एटी-6) | 1. गणेशपुर | झालावाड़ |
| | | 2. ,, | ,, |
| | | 3. झालावाड़ I | कोटा |
| | | 4. झालावाड़ II | ,, |
| | | 5. फतेहपुरा I | ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| योग:— | 76-77 | एटी-3 | = 8 | 23 |
| | | एटी-6 | = 15 | |
| | 77-78 | एटी-3 | = — | 43 |
| | | एटी-6 | = 43 | |

**राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर से भीमनाथ वाला द्वारा प्राप्त की गई राशि**

**171. श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री जी. ए. भीमनाथवाला ने अपने राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर के सेवाकाल के दौरान किस वर्ष में कितना कितना रुपया वेतन, भत्ता, डेपूटेशन भत्ता, मकान किराया, कन्वेयन्स अलाउन्स बैंक से लिया ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) श्री भीमनाथवाला ने मेडिकल पुनर्भुगतान तथा यात्रा भत्ते के रूप में कितनी कितनी राशि प्राप्त की ?

(3) क्या यह सही है कि श्री भीमनाथवाला कन्वेयन्स अलाउन्स भी बैंक से लेते रहे ? यदि हां, तो कन्वेयन्स अलाउन्स उनसे वापस लेने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर द्वारा श्री जी. ए. मीमनायवाला को निम्न प्रकार वेतन, भत्ता, डेपुटेशन भत्ता, मकान किराया एवं कन्वेयेन्स अलाउन्स दिया गया है:—

| क्रमांक | वर्ष | मूल वेतन | मंहगाई भत्ता | मकान किराया | डेपुटेशन भत्ता | कन्वेयेन्स अलाउन्स | एडजस्टमेंट अलाउन्स | अन्तरिम राहत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73-74 (24-5-73 से 31-5-74 तक) | 18729-17 | 1519-71 | 4754-84 | 3118-59 | 501-61 | 200-00 | 588-71 |
| 2. | 74-75 (1-4-74 से 31-3-75 तक) | 21568-55 | 2550-00 | 6000-00 | 3600-00 | 2158-05 | | |
| 3. | 75-76 (1-4-75 से 31-3-76 तक) | 22468-55 | 3326-45 | 5000.00 | 3600-00 | 1800-00 | | |
| 4. | 76-77 (1-4-76 से 31-3-77 तक) | 23368-55 | 2311-45 | 6000-00 | 3600-00 | 1800-00 | | |
| 5. | 77-78 (1-4-77 से 31-8-78 तक | 10000-00 | 700-00 | 2500-00 | 1500-00 | 750-00 | | |

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

161

(2) बैंक द्वारा श्री भीमनाथवाला को मेडिकल पुनर्भुगतान एवं यात्रा भत्ता निम्न प्रकार दिया गया है :—

| क्रमांक | वर्ष | मेडिकल पुनर्भुगतान की राशि | यात्रा भत्ते की राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 1972-73 | — | 409-87 |
| 2. | 1973-74 | 203-19 | 8664-23 |
| 3. | 1974-75 | 1014-89 | 7154-89 |
| 4. | 1975-76 | 1037-99 | 10085-55 |
| 5. | 1976-77 | 765-80 | 11276-45 |
| 6. | 1977-78 (अगस्त 77 तक) | 469-26 | 7522-80 |

(3) जी हां। कन्वेयेन्स अलाउन्स रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय समय पर भेजी गई। वेतन संबन्धी तालिका के अनुसार दिया गया है जो ठीक होने के कारण वसूली योग्य नहीं।

## डिप्टी चीफ मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर, कोटा के विरुद्ध जांच

172. श्री एच. एन. शर्मा (बेगू): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डिप्टी चीफ मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर, कोटा, जो कि सन् 1968 तक जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्त थे के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की थी ? यदि हां, तो क्या उसमें भ्रष्ट आचरण का होना पाया गया था ?

(2) राज्य सरकार ने उक्त आरोप सही पाये जाने पर क्या कार्यवाही की तथा मामला अब किस स्तर पर है ?

(3) मौजूदा राज्य सरकार उस अधिकारी के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के आचरण के विरुद्ध क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में डा. बी. एल. व्यास तत्कालीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध यह सुझाव दिया गया था कि मामलों की विभाग द्वारा जांच करवाई जावे तथा जांच के परिणाम स्वरूप यदि अनधिकृत यात्रा के आरोप सिद्ध होते हों तो वसूली योग्य धनराशि वसूल कर ली जावे ।

(2) राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के जांच प्रतिवेदन पर जांच करवाई जा रही है ।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

## अधिशासी अभियन्ता झुंझुनूं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

173. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जलदाय विभाग झुंझुनूं जिला के अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेन्द्र चौधरी के विरुद्ध शिकायतों की अधीक्षण अभियन्ता ने जांच की है ? यदि हां, तो कुल कितनी शिकायतों की जांच की गई ?

(2) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता के कुछ कागजात जब्त किए जिसमें जीप नम्बर आर. एस. एल 7318 की लॉग, बुक भी भी है ।

(3) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता की अपने पद व विभाग के धन के दुरुपयोग की गम्भीर शिकायतों की जांच हो जाने पर भी मुख्य अभियन्ता उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । 16 शिकायतों की जांच की गई ।

(2) जी हां ।

# Page No 164

(164)



(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(3) प्रशिक्षण अभियन्ता की रिपोर्ट आने पर आंतरिक परीक्षक दल एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी मुख्य अभियन्ता कार्यालय को प्रारम्भिक जांच करने के लिए आदेश दिए गए थे और वरिष्ठ लेखाधिकारी की रिपोर्ट भी आ गई है जिसके अनुसार इस अधिकारी के दोषी पाये जाने की सम्भावना है। यह रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित की जा रही है।

(4) प्रारम्भिक रिपोर्ट की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

## को-ऑपरेटिव सोसायटी, छापरेल से ऋण के रूप में दी गई राशि

**174. श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि को-ऑपरेटिव सोसायटी छापरेल तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा से श्री मुन्नालाल छगनलाल ने 10-9-1961 को 80) रुपये का ऋण लिया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति के द्वारा 26-12-1964 को मय ब्याज उक्त रुपया जमा करा दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उसके उपरान्त 24-5-1973 को सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, भीलवाड़ा से श्री मुन्नालाल छगनलाल छापरेल को नोटिस मिला कि मय ब्याज 151 रुपये 75 पैसा जमा कराओ ?

(4) क्या यह सही है कि 28-6-1977 को कार्यालय अधिशासी अधिकारी, भीलवाड़ा से एक डिमाण्ड नोटिस उक्त 80) रुपये एवं ब्याज के 127) रुपये 75 पैसे कुल 207) रुपये 75 पैसे जमा कराने का श्री मुन्नालाल छगनलाल को प्राप्त हुआ ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राशि 28-12-64 को जमा कराई गई।

(3) जी हां। श्री मुन्नालाल छगनलाल को दिनांक 10-7-1965 को पुनः 80) रुपये का ऋण दिया गया था वह ऋण समय पर जमा नहीं करने के कारण उनके खाते के अनुसार 80) रु. मूल व 71) रुपये 50 पैसे ब्याज के जमा कराने हेतु उन्हें दिनांक 24-5-1973 को बैंक द्वारा नोटिस दिया गया था।

(4) जी हां। श्री मुन्नालाल छगनलाल का नोटिस देने के उपरान्त भी राशि जमा नहीं कराने पर बैंक से अधिशासी अधिकारी द्वारा पुनः डिमाण्ड नोटिस 80) रुपये असल व 127) रुपये 75 पैसे ब्याज कुल 207) रुपये 75 पैसे जमा कराने को दिया गया।

## भूतपूर्व सरपंच महुआ खुर्द के विरुद्ध जांच

**175. श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच महुआ खुर्द पंचायत समिति, बनेड़ा

(श्रीराम प्रसाद लड्ढा
श्री बालूराम जाट को पंचायत समिति, बनेड़ा से खाद, बीज, दवाइयों की बकाया राशि के लिए नोटिस दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर मामले को दबा दिया व उस समय जनता से वसूली की ताकीदी नहीं की ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन लोगों में खाद, बीज वितरण किया गया वे आज संसार से उठ चुके हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिस समय में खाद, बीज बांटा गया उस समय ऐसे व्यक्तियों में बांटा गया जो इस संसार में मौजूद थे ?

(5) क्या भूतपूर्व सरपंच ने अपने कारनामों को छिपाने के लिए काश्तकारों को कच्ची रसीदें नहीं दी ?

(6) क्या ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी में कभी खाद, बीज और दवाइयों का उपयोग किया ही नहीं फिर भी उनके नाम से फर्जी बिल बना, फर्जी हस्ताक्षर कर खाद बीज उठाया गया ?

(7) क्या यह भी सही है कि ऐसे लोगों को खाद, बीज वितरित किया बताया जिनके नाम जमीन तक नहीं है ?

(8) क्या यह भी सही है कि अध्यक्ष, ग्राम सभा महुआ खुर्द ने 184 लोगों के प्रार्थना-पत्रों को मय अपनी टिप्पणी के जांच हेतु जिलाधीश, भीलवाड़ा को लिखा है ?

(9) क्या यह भी सही है कि खाद-बीज के घोटाले के कारण ही सरपंच पद से श्री बालूराम जाट को निलम्बित किया ?

(10) क्या यह भी सही है कि बिना किसी जांच पड़ताल के उक्त सरपंच श्री बालूराम जाट को पुनः सरपंच पद पर बिठा दिया ? पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री बालूराम पूर्व सरपंच द्वारा खाद बीज के हिसाब का मिलान न कराने से कुल राशि 33,658.86 पैसे उन्हीं से वसूल किये जाने के नोटिस दिये जाते रहे हैं।

(3) जी हां। उनमें से कुछ लोगों का स्वर्गवास हो चुका है।

(4) ऐसे उदाहरण सामने नहीं आये हैं परन्तु ऐसी कुछ शिकायतें अवश्य हुई हैं।

(5) जांच के दौरान ऐसा पाया गया कि कृषकों से रकम ली जाकर रजिस्टरों में दाखिला लगा दिया परन्तु रसीदें नहीं दीं एवं खाद बीज के रजिस्टर में भी फेर बदल कर दिया गया।

(6) जी हां। जांच के समय ऐसे कुछ मामले सामने आये।

(7) जी हां। जांच के दौरान ऐसे मामले भी सामने आये हैं जिनकी जमीन पंचायत क्षेत्र से बाहर है।

(श्री पंचायत मंत्री)

(8) जी हां । उक्त मामले की जांच विकास अधिकारी, बनेड़ा द्वारा की जा रही है तथा उन्हें विस्तृत प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये है ।

(9) जी हां ।

(10) जी हां । सरपंच को भूतपूर्व सरकार ने दिनांक 23-11-1976 को बहाल कर दिया था । अब पुनः कुछ शिकायतें मय शपथ-पत्रों के प्रस्तुत होने पर दिनांक 1-9-1977 को निलम्बित किया गया है ।

### आपातकाल में हटाये गये अध्यापकों का वेतन

176. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आपात स्थिति के दौरान कौन से प्राइवेट विद्यालयों का प्रबन्ध राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में उस समय के दौरान नियुक्त सभी अध्यापकों को राज्य सरकार ने नौकरी से निकाल दिया था ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उन अध्यापकों को आपात स्थिति की अवधि का वेतन देने के बारे में कुछ सोच रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णयानुसार पूर्व में सेवारत अध्यापकों का सेवा में लिया गया ।

(3) जिन अध्यापकों के साथ ज्यादती हुई है उनकी जांच करवाकर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

### राज्य सरकार द्वारा घोषित गैर कानूनी संस्थाओं की सूची

1. आदर्श विद्या मन्दिर, उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर
2. आदर्श विद्या मन्दिर, बालघर, जयपुर
3. आदर्श विद्या मन्दिर, प्राथमिक शाला, जयपुर
4. सरस्वता बालिका विद्यालय, जयपुर
5. आदर्श विद्या मन्दिर, प्राथमिक शाला, जनता कॉलोनी, जयपुर
6. आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर
7. विद्या निकेतन सैकन्डरी स्कूल, उदयपुर
8. प्राथमिक शाला (छात्र) बदनोर हाउस, उदयपुर
9. प्राथमिक शाला (छात्रा) बदनोर हाउस, उदयपुर
10. बाल मन्दिर, बदनोर हाउस, उदयपुर
11. उच्च प्राथमिक शाला, भोपालपुरा

12. प्राथमिक शाला, देवगढ़
13. प्राथमिक शाला, फतेहनगर
14. प्राथमिक शाला, ऋषभदेव
15. सरस्वती निकेतन उच्च प्राथमिक शाला, प्रायड
16. आदर्श विद्या मन्दिर, रानी बाजार, बीकानेर
17. आदर्श विद्या मन्दिर, भीनासर, बीकानेर
18. स्वामी विवेकानन्द विद्या निकेतन, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोटा
19. सरस्वती शिशु मन्दिर, (उच्च प्राथमिक विद्यालय), गंगानगर
20. आदर्श विद्या मन्दिर, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर
21. नवीन आदर्श विद्या मन्दिर प्राथमिक शाला, जोधपुर
22. आदर्श बाल विद्या मन्दिर, (प्राथमिक विद्यालय), मांडल भीलवाड़ा
23. विद्या निकेतन प्राथमिक शाला, डूंगरपुर और मावसारवाडो प्राथमिक विद्यालय, डूंगरपुर
24. परमानन्द उच्च प्राथमिक शाला, डीडवाना, (नागौर)
25. परमानन्द उच्च प्राथमिक शाला, डीडवाना (नागौर)

भीमडा-बायतू क्षेत्रीय जल योजना

177. श्री गंगाराम चौधरी (गुढा-मालानी): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीमडा-बायतू क्षेत्रीय नल योजना से जुड़े हुए ग्राम, चवा, रावतसर, आडपुरा-बरवाला एवं बायतू भीमजी में पिछले कई माह से पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो इसमें क्या कठिनाई है और इसे दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

(2) इन ग्रामों को नियमित रूप से कब तक जल प्राप्त होने लग जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम चवा व रावतसर में जल वितरण बन्द है किन्तु शेष ग्रामों में जल वितरण हो रहा है। जल स्रोत पर एक नल कूप बन्द होने के कारण व राह में पाइप लाइन की तोड़-फोड़ के कारण जल वितरण में अव्यवस्था है। नल कूप का पुनः विकास करने के लिये व एक अन्य नल कूप बनाने के लिए भू-जल विभाग को लिखा गया है।

(2) बन्द नल कूप चालू होने पर एवं नया नल कूप बनने पर समस्या का समाधान हो सकेगा।

राज्य में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना

178. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जगह जगह अतुल मात्रा में कच्चे पदार्थ उपलब्ध होने के कारण मिनी सीमेन्ट

Page No 168

168



(श्री मूलचन्द डागा)
प्लान्ट लग सकते हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की इण्डस्ट्री लगाने की इजाजत देने के लिये राज्य सरकार कब तक कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगवाने में दिलचस्पी रखती है और उसके पास पूरी योजना भी है ? यदि हां, तो उस योजना के आधार पर राजस्थान में कब तक मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने के लिये सरकार उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देगी ताकि वे ऐसे उद्योग लगा सकें ?

उत्तर

(1) जी हां। कदम उठाये जा चुके हैं।

(2) जी हां सरकार इसको प्रोत्साहन दे रही है और साथ में सुविधायें भी उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जावेंगी।

सरपंचों के विरुद्ध आरोपों की जांच

179. श्री कुन्जीलाल (बामनवास) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों के कई सरपंचों को उनके विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार व अनियमिततायें बरतने तथा रिश्वत लेने आदि के गम्भीर आरोप पाये जाने के कारण निलम्बित कर दिया ? यदि हां, तो कितनों को, किन किन आरोपों के कारण निलम्बित किया गया ? कृपया सरपंचों के नाम व पंचायत के नाम पते सहित पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कई सरपंच दोष मुक्त पाये जाने के कारण बहाल भी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ? कृपया सरपंचों के नाम व पंचायतों के पते सहित पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ सरपंचों को उनके विरुद्ध प्राप्त केवल शपथ पत्रों के आधार पर भी निलंबित कर दिया गया ? यदि हां, तो कितने सरपंचों को ? ऐसे सरपंचों के नाम व पंचायत के पूर्ण पते सहित मय शपथ-पत्रों की प्रतिलिपि की पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने किसी सरपंच की प्राथमिक जांच किये बिना निलम्बित करने के राज्य सरकार के निर्णय को अवैध माना है तथा इस बारे में राज्य सरकार को चेतावनी भी दी है ? यदि हां, तो उच्च न्यायालय के इस निर्णय के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही करना कहां तक उचित है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री पंचायत मंत्री)

(3) जी हां। सरपंचों का विवरण व शपथ पत्र देने वालों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने किसी सरपंच के प्राथमिक जांच किये बिना निलम्बित करने के सरकार के निर्णय को अवैध नहीं माना है। इस बारे में राज्य सरकार को कोई चेतावनी नहीं दी गई है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## विघटित जिला बोर्डों के कर्मचारियों के मामले

**180. वैद्य गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विघटित जिला बोर्डों के ऐसे कितने-कितने वैद्य, उपवैद्य, शिक्षक, लेखक, मिस्त्री तथा अधिकारी हैं जो अब तक विभिन्न विभागों से सेवा निवृत्त हो चुके हैं किन्तु वे अब तक जिला बोर्ड की सेवाओं के समय के पेंशन, ग्रेचुइटी के परिलाभ से वंचित है ? जिला बोर्ड वाइज पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा जिला बोर्ड 1959 में भंग कर दिये गये थे किन्तु अभी तक लगभग 20 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर भी विघटित जिला बोर्ड काल की पेंशन, ग्रेचुइटी दिये जाने की समस्या को राज्य सरकार ने अभी तक क्यों नहीं तय किया है ? अब इस समस्या को तय करने में कितना समय लगेगा ?

उत्तर

(1) विघटित जिला बोर्डों के कुल 782 कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में एब्जार्ब (समायोजित) किया गया था। इनमें से कितने कर्मचारी कब-कब सेवा निवृत्त हुये एवं हो चुके हैं, यह सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि वे विभिन्न विभागों से सम्बद्ध है।

(2) जिला बोर्डों का सेवा-काल पेंशन एवं ग्रेचुइटी के लिये मान्य किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

## गांधी बाड़ी सहकारी समिति, छत्रपुरा

**181. श्री ओंकारलाल चौहान** (अटरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांधी बाड़ी सहकारी समिति छत्रपुरा, तहसील अटरू, जिला कोटा अवसायन में आ चुकी है ? क्या यह भी सही है कि इसी ग्राम की भूमि का आवंटन भी 41 परिवारों को हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार खातेबंदी इत्यादि के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि गांधीबाड़ी सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि., छत्रपुरा तहसील अटरू, जिला कोटा, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बारां के आदेश क्रमांक 376-80 दिनांक 22-1-73 द्वारा अवसायन में लाई गई हैं। यह सही नहीं है कि इसी ग्राम की भूमि का आवटन भी उन परिवारों को हो चुका है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(2) तहसीलदार टोंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पटवार रिकार्ड में अमल नहीं होने से खाताबंदी नहीं हुई हैं तथा यह कार्य जिला स्तर के राजस्व अधिकारियों के स्तर पर विचाराधीन है।

## फुलेना के सरपंच का मामला

**182. श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (1)-ख के अनुसार राज्य सरकार किसी पंच या सरपंच को पद से हटा देने के बाद उसे पुनः बहाल या पद पर नियुक्त कर सकती है? यदि हां, तो कौन से प्रावधानों के अन्तर्गत?

(2) क्या यह सही है कि श्री किशनलाल, सरपंच फुलेना, पंचायत समिति, उनियारा, जिला टोंक को राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक 3/73/बी. के. यू. पवि./71/1421-25, दिनांक 30-3-72 के अनुसार उनका पद रिक्त घोषित कर दिया था?

(3) क्या यह भी सही है कि फिर बाद में राज्य सरकार ने श्री किशनलाल, सरपंच को अपने आदेश क्रमांक एफ 3/बी.के.यू./टोंक/71/6024-26, दिनांक 8-11-73 पुन आदेश प्रसारित कर अपने पूर्व के आदेशों को निरस्त कर उन्हें पुनः सरपंच के पद पर आसीन कर दिया? यदि हां, तो क्या यह सही था और यह आदेश राज्य सरकार ने कौनसी धारा के अन्तर्गत प्रसारित किये?

(4) क्या यह भी सही है कि इस विषय में विभाग द्वारा विधि विभाग से राय ली गई थी? यदि हां, तो वह राय क्या थी?

(5) क्या राज्य सरकार, गैर कानूनी आदेश प्रसारित किये गये हैं उन्हें पुनः निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो आदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। पद पर पुनः आसीन करना अनुचित था।

(4) जी हां, विधि विभाग की राय प्रश्न (3) में दिये गये प्रतिवेदन के अनुरूप है।

(5) वास्तविकता को ध्यान में रख कर इस मामले पर पुनः विचार किया जायेगा।

## फोरेंसिक विभाग में कार्यरत चिकित्सक को इंगलैण्ड जाने की अनुमति

**183. श्री मनीराम आर्य** (तारानगर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या राजस्थान के चिकित्सक जो आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में फोरेंसिक मेडिशन विभाग में कार्य करते हैं वे अगर विदेश जाना चाहें तो उनके प्रार्थना-पत्र फारवर्ड किये जाते हैं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या यह सही है कि इंगलैण्ड की एफ. आर. सी. एस., एम. आर. सी. पी. की योग्यताएं अपने यहां अगर 1975 के बाद की हों तो मान्य नहीं हैं?

(3) क्या यह सही है कि फोरेंसिक मेडिसन विभाग का कोई चिकित्सक सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से

(श्री चिकित्सा मंत्री)

पिछली राज्य सरकार से अनुमति लेकर इंगलैण्ड 1-2-77 को गया था ? अगर गया था, तो क्या यह नियम के विरुद्ध नहीं है ?

(4) जब इंगलैण्ड की उच्च शिक्षाएं हमारे देश में मान्य नहीं है तथा हमारे राज्य व देश में उच्च शिक्षा साधन उपलब्ध हैं तथा फोरेंसिक चिकित्सक के बाहर जाने से उसके किये गये मुआयनों की गवाही न होने से न्यायालयों में बाधा होती है, तो किस आधार पर राज्य सरकार ने चिकित्सक को भेजा ?

(5) अगर पिछली राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्री ने ऐसे गलत कार्य किये है तो क्या राज्य सरकार इसमें सुधार कर रही है ?

उत्तर

(1) विदेश में प्रतिनियुक्ति पर फोरेंसिक औषध में चिकित्सकों को भेजने हेतु प्रतिबन्ध है, किन्तु अग्रिम अध्ययन/शोधकार्य हेतु जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । डॉक्टर का जाना नियम विरुद्ध नहीं है ।

(4) चिकित्सा के उन विभागों में जिनमें अग्रिम तकनीकी शिक्षा और शोध सुविधा देश में उपलब्ध नहीं है चिकित्सकों को विशेष तकनीकी के लिये विदेश जाने की अनुमति जनहित में दी जाती है । न्यायालय के कार्य में व्यवधान होने के आधार पर अग्रिम शोध पर ज्ञान प्राप्ति पर प्रतिबन्ध उचित नहीं है ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

## खंडा गिट्टी के प्लाटों का आवंटन

*184. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खंडा गिट्टी के प्लॉट अनुसूचित जाति, जन जाति व हाथ से काम करने वालों का दिये जाते हैं ? यदि हां, ता भरतपुर जिले में किस किस जगह किस किस व्यक्ति को इस प्रकार के प्लॉट दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार के प्लॉटों पर धनवान लोग बेनामी काम कर रहे हैं ?

(3) क्या इस प्रकार के बेनामी काम करने वालों के प्रति राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची संलग्न है ।

(2) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

(3) यदि किसी विशेष मामले में राज्य सरकार को बताया जावेगा तो अवश्य नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

## भरतपुर क्षेत्र में स्वीकृत खण्डा गिट्टी बोल्डर खनन पट्टों का तलपट

| क्र. सं. | नाम पट्टावारी | जाति आदि का विवरण | खनिज | क्षेत्र का नाम | पट्टे की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री चिरंजीलाल मीणा | अ. जा. | खण्डा गिट्टी बोल्डर | बासपुरा बयाना | 7-2-76 से 6-2-81 |
| 2. | „ धांधुराम कोली | „ | „ | सिकन्दारा साईडिंग प्लॉट नं. 2 | 8-6-76 से 7-6-81 |
| 3. | „ बीरबल जाटव | „ | „ | अलापुरी तह. बयाना | 30-12-76 से 29-12-86 |
| 4. | „ रणसिंह जाटव | „ | „ | „ | 30-12-76 से 29-12-86 |
| 5. | „ „ | „ | „ | „ | 14-7-77 से 13-7-87 |
| 6. | „ नारायणसिंह घाटा | मैन्युअल लेबर | „ | घाटा तह. रूपबास | 9-11-76 से 8-11-85 |
| 7. | „ राजराम | „ | „ | „ | 7-12-76 से 6-12-86 |
| 8. | „ किशनलाल डीग | „ | „ | चुलेहरा तह. डीग | 31-1-77 से 30-1-87 |
| 9. | „ बिस्सी हरिजन | अ. जा. | „ | ग्राम सुखासिला तह. बयाना | 10-2-77 से 9-2-87 |
| 10. | „ सुमेरा जाटव | „ | „ | उमरैण तह. वैर | 5-3-77 से 4-3-87 |
| 11. | „ बीरबल | „ | „ | अलापुरी तह. बयाना | 30-12-77 से 29-12-86 |
| 12. | „ हरचन्दी जाटव | „ | „ | चुलेहरा तह. डीग | 4-7-77 से 3-7-87 |
| 13. | „ पूरणमल छाकरखम्रा | मैन्युअल लेबर | „ | थाटरी तह. वैर | 26-4-76 से 25-4-86 |
| 14. | „ भंवरसिंह गाछी | „ | „ | घाटा तह. रूपबास | 26-3-76 से 25-3-81 |
| 15. | „ फारू लेवडा | „ | „ | लेबड़ा तह. कामा | 24-2-77 से 23-2-87 |
| 16. | „ अतरसिंह | „ | „ | काकंतखारी, तह. कामा | 22-3-77 से 21-3-87 |
| 17. | „ रामजीलाल जोगी | „ | „ | महलपुर काछी तह. रूपबास | 7-7-76 से 6-7-81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | ,, भूरेलाल जागरिया | ,, | ,, | पहाड़ी मुरेना, तह. राजाखेड़ा | 24-7-76 से 23-7-81 |
| 19. | ,, भूपालसिंह कोली | अ. जा. | ,, | कनावर तह. बयाना | 16-5-77 से 15-5-87 |
| 20. | ,, बीरबल जाटव | ,, | ,, | सिकन्दरा साईडिंग प्लाट नं. 5 | 25-4-77 से 24-4-87 |
| 21. | ,, प्रतापसिंह भरतपुर | ,, | ,, | ,, प्लाट नं. 4 बयाना | 6-9-77 को संविदा निष्पादित |
| 22. | ,, देवीसिंह पुत्र प्रसादी | भूमिहीन कृषक | ,, | घाटा तह. रूपवास | 24-8-76 से 23-8-81 |
| 23. | ,, पूरणमल छोकरवाड़ा | मैन्युअल लेबर | ,, | घाटरी तह. वैर | 26-4-76 से 25-4-81 |
| 24. | ,, ओमप्रकाश कोली | अ. जा. | ,, | मालीपुरा तह. बयाना | 29-6-77 से 28-6-82 |
| 25. | ,, भूपालसिंह कोली | ,, | ,, | इमलिया तह. बयाना | 15-7-77 को संविदा निष्पादित |
| 26. | ,, चिरमोली पुत्र जुम्मा कोली | ,, | ,, | सुखासिला तह. बयाना | 11-8-77 को संविदा निष्पादित |

झालावाड़ जिले में रेवेन्यू प्रॉपर्टी आदि के विचाराधीन मामले

185. श्री ईश्वर चन्द्र ( पिड़ावा ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में विचाराधीन रेवेन्यू प्रोपर्टी के प्रकरणों में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या राज्य सरकार अलवर व भरतपुर में इस प्रकार के प्रकरणों को नियमन करने सम्बन्धी वर्तमान नियमों को झालावाड़ जिले में लागू करने का इरादा रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार विभिन्न जिलों में रेवेन्यू प्रॉपर्टी व आवंटन सम्बन्धी नियमों में उपस्थित विरोधाभास दूर करने की कोई योजना रखती है ?

उत्तर

(1) रेवेन्यू प्रोपर्टी से क्या आशय लिया जा रहा है यह प्रश्न से स्पष्ट नहीं होता। यदि इसका आशय सिवाय चक भूमि से है तो ऐसी भूमि का आवंटन इस हेतु बने नियमों के तहत किया जाता है। यह नियम राज्य के समस्त जिलों पर लागू है। झालावाड़ के लिए कोई अलग नियम नहीं है।

(2) जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है राजस्व प्रॉपर्टी से क्या आशय है यह स्पष्ट न होने से इसका उत्तर भी दिया जा सकना सम्भव नहीं है। वैसे नियम तीनों जिलों के लिए समान है।

(3) राजस्व विभाग के नियम सब जिलों में लागू हैं। ऐसी दशा में विरोधाभास दूर करने की किसी योजना के बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम कोडका-सामराणी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से गांवों को पानी

186. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही कि ग्राम कोड़का-सामराणी वगैरह क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना द्वारा कुछ ग्रामों में पानी देना प्रारम्भ कर दिया है ? अगर हां, तो कौन कौन से गांवों में कब से ?

(2) क्या यह सही कि उसके अन्तर्गत ग्राम भाटीप, अंक डिगांव, कोटड़ा वगैरह गांव में पानी देना शुरू नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कौनसे ग्राम में कब से पानी प्रारम्भ किया गया है ?

(3) उपरोक्त गांवों में कब से पानी देना प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, सभी ग्रामों में जल वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है।

(3) सभी ग्रामों में जल वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न 1 की सूची

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | जल वितरण प्रारम्भ करने का दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | पुनेलासा | जनवरी, 1976 |
| 2. | दांस्तीवा | जनवरी, 1976 |
| 3. | भाटीप | फरवरी, 1976 |
| 4. | सामरासी | फरवरी, 1976 |
| 5. | पमाला | फरवरी, 1976 |
| 6. | कोडका | फरवरी, 1976 |
| 7. | दीगांव | फरवरी, 1977 |

### सिरोही जिले की सड़कों पर डामर का कार्य

187. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में शिवगंज से जोयला-गोल-कालन्द्री होकर जसवन्तपुरा तक कन्क्रीट की सड़क बनी हुई है परन्तु उस पर डामर नहीं होने के कारण वह सड़क टूट रही है? उस पर विभाग डामर कब तक कर देगा ?

(2) क्या यह सही है कि इसी प्रकार से जावाल से हरजी तक सड़क भी कन्क्रीट की बनी हुई है परन्तु उस पर भी डामर नहीं होने के कारण जून से अक्टूबर तक मार्ग अवरुद्ध रहता है ? क्या इस मार्ग पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र डामर करवाया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि इसी सड़क को दो जिलों में बांटने के कारण हरजी से उम्मेदपुर तक कन्क्रीट की सड़क है परन्तु उस पर डामर नहीं हो रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि उम्मेदपुर-हरजी-मणादर-लास-जावाल सड़क सिरोही जालोर की मुख्य सड़क है और राजनैतिक विद्वेष से उस पर डामर नहीं हुआ है ? क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराकर इस पर डामर कराने के आदेश प्रसारित करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि सिरोही जिले में शिवगंज से जोयला-गोल-कालन्द्री होकर जसवन्तपुरा तक सारी सड़क मेटल से बनी हुई है। वास्तव में इस सड़क के कुल 83 किं. मीटर लम्बाई में से केवल 67 कि. मी. मेटल्ड सड़क है एवं 16 कि. मी. लम्बाई में डामर सड़क है। सड़क के मेटलर्ड भाग में वर्षा एवं ट्रैफिक के कारण कहीं कहीं मिट्टी निकल गई है एवं कुछ टूट फूट अवश्य हुई है जिसकी मरम्मत कराई जा रही है

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
वित्तीय साधनों के अभाव में इस पर डामर कराया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जावाल से हरजी तक सड़क की कुल लम्बाई 45 किलो मीटर है जिसमें से 26 किलोमीटर ग्रेवल एवं 5 कि. मी. कच्ची सड़क है। वर्षा के मौसम में सडक पर पुलियायें नहीं बने होने के कारण यह मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वित्तीय साधनों की कमी के कारण इस सड़क पर डामर एवं पुलियाओं का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

(3) यह सही नहीं है कि दो जिलों में बंटे होने के कारण हरजी से उम्मेदपुर तक की सड़क के मेटल भाग पर डामर नहीं हो रहा है। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) यह सही नहीं है कि उम्मेदपुर-हरजी-मणादर-लास-जावाल सड़क जो कि एक अन्य जिला सड़कों की श्रेणी की सड़क है उस पर राजनैतिक विद्वेष से डामर नहीं हुआ है। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता। वित्तीय साधनों के अभाव में इस सड़क पर डामर कराया जाना सम्भव नहीं है।

### एस. डी. एम. करौली के पास विचाराधीन मामले

**188**. श्री रंगजी (सपोटरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एस. डी. एम., करौली डेढ़ वर्ष से करौली में है?

(2) उन्होंने डेढ़ वर्ष में कितने केसों का फैसला किया है?

(3) क्या यह सही है कि वह चेम्बर में बैठकर बाहर से आने वालों की तारीख बढ़ाते हैं?

(4) करौली एस. डी. एम. ऑफिस में कितने केस विचाराधीन हैं?

### उत्तर

(1) उप खण्ड अधिकारी, करौली 2-4-76 से पद पर है।

(2) 20-4-76 से 31-8-77 तक फैसला किये मुकदमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत जिलाधीश अथवा राज्य सरकार को नहीं मिली है।

(4) विचाराधीन मुकदमों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है?

20-4-76 से 31-8-77 तक उप-खण्ड अधिकारी, करौली द्वारा फैसल किये गये मुकदमों की सूची।—

| क्र. सं. | किस्म मुकदमा | फैसल शुदा |
|---|---|---|
| 1. | फौजदारी | 486 |
| 2. | राजस्व | 625 |
| 1. | दावे 243 | |
| 2. | प्रार्थना-पत्र 345 | |
| 3. | अपील 22 | |
| 4. | दावे जागीर 9 | |
| 5. | इजराय 6 | |
| | योग : 625 | |

उप खण्ड अधिकारी, करौली के न्यायालय में दिनांक 31-8-77 को विचाराधीन मुकदमों की सूची :—

| क्र सं. | किस्म मुकदमा | विचाराधीन |
|---|---|---|
| 1. | फौजदारी | 182 |
| 2. | राजस्व | 731 |

1. दावे 470
2. प्रार्थना-पत्र 205
3. अपील 30
4. इजराय 13
5. दावे जागीर 3
6. दर. जागीर 10

योग : 731

बाड़मेर जिले में तपेदिक रोग से ग्रसित रोगियों के इलाज की व्यवस्था

189. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे—

(1) बाड़मेर जिले में तपेदिक रोग से ग्रसित कुल रोगियों की संख्या कितनी है ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में उक्त रोगियों के इलाज के लिये राजकीय भवन बना हुआ नहीं है और न उनके लिए इनडोर पेशेन्ट्स के तौर पर भर्ती कराने की किसी भी प्रकार की व्यवस्था है ?

(3) उक्त रोग के उपचार के लिये किन-किन जिलों के मुख्यालयों में अलग से टी. बी. अस्पताल के भवन नहीं बने हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या राज्य सरकार तपेदिक रोग से प्रभावित लोगों का संख्या देते हुए बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में अलग से नये भवन का निर्माण करना टी. बी. के उपचार के लिये उचित समझती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसी वर्ष में इसके लिए वित्त की व्यवस्था कर जिले की जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करेगी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में तपेदिक रोग से 2197 रोगी ग्रसित हैं ।

(2) रोगियों के इलाज के लिए पृथक् से राजकीय भवन नहीं है । परन्तु इनडोर पेशेंट्स हेतु सामान्य अस्पताल बाड़मेर में ही अन्य रोगियों की चिकित्सा एवं भर्ती करने की 10 शय्यायें सुरक्षित हैं ।

(3) राजस्थान में निम्न 19 जिला मुख्यालयों पर टी. बी. अस्पताल का भवन अलग से नहीं हैं:-

(1) चित्तौड़गढ़
(2) जालोर
(3) बून्दी
(4) श्रीगंगानगर
(5) झुन्झुनूं
(6) सवाई माधोपुर
(7) कोटा
(8) भीलवाड़ा
(9) झालावाड़
(10) सिरोही
(11) बांसवाड़ा

( चिकित्सा मंत्री)

(12) टोंक
(13) पाली
(14) डूंगरपुर
(15) अलवर
(16) जैसलमेर
(17) रतनगढ़
(18) नागौर
(19) बाड़मेर

बाड़मेर नगर में टी. बी. अस्पताल में अलग भवन निर्माण हेतु वांछित जन सहयोग प्राप्त होने पर विचार करना संभव हो सकता है ।

## बिलाड़ा तहसील में फैमीन में बनी सड़कों का कार्य

**191. श्री रामनाराण दूबे (बिलाड़ा):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बिलाड़ा तहसील में फैमीन में बना सड़कों की स्थिति क्या है ? क्या यह सही है कि आसोप से डिगरना सड़क के खारिया खगार से बोरुन्दा तक मेटीरियल पड़ा है, मगर कार्य अपूर्ण है ? इससे जनता को चलने में असुविधा हो रही है ? क्या यह कार्य पूर्ण किया जा सकेगा ?

### उत्तर

बिलाड़ा तहसील में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों की स्थिति सदन के पटल पर रखी गई सूची में दर्शाई गई है ।

यह सही है कि आसोप से डिगराना सड़क के खारिया खगार से बोरुन्दा तक मेटल पड़ा है । यह अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ग्रेवल रोड बनाई गई थी । इस सड़क पर पिछले वर्षों में अत्यधिक वर्षा के प्रकोप से हुई क्षति के कारण यातायात में कठिनाई होती है । पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में इसका निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ?

**(बिलाड़ा तहसील में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई सड़कों की सूची)**

| क्र. सं. | सड़क का नाम | वर्तमान स्थिति (किलो मीटर में) डामर | मेटल | ग्रेवल | कच्ची | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | बीनावास से रामरावास | — | — | 12 | — | 12 |
| 2. | हरियाडा से सिन्दालिया | — | — | 6 | — | 6 |
| 3. | बिलाडा से हरियाडा | — | 8 | 24 | — | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | खेजरला से कापरना | — | — | 24 | — | 24 |
| 5. | खेजरला से सोनिया | — | — | 18 | — | 18 |
| 6. | सोनिया से हरियाडा | — | — | 14 | — | 14 |
| 7. | पीपाड़ सीटी से मालर | — | — | 12 | — | 12 |
| 8. | अखताली से रियान | — | — | 20 | 8 | 28 |
| 9. | बानर होस्पिटल से पीपाड़ रोड | — | — | 20 | — | 20 |
| 10. | होरादेसर से कुडी | — | — | 7 | 2 | 9 |
| 11. | पीपाड़ सड़क से कापडदा | — | — | 20 | — | 20 |
| 12. | भोपालगढ़ से गंगानी | — | — | 35 | 3 | 38 |
| 13. | नरसर से आसोप | — | — | 15 | — | 15 |
| 14. | बीनावास से खंगता की प्याऊ | — | — | 34 | 2 | 36 |
| 15. | मेलना से बिराई | — | — | 8.3 | — | 8.3 |
| 16. | सरपुरा से बिरसालु | — | — | 29 | — | 29 |
| 17. | आसोप से डिगेरना | — | 15 | 35.5 | — | 37 |
| 18. | पीपाड़सिटी से बाला | — | 4 | 33 | — | 37 |
| 19. | डेकरा से पुरकिया | — | — | 15 | — | 15 |
| 20. | कडवाखरा की ढाणी से खिडाकोर | 13 | — | 24 | — | 37 |
| 21. | आसोप से तिवरी | — | 28 | 70 | — | 98 |
| 22. | भिन्डोली क्रोसिंग से माटिन्डा अपटूआसरनदा रेल्वे स्टेशन | — | 10 | 59 | — | 69 |
| 23. | बगोरिया से बुरचा | 1 | — | 8 | — | 9 |
| 24. | पावुकरा से सामराऊ | — | — | 18 | — | 18 |
| 25. | भोपालगढ़ से नन्दी खुर्द | — | — | 58.5 | — | 58.5 |
| 26. | लिंक रोड़ से जोइन जोधपुर भोपालगढ़ पीपाड़ सिटी वाया तिलवासनी-बागोरिया-बूरच | — | — | 13 | — | 13 |
| 27. | अपोजिट टू विलेज बाला | — | — | 9 | — | 9 |

(180)



श्री रामनिवास धाम ट्रस्ट शाहपुरा

192. श्री नन्दलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री रामनिवास धाम ट्रस्ट शाहपुरा ने धार्मिक ट्रस्ट से मुक्ति (छूट) के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो कब और इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? कब तक इस मामले का निपटारा हो जायगा ?

(2) क्या यह सही है कि रामनिवास धाम ट्रस्ट अन्तर्राष्ट्रीय श्री रामस्नेही सम्प्रदाय के अन्तर्गत आने से धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ?

(3) क्या यह सही है इस मामले में विधि विभाग की राय प्राप्त हो चुकी है ?

उत्तर

(1) रामनिवास धाम ट्रस्ट शाहपुरा के आचार्य श्री रामकिशोर जी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 29-6-76 को प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र पर देवस्थान आयुक्त उदयपु[illegible] से टिप्पणी मांगी गई है। टिप्पणी प्रा[illegible] होने पर मामले का निपटारा किया जा[illegible] संभव होगा।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

————